खण्ड-439, अंक-7
बुधवार, 9 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(30 मई, 2001 ई0)

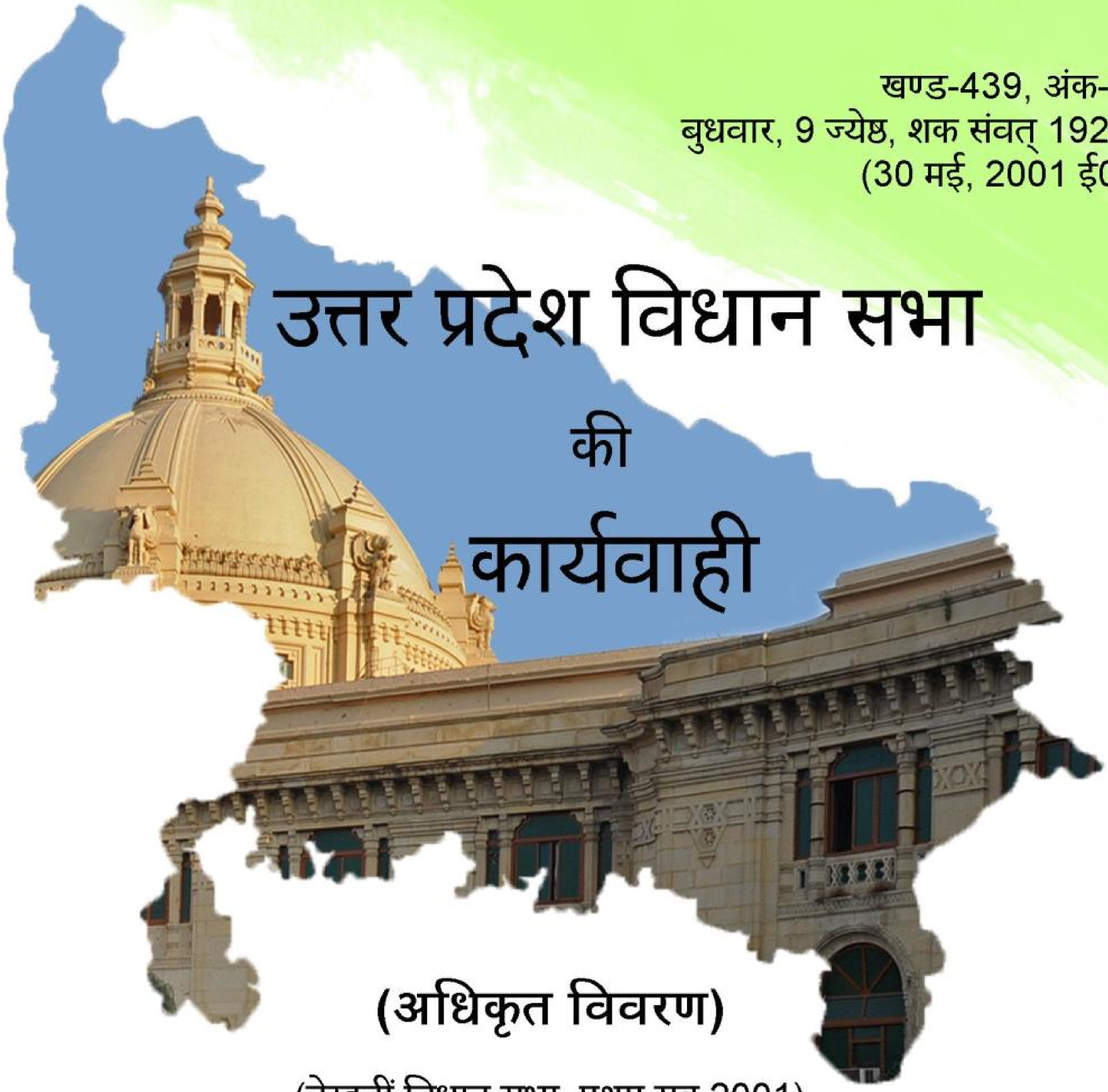

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

बिषय -सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1 - 29
जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत नव सृजित ब्लाक मुख्यालय दीनशाह गौरा से ही सभी विकास कार्य सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम, पटना के पास चौकी नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद बांदा के ग्राम बछनीपुरवा निवासी दो व्यक्तियों की विद्युत लाइन प्रवाह से टकरा जाने से हुई मृत्यु एवं चार घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30 - 31
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत बभनान शुगर मिल द्वारा किये जा रहे गन्ना कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा खारी नदी पर चैकोरामोरी चैक-डेम के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31 - 32
जनपद उन्नाव में आकस्मिक दुर्घटनाओं/दैवी आपदाओं में सहायता एवं बचाव कार्य हेतु लोडर व क्रेन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
श्री राम औतार शाक्य के परिवार को उपलब्ध कराई गयी सुरक्षा व्यवस्था हटाये जाने से उनके परिवार को जान-माल से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	32
बढ़ी हुई मंहगाई के अनुपात में विधायक निधि की धनराशि 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	32 - 34
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	34
जनपद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में व्याप्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं की जाँच एवं निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरत चन्द्र आदि की हस्ताक्षरित याचिका - - - - - - - (प्रस्तुत की गयी)	34
विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के छठें बुधवार दिनांक- 17 मई, 2000 को श्री विन्दू लाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 144 के उत्तर के सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री का शोधन वक्तव्य	34 - 36
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36 - 63

विषय	पृष्ठ संख्या
संसद द्वारा पारित सफाई कर्मचारी नियोजन और शुल्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	63 - 64
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	64 - 82
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए माँग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	82 - 100
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए माँग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या- 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	100 - 108
राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास निधि के गठन के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	109 - 116
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	117
जनपद लखनऊ के ग्राम जमाल नगर, थाना काकोरी में खाद के गड्ढों के लिए सुरक्षित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	118
बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी में यात्रियों की पूरी सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने हेतु मंदिर एवं गर्भ गृह के अन्दर होने वाली सभी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने एवं सुरक्षा की दृष्टि से क्लोज सर्किट टी0वी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	118
जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मिर्जागंज में पुलिस संरक्षण में अल्पसंख्यकों की कथित लूट एवं अपमानित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	119
प्रदेश में पुलिस से मिलीभगत करके कुख्यात अपराधियों के हिरासत से फरार होने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	120
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विद्युत केन्द्र से मुबारकपुर फीडर को विद्युत आपूर्ति हेतु 8 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	121
प्रदेश के शस्त्र व्यवसाइयों को बिक्री हेतु समुचित मात्रा में कारतूसों की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	121 - 123
जनपद उन्नाव में दिन दहाड़े लाखों की बैंक डकैती पड़ने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री रामकुमार एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123 - 124
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम-रामपुर, विकास खण्ड-पहासु में काली नदी के तट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	124

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन मार्ग पूर्ण न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	125
जनपद बांदा में ग्राम जमालपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा भू-माफियाओं से साँठ-गाँठ कर गरीबों के घर गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	125 - 126
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) विद्युत उपकेन्द्र कोइरौना (नारेपार) को चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरख नाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	126 - 127
प्रदेश में समूह 'ग' की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम-1994 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	127
जनपद बदायूँ में भूमि विकास बैंक, सहसवान द्वारा किसानों को ऋण वितरण में धाँधली किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	128
प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा संचालित विकास योजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विधान परिषद् व विधान सभा के माननीय सदस्यों को समान रूप से धन मात्राकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नियोजन राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	128 - 129
जनपद गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	129 - 130
नत्थियाँ	130 - 133

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उतर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक, 30 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1- अजय राय, श्री — वाराणसी
2- अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3- अनिल कुमार, श्री — बलिया
4- अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
5- अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
6- अमर मणि, श्री — महराजगंज
7- अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
8- अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
9- अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
10- अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
11- अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
12- उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
13- उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
14- ओमकार सिंह, श्री — बदायूँ
15- कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
16- कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
17- काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
18- गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
19- गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
20- चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
21- चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
22- चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
23- चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
24- छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
25- जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
26- जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
27- ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
28- तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
29- दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
30- दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
31- धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
32- धर्मज्ञ मिश्र, डा0 — हरदोई
33- नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
34- नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
35- नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
36- प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
37- फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
38- बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
39- बच्चा पाठक, श्री — बलिया
40- मंजू, श्रीमती — बलिया
41- मुराद लारी, श्री — देवरिया
42- मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
43- मोती लाल, श्री — खीरी
44- यशवंत, श्री — आजमगढ़
45- रघुराज प्रताप सिंह राजा भईया, कुंवर — प्रतापगढ़
46- रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
47- रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
48- राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
49- राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
50- राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
51- राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
52- राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
53- राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
54- राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
55- राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती

56- राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 — कानपुर नगर
57- राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
58- रामजग, श्री — आजमगढ़
59- राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
60- राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
61- राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
62- रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
63- राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
64- राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
65- राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
66- रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
67- लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
68- लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
69- विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
70- विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री — गोण्डा
71- विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
72- विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
73- शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74- शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
75- शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
76- शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
77- श्रीराम पाल, श्री — जालौन
78- सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
79- समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
80- सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
81- सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
82- सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
83- सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
84- हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार दिनांक 30 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हमने एक सूचना नियम-311 में दी है।

श्री अध्यक्ष-

वह निर्णय सदन में आ गया है। कानपुर के दंगे में पहले चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है। नियम-311 के बारे में मैंने जो व्यवस्था दी है उसको आप सुन चुके हैं। हम इसे नियम 56 के बाद देख लेंगे। आज काम भी कम है जल्दी-जल्दी सब हो जायेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शासनादेशानुसार 4 प्रदेश के प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों को उत्तरांचल राज्य में स्थानान्तरण

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

**1 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों तथा चिकित्सा सेवा के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें नवगठित उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जबर्दस्ती उत्तरांचल राज्य में न भेजे जाने की नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या चिकित्सा सेवा के अधिकारियों पर इसे लागू किया गया है? यदि नहीं तो शासनादेश संख्या 616/सेक-2-5-2001-4(268)2000 दिनांक 23 फरवरी, 2001 जारी करने से पहले क्या उसमें उल्लिखित चिकित्साधिकारियों की सहमति प्राप्त की गई? यदि नहीं, तो क्यो?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 राम बाबू हरित)-

जी हाँ।

शासनादेश सं0-1134/का01-13(12)/2000, दिनांक 6 नवम्बर, 2000 के अनुरूप प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों को भी उत्तरांचल राज्य आवंटन का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपरोक्त शासनादेश दि0 6-11-2000 के प्रस्तर-7 (1) (2) (3) में कार्मिकों को उत्तरांचल प्रदेश में भेजे जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त शासनादेश दि0 6-11-2000 के प्रस्तर-7 (2) में उत्तरांचल राज्य के मूल निवासियों अर्थात दिनांक 1-4-2000 की स्थिति में घोषित गृह जनपद उत्तरांचल में ही अवस्थित है, को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। अत: सहमति की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, अभी इसके पहले

कई बार स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था। माननीय मंत्री जी से चिकित्सकों की कमी बताई गई थी। पूरे प्रदेश में जहाँ सबको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और चिकित्सकों का अभाव है वहीं दूसरी ओर अन्तिम खण्ड में उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि उत्तरांचल राज्य के मूल निवासियों अर्थात् दिनांक 1-4-2000 की स्थिति में घोषित गृह जनपद उत्तरांचल में ही अवस्थित है, को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। अत: सहमति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि जहाँ चिकित्सकों की कमी है और उनसे ही पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर उत्तरांचल में भेजे जाने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं और भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या यह बतायेंगे कि ऐसे चिकित्सकों को सशर्त भेजने की व्यवस्था करेंगे, या, जब तक उत्तरांचल में कोई विकल्प तैयार नहीं हो जाता है तब तक, फिर पुन: उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो चिकित्सक भेजने की व्यवस्था की गई थी उसमें 6 नवम्बर, 2000 को शासनादेश हुआ था उसके पैरा 7 (1) (2) (3) हैं, मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ देना चाहता हूँ-

(1) प्रथम चक्र में तत्काल प्रभाव से उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प देने वाले इच्छुक अधिकारी/ कर्मचारियों का स्थाई आवंटन किया जाये।

(2) प्रत्येक संवर्ग के प्रत्येक वेतनमान में शेष आवश्यक पदों को प्रत्येक संवर्ग में इस श्रेणी में उपलब्ध उत्तरांचल राज्य के मूल निवासियों, अर्थात जिनका 1-4-2000 की स्थिति में घोषित गृह जनपद उत्तरांचल में अवस्थित है, को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाय।

(3) इसके पश्चात् यदि किसी संवर्ग या वेतनमान में आवश्यक पद रिक्त रह जाते हैं तो प्रत्येक संवर्ग में उक्त वेतनमान पर प्रोन्नति पा रहे बैच के कनिष्ठतम अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस आवश्यक संख्या में प्रतिनियुक्ति पर तब तक भेजा जाये जब तक कि अगला बैच प्रोन्नति नहीं पाता है। जब अगले बैच से प्रोन्नत हो रहे अधिकारी/ कर्मचारी भेजें जायेंगे तब पूर्व के अधिकारी/ कर्मचारी उत्तर प्रदेश लौट आयेंगे। प्रतिनियुक्ति पर जा रहे अधिकारी/ कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में अपना सरकारी आवास रखने का अधिकार होगा।

मान्यवर, इस तरह से हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है इसके बाद एक शासनादेश अभी और हुआ है, दिनांक 10 मई, 2001 जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी है कि जो लोग उत्तरांचल में जाना चाहें उनके लिए प्रत्यावेदन की तिथि जो है उसें 15 जून तक के लिए कर दिया गया है उचित माध्यम से वह उसे भेज सकते हैं। मान्यवर, इसमें भारत सरकार के जो निर्देश मिले थे उसके अन्तर्गत यहाँ के प्रमुख सचिव श्री जी0एन0 मेहरा की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है उनकी बैठक भी हो गई है और उस हिसाब से यह 30 तारीख तक कार्यवाही होनी थी जिन लोगों के प्रत्यावेदन आ गये हैं उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह जो दो शासनादेशों का उल्लेख आया है यह आपस में विरोधाभासी है। जो 6 नवम्बर का है उसमें उत्तरांचल जाने की बात है और 10 मई का जो शासनादेश किया गया है उसमें प्रत्यावेदन मांगा है कि उत्तरांचल सरकार की सेवा में जायेंगे या उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में रहना चाहते हैं। मान्यवर, जो मूल निवासी हैं वहाँ के उसमें यह बात थी कि वे वहाँ जायेंगे, शेष नहीं जायेंगे। तो फिर इस शासनादेश का औचित्य क्या रह जाता है? क्या यह आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे कि जो मूल उत्तरांचल के निवासी हैं उनके अतिरिक्त किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग से उत्तरांचल नहीं भेजा जायेगा?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, मैंने पैरा 7 का भाग 1, 2, 3 पढ़ लिया है जिसमें स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने यह आश्वासन चाहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको वहां नहीं भेजा जायेगा?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि 2 मार्च, 2000 को कार्मिक विभाग द्वारा एक शासनादेश हुआ है। जी0एन0 मेहरा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है, भारत सरकार के जो निर्देश मिले हैं उसका अनुपालन प्रदेश सरकार को करना है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, जो उत्तरांचल अलग बन गया है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं... चिकित्सक और अन्य अधिकारी जो उत्तरांचल में कार्यरत हैं और किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ पाये हैं उनकी संख्या कितनी होगी?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, बड़ा विस्तृत प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है लेकिन जो जानकारी है 164 लोग ऐसे चिन्हित किये गये थे जिनको रिलीव कर दिया गया।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न के स्थान पर पोषाहार वितरित करने की नीति

डा0 अशोक बाजपेयी तथा कुंवर रेवती रमण सिंह-

**2 क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा पोषाहार वितरित किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो वह नीति क्या है? क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न के स्थान पर पका हुआ पोषाहार वितरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)-

जी हाँ।

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या- भा0सं0 59/15-6-95-1(1)/95 दिनांक 25 अगस्त, 1995 द्वारा स्कूल पोषाहार संचालन के दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये थे।

भारत सरकार खाद्यान्न के रूप में गेहूँ एवं चावल अपने व्यय पर उपलब्ध कराती है। यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा सीधे भारतीय खाद्य निगम के जिलों में स्थित गोदामों से जनपदों की निर्धारित उठान एजेन्सियों द्वारा उठाकर सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुँचाया जाता है जहाँ से प्रत्येक बच्चे को माह में 80 प्रतिशत उपस्थिति पर माह में 3 कि0ग्रा0 खाद्यान्न ग्राम शिक्षा समिति की देख-रेख में दिया जाता है। बच्चों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रधान अध्यापक द्वारा दिया जाता है जिसके आधार पर खाद्यान्न का उठान किया जाता है।

संसाधनों की उपलब्धता पर संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह जो पुष्टाहार के रूप में खाद्यान्न वितरण होता है उसमें गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हैं। यह बात थी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको मध्याह्न में पका भोजन दिया जाये। आप खाद्यान्न के रूप में अन्न देते हैं। विभिन्न जो कोटेदार हैं जिन्हें वितरक नियुक्त किया गया है उनके माध्यम से वितरण होता है

लेकिन वह विद्यालय तक नहीं पहुँच पाता है, तो क्या शासन में मध्याह्न में पका हुआ भोजन वितरित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है वह कब से लागू होगी। मान्यवर, वर्ष 98-99, 99-2000 में यह पुष्टाहार वितरण के सम्बन्ध में आडिट सम्प्रेक्षा दल ने सर्वेक्षण किया था, विभिन्न जनपदों में, और गम्भीर अनियमितताएं पायी थीं क्या वह आपकी जानकारी में है और उनमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, दोपहर में मध्याह्न में खाद्यान्न देने की योजना भारत सरकार की योजना है। मान्यवर, इसे लागू करने के लिए भारत सरकार ने इसके सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये थे तदनुसार प्रदेश सरकार ने भी इसके वितरण के लिए पूरी व्यवस्था लागू की है इस व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही हो रही है भारत सरकार ने यह भी कहा था कि शुरु में पका पकाया भोजन दिये जाने में कठिनाई हो सकती है इसके लिए 2 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की थी कि प्रदेश सरकारें उसके लिए ढांचा खड़ा कर लें। कठिनाई यह है कि जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसमें यह कहा गया है कि जो पका पकाया भोजन दिया जायेगा उसके लिए खर्चा जो है वह ग्राम्य विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनकी डबटेलिंग से हो। वर्तमान में उससे सम्भव नहीं हो पा रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अलावा 2-3 और प्रदेशों में दोपहर का भोजन दिया जाता है और उसका एक सर्वे कराया गया है उसमें यह योजना सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से तमिलनाडु में चल रही है भारत सरकार की योजना के पहले से तमिलनाडु में चल रही है। वहाँ प्रति बालक पर जो खर्चा आ रहा है वह 49 पैसे अतिरिक्त आ रहा है सूखा राशन के अलावा। गुजरात में एक रुपये पचहत्तर पैसे आ रहा है और पाण्डिचेरी में 2.77 रुपये आ रहा है। मान्यवर, जो तमिलनाडु में, व्यवस्था में, उसमें उन्होंने पका पकाया भोजन के लिए एक प्रबन्धक, एक रसोईयाँ और एक सहायक दिया है। अगर हम तमिलनाडु के मानक पर कार्यवाही करेंगे तो भी हमें प्रत्येक गाँव में 33.695 रुपया प्रतिमाह खर्च करने पड़ेंगे और रसोई के लिए शेड डालने के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। यह इतना बड़ा संशाधन के प्रदेश सरकार के लिए वर्तमान वित्तीय संशाधनों में सम्भव नहीं है, कैसे व्यवस्था सम्भव हो इस पर गम्भीरता से विचार चल रहा है। खुद हमारे अधिकारी, अगर यह पका कर देंगे तो कितना मिनिमम व्यय हो सकता है, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं जैसे सम्भव हो जायेगा जरूर करेंगे। माननीय बाजपेई जी ने पूछा मान्यवर, आडिट आब्जेक्शन आया है लेकिन इस योजना के इम्पलीमेन्टशन में कई बार कठिनाइयाँ आई है क्योंकि वर्तमान में जो खाद्यान्न उठकर आता है, राशन वहाँ तक उसके लिए भारत सरकार भाड़े की प्रतिपूर्ति देती है और उसके पहले एडवांस में डीआरडीए से यातायात के लिए मिलता था। अब डीआरडीए कलेक्टर के अण्डर में नहीं रहा, पंचायतों में चले गये इसलिए धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उठान भी नहीं हो पा रही है। भारत सरकार से अनुरोध किया है कि प्रतिपूर्ति आप अग्रिम कर दीजिए। अग्रिम के रूप में दे देंगे तो उठान हो जायेगी और सूखा राशन हमें उपलब्ध हो जायेगा लेकिन जो आपने बात कही कि आडिट में आपत्ति आई है उसके सम्बन्ध में सतर्कता जाँच बैठा दी गई है जो भी दोषी पाया जायेगा उन्हें दंडित किया जायेगा।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह योजना इसलिए चलाई गई थी कि प्राथमिक विद्यालयों में और बेसिक विद्यालयों में सबसे ज्यादा पूरे देश में हमारे प्रदेश में बच्चे कक्षा 2-3-4 तक पढ़ने के बाद प्राइमरी पाठशाला छोड़ देते हैं। इसलिए यह योजना चलाई गई थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस योजना की वजह से प्राइमरी पाठशाला जायेंगे। आज हमारे प्रदेश में पूरे देश के सबसे ज्यादा निरक्षर बच्चे अगर कहीं हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं तमिलनाडु का और कई प्रदेशों का हवाला दिया। एक तो हमारे यहाँ बजट बहुत कम होता है जैसा स्वयं मंत्री जी ने बताया। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने यह योजना 95 में लागू की थी और इसलिए की थी कि ज्यादा लोग जायें। 1995 से लेकर आज

2001 तक, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा बच्चे आकर्षित हुए, इसके पहले कितने बच्चे थे और आज कितने जा रहे हैं? वह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह योजना पूरी तरह से असफल हो गई है। इस योजना को, जैसा माननीय बाजपेई जी ने कहा, इस योजना का लाभ, लाभार्थियों को एकदम नहीं मिल रहा है, आपने कहा कि गाँवों में इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो क्या बजट में, बेसिक शिक्षा के बजट में आप इस बात का प्राविधान करेंगे कि जो 49 पैसे आता है खर्चा, वह बेसिक शिक्षा के बजट के द्वारा की उसको पूरा किया जायेगा ताकि लाभार्थी को लाभ पहुँचाया जा सके इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि केवल गेहूँ और चावल जो आपको मिलता है तो पौष्टिक आहार के रूप में क्या दलिया में दाल मिलाकर देंगे जिससे उसकी पौष्टिकता बढ़ जाय?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, इस कार्यक्रम को लागू करने के तीन लक्ष्य थे, एक तो विद्यालय में बच्चों का अधिकतम नामांकन, और दूसरा जो बच्चे विद्यालयों में आ गये उनका ठहराव और तीसरा बच्चों को कुछ न कुछ पौष्टिक आहार। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं सूखा राशन देने से उस सीमा तक जिस सीमा तक योजना का लक्ष्य था वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन पौष्टिक आहार उपलब्ध होने के कारण जो बच्चों का आकर्षण रहा था वह सम्भव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वित्तीय साधन प्रदेश के पास सीमित हैं। इसलिए प्रदेश सरकार अपने संशाधनों से यह उपलब्ध नहीं करा पा रही है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि बेसिक शिक्षा में, तो अभी 23 तारीख को, बेसिक शिक्षा का बजट आप सबके सामने रखा गया, 3600 करोड़ रुपये का बेसिक शिक्षा का बजट था जिसमें 96 प्रतिशत सैलरी कम्पोनेन्ट है। उस संशाधन में यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। भारत सरकार के निदेशक सिद्धान्त हैं, उसके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बात की है जो ग्राम्य विकास की योजनाएं हैं उसमें महिलाओं की मजदूरी सृजन का जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के साथ जोड़कर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम पका-पकाया भोजन उपलब्ध करा सकें।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मैंने यह पूछा था कि 1995 के पहले कितने बच्चे आपके विद्यालयों में आते थे और आज कितने आ रहे हैं, यानि कितना बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है, जबसे यह योजना लागू हुई है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, वह आकड़े तो इस समय उपलब्ध नहीं हैं कि कितनी वृद्धि 1995 से अभी तक हुई है। लेकिन इस योजना में लाभार्थी बच्चों की संख्या मेरे पास जरूर है। वर्ष 1995-96 में 2 लाख थी अब एक करोड़ 49 लाख बच्चे इस योजना के लाभार्थी हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि भोजन पकाकर वितरित करने में जो व्यय भार आ रहा है, सरकार उसको उठाने में वर्तमान में अक्षम है। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि पकाकर भोजन दिया जाय तो बच्चों में ज्यादा आकर्षण पैदा होता है, उपस्थिति ज्यादा संभव होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह कोई ऐसी योजना तैयार करने पर विचार करेंगे, जैसे बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं एन0जी0ओज0 हैं, अगर वह एक सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की दृष्टि से जिम्मेदारी लेते हुए, इस खर्च को उठाकर बच्चों को भोजन पकाकर वितरित करने पर आगे आयें, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और उनको सहमति प्रदान करेंगे?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है, वह बहुत अच्छा है। यदि आपके पास कोई ऐसी संस्था है जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इस योजना का उद्देश्य था, बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना। मुझे लगता है कि इस समय जो वर्तमान व्यवस्था है, वह नये बच्चों को आने के लिए हतोत्साहित कर रही है, क्योंकि सत्रान्त के समय जो बच्चों की संख्या होती है, उसी संख्या के आधार पर अगले वर्ष के लिए आवंटन कर दिया जाता है और जब जुलाई में विद्यालय खुलते हैं तो उस आवंटन से विद्यार्थियों की संख्या का कोई तालमेन नहीं रहता। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित होकर विद्यालय में आयें, इसके लिए सत्र आरम्भ होने के समय विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पोषाहार का आवंटन सुनिश्चित करेंगे?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जैसा मैंने पूर्व में कहा, अभी तो हमारी चिन्ता यह है कि जितना हमको आवंटित खाद्यान्न है, उसको हम विद्यालयों में बँटवा पायें। अभी तो गोडाउन से उठाकर दुकान तक लाने के लिए संसाधन नहीं हैं, डी0आ0डी0ए0 से पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भारत सरकार को पत्र लिखा है कि अग्रिम रूप से धन उपलब्ध करा दिया जाय, हम बच्चों को जो 3 किलो राशन देते हैं....

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, प्रश्न दूसरा था।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं नीति की बात पूछ रहा हूँ। पहले नीति तो इस तरह की हो ताकि अधिक से अधिक बच्चे आकर्षित हों। इसके लिए जुलाई में स्कूल खुलने के समय बच्चों की संख्या को आवंटन का आधार बनाकर इसे सुनिश्चित करेंगे?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं और जो इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत हुआ है, उसमें हर 3 महीने पर छात्र संख्या मांगी जाती है, उसी के अनुसार राशन निर्धारित करते हैं। इसलिए यह कठिनाई नहीं है। जो हर 3 महीने पर छात्र संख्या उपलब्ध होती है, उसी को हम भारत सरकार को उपलब्ध कराते हैं और उसी छात्र संख्या के अनुसार भारत सरकार से खाद्यान्न उपलब्ध होता है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इस मूल योजना का नाम ही है, मिड-डे-मील मध्याह्न पोषाहार योजना। इसमें सोच यही थी कि जो बेसिक विद्यालयों से ड्रापआउट बढ़ रहा था, जो एक-दो साल बाद विद्यालय जाना बन्द कर देते थे तो बच्चों की विद्यालय जाने के प्रति अभिरूचि बढ़े, इसके लिए भारत सरकार ने यह योजना प्रारम्भ की थी, उससे अपेक्षा की गई थी कि हमारे विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाना प्रारम्भ करेंगे और जब अच्छा मध्याह्न भोजन मिलेगा, तो बच्चों का आकर्षण बढ़ेगा। मान्यवर, इस मूल योजना का जो उद्देश्य था और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया तथा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गत 5 वर्षों में इस योजना का संचालन किया है उससे तो इस मूल योजना का उद्देश्य तो समाप्त जैसा हो गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा बार-बार भारत सरकार की गाइड लाइन्स का हवाला दिया गया है। उसमें तो पका हुआ भोजन वितरित करने के निर्देश हैं और यह उत्तर प्रदेश सरकार को करना है कि वह पके भोजन को वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। मान्यवर, खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुँचता ही नहीं, उसे जिला पूर्ति अधिकारी, वहाँ का कोटेदार और इससे सम्बद्ध विभाग के कर्मचारी उस खाद्यान्न का वितरण कर लेते हैं। मेरी सुनिश्चित जानकारी है, और मंत्री जी को भी जानकारी होगी कि विद्यालयों में फर्जी पंजीकरण संख्या बढाकर अधिक से अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए तमाम

विद्यालयों ने एक योजना चला रखी है। क्या मंत्री जी ने ऐसे विद्यालयों की जाँच कराई है जहाँ पंजीकरण वास्तविकता से अधिक दर्शाये गये हैं, जो खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मंत्री जी ने प्रदेश में कितनी जगह जाँच कराई और किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई? एक जिज्ञासा और है कि क्या सरकार स्कूलों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2001-2002 में कोई प्रभावी कार्यक्रम चलाने जा रही है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, जहाँ से शिकायत प्राप्त होती है फर्जी नामांकन की वहाँ जाँच होती है। वैसे जिस बालक की 80 प्रतिशत हाजिरी है वही खाद्यान्न पाने का अधिकारी है, हेड मास्टर इसका प्रमाण-पत्र देता है तब उसे खाद्यान्न मिलता है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा, अगले सत्र से इस सम्बन्ध में बहुत तेजी से प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक हुई है। एक बैठक मैंने खुद अपने स्तर पर जो विभाग इसमें सहयोग कर सकते हैं, उनकी बुलायी है। हमने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी सम्पर्क किया है, उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं ताकि हम ग्रामीण विकास के सृजन की जो योजनाएं हैं उसमें इस योजना को शामिल कर लें ताकि कुछ और संसाधन उपलब्ध हो सकें।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, भारत सरकार की क्या गाइड लाइन्स हैं क्या मंत्री जी उसको स्पष्ट करेंगे और दूसरी बात मंत्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के सत्यापन करने पर ही अनाज मिलता है, वह यही नहीं है। फर्जी तरीके से पंजीकरण हो जाता है और अनाज वितरित हो जाता है। क्या इसकी जाँच के लिए कोई उड़नदस्ता बनायेंगे ताकि वह अचानक छापा मार करके ऐसी अनियमितताओं को पकड़े जिससे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सके। मान्यवर, और मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं जाकर के भारत सरकार में पैरवी करें क्योंकि आप तो पूरी तरह से दिवालिया हैं तो क्या आप भारत सरकार में जा करके पैरवी करेंगे कि वह आपके प्रस्ताव को मान लें, केवल पत्र लिखने से नहीं होगा?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, इसके अनुश्रवण के लिए मण्डल स्तर पर एक कमेटी बनी है जिसके कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं, जिला लेबल पर कमेटी है, कलेक्टर उसके अध्यक्ष हैं और गाँव स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों की देखरेख में इसका वितरण होता है। इसलिए यह व्यवस्था बराबर है और जिनके बच्चे हैं, जो ग्राम के लोग हैं वह इसकी देखरेख करें। एक दूसरी बात जो कही है, मैंने पूर्व में ही बाजपेयी जी की जिज्ञासा के सम्बन्ध में बताया कि मैंने खुद भारत सरकार से प्रयास किया है कि उनके साथ बैठ करके यह सुनिश्चित कर लें।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न और था कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स क्या हैं?

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, यह बहुत लम्बा शासनादेश है, कई पृष्ठों का यदि आवश्यकता होगी तो मैं उपलब्ध करा दूँगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पोलियो की बीमारी को रोकने की योजना

श्री लाल सिंह वर्मा-

*1 क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों में अभी भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सर्वाधिक पोलियो की बीमारी पाई जाती है? यदि हाँ, तो क्या उसे समूल नष्ट करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

मातृ एवं शिशु कल्याण व परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

जी हाँ।

पोलियो को समूल नष्ट करने की दिशा में पल्स पोलियो अभियान, नियमित टीकाकरण, पोलियो सर्वेलेन्स तथा प्रिएम्पिटिव माप-अप अभियान अयोजित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सर्वाधिक पोलियो की बीमारी पायी जाती है। क्या माननीय मंत्री जी यह आंकड़ा बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में कितनी संख्या थी और 2000-2001 में कितनी कमी आयी?

श्री सरदार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1999 में चाइल्ड पोलियो वाइरस से ग्रसित 773 बच्चे थे यह 60 जनपदों में पाये गये। वर्ष 2000 में सरकार के प्रयास से 41 जनपदों में 178 रोगी पाये गये। अर्थात् उनकी संख्या में काफी कमी आयी। आज की तारीख में वाइल्ड वाइरस के कुल 8 केस हैं और हमारा युद्धस्तर पर प्रयास है कि यथाशीघ्र हम इसे समूल नष्ट कर देंगे।

श्री लाल सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रोग्राम बताये हैं कि नियमित टीकाकरण, पोलियो सर्वेलेन्स तथा प्रिएम्पिटिव माप-अप। यह अभियान कब से शुरू किये गये और यदि अभी नहीं शुरू हुए हैं तो कब से शुरू होंगे?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, हमारा यह अभियान चल रहा है। 4 चरणों में पहले चल चुका है। 40 जनपदों में विशेष अभियान चलाया गया। प्रिएम्पिटिव माप-अप अभियान 9 अप्रैल से 15 अप्रैल और 10 मई से 16 मई, 2001 तक घर-घर जाकर दवा पिलाई गयी है। नियमित टीकाकरण प्रतिदिन अस्पतालों में होता है। सर्वेलेन्स में 15 साल तक के बच्चों में लकवा के लक्षण देखते हैं कि वाइल्ड वायरस या अन्य कारणों से है। इस प्रकार से हमारा नियमित प्रयास है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहूँगा कि पोलियो अभियान का कार्यक्रम तेजी के साथ चल रहा है। वर्ष 1999-2000 तथा 2001 में जहाँ पर टीकाकरण अभियान तेजी से चला है वहाँ पर क्या कार्यक्रम फेल होने की कोई सूचना प्राप्त हुई है? फिरोजाबाद में आपका कार्यक्रम फेल हुआ है और पोलियो पर नियंत्रण नहीं कर पाये हैं तो क्या वहाँ जाँच कराकर पुन: अभियान चलायेंगे?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, कम से कम 10 खुराक दवा पिलाना जरूरी होता है जिसे हम बार-बार देते हैं और प्रयास यही रहता है कि बच्चे को पूरा खुराक दे दिया जाये। कभी-कभी यह होता है कि बच्चा पूरा खुराक नहीं पाता है। फिरोजाबाद में एक केस मिला है। हमारा जो प्रिएम्पिविटव माप-अप अभियान चला है उसमें हमने फिरोजाबाद को लिया है और हमें उम्मीद है कि इस बार पोलियो को समूल नष्ट कर देंगे। अगली बार कोई केस नहीं मिलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विगत 3 वर्षों में जो अभियान चला उसके फलस्वरूप कितने प्रतिशत पोलियो बीमारी को समाप्त करने में सरकार सफल हुई?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, जो आंकड़े अभी मैंने बताये हैं उससे यह सिद्ध होता है कि हम पूर्ण सफलता के नजदीक हैं और वर्ष 2001 अन्त तक समूल नष्ट कर देंगे। इसमें मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि जनसहयोग इसमें बहुत जरूरी है।

डा0 ज्ञानवती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पोलियो के अतिरिक्त हेपेटाइटिस जैसे गम्भीर बीमारी को रोकने के लिए क्या इण्टी वायरस....

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिए अलग से प्रश्न करिए। मूल प्रश्न पोलियो से ही सम्बन्धित है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्ड पम्पों हेतु धन की व्यवस्था

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

*1 क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण हेतु धन की व्यवस्था की गयी है? यदि हाँ, तो क्या जिले एवं ब्लाक स्तर पर किसी अधिकारी को इस हेतु उत्तरदायी बनाया गया है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी को? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री- (श्री राजेन्द्र सिंह पटेल)-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-1430/38-5-2001-25 एम/99 दिनांक 31-3-2001 द्वारा हैण्ड पम्पों के रख-रखाव/अनुरक्षण का कार्य उ0प्र0 जल निगम को सौंपा गया है। इस कार्य हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर जल निगम के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की महत्वपूर्ण समस्या है और जो हैण्ड पाईप वहाँ पर लगाये गये हैं उनके रख-रखाव की सबसे बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है तो जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक सूचना पहुँचाने के बाद भी उनकी मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है और सूचना देने के बाद भी अधिकारी वहाँ तक पहुँचकर कार्य नहीं करते हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं जिनको यह जिम्मेदारी दी गयी है जिनके माध्यम से यह कार्य होता है और जो धन आवंटन किया जाता है तो 10 में से सात हैण्ड पाईप की लगते हैं और उनमें से अधिकांश खराब पड़े हुए हैं। तो जो जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में जो सूचनाएं मिलती हैं, यह अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो इसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या सरकार उनके ऊपर कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने पर कोई विचार करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, अगर कहीं से ऐसे सूचनाएं मिलेंगी तो अवश्य उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ब्लाकों के अन्तर्गत जो हैण्ड पाईप अनुरक्षण की व्यवस्था की गयी है वह कितने ब्लाकों में की गयी है और प्रति ब्लाक के हिसाब से कितने धन की हैण्ड पाईपों के लिए व्यवस्था की गयी है?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

मान्यवर, हैण्ड पाईपों के अनुरक्षण का कार्य ब्लाकों के आधार पर नहीं किया गया है उनमें खराब पड़े हैण्ड पाईपों की संख्या के आधार पर किया गया है और इसके लिए शासन द्वारा 15 करोड़ 25 लाख रूपये की व्यवस्था कर दी गयी है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

श्रीमन् इस समय सबसे ज्यादा समस्या पेयजल की है। इसके लिए शासन द्वारा धन भी आवंटित कर दिया गया है इसकी व्यवस्था शासन द्वारा कर दी गई है। मान्यवर, यह सारे हैण्ड पाईप जल निगम द्वारा ही न लगवाये जायें उनकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए धन व्यवस्था की गई है तो क्या ब्लाक स्तर पर, वह धन जो जिलास्तर पर दिया गया है, जिलों में लगे हैण्ड पाईपों की मरम्मत कराने के लिए, तो क्या वह ब्लाक स्तर पर भी दिया जा चुका है और मरम्मत का काम प्रारम्भ हो गया है? अगर हुआ है तो किन-किन ब्लाकों में हुआ है और औरैय्या के किस ब्लाक में कितना काम हुआ है?

मान्यवर, पिछली बार सभी माननीय विधायकों को 50-50 हैण्ड पाईप दिये गये थे। जिसमें [illegible] क्षेत्र में से सिर्फ 27 हैण्ड पाईप लगाये गये हैं और उसमें से 22 हैण्ड पाईप खराब हो गये हैं जिनकी जांच की मांग की गयी थी। श्रीमन् औरैय्या के बिधूना ब्लाक में जल निगम द्वारा सिर्फ 22 हैण्ड पाईप लगाये गये हैं और 23 अभी भी नहीं लगे हैं और जो लगाये गये हैं वह भी खराब पड़े हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उनको ठीक करायेंगे और जो हैण्ड पाईप वहां अभी नहीं लगे हैं उन्हें लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को पैसा भिजवा दिया है। ब्लाक-स्तर पर देखरेख जे0ई0 और जिला स्तर पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता इस काम को देखते हैं। जैसा कि मा0 नेता विरोधी दल ने कहा एक-एक ब्लाक के बारे में नहीं बता सकते हैं। नेता, विरोधी दल अपने को एक ब्लाक स्तर पर सीमित नहीं रखना चाहिए।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, औरैया के केवल एक ब्लाक का पूछा है जहाँ 27 में से 22 खराब हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष के ब्लाक की विशेष चिन्ता कर लीजिये जो हैण्ड पम्प खराब हैं उनको ठीक कराने के निर्देश दे दीजिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैं व्यवस्था कर दूँगा।

श्रीमती गौरी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि आज हर गाँव में दर्जनों हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और जो हैण्ड पम्प लग रहे हैं वह तुरन्त खराब हो जा रहे हैं। हैण्ड पम्प पानी नहीं दे रहे हैं, बालू आ रही है। जहाँ-जहाँ हैण्ड पम्प खराब हैं ऐसे हर गाँवों में हैण्ड पम्प की रि-बोरिंग करवाकर दूसरी जगह लगाने की व्यवस्था करेंगे? हैण्ड पम्प की रि-बोरिंग हो जाती तो पानी पीने की सुविधा हो जाती। क्या इसकी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जहाँ तक हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण की बात है वह ठीक कराये जाते हैं। जहाँ रि-बोरिंग की आवश्यकता होती है वहाँ रिबोर कराये जाते हैं। पूरे प्रदेश में 14 हजार हैण्ड पम्पों की रिबोर करना था जिसमें से 11928 हैण्ड पम्पों की रिबोर करा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों के जिलों का मामला है, बैठकर फैसला कर लीजिएगा।

श्रीमती गौरी देवी-

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और एक निश्चित जानकारी है, जिसकी सरकार को सूचना देना चाहता हूँ। मान्यवर, जल निगम में जो मैटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वह मानक से निम्न कोटि का है। पाईप इतना खराब है कि हाथ से डुबाने पर टूट जाता है। जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि 27 में से 22 खराब हैं, यहीं रेसियों सीतापुर में है। जो 5 हैण्ड पम्प खराब हैं इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं करेंगे ताक क्यों नहीं करेंगे? एक तरफ हैण्ड पम्प लगाते हैं और दूसरी तरफ खराब हो जाते हैं। क्या हैण्ड पम्पों की रिबोरिंग करायेंगे और जो इस भ्रष्टाचार के काम में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे?

श्री शिप प्रताप शुक्ला-

आश्वासन की बात नहीं है, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि प्रति ब्लाक कितना रुपया देते हैं जिसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रति हैण्ड पम्प कितना धन आवंटित किया गया है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, पहले यह कार्य पंचायतों को दिया गया था और उसमें एक सौ रुपये प्रति हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी थी फिर उसको बढ़ाया गया। यह देखा गया कि पंचायतें इस कार्य में सक्षम नहीं हैं तो यह कार्य जल निगम को पुन: दे दिया गया। इस वर्ष जल निगम अनुरक्षण का कार्य कर रहा है और वह हैण्ड पम्प को देखकर अनुरक्षण का कार्य करता है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिए अनुरक्षण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह जो व्यवस्था की गयी हे उसके पहले कोई सर्वे किया गया है कि प्रदेश भर में इतने हैण्ड पम्प हैं जो खराब हैं। क्या ब्लाक वाइज या जिला वाइज हैण्ड पम्पों की सूची बनायी गयी है कि कितने ऐसे हैण्ड पम्प हैं जो तुरन्त लगाये गये और खराब हो गये? दूसरा प्रश्न मेरा यह हे कि यदि आपने सर्वे कराया है तो उस सर्वे के आधार पर कितने धन की आवश्यकता है? 15 करोड़ रुपये में यह कार्य हो जायगा या इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है। तीसरा सवाल मेरा यह है जिसे मैं सुझाव के रूप में दे रहा हूँ कि ब्लाक स्तर पर एक पुस्तिका रखने का काम करेंगे और जो हैण्ड पम्प गाँवों में खराब होते हैं उनका विवरण उसमें अंकित करवायेंगे ताकि जे0ई0 वगैरह जब गाँव जायं तो उनको पता चल जाय कि फलां हैण्ड पम्प खराब हैं और उसकी रिपेयरिंग या री-बोरिंग हो सके। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे उर्जा व शिक्षा की सलाहकार समितियां हैं इसी प्रकार से जल निगम की कोई सलाहकार समिति बनायी जाय जिसमें माननीय सदस्य विधान सभा, विधान परिषद्, जिला पंचायत के अध्यक्ष या सदस्य उसमें सदस्य रखे जायं ताकि तथ्यों की जानकारी हो सके। दूसरे मैं अपनी जानकारी के

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आधार पर बताना चाहता हूँ कि जनपद जौनपुर में रामनगर ब्लाक में परशुरामपुर गाँव में एक हैण्ड पम्प खराब है जिसके बारे में, मैं वहां के अधिशासी अभियन्ता को कई बार मौखिक और लिखित रूप में सूचना दे चुका हूँ लेकिन अभी तक वह ठीक नहीं हुआ है तो उस हैण्ड पम्प को ठीक कराकर ऐसे अधिकारी को दंडित करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जिलों का सर्वे सरकार ने कराया है और मैं उसकी सूचना दे सकता हूँ। पूरे प्रदेश में 112910 हैण्ड पम्प खराब पाये गये जिसमें से 57793 हैण्ड पम्प ठीक करा चुके हैं।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मैंने तीन सवाल पूछे थे। कितने धन की आवश्यकता है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

धन इसमें उपलब्ध कराया है। समय-समय पर आवश्यकता होती है और धन अनुरक्षण के लिए देते रहते हैं। अभी 15 करोड़ रुपये हमने दिये हैं। नरेन्द्र सिंह जी के सवाल पर भी मैंने निवेदन किया था कि खराबी के आधार पर धन का आंकलन होता है जो पैसा दिया गया है उसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर धन उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

जिस समय धन की व्यवस्था की उस समय तक कोई सर्वे कराया है उसमें कितने धन की आवश्यकता थी? क्या सर्वे कराने के लिए तीन महीने छह महीने में सर्वे की व्यवस्था है? कार्य योजना बनाई है। जिस आधार पर सर्वे हो उसके सापेक्ष धन उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

एक सवाल वर्मा जी ने रजिस्टर के बारे में किया था ब्लाक स्तर पर रजिस्टर भी रखवा दिया है जहाँ हैण्ड पम्प खराब होते हैं तो उस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसकी पूरी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर जूनियर इंजीनियर को दी गयी है। जूनियर इंजीनियर जाकर हैण्ड पम्प के बारे में जानकारी करता है हैण्ड पम्प में क्या खराबी है, उसमें क्या लागत आयेगी, इसका आंकलन करता है इसी नाते निवेदन किया कि इसके लिए 15 करोड़ रुपये दिये गये। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है पेयजल की व्यवस्था जितनी अच्छी से अच्छी हो सके यह सुनिश्चित करायेंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

रजिस्टर रखना क्या अनिवार्य करेंगे? दूसरे ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर सलाहकार समिति बनायेंगे? उसमें सारे जनप्रतिनिधि हों जो अपने-अपने क्षेत्र के हैण्ड पम्पों के बारे में सूचना दे सकें। उस सलाहकार समिति की बैठकें तीन महीने, छह महीने में हों। इससे आमने सामने बैठकर समस्या के हल करने के सम्बन्ध में विचार हो सके व समस्या का निदान हो सके।

दूसरे ब्लाक रामनगर गाँव परसुरामपुर, जिला जौनपुर के बारे में मैंने अपने अनुपूरक प्रश्न में अनुरोध किया था यह जब से लगा है तब से खराब है इसमें क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का मंत्री जी आश्वासन देंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

आप जिस गाँव की बात कर रहे हैं मुझे लिखकर दे दें। मैं निश्चित रूप से कार्यवाही से अवगत कराऊँगा।

श्री धनीराम वर्मा-

मैं दो प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। पहला प्रश्न है जो 50 हैण्ड पम्प विधायकों को दिये गये थे उनमें से जितने लगा दिये गये और उनमें से बहुत से खराब हैं उनकी मरम्मत क्या उसी पैसे से या उसी विभाग से जैसे जल निगम से लगाये गये है तो उसी रकम से जो उनको आवंटित की गयी थी उसी से मरम्मत करायेंगे? अथवा मरम्मत के रूप में जो धन दिया गया है उससे करायेंगे? दूसरे अवशेष जो रह गये हैं 10-15 जो भी, क्या उसी विधायक के क्षेत्र मे इस भीषण पेयजल संकट के समय में जबकि 30 जनपद इस प्रदेश के सूखाग्रस्त भी घोषित हो चुके हैं वह हैण्ड पम्प एक सप्ताह मे लगाने की कृपा करेंगे? अभी प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत जो सूखाग्रस्त जिले हैं उनमें हैण्ड पम्प लगाये जाने के लिए धन आवंटित किया गया है एक लिस्ट दी गयी कि अमुक अमुक स्थान पर आवश्यकता है हैण्ड पम्प लगाये जाने की। और हमारे माननीय विधायकों को लिस्ट के अमुक अमुक नामों में करेक्शन करके लिस्ट भेज दी गयी तो क्या प्रधानमंत्री पेयजल योजना के अन्तर्गत 15 दिन के अन्दर अवशेष हैण्ड पम्प जो छूट गये हैं उनको लगाने की व्यवस्था की जायगी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

अनुरक्षण की बात है तो सरकार ने अलग से पैसा दिया है इसके लिए। आप हमें लिस्ट दे दें मैं दिखवाकर वहाँ हैण्ड पम्प लगवा दूँगा।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, मैंने पूरे प्रदेश की बात की है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी सूची तो दे दी है माननीय नेता विपक्ष का कहना है कि उनके क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ विधायकों की सूची के अनुसार पूरे हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं वहाँ सूची के अनुसार हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मैं इस पर अधिकारियों को निर्देश दे दूँगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा प्रदेश में एक लाख पन्द्रह हजार हैण्ड पम्प खराब थे इसका मतलब 25 प्रतिशत से अधिक हैण्ड पम्प खराब स्थिति में हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। क्या मंत्री जी ने कोई उच्च स्तरीय जाँच कराने का निर्णय लिया है कि इतने बड़े पैमाने पर हैण्ड पम्प खराब क्यों हो रहे हैं और इसका कारण क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी कार्यदायी संस्था के साथ गारंटी पीरियड की व्यवस्था करेंगे ताकि निश्चित समय तक यदि हैण्ड पम्प खराब होता है तो उसी की जिम्मेदारी होगी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, यह सब स्टेटा, पानी के तल के आधार पर होता है फिर भी हम विचार करके इस पर देखेंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मैंने पूछा उच्चस्तरीय जाँच और कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी के विषय में।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इस संदर्भ में जलनिगम के चेयरमैन को निर्देश दिया जा चुका है। आप चाहेंगे तो रिपोर्ट से सदन को भी अवगत करा दिया जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मान्यवर, जल निगम हैण्ड पम्प लगाता है और उसका प्रशासनिक विभाग नगर विकास विभाग है, जिस कारण से ग्राम्य विकास विभाग का उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो हैण्ड पम्प लगाने के लिए जल निगम की यूनिट काम कर रही है, इसको ग्राम्य विकास के नियंत्रण में करने की कृपा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मुख्य अभियन्ता प्रथम ग्रेड को ग्रामीण क्षेत्र में काम देखने के लिए नियुक्त कर दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने बताया कि इन पर प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम्य विकास विभाग का नहीं है इस कारण से समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं इसी कारण से पूछ रहा हूँ कि कोई उन पर नियंत्रण हो ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने एक व्यवस्था का उल्लेख कर दिया है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, दो संस्थाएं इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगा रही हैं। एक तो है यू0पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन और दूसरी है जल निगम, बाजार में लोकल हैण्ड पम्प भी खूब चल रहे हैं। कभी-कभी लोकल हैण्ड पम्प यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लगा देता है। आई0एस0आई0 मार्क के तो यह नहीं लगा रहे हैं, टोटल लोकल ही लग रहे हैं। अनुरक्षण की व्यवस्था जल निगम के अधीन हो गयी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो लोकल हैण्ड पम्प यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लगा रहा है इनके खराब होने पर इसको ठीक करवाने की व्यवस्था कैसे करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

अभी तक केवल जल निगम ही हैण्ड पम्प को लगाने और अनुरक्षण का काम करता रहा है।

श्री राम ललित चौधरी-

यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन भी लगा रहा है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मैं आपकी योजना बता रहा हूँ। अब जाकर हमने यह तय किया है कि जल निगम के साथ-साथ एग्रो से भी हैण्ड पम्प लगवा रहे हैं। जब दोनों संस्थाएं लगायेंगी तो उनके अनुरक्षण की व्यवस्था भी दोनों करेंगे। कहीं लोकल हैण्ड पम्प यदि लग रहे हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में समस्याओं को रखा। मान्यवर एक शासनादेश के तहत इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प अभ्यारोपण का कार्य जल निगम को सौंप दिया गया और वह ही उनका अनुरक्षण देखेंगे तो मान्यवर, वे इसमें मनमानी करने लगे, उसकी मरम्मत में भी लापरवाही बरतने लगे। इसके अलावा कोई अन्य कार्यदायी संस्था नहीं है1 कार्य में अच्छी मेरिट देने के लिए इसमें प्रतियोगिता की भावना का समावेश करते हुए किसी अन्य संस्था को भी हैण्ड पम्प लगाने का काम दिये जाने की व्यवस्था करें?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

अभी मैंने बताया है कि शासन ने एक निर्णय लिया है कि जल निगम के साथ-साथ एग्रो को भी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने के लिए अनुबन्धित किया जायेगा।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हैण्ड पम्प गत वर्ष लगे थे, माननीय मंत्री जी हमारे जनपद के पास के ही रहने वाले हैं, आपको भी पता है कि सच्चाई यह है कि 30-40 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। आप आंकड़े भले ही जो चाहे दे दें। पिछले वित्तीय वर्ष में जितने हैण्ड पम्प जल निगम ने लगाये थे उनमें से जितने खराब हैं आज की तारीख में, उनके ठीक कराने के लिए कोई समय सीमा तय कर देगें कि वे कब तक ठीक कर दिये जायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इसके लिये 31 जून तक की समय सीमा तय कर दी गई है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में हैण्ड पम्प को सुव्यवस्थित कराने की बात कही है, लेकिन जो नये हैण्ड पम्प लगते हैं वह काम नहीं करते हैं और कीचड़ बालू देते हैं इसकी सूचना देने के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं होती है; अधिकारियों का निरीक्षण करना तो दूर जन प्रतिनिधि जब अधिशासी अभियन्ता से इसकी शिकायत करते हैं तो भी उसपर कार्यवाही नही होती है। मान्यवर, भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में पॉच हैण्ड पम्प लगाए गए उसमें शिकायत शुरू हो गई है कहीं बोरिंग करके छोड़ दिया गया है, कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। सब बेकार पड़े हैं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचनाएं जाती हैं तभी भी कार्यवाही नहीं होती है जो अधिकारी कर्मचारी सूचना के बाद भी कार्यवाही नहीं करते हैं, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही करके उनको दंडित किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष-

इस तरह के प्रश्न में एक तरह का स्टैन्डर्ड उत्तर होता है शिकायत मिलेगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। इण्डिया मार्का नल का अध्यारोपण जिस अधिकारी की देखरेख में होता है उस इण्डिया मार्क नल के तुरन्त बिगड़ने पर क्या उसके अनुरक्षण का धन उसके वेतन से आहरित करने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

बहुत सुधार हो जायेगा यह प्रक्रिया अपना लें तो।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जाँच कराने पर दोषी पाये गये तो कार्यवाही की जायेगी।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित रहने पर)

*2- श्री संजय गर्ग-

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में फ्री बोरिंग की व्यवस्था

*3- श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश में फ्री बोरिंग योजना को और अधिक कारगर व प्रभावी बनाने के लिए सरकार विशेष धन की व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

जी हाँ।

नोट:- नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना की उपयोगिता तथा प्रदेश की कृषि उत्पादकता में इसके महत्व को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत एक लाख बोरिंग प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस योजना के लिए रु0 72.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस योजना के अन्तर्गत मात्र रु0 20.00 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसे वर्ष 2000-2001 में बढ़ाकर रु0 62.97 करोड़ तथा वर्ष 2001-2002 में रु0 72.00 करोड़ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्वास्थ्य सखी योजना में योगदान करने वालों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

1- श्री लालमणि प्रसाद-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार ग्राम खेटा खड़ग बहादुर शाही पो0 कुदां वि0 खण्ड गौर जनपद बस्ती जो अनु0 जाति की है, ने सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रम स्वास्थ्य सखी के लिए दिनांक 22-3-99 से 27-3-99 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा 1-4-99 को प्रा0 स्वा0 केन्द्र गौर में अपना योगदान दिया है, को उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार वेतन भुगतान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

स्वास्थ्य सखी योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को वेतन नहीं बल्कि मानदेय दिया जाना था परन्तु वित्तीय वर्ष 1999-2000 (जिसमें प्रश्नगत स्वास्थ्य सखी ने योगदान दिया) में यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई। अत: मानदेय का भुगतान भी नहीं हुआ।

योजना का क्रियान्वयन 1999-2000 में नहीं हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तदर्थ चिकित्सकों को मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विनियमित किये जाने की मांग

2- श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 के तदर्थ चिकित्सकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ की रिट सं0-1204 (एस/बी) 1997 दिनांक 21 मार्च, 2001 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी नहीं।

प्रकरण प्रक्रियान्तर्गत है।

प्रदेश में तदर्थ चिकित्सकों को नियमित चिकित्सकों के समान वेतनमान/सेवा के लाभ दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

3- श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा डा0 योगेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार की रिट सं0-1204(एस/बी) 1997, दिनांक 21 मार्च, 2001 के परिपेक्ष्य में दिये गये निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार वर्ष 1992 के तदर्थ चिकित्सकों को नियमित

चिकित्सकों के समान वेतनमान एवं अन्य सेवा का लाभ देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रकरण प्रक्रियान्तर्गत है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर उचित आदेश जारी किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गत वर्ष मध्य कानपुर के विद्यालयों में की गयी जाँचोंपरान्त कार्यवाही का विवरण

4- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती महिमा मिश्रा जिला समाज कल्याण अधिकारी इटावा द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की किस-किस तिथि को जांच की गयी थी? जांच में किन-किन विद्यालयों को फर्जी/अस्तित्वहीन पाया गया और उनमें कितनी-कितनी शासकीय धनराशि का गबन पाया गया? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)-

जी हां।

श्रीमती महिमा मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के 14 विद्यालयों की जांच की गयी थी, जिनका तिथिवार विवरण संलग्न है। जांच में दो विद्यालय फर्जी/अस्तित्वहीन पाये गये, जिनमें संलग्न विवरण के अनुसार कुल 44,700/- रुपये की धनराशि का गबन पाया गया।

दोषी पाये गये एक अधिकारी व 6 कर्मचारियों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित की गयी और एक विद्यालय के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। दूसरे विद्यालय के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के अपर जिला विकास अधिकारी द्वारा मध्य शहर के विद्यालयों में की गयी जाँच पर कार्यवाही का विवरण

5- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बल्देव त्रिपाठी, अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) कानपुर देहात द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की किस-किस तिथि को जांच की गयी? जांच में कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों को फर्जी/अस्तित्वहीन पाया गया और उनमें कितनी-कितनी शासकीय धनराशि का गबन पाया गया? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

श्री बलदेव त्रिपाठी, अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) कानपुर देहात द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के कुल 25 विद्यालयों की जांच की गयी, जिनकी तिथिवार सूची संलग्न है। जांच में कानपुर नगर के 5 विद्यालय फर्जी/अस्तित्वहीन पाये गये। विद्यालयों के नाम तथा गबन की गयी धनराशि निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	धनराशि
1-	पं0 आर0एस0 मेमोरियल प्राइमरी स्कूल	20,100=00
2-	एस0डी0 विद्यापीठ जू0 हाईस्कूल, श्यामनगर	52,380=00
3-	प्रीति शिक्षा निकेतन	56,700=00
4-	सदा प्राइमरी विद्यालय देवकी नगर	27,000=00
5-	जे0के0 मेमोरियल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, कमलानगर	3,19,770=00
	योग	4,75,950=00

विभागीय 6 कर्मचारियों व एक अधिकारी को निलम्बित किया गया है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ -15 पर।)

लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गत वर्ष मध्य कानपुर के विद्यालयों में की गयी जाँच कार्यवाही का विवरण

6- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) लखनऊ द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की जाँच किस-किस तिथि को की गयी थी? जाँच में किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी शासकीय धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है, गबन के आरोप में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

ज्ञानदीप विद्या मंदिर, विश्व बैंक, बर्रा, कानपुर, विवेक पब्लिक स्कूल विश्व बैंक, बर्रा, विवेक पब्लिक स्कूल पशुपति नगर कानपुर की जाँच दि0-19-9-2000 को तथा इन्दिरा पूर्व माध्यमिक विद्यालय ताजनगर की जाँच दि0-20-9-2000 को की गयी थी।

विद्यालयों के नाम एवं गबन/दुरूपयोग की गयी धनराशि का विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	धनराशि
1-	ज्ञानदीप विद्या मंदिर, विश्व बैंक बर्रा	27,000.00
2-	विवेक ज्ञान पब्लिक स्कूल, विश्व बैंक बर्रा	3,000.00
3-	विवेक पब्लिक स्कूल, पशुपति नगर	4,800.00
4-	इंदिरा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ताजनगर	38,700.00

श्री राजेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट, श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, कनिष्ठ लिपिक, श्री वीरेन्द्र कुमार शंखवार, कनिष्ठ लिपिक दोषी पाये गये।

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये लिपिक श्री रमेश चन्द्र दीक्षित एवं श्री वीरेन्द्र कुमार शंखवार को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही श्री राजेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अन्य दोषियों के साथ एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ -133 पर।)

7- श्री राजाराम पाल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव, ग्राम विकास अधिकारियों की चयनित प्रतीक्षा सूची की जानकारी

8- श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूह "ग" भर्ती नियमावली, 1998 के अधीन ग्राम विकास अधिकारी (पुरूष) पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से योगदान न करने पर प्रतीक्षा सूची के चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-सी 33/स्था0-2/प्र0सू0ग्रा0वि0अ0/2000 दिनांक 12-9-2000 द्वारा जिला विकास अधिकारी, उन्नाव से सूचना मांगी गयी थी, जिसके परिपेक्ष्य में जिला विकास अधिकारी-उन्नाव ने अपने पत्रांक 2341/स्था0-2/ग्रा0 वि0अ0/2000 दिनांक 11-10-2000 द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ को सूचना भेज दी गयी है? यदि हां, तो क्या प्रतीक्षा सूची में चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेज दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

जनपद उन्नाव के प्रतीक्षा सूची के चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को कार्यालय-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-बी-212/स्था-2/प्र0सू0ग्रा0वि0अ0/प्रशि0, दिनांक 29-5-2001 द्वारा दिनांक 15-6-2001 से ग्राम विकास अधिकारी पद का 15 कार्य दिवसीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर, इटावा पर प्राप्त करने हेतु नामित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तदर्थ चिकित्सकों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन अन्तर नियुक्ति तिथि से दिये जाने के आदेशों का पालन कराने की माँग

9- श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा डा0 योगेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार की रिट सं0 1204 (एस/बी) 1997, दिनांक 21 मार्च, जिसमें राज्य सरकार को वर्ष 1992 के तदर्थ चिकित्सकों को वर्ष 1990 के चिकित्सकों को मिले वेतन का अन्तर जोकि उन्हें नियुक्ति तिथि से देने के आदेश हुए हैं, का अनुपालन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रकरण प्रक्रियान्तर्गत है।

जनपद बाराबंकी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अमावा में स्थायी चिकित्सक/कर्मचारी की व्यवस्था की मांग

10- श्री हरदेव सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अमावा (अटहरा) निन्दूरा बाराबंकी जो वर्ष 1997 से चल रहा है, अभी तक चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की अस्थायी व्यवस्था ही चल रही है? यदि हां, तो स्थायी स्टाफ की व्यवस्था कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

जी हां।

उक्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पदविहीन है। पदों का सृजन हो जाने के उपरान्त स्थायी स्टाफ की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद बाराबंकी के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अमावां के भवन निर्माण की मांग

11- श्री हरदेव सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अमावां ग्राम-अटहरा, वि0खं0-निन्दूरा, बाराबंकी के भवन निर्माण की सम्पूर्ण धनराशि शासन द्वारा सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अमावा, ग्राम अटहरा, बाराबंकी के भवन निर्माण हेतु रुपये 1,69,500/- की धनराशि निदेशक होम्योपैथिक, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी है। भवन निर्माण के लागत मानकीकरण के पुनरीक्षित हो जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में करायी जा चुकी है। शेष धनराशि अवमुक्त होने पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

कानपुर नगर में अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

12- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 में कानपुर नगर में अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों की छात्रवृत्ति मद में कितनी धनराशि आवंटित हुई थी? क्या आवंटित धनराशि का उपभोग किया गया? यदि हां, तो किस-किस विद्यालयों को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी? क्या धनराशि उपभोग के पूर्व छात्रवृत्ति की सूचियों/आवेदन-पत्रों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

वर्ष 2000-2001 में अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों की छात्रवृत्ति मद में रु0-50,000/- की धनराशि आवंटित की गयी थी।

जी नहीं। जनपद की किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति के लिए मांगपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण आवंटित धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

कानपुर नगर में गत वर्ष अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजी0 पाठ्यक्रम हेतु अनावर्ती सहायता की धनराशि

13- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में वर्ष 2000-2001 के लिए अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु अनावर्ती सहायता के मद में कितनी धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था? आवंटित धनराशि किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी हस्तान्तरित की गयी? क्या अवशेष विद्यालय को अभी तक कोई धनराशि नहीं दी गयी? यदि हां, तो उक्त धनराशि अब शेष विद्यालयों को कब तक भेज दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जनपद कानपुर नगर में वर्ष 2000-2001 के लिए अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु अनावर्ती सहायता के मद में धनराशि रु0- 2.55 लाख का आवंटन किया गया था। विद्यालयो द्वारा अनावर्ती सहायता से सम्बन्धित मांग पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण धनराशि हस्तान्तारित नही की गयी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कानपुर नगर में आई0टी0आई0 छात्रवृत्ति के मद में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आवंटित धनराशि

14- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 में आई0टी0आई0 छात्रवृत्ति के मद में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु कानपुर नगर के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी धनराशि हस्तान्तरित की गयी?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

वर्ष 2000-2001 में आई0टी0आई0 छात्रवृत्ति मद में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु कानपुर नगर को 1,70,000/- की धनराशि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित धनराशि में से कानपुर नगर के 5 आई0टी0आई0 में से केवल एक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटमपुर) को रु0- 34,200/- की धनराशि हस्तान्तरित की गयी। चूंकि शेष 4 संस्थाओं द्वारा समय से मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये, इन्हें कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी।

जनपद कानपुर के कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु बुक-बैंक योजना में गत वर्ष में आवंटित धनराशि का विवरण

15- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुक-बैंक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा के लिए किस-किस पाठ्यक्रम में बुक बैंक को सहायता प्रदान की जाती है? इस मद में जनपद कानपुर नगर के लिए वर्ष 2000-2001 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? आवंटित धनराशि में से किस-किस कालेज को कितनी-कितनी धनराशि किताबें क्रय करने के लिए दी गयी तथा उनका क्रय किस फर्म से किया गया? क्या वह फर्म उद्योग विभाग से पंजीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

बुक बैंक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा के लिए निम्न पाठ्यक्रम में सहायता प्रदान की जाती है:-

स्नातक पाठ्यक्रम:- मेडिकल, (होम्योपैथी एवं मेडिसिन की समस्त भारतीय प्रणाली) इंजी0, कृषि, पशु चिकित्सा, पालीटेक्निक।

परास्नातक पाठ्यक्रम:- मेडिकल, इंजीनियरिंग कृषि,पशु चिकित्सा, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, सी0ए0, एम0बी0ए0, बायोसाइंस तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम जो संस्थान/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

वर्ष 2000-2001 में कानपुर नगर हेतु धनराशि रु0- 3 लाख का आवंटन किया गया था। धनराशि नहीं दी गयी। बल्कि कानपुर नगर के मात्र एक गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज को रु0 दो लाख नवासी हजार दो सौ बयालीय के पुस्तक सेट क्रय कर उपलब्ध कराया गया। पुस्तक सेट जे0एम0डी0 बुक स्टाल इलाहाबाद से क्रय किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं/छात्रावासों को आवर्तक अनुदान के भुगतान का विवरण

16- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं, छात्रावासों एवं पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन पाठशाला, छात्रावास तथा पुस्तकालय आवर्तक अनुदान पर है? उनमें से मार्च, 2001 में किन-किन प्राइमरी पाठशाला, छात्रावास तथा पुस्तकालय को किस-किस अवधि से किस-किस अवधि तक का कितना-कितना आवर्तक अनुदान का भुगतान किया गया? क्या भुगतान के पूर्व उक्त संस्थाओं की जांच करायी गयी? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा जांच रिपोर्ट क्या-क्या है? किन-किन संस्थाओं को भुगतान नहीं किया गया है और उनको भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां।

कुल 20 प्राइमरी पाठशाला एवं 04 छात्रावास, आवर्तक अनुदान पर हैं। कोई पुस्तकालय आवर्तक अनुदान पर अनुमोदित नहीं है। सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है। मार्च 2001 में केवल 14 पाठशालाओं को मई 2000 से फरवरी 2001 तक की अवधि का कुल रुपया-43,45,494/- की धनराशि का भुगतान किया गया है। विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

जी हां।

जनपद के प्रशासनिक अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा 16 विद्यालयों की जांच की गयी।.जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

6 प्राइमरी विद्यालयों एवं 4 छात्रावासों कुल 10 संस्थाओं को भुगतान नहीं किया गया। भुगतान न किये जाने का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड मसौधा के ग्राम पंचायत अबनपुर सरोहा में योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि उसके दुरुपयोग की जांच

17- श्री सीताराम निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के विकास खण्ड मसौधा के ग्राम पंचायत अबनपुर सरोहा में वर्ष 1997-98 से आज तक किन-किन योजनाओं में कितना-कितना धन देकर कौन-कौन सा शासकीय कार्य कराया गया है? क्या पूर्व में हुए कार्यों को ही नया दिखाकर प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है? क्या इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उनसे धनराशि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के विभिन्न पालीटेक्निक कालेजों से डिप्लोमा कोर्स अपरेन्टिस अभ्यर्थियों को प्राविधिक संस्थानों में समायोजित करने का कथित प्रकरण

18- श्री हरदेव सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न पालीटेक्निक कालेजों से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त अपरेन्टिस किये हुए अभ्यर्थियों को क्या उक्त प्राविधिक संस्थाओं के रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन्हें कब तक

समायोजित कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार व प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित निरुद्ध संवासी/संवासिनियों का चिकित्सकीय परीक्षण हेतु नियुक्त पुरुष व महिला चिकित्सक की जानकारी

19- श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित निरुद्ध संवासी/संवासिनियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने हेतु विभाग में कौन-कौन चिकित्सक कहां-कहां तैनात हैं? क्या निदेशालय में एक महिला एवं पुरुष चिकित्सक की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में तैनात पुरुष चिकित्सक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में बैठकर मरीजों को देखते हैं? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनके बैठने की व्यवस्था डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में की गयी है? यदि नहीं, तो तैनात दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

लखनऊ जनपद में डा0 विजय कुमार शुक्ला तथा डा0 रेनू वर्मा तैनात हैं। शेष जनपदों में आवश्यकतानुसार अंशकालिक चिकित्सकों से कार्य लिया जा रहा है।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेंहदर के सुपरवाइजर के स्थानान्तरण की जानकारी

20- श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र बेंहदर में कार्यरत श्री राम स्वरूप (स्माल पो0 सुपरवाइजर) का स्थानान्तरण कहां किया गया है? क्या मंत्री जी उक्त व्यक्ति को जनपद के बाहर कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

श्री रामस्वरूप, स्माल पाक्स सुपरवाइजर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेंहदर का स्थानान्तरण जनपद मिर्जापुर किया गया था, किन्तु बाद में यह पाये जाने पर कि स्माल पाक्स सुपरवाइजर का पद जनपदीय संवर्ग का है, श्री रामस्वरूप का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां जनपद-हरदोई में किया गया।

जी नहीं।

कोई आधार नहीं है।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड, बेहदर के ग्राम पंचायत खरिका के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत धन के दुरुपयोग की जांच

21- श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-174 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत खरिका वि0खं0 बेहदर, जनपद हरदोई के ग्राम प्रधान

द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 3-1-2001 द्वारा वर्ष 1995 से 2000 तक में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी? क्या उक्त उत्तर में वर्ष 1997 से 2000 तक ही सूचना दी गयी है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में वर्ष 1995 से 2000 तक किये गये कार्यों की सम्पूर्ण जांच न किये जाने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी इसके लिए दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त प्रकरण में वर्ष 1995 से 2000 तक किये गये कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 28-7-97 को ग्राम प्रधान के यहां पड़ी डकैती में अभिलेख चोरी चले जाने के कारण जांच हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके। अभिलेखों के अभाव में उक्त वर्षों की जांच नहीं की जा सकी। संदर्भित वर्षों के अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

राजकीय सूरजमल जटिया चिकित्सालय खुर्जा बुलन्दशहर में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

22- श्री हरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सालयों में कितनी शैय्याओं पर एक चिकित्सक को नियुक्त किये जाने का मानक निर्धारित है? राजकीय सूरजमल जटिया चिकित्सालय खुर्जा बुलन्दशहर में 68 शैय्याओं हेतु चिकित्सकों के कितने पद सृजित हैं? क्या उक्त चिकित्सालय में मानक से कम चिकित्सक तैनात हैं? यदि हां, तो मानक के अनुसार चिकित्सकों के पद कब तक सृजित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

शैय्याओं के आधार पर आकस्मिक सेवाओं हेतु 50 शैय्या अथवा उससे अधिक शैय्याओं हेतु 3 आकस्मिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति किये जाने का मानक निर्धारित है। अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति सम्बन्धित चिकित्सालय में उपलब्ध विशिष्टताओं के आधार पर की जाती है, न कि शैय्याओं के आधार पर।

68शैय्याओं वाले राजकीय सूरजमल जटिया चिकित्सालय खुर्जा, बुलन्दशहर में वर्तमान में चिकित्सकों के कुल तीन पद सृजित हैं।

जी हां। उपलब्ध विशिष्टताओं से कम चिकित्सक तैनात हैं।

उपलब्ध विशिष्टताओं के अनुसार पदों का सृजन परिव्यय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सूरजमल जटिया चिकित्सालय खुर्जा बुलन्दशहर के क्षतिग्रस्त चिकित्सालय भवन के मरम्मत की मांग

23- श्री हरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूरजमल जटिया राजकीय चिकित्सालय खुर्जा बुलन्दशहर का भवन क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षतिग्रस्त चिकित्सालय भवन की मरम्मत करायी जायेगी? यही नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में चिकित्सालय के वार्षिक मरम्मत हेतु रु0 75,000/= की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे आवश्यक मरम्मत करा दी गयी है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा की गयी अनियमितता आदि की जाँच विषयक कृत कार्यवाही

24- श्री सीताराम निषाद-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दि0 19-7-2000 जो जनपद फैजाबाद के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितता, घटिया निर्माण, कार्य का अधिक भुगतान, स्वीकृत प्रोजेक्ट के दो-दो स्टीमेट बनाकर फर्जी एम0वी0 कर धन आहरण करने, मृतक ठेकेदार के नाम एकाउन्ट पेयी चेक लेकर बैंक से धोखा-धड़ी करके भुगतान प्राप्त करने विषयक था, उन्हे प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन से करायी गयी। प्रकोष्ठ की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

25- श्री अम्बिका चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के वेनत पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

मध्य कानपुर नगर विद्यालयों में समाज कल्याण निदेशक द्वारा की गयी जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

26- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा पूजा उप निदेशक समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की किस-किस तिथि को जांच की गयी? जांच में किन-किन विद्यालयों को फर्जी/अस्तित्वहीन पाया गया और कितनी धनराशि का गबन किया गया? क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

श्रीमती ऊषा पूजा तत्कालीन उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य कानपुर नगर के 8 विद्यालयों की जांच की गयी जिनका तिथिवार विवरण संलग्न है।

जांच में 4 विद्यालय फर्जी / अस्तित्वहीन पाये गये, जिनमें संलग्न विवरण के अनुसार कुल 14,75,948/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया। फर्जी पाये गये 4 विद्यालयों में से जिन जिन विद्यालयों में धनराशि का गबन होना पाया गया है, उनमें से एक विद्यालय राष्ट्रपाल हायर सेकेण्ड्री स्कूल पुरानी गढ़ी नौबस्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है और दूसरे विद्यालय शिवरानी देवी माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी नौबस्ता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। विभाग के एक अधिकारी तथा 6 कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ -132 पर।)

कानपुर नगर में उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा की गयी विद्यालयों की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

27- श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यू0 बी0 सिंह, उप निदेशक तथा श्री विशेश्वर सिंह उप निदेशक समाज कल्याण ने दिनांक 11-8-2000 को कानपुर नगर के किन-किन विद्यालयों की जांच की गयी थी? उक्त जांच किस शिकायत के आधार पर की गयी? क्या उक्त अधिकारियों ने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 16-8-2000 में 15 फर्जी विद्यालयों में वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक रु0 1,75,32,670.00 (रु0 एक करोड़ पिछत्तर लाख बत्तीस हजार छः सौ सत्तर) के गबन का उल्लेख किया है? क्या उक्त गबन की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां। श्री यू0 बी0 सिंह एवं श्री विशेश्वर सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा कानपुर के 16 विद्यालयों की जांच की गयी (सूची संलग्न है)।

महामंत्री, उ0 प्र0 समाज कल्याण सुपरवाइजर परिषद्, लखनऊ की शिकायत दि0-7-8-2000 के आधार पर।

जी हां।

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये विद्यालयों एवं अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। विभागीय कर्मचारियों/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ -133 पर।)

प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना क्षेत्रफल का संयुक्त सर्वे कराने का निर्णय

28- श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना क्षेत्रफल का सर्वे गन्ना समितियों से कराया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार गन्ना समितियों से सर्वे कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

पेराई सत्र 2001-02 से शासन ने समितियों को भी गन्ना सर्वेक्षण से सम्बद्ध करते हुए विभाग तथा चीनी मिल कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में गन्ना समितियों एवं गन्ना संघ में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग

29- श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास समिति तथा गन्ना संघ के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर उन्हें एरियर एवं वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सिफारिशों के अनुसार कब तक भुगतान आरम्भ कर दिया जायेगा?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

गन्ना समितियों एवं गन्ना संघ की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के कारण पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी हैं।

गन्ना समितियों एवं गन्ना संघ के आर्थिक रुप से सुदृढ़ होने की स्थिति में ही पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रा0 पाठशालाओं के अध्यापकों को अवशेष वेतन का भुगतान

30- श्री जगदीश नारायण राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रा0 पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन माह जनवरी, फरवरी तथा दिसम्बर, 2000 एवं जनवरी, फरवरी, मार्च 2001 का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं।

बजट प्राविधान अपर्याप्त होने के कारण आवश्यक धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी। वेतन की अवशेष देनदारियों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों का निस्तारण

31- श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पुत्री की शादी व बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र इस समय लम्बित हैं? उनको कब तक आर्थिक अनुदान प्राप्त हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दिनांक 23-5-2001 तक 1748 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दिनांक 23-5-2001 तक 335 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं।

लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

32- श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में खण्ड

विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री शिव प्रताव शुक्ल-

जी नहीं।

पर्याप्त संख्या में खण्ड विकास अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के स्थगनादेश के कारण सम्प्रति प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर चयन कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है और स्थगनादेश रिक्त होने पर प्रोन्नति कोटे के खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन कराकर जनपद गोण्डा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

33- डा0 छोटे लाल वर्मा-

[6ठें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ के विकास खण्ड माल के ग्राम सभा बसंतपुर के पूर्व प्रधान द्वारा किये गये अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

34- श्री अरिमर्दन सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल के ग्राम सभा बसंतपुर के पूर्व प्रधान द्वारा किये गये अनियमित कार्यों से सम्बन्धित था, माह मार्च, 2001 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महोबा की ग्राम पंचायत मड़ैया में गर्भवती व धात्री महिलाओं को दिये जाने वाले अनुदान राशि में पारदर्शिता बनाये रखने की योजना

35- श्री श्रीराम पाल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गर्भवती व धात्री महिलाओं को दिये जाने वाले अनुदान में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या? क्या जनपद जालौन के विकास खण्ड महोबा की ग्राम पंचायत मड़ैया में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में उक्त योजना के आवेदन-पत्रों पर उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर की महिलाओं के फोटो चित्र लगाकर धन आहरित किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सत्यापन कर्त्ता व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-1764/26-2-99-11(14)/99, दिनांक 17-7-99 में लाभार्थियों के चयन एवं वितरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से किये जाने के निर्देश निहित हैं। जो पर्याप्त हैं।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महोवा की ग्राम पंचायत मड़ैया में वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत धनराशि का वितरण नहीं हुआ है। वर्ष 1999-2000 में कथित ग्राम पंचायत में उक्त योजनान्तर्गत 26 महिलाओं को अनुदान दिया गया, जिसमें 4 महिलायें ऐसी हैं जिनका जन्म इसी ग्राम पंचायत में हुआ है, परन्तु विवाह किसी अन्य ग्राम पंचायत में हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में सड़क परियोजना में स्वीकृत सड़कों के निर्माण की जानकारी

36- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष प्रधान मंत्री सड़क परियोजना में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं तथा उनमें से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी की कौन-कौन सी सड़कें हैं? उन सड़कों पर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेशवार परिव्यय अन्तिम रूप से आवंटित नहीं किया गया है। अत: वर्ष 2001-2002 में योजनान्तर्गत कोई सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। कार्य की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्रियदर्शनी कालेज आफ कम्प्यूटर साइंस की मान्यता समाप्त करने का प्रकरण

37- श्री नवाब सिंह नागर-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत प्रियदर्शनी कालेज आफ कम्प्यूटर साइंसेस, बी-15 सेक्टर-5 नोयडा के पास अपनी जमीन व भवन है? क्या उक्त कालेज द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 की शर्तों के अनुसार धरोहर राशि पचास लाख रुपये जमा की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार विद्यालय की मान्यता समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव, ब्लाक बिछिया के ग्राम नेवसा के ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति

38- श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद उन्नाव अन्तर्गत ब्लाक बिछिया के ग्राम नेवसा में ग्राम समूह पेयजल की टंकी से सम्बद्ध ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बद्ध ग्रामों में पेयजलापूर्ति कब तक करा दी जायेगी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गयी:-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रीमती माया प्रसाद, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री राम विशुन आजाद एवं चौधरी बाबूलाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी। श्री तेजभान सिंह, श्री राम नक्षत्र की सूचनाएं अनुपस्थित होने के कारण अस्वीकृत हुई। प्रतीक्षा सूची से डा0 वकार अहमद शाह के अनुपस्थित होने के कारण सूचना अस्वीकृत मानी गई। प्रतीक्षा सूची की दूसरी सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की पढ़ी हुई मानी गयी। श्री अब्दुल सलाम, श्री नन्द राम एवं श्री राम अचल राजभर की सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत नवसृजित ब्लाक मुख्यालय दीनशाह गौरा से ही सभी विकास कार्य सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[महोदय, जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र-112 डलमऊ में विकास के दृष्टि से सन् 1997 में एक नया विकास खण्ड दीनशाह गौरा सृजित किया गया इस नव सृजित विकास खण्ड के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी इसका विधिवत संचालन आज 4 वर्ष बाद भी नहीं हो रहा है। नव सृजित विकास खण्ड दीनशाह गौरा के समस्त कार्य आज भी इसके पैतृक ब्लाक मुख्यालय जगतपुर से ही हो रहे हैं। जिससे क्षेत्रीय लोगो के आने-जाने व कार्य कराने में काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। यहां तक दीनशाह गौरा ब्लाक हेतु विकास के धन का आवंटन भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप विकास कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नवसृजित ब्लाक दीनशाह गौरा के नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख को भी कार्य संपादन हेतु कोई सुनिश्चित व्यवस्था न होने से दर-दर ठोकरें खाना पड़ रहा है। नवसृजित ब्लाक दीनशाह गौरा ब्लाक मुख्यालय बन जाने के बाद यहां से कार्य सम्पादित न कराने, विकास हेतु धन आवंटित न करने, एवं मुख्यालय पर विकास खण्ड अधिकारी व ब्लाक प्रमुख के बैठने की समुचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षा पूर्ण रवैये से क्षेत्रीय लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए नवसृजित ब्लाक मुख्यालय दीनशाह गौरा से ही विकास के सभी कार्य सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पटना के पास चौकी नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पटना के पास चौकी नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यहां पुल निर्मित हो जाने से ग्राम सभा पटना, वैलवा, जिगनिया, उमरिया, बजरिया, पुरैल गांव, कालीपुरवा, उरदहा, बगहा, सलनापुर, गुलरी पुरवा, लोहार पुरवा, पठानन पुरवा, गदियाना मुराऊ पुरवा, बैजनाथ पुरवा, जुलाहन पुरवा तथा जयेन्द्रपुर आदि के हजारों लोगों को आवागमन हेतु सुविधा हो जायेगी। पुल निर्मित न होने से उक्त गांवों के लोग आंदोलित हो रहे हैं। किसान अपनी फसल बेचने नहीं जा पाते।

अत: सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त स्थान पर पुल निर्मित कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद बांदा के ग्राम बछनीपुरवा निवासी दो व्यक्तियों की विद्युत लाइन प्रवाह से टकरा जाने से हुई मृत्यु एवं चार घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल कुशवाहा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा ग्राम बछनीपुरवा, थाना अतर्रा, तहसील अतर्रा के सत्यनरायन पुत्र श्री राम प्रसाद, गनेश पुत्र तेजा, लालमति पुत्र राजाराम, रामकिशोर पुत्र लाला राम, राजाराम पुत्र तेजा, रामकुमार पुत्र चन्द्र भूषण पुत्रगण राजाराम कुशवाहा दिनांक 2/3 दिसम्बर, 2000 की रात विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से विद्युत लाइन प्रवाह से टकरा जाने से सत्य नरायन एवं लालमनि की मौके पर मृत्यु हो गयी और शेष लोगों को सदीद व खफीफ चोटें आयी। थाना अतर्रा में अपराध

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या 180/2000 धारा 279, 304ए, 338 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज हुई। आज तक किसी प्रकार की सहायता मृतक के परिवार वालों को या घायलों को नहीं प्रदान की गई। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें तथा मृतक के परिवार वालों को तथा घायलों को मुआवजा व आर्थित सहायता दिलाने की कृपा करें।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत बभनान शुगर मिल द्वारा किये जा रहे गन्ना कृषकों के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

[महोदय, आपका ध्यान बभनान शुगर मिल जनपद गोण्डा की तरफ लाना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गन्ना कृषकों का उक्त मिल द्वारा हर स्तर पर शोषण किया जाता है गन्ना विकास समिति मनकापुर के अन्तर्गत कई ग्रामों में मिल द्वारा गन्ने का अवैध सर्वे करवाकर फर्जी नामों से हजारों कुन्टल गन्ना फर्जी परिचयों के नाम पर आपूर्ति करवाया गया है। और जिन किसानों के पास वास्तव में गन्ना बोया गया था उनका सर्वे अभिलेखों के अनुसार नहीं किया गया था और जिन लोगों के पास गन्ना नहीं बोया था उनका सर्वे अभिलेखों से अधिक कर दिया गया है। इस तरीके से मिल द्वारा अपने दलालों से गन्ना कृषकों का शोषण करवाया गया। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को मेरे द्वारा कई शिकायत पत्र जांच करने के सम्बन्ध में दिया गया, परन्तु किसी प्रकार की कार्यवाही दबाव वश नहीं हो सकी। यदि तहसील मनकापुर के अन्तर्गत गन्ना कृषकों के भूअभिलेखों का भौतिक सत्यापन करवाया जाय। तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी कि किस किसान के पास कितना गन्ना था।

अत: इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा खारी नदी पर चौकोरा-मोरी चैक-डैम के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चौधरी बाबूलाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के अति अविलम्बनीय विषय की तरफ आपका ध्यान जनपद-आगरा की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा खारी नदी पर चैकोरा-मोरी चैक-डैम 1990-91 में निर्माण कार्य शुरु किया गया था उसका कुछ कार्य हुआ और साइट पर सीमेंट लोहा तथा निर्माण सामग्री काफी मात्रा में लायी गयी थी। पर लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूरी सामग्री को बेच दिया। और मौके पर कुछ सामग्री पड़ी हुई है। इस कार्य में विभाग के अधिकारियों ने लाखों रुपये का घपला किया था जो कि शासन की नीतियों के खिलाफ खुला डाका डालना और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना है। जिससे जनता में काफी आक्रोष है और जनता आज भी आक्रोषित है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व की उपरोक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने हेतु तथा उपरोक्त दर्शाये गये अधूरे कार्य को पूरा कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव में आकस्मिक दुर्घटनाओं/दैवी आपदाओं में सहायता एवं बचाव कार्य हेतु लोडर व क्रेन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामकुमार एडवोकेट-

[महोदय, जनपद उन्नाव में आये दिन मोटर एक्सीडेण्ट होते रहते हैं, जिससे कई-कई घण्टों तक जाम लगा रहता है। इस जाम में बीमार, वृद्ध, बच्चे एवं महिलाओं को भीषण संकट का सामना करना पड़ता है तथा दूर-दराज के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए वांछित ट्रेन तथा वायुयान छूट जाते हैं। जब दूसरे जनपद कानपुर अथवा लखनऊ से लोडर/क्रेन आती हैं, तब बड़ी मुश्किल से जाम खुल पाता है। इसी प्रकार दैवी आपदाओं के आने से जैसा कि गत दिनों भयंकर आधी तूफान आने से शराब मिल, उन्नाव का टिन शेड व दीवाल गिरने से 10 श्रमिकों की जाने गयी तथा कई दर्जन घायल हुए। यदि जिला प्रशासन के पास लोडर/क्रेन होती तो तुरन्त बचाव कार्य प्रारम्भ हो जाता है इतनी जन-धन हानि न होती। दैवी आपदाओं से बचाव करने हेतु जनपद उन्नाव में लोडर/क्रेन न होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ तथा जनपद उन्नाव में एक लोडर/क्रेन उपलब्ध कराये जाने की पुरजोर मांग करता हूँ।]

श्री राम औतार शाक्य के परिवार को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा व्यवस्था हटाये जाने से उनके परिवार को जान-माल के उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 मई, 2001 को नियम-300 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना है श्री राम औतार शाक्य जी की, यह अनुपस्थित हैं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सूचना में जो घटना उल्लिखित है इसका संज्ञान ले लें। इसे गम्भीरता पूर्वक दिखवा लें।

***संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजनकर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-**

मै इसको दिखवा लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

राम औतार शाक्य जी की सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसको अस्वीकृत किया जाता है।

बढ़ी हुई मंहगाई के अनुपात में विधायक निधि की धनराशि 75 [illegible] से बढ़ाकर 1 करोड़ किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार एवं श्री कौकब हमीद [illegible] ने बढ़ी हुई मंहगाई के अनुपात में विधायक निधि की धनराशि 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये [illegible] के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर कल दलीय नेताओं की होने वाली बैठक में विचार कर लिया जाएगा। [illegible] सूचना को उसमें प्रस्तुत कर देंगे। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिए इसको अस्वीकृत किया जाता है।

***कुंवर रेवती रमण सिंह-**

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है। कल [illegible] नेताओं की बैठक कर रहे हैं उसमें हमलोग रहेंगे नहीं और सदन के और भी सम्मानित सदस्य हैं उनकी भी चिन्ता है तो मैं चाहता हूँ कि वह बैठक तो आप करें ही और फैसला ले लें लेकिन कृपापूर्वक हमलोगों को भी सू[illegible] का कष्ट करें [illegible] यह पता लग जाय कि हमलोग क्या चाहते हैं? विधायकों का मत क्या है?

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क,पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है। आपने कहा कि कल नेताओं की बैठक करने वाले हैं उसमें विचार-विमर्श होगा। तो एक तो वहां पर तय होगा और दूसरी ओर यहां पर उसी विषय पर चर्चा हो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। जो माननीय सदस्य विचार रखने वाले हैं वह अपने दलों के नेताओं को बता दें। वो उनके भी विचार वहां पर रख देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उचित यही रहेगा। आप भी यह समझते हैं कि यह नियम-300 में नहीं आती है। इसमें सार्थक रूप से सकारात्मक रूप से विचार-विमर्श हो जायेगा कल की बैठक में।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बैठक में आप किसे बुलायेंगे नेताओं को बुलायेंगे इसमें बहुत से लोगों ने सूचना दी है जिनके दल के नेता नहीं हैं। तो मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने दल के नेता हैं, कौकब साहब नेता हैं। मैं कुंवर साहब को भी बुला लूँगा।

(डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें चेयरमैन, लोक लेखा समिति, डा0 अशोक बाजपेयी को भी बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

हमारी मुश्किल यह होगी अगर मैं इस सूचना को सुनूँगा तो मैं इसे निरस्त कर दूँगा फिर बैठक में विचार होने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। मैं इस प्रश्न को खुला रखना चाहता हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इसे निरस्त न करके कल के लिए रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

1-6-2001 को रख लेते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पहली को तो सदन बन्द हो जायेगा। हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात पहुँच गयी है सूचना की प्रतिलिपि शासन को पहुँच गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हम संसदीय कार्य मंत्री जी को कन्वींस करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह कन्वीन्स हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। यह सूचना स्थगित कर दें। परसों हो सकता है कोई रहे या न रहे। माम्यवर, हमारी मांग है कि इसे 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाय। आप जानते हैं कि मंहगाई 25 से 30 प्रतिशत बढ़ गयी है। उसके ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह कहते हैं कि हैण्डपम्प लगवाना है तो विधायक निधि से लगवा लें, बिजली के लिए भी विधायक निधि से करवा लें। जब सारी चीजें विधायक निधि से करवानी है तो फिर इसकी राशि बढ़ायी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। कोई सकारात्मक दृष्टिकोण आ जायेगा तो अच्छा रहेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

हम आपको बधाई परसों दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री कैलाश यादव जी की है यह नियम-300 में नहीं आती है इसलिए निरस्त करता हूँ।

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री शिव बहादुर सक्सेना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

डा0 अशोक वाजपेयी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जिन्होंने नियम-300 में यह सूचना दी थी उन्हें आप कृपया कल माननीय नेताओं की बैठक में बुलाने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2000-2001) का सप्तम प्रतिवेदन†

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2000-2001) का सप्तम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) में जमा धनराशियों के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में व्याप्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं की जांच एवं निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरत चन्द्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में व्याप्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं की जांच एवं निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरत चन्द्र तथा श्री विवेक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 7, 8 में कुछ नहीं है, मैं मद संख्या 9 लेता हूँ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के छठें बुधवार दिनांक-17 मई, 2000 को श्री बिन्दु लाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-144 के उत्तर के सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री का शोधन वक्तव्य

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-165/166 के अन्तर्गत श्री बिन्दु लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-144 के सम्बन्ध में, दिनांक 19-10-2000 को श्री बनवारी लाल दोहरे, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य निम्नांकित है:-

† छापे नहीं गये।

† छापी नहीं गयीं।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	शोधित उत्तर
144-क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, 79/55 रामनगर, सीतापुर के कार्यालय आदेश संख्या-2170/स्था0-5/99-2000, दिनांक 12-11-99 द्वारा अनियमित रूप से कुछ अमीन के पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं?	अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, सीतापुर की सूचना के अनुसार नि:शुल्क बोरिंगों का कार्य सत्यापन नियमित रूप से कराया जाना था कार्य की महत्ता को देखते हुए उनके द्वारा मात्र एक माह के लिए गैप व्यवस्था के अन्तर्गत श्री राम शंकर तिवारी निवासी मुंशीगंज, सीतापुर को अधिशासी, अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सीतापुर द्वारा नियुक्त किया गया था। एक माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् हटा दिया गया।	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सीतापुर के कार्यालय आदेश सं0-2170/स्था-5/99-2000, दिनांक-12-11-99 द्वारा मात्र एक अभ्यर्थी श्री विनय कुमार तिवारी पुत्र श्री राम शंकर तिवारी, मो0 मुंशीगंज, सीतापुर की अमीन के पद पर दिनांक 1-11-99 से 30-11-99 तक के लिए नियुक्ति की गयी थी। श्री विनय कुमार तिवारी इससे पूर्व व बाद में भी अमीन के पद पर समय-समय पर दिनांक 14-7-98 से 29-2-2000 तक नियुक्त रहे हैं। तत्पश्चात् मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश सं0-3028/स्था0-7/99/अमी0 पत099, दिनांक 25-2000 द्वारा सीतापुर खण्ड का अमीन का रिक्त पद मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया।
यदि हाँ, तो उक्त नियुक्तियां किस शासनादेश के अन्तर्गत की गयी हैं?	अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खण्ड, रामनगर सीतापुर के अनुसार प्रश्नगत नियुक्ति शासनादेश सं0-1472/54-2/996/75, दिनांक 4-3-89 के अन्तर्गत की गयी थी।	शासन के अधिसूचना सं0-1472/54-2996/75, दिनांक 4-3-89 द्वारा अमीन के पद पर नियुक्ति का अधिकार अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई को प्रदत्त किया गया है परन्तु नियुक्ति से पूर्व अधिशासी अभियंता को अमीन के पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली अर्थात् "उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग सर्वेक्षण सेवा नियमावली, 1993" में दिये गये प्राविधानों का भी पालन करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को निरस्त कर, उनके वेतन आदि पर हुए व्यय को नियुक्ति अधिकारी के वेतन से वसूल करेगी?	नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है। कार्मिक द्वारा किये गये कार्य के बदले में वेतन का भुगतान किया गया, इसलिए वेतन पर हुए व्यय की वसूली नियुक्ति अधिकारी के वेतन से किये जाने का औचित्य नहीं है।	श्री विनय कुमार तिवारी दिनांक 29-2-2000 के उपरान्त नियमित अधिष्ठान में कार्यरत नहीं रहे हैं। कार्मिक द्वारा किये गये कार्य के बदले में वेतन का भुगतान किया गया है। अत: वेतन पर हुए व्यय की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।
यदि हां नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।

निदेश संख्या-166 (2) के अन्तर्गत दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरू कृत कार्यवाही का विवरण-

प्रश्न के उत्तर में श्री विनय कुमार तिवारी पुत्र श्री राम शंकर तिवारी के स्थान पर श्री राम शंकर तिवारी का नाम त्रुटिवश अंकित हो जाने के कारण सम्बन्धित समीक्षा (श्री मो0 कसीम) को कार्यालय ज्ञाप सं0-6805 (1)/62-2-2000 -2/10 (9 ए0क्यू) /2000, दिनांक 30-12-2000 द्वारा एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी (श्री जिन्नूरैन अहमद खां) को कार्यालय ज्ञाप सं0-6805 (2)/62-2-2000-2/10 (9ए0क्यू0) /2000, दिनांक 30-12-2000 द्वारा कठोर चेतावनी दी गयी है। अनियमित नियुक्ति व शासन को गलत सूचना दिये जाने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता (श्री कमलापति वर्मा) को शासनादेश सं0-1652/62-2-2001-2/10 (9 ए0क्यू0)/2000, दिनांक 9-4-2001 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा आरोप-पत्र देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 मई, 2001 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई। प्रथम पाँच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। अगर संक्षेप में दो-दो मिनट में बोल लेंगे तो सुनने के बाद ध्यान आकृष्ट कर दिया जायेगा।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0के0 चौधरी, श्री बी0आर0 वर्मा व श्री इन्द्रजीत सरोज की है। माननीय मौर्या जी इस पर 28 मई को शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वह दूसरी थी यह दूसरी है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं राजकीय डिग्री कालेज और प्राइवेट डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय इन सभी में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक मानक तय किया है। वह मानक यह तय किया है कि डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो वहां प्रवक्ता पद के दावेदार हैं उनको स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना है और साथ ही साथ जो प्रवक्ता की राजकीय शैक्षणिक परीक्षा होती है नेट परीक्षा होती है उस नेट परीक्षा को पास होना अनिवार्य बताया गया है। मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो मानक है वह पूरे देश में एक रूप से लागू किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे प्रवक्ता अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में न जा पायें इसलिए 21 सितम्बर, 2000 को एक शासनादेश जिसकी संख्या 1879/70/1/2000/5(14)/92 इसको जारी करते हुए मान्यवर, एक शासनादेश के माध्यम से एक दोहरा मानदण्ड तय किया है।

(इस समय 12 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जब आयोग ने एक मानक तय किया कि उत्तम शैक्षणिक योग्यता की बिना पर, और जो दोहरा मानदण्ड सरकार ने तय किया कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको स्नातक में और नेट की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो एक वैधानिक मान्यता प्राप्त आयोग है जब उसने अपना एक मानक तय कर दिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से मानदण्ड तय करने का अधिकार नहीं था। चूंकि यह सरकार दलितों की जनजाति के लोगों की विरोधी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी डिग्री कालेज और विश्वविद्यालयों में कैसे प्रवक्ता हो जायेंगे इस बात को रोकने के लिए इस शासनादेश का सहारा लिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो यह दुराग्रहपूर्ण शासनादेश जो दोहरा मानदण्ड तय करने वाला शासनादेश है, इसको तत्काल निरस्त किया जाये। क्योंकि आज प्रदेश में हजारों की तादाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के मजबूत अभ्यर्थी है जो यू0जी0सी0 के मानक के मुताबिक नेट परीक्षा पास हैं जिनको स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हैं प्रवक्ता पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है मात्र इस शासनादेश का सहारा हो जाने के कारण।

मान्यवर, एक ओर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को रोकने के लिए इस प्रकार के शासनादेश जारी किये जा रहे हैं, मान्यवर, वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में डा0 देश दीपक की नियुक्ति रीडर के पद पर होती है जबकि जो मानक हैं उसको वे पूरा नहीं करते हैं। मानक न पूरा करने के नाते डा0 देश दीपक की लेक्चरर के पद पर नियुक्ति दो बार निरस्त की पूर्व कुलाधिपति व महामहिम राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी जी ने। क्योंकि जो मानक थे कि स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत और इसके नीचे 50 प्रतिशत होना चाहिए तो उनके एक स्नातक में 47 प्रतिशत और इण्टर में 43 प्रतिशत मार्क्स थे। इसके बावजूद उनकी नियुक्ति कर दी जाती है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हैं आर0एस0एस0 के हैं और सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। मान्यवर, वहीं दूसरी ओर यू0जी0सी0 द्वारा जो तय मानक हैं उसको पूरा करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद के अभ्यर्थी हैं, उनको रोका जाता है, इस तरह का नियंत्रण किया जाता है और एक षडयंत्रपूर्वक रूप से जारी शासनादेश का सहारा लिया जाता है। आज इस शासनादेश के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अनुसूचित जाति जनजातिं के लोगों को जो नेट परीक्षा पास हैं और यूजीसी के मानक की अर्हता रखते हैं उनको वहाँ से प्रवक्ता पद से वंचित किया जा रहा है। इससे मान्यवर, आज पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में कुंठा की भावना पैदा हो रही है। उनमें यह भावना पैदा हो रही है कि हम योग्य होते हुए भी केवल जाति के नाम पर तिरस्कृत किये जा रहे हैं। हम विश्वविद्यालय मानक के तहत योग्यता पूरी करते हैं उसके बावजूद इस तरह से वंचित किया जा रहा है। इसलिए उनमें आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। यह लोक महत्व का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि यह लोक महत्व का विषय है इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(श्री बी0आर0 वर्मा एवं श्री आर0 के0 चौधरी द्वारा बोलने के लिए अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यह पहले से सदन के संज्ञान में आ चुका है और आप जानते हैं कि जब सदन में कोई बात आ जाती है तो दुबारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, पहले आर0के0 चौधरी जी को मौका दे दें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय पहले से ही 28 तारीख को सदन के संज्ञान में आ चुका है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वह विषय दूसरा था।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं उतनी देर में दोनों सदस्य बोल लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कोई एक सदस्य बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप तो नम्र स्वभाव के हैं फिर भी कभी-कभी कठोर हो जाते हैं।

*श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर, ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विकास न हो इसके लिए पूरी तरह से ऐसे-ऐसे आदेश कर दिये हैं। ये चाहते हैं कि हजारों साल से जो लोग दबाये गये हैं वह हमेशा दबे बने रहें। मान्यवर, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने एक मानक निर्धारित किया है जो उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता लेक्चरर के पद पर अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के चयन के लिए दो बाते आवश्यक हैं एक तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अनुसार निर्धारित जो नेट परीक्षा होती है उसको पास करना होता है नेशनल एजूकेशनल टेस्ट और दूसरा स्नातकोत्तर में 50 फिसदी या उससे ऊपर अंक होने चाहिए। यह मानक निर्धारित है तो इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उसमें जाने लगे लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगा। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितम्बर, 2000 को एक शासनादेश कर दिया। शासनादेश संख्या 1889/70-1-2000/15(14)/92 जो शिक्षा सचिव ने जारी किया है अब इन्होंने इस शासनादेश में यह कर दिया कि स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत से ऊपर अंक हो, स्नातक में 50 प्रतिशत से ऊपर अंक हो। मान्यवर, भाजपा सरकार की मानसिकता घटिया है और इस घटिया मानसिकता का इन्होंने परिचय दे दिया। यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कि कोई प्रवक्ता हो जाय, लेक्चरर हो जाय और तरक्की करे और इसी के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय में दोहरा मापदण्ड तय कर दिया। वहां रीडर के दो पद रिक्त थे, एक आरक्षित वर्ग का था और दूसरा सामान्य जाति के लिये। आरक्षित वर्ग के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने आवेदन किया जो 14 साल वहां प्रवक्ता के पद पर काम कर चुके हैं और रसायन शास्त्र के अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं हुई, क्योंकि उनकी नियुक्ति से अनुसूचित जाति का पद फुलफिल हो जायेगा। जबकि इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिनका प्रवक्ता के पद पर दो बार आवेदन निरस्त हो चुका था, जिनको अमान्य घोषित कर दिया गया, अपात्र माना गया, जो यू0जी0सी0 के मानक को फुलफिल नहीं करते, 1996 में प्रवक्ता पद पर अयोग्य घोषित किये गये, 1998 में अस्थाई प्रवक्ता में भी अयोग्य घोषित किये गये, ऐसे व्यक्ति को जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें रीडर के पद पर तैनात किया गया, जबकि निर्धारित मानक के हिसाब से ग्रेजूएशन में उनके 50 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 47 प्रतिशत अंक हैं और इण्टरमीडिएट में मात्र 43 प्रतिशत अंक हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस गंभीर विषय पर सदन की कार्यवाही आज रोककर पूरे प्रकरण पर चर्चा करायी जाय।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुकम्पा हो जाय, तो मैं भी बोल लूँ। जो इस माननीय सदस्यों ने नहीं कहा है, वो कुछ नये तथ्य मैं रखूँगा, आपकी कृपा हो जाय, मैं तो बहुत अनुशासित सिपाही हूँ।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, बुलवा दीजिये।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का और आपका भी, जो आज इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर कृपापूर्वक मुझे सुनने की कृपा की। यह पूरा सदन इस बात से भिज्ञ है कि आज चाहे डिग्री कालेजेज को ले लिया जाय, चाहे यूनिवर्सिटीज में जो पद हैं, कहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति टार्च लेकर इक्का-दुक्का दिखाई देता है। इससे ज्यादा नहीं दिखाई देता। आज वह रीडर, प्रोफेसर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह नहीं है कि वह इसकी योग्यता नहीं रखते हैं। क्योंकि जब अनुसूचित जाति का बेटा आई0ए0एस0 बनने के लिए तैयार हो गया है, चीफ सेक्रेट्री बनने के लिए तैयार हो गया है, कैबिनेट सेक्रेट्री बनने के लिए तैयार हो गया है तो फिर लेक्चरर बनने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा कहना निरर्थक है, वह इसके लिए तैयार है। परन्तु सरकार की ऐसी मानसिकता है, उन मानसिकता के तहत वह रीडर-प्रोफेसर नहीं हो पाता है। आज तमाम प्रशासनिक सेवाओं में आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बनने में आरक्षण की व्यवस्था है और उस आरक्षण की व्यवस्था के नाते यह बाध्यता है कि शिड्यूल कास्ट के लोगों को लेना है, वहां उनका चयन भी होता है, लेकिन लेक्चरर, रीडर बनने में नहीं होता है। मान्यवर, इन पदों के लिए यू0जी0सी0 ने नेट परीक्षा पास करने का मानक निर्धारित किया था, आज हजारों छात्र अनुसूचित जाति, जनजाति के इस तरह के सड़को पर घूम रहे हैं और उनको लेक्चरर, रीडर के पदों पर यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कालेजेज में नहीं रखा जा रहा है इसलिए और यही नहीं मान्यवर, दूसरी तरफ आपकी जब 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे उन्होंने यह तमाम एडहाक एप्वाइंटमेंट, तद्र्थ नियुक्तियां, जिस पर 1984-85 से रोक लगी हुई थी, उस बात को न मानते हुए तद्र्थ नियुक्ति देने का काम किया था। क्योंकि तद्र्थ नियुक्ति में न आरक्षण लागू होगा, न योग्यता देखी जायेगी, इसलिए अपने लोगों को भरने का काम किया। मान्यवर, एक तरफ सरकार संख्या कम कर रही है और दूसरी तरफ तद्र्थ नियुक्तियां पुन: करके जिससे आरक्षण न लागू हो पाये, सिड्यूल कास्ट के लोग न आ पायें। ऐसा नहीं है कि इन यूनिवर्सिटियों और डिग्री कालेजेज जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से पैसा जाता है, आरक्षण लागू नहीं होता लेकिन यह कह करके कि यह स्वासत्तशासी संस्था है, अभी जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी विवरण दे रहे थे, शिक्षा मंत्री का बयान कि यह स्वायत्तशासी संस्था है, गलत हुआ है, लेकिन हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम केवल कुलाधिपति को पत्र लिख सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर भाषण दें, मैं यह जरूर जानना चाहूँगा कि यह कौनसा अपराध किया है अनुसूचित जाति के बेटे और बेटियों ने जो योग्यता और क्षमता रखते हुए भी, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास लिए हुए हैं लेकिन यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेज में नियुक्ति नहीं हो रही है।

देश और प्रदेश के पैसे से ये सारे डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, मेडिकल कालेज चल रहे हैं तो इनमें क्यों नहीं आरक्षण का भरपूर पालन कराया जा रहा है और दूसरी तरफ साजिश के तहत् जैसा मौर्य जी ने और चौधरी जी ने जिक्र किया जो नेट परीक्षा होती है, इनका कहना है कि नेट परीक्षा पास करने में ज्यादा समय लग जाता है इसलिए हम परीक्षा "सेट" करायेंगे और उसका मानक इन्होंने रखा कि 50 परसेन्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इण्टरमीडिएट में भी होना चाहिए, 50 प्रतिशत डिग्री क्लास में भी होना चाहिए और 50 प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट में भी होना चाहिए। यह मानक इसलिए रखा गया है ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को किसी तरह से रोका जा सके। अगर हम टार्च लेकर ढूढ़ें तो भी अनुसूचित जाति के लोग यूनिवर्सिटी एवं डिग्री कालेजेज में नजर नहीं आते हैं। इसके लिए भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है अन्यथा आरक्षण का पूरा फायदा देकर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को भी यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजेज में प्रवक्ता और रीडर बनाने के लिए पूरा मौका देती। मान्यवर, रोस्टर कहीं नहीं लागू किया जा रहा है, कहीं भर्ती की जाती है तो एक पद पर भर्ती करके यह कह दिया जाता है कि एक पद पर रोस्टर लागू नहीं होता, यह एकल पद है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वहां पहुँचने से रोकने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के ऐसे प्रतिभावान छात्रों में, अभ्यर्थियों में आक्रोश है जो कभी भी विष्फोटक रूप धारण कर सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज सदन की कार्यवाही को रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का काम करें ताकि पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिले और कोई महत्वपूर्ण फैसला सदन ले सके।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, उच्चतर सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ताओं के पदों का चयन किया जाता है, महाविद्यालयों के लिए उसके चयन को लेकर यह प्रश्न उठाया गया है और आरोप लगाया गया कि ऐसी नीति बना दी गयी है जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। नीति क्या है? मान्यवर, दो पंक्तियों में नीति स्पष्ट कर देना चाहूँगा। नीति हमारी बनायी हुई नहीं है, यू0जी0सी0 की बनायी हुई है। यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तम शैक्षिक अभिलेख की अनिवार्यता है। यह नीति है। तीन बातें हैं, ''नेट'' की परीक्षा पास हो, पोस्ट ग्रेजुएट में 55 प्रतिशत अंक और उत्तम शैक्षिक अभिलेख। सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट है। जो निर्धारित नीति है उसके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। जो उत्तम शैक्षिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, परिभाषित करने में यह स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर उपाधि से पूर्व अच्छे अंकों के साथ इण्टरमीडिएट व ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट है।

आप यह चाहते हैं कि इण्टरमीडिएट और ग्रेजुएट स्तर पर जो मानक निर्धारित है वह समाप्त किया जाये। वर्मा जी और चौधरी साहब आप लोग विद्वान सदस्य हैं, मौर्या साहब नेता हैं। मान्यवर, हम यहां पर चयन किसी अन्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चयन प्रोफेसरशिप के लिए कर रहे हैं और वह बच्चों को पढ़ायेंगे। अगर हम वहां पर आरक्षण करेंगे तब इण्टरमीडिएट में नम्बर नहीं आया है, ग्रेजुएट में नम्बर नहीं आया है उसे प्रोफेसर बना दिया जायेगा तो फिर आप देखियेगा, आप बनाना क्या चाहते हैं, वह छात्रों को पढ़ायेंगे यह सन्देश जायेगा कि ऐसे लोगों के पढ़ाये हुए छात्र हैं जिनकी खुद की क्वालीफिकेशन नहीं है? जहां तक छूट देने की बात है, छूट दी गयी है, जहां आवश्यकता है, वह व्यवस्था की गयी है। मैं भ्रम नहीं फैलाता।

(श्री लालजी वर्मा, श्री बी0आर0वर्मा एवं स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया, पहले संसदीय कार्यमंत्री जी की बात आ जाने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी भ्रामक तथ्य रख रहे हैं। राष्ट्रीय दक्षता उत्तीर्ण करने का मतलब है कि वह लेक्चररशिप के लिए पात्र है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्यमंत्री जी की बात आ जाने दीजिए। यह उचित नहीं है, मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

-यह भारतीय जनता पार्टी की गलत मानसिकता का परिचायक है। मैं भ्रामक बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है, संसदीय परम्पराओं का खुला मखौल है। क्या लोकतंत्र को इसी तरह से चलायेंगे? इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। संसदीय लोकतंत्र को ठीक तरह से चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, कृपया आप लोग बैठ जांय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख किया गया है कि वह फला परीक्षा पास नहीं था, उत्तीर्ण नहीं था फिर भी उसका प्रमोशन कर दिया गया तो यह एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में पहले भी चर्चा आ चुकी है। आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं नेट की वजह से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल रहा था, बहुत से अभ्यर्थी वंचित रह जाते थे, हमने कहा कि स्टेट लेविल पर एक परीक्षा कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को वहां पर बैठाना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मार्या जी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो बात कही जाय उसको समझने का प्रयास करें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई भ्रम की स्थिति है तो मैं स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, इसके पीछे कहीं कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है और न ही किसी को वंचित करने की बात है, चाहे वह अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हों या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों, सबको लाभ होगा। राज्य स्तर पर सबको अवसर प्राप्त होगा। अब तक अवसर नहीं मिलता था, हमारे स्टेट के लोग नहीं आ पाते थे, आपको हमारे इस कदम का स्वागत करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कार्यस्थगन के रूप में इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अनुसूचित जाति में नेट क्वालीफाई लोग हैं इसलिए सेट आयोजित किया जा रहा है। यू0जी0सी0 द्वारा जो योग्यता निर्धारित है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उसकी पूर्ति करते हैं और नेट क्वालीफाई भी हैं उनको न लेकर सेट परीक्षा आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। जब पहले से अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने नहीं कहा है कि क्वालीफाइड आदमी नहीं मिल रहे हैं, जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें कहीं भेद-भाव हो तो समझा दें, मैं आश्वस्त कर दूँगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो यू0जी0सी0 का मानक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इलीजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल मास्टर्स डिग्री में पचास परसेन्ट अंक होने चाहिए। यू0जी0सी0, जो अनुदानित करने वाली और योग्यता निर्धारित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है उसने यह मानक निर्धारित किया है कि 50 परसेन्ट अंक वाले छात्र नेट में बैठ सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्धारित किया है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक के साथ-साथ स्नातकोत्तर और इण्टरमीडिएट में भी 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं जबकि यू0जी0सी0 ने केवल 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर के लिए निर्धारित किया है। डिग्री कालेजों और इण्टरमीडिएट स्तर पर 50 प्रतिशत अंक निर्धारित नहीं है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आपकी सरकार को चुनौती दे रहा हूँ जितने 1991, 1997-98 में डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीयों में एडहाक पर रखे गये हैं उसमें कोई 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक नहीं पाये हैं। रीडर पद पर जो लोग नियुक्त किये गये हैं उन्होंने 41 या 47 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर नहीं पाये हैं। चूँकि वे सवर्ण हैं इसलिए काबिल हैं और सेड्यूलकास्ट हैं वह नाकाबिल हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यू0जी0सी0 ने मानक निर्धारित किया है। पोस्ट-ग्रेजुएट में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता रखी गयी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत कम करके 50 प्रतिशत अंक रखा है। जो मा0 वर्मा जी ने एडहाक की बात कही यह नीति हमने नहीं बनायी है। अगर हमारी सरकार की गलती है तो उसका उत्तर दे देंगे। एडहाक आदमियों को गलत तरीके से रखा गया है। तो उसी गलती को ठीक करने के लिये आयोग बनाया गया है। एडहाक पर रखने का काम तो आपने किया है या किसी सरकार ने किया है, कम से कम वह काम भाजपा की सरकार ने नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों को और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(व्यवधान)

(मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री लालजी वर्मा, आर0के0 चौधरी, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री भोला शंकर मौर्य आदि बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री गलत बात कहते हैं तो नियमावली के जो सुसंगत नियम हैं उसके अन्तर्गत आप उठायें।

(शोर)

(श्री लालजी वर्मा द्वारा शासनादेश वापस किया जाये के नारे लगाये जाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

यह किसी स्थिति में उचित नहीं है, दोनों तरफ की बात आ गयी है, स्थिति स्पष्ट हो गयी है। इस पर 28 तारीख को एक व्यवस्था आ चुकी है उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री बी0आर0वर्मा-

मैंने मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यू0जी0सी0 ने जो मानक निर्धारित किये हैं क्या उसी मानक के अनुरूप उत्तर प्रदेश में अनुपालन किया जायेगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। इसका स्पष्ट उत्तर मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा। मैंने उदाहरण भी दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एक रीडर के पद पर जो नियुक्ति की गयी है, उसके लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो आलरेडी रीडर हैं वहां वह लखनऊ विश्वविद्यालय में आना चाहता था उसको नहीं रखा गया और ऐसे व्यक्ति को जो रीडर भी नहीं है डायरेक्ट उसको रीडर रखा गया जो इण्टर मीडिएट और हाईस्कूल में 41 प्रतिशत और 47 प्रतिशत का नम्बर पाये 50 प्रतिशत भी नहीं। उनको डायरेक्ट रीडर बना दिया लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो आलरेडी गोरखपुर विश्वविद्यालयों में रीडर हैं उनको लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं रखा। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो यू0जी0सी0 ने नेट परीक्षा के लिए मानक निर्धारित किया है क्या वहीं मानक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में सेट परीक्षा आयोजित कर रहे हैं उसमें भी वहीं मानक रखेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

जो मानक यू0जी0सी0 ने बनाये हैं वहीं मानक राज्य सरकार भी रखेगी उसमें अन्तर का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार की है।

जो बात वर्मा जी ने पूछी उसका इससे स्पष्ट उत्तर और कोई नहीं हो सकता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जायेगा। यह बर्हिगमन की भूमिका है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं एक अत्यंत संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जान बहुमूल्य होती है जब दुखी होकर कोई आत्महत्या के लिए कदम उठाता है तो जब उसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा नजर आता है कोई रास्ता नजर नहीं आता तभी कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेता है। आज सरकार की व्यवस्था इस कदर दुखदायी हो गयी है कि सामान्य व्यक्ति मरना पसन्द करता है भाजपा सरकार के राज्य में जीना पसन्द नहीं करता है। आज स्थिति यह है जो गद्दी पर हैं उन लोगों को छोड़ दें जो सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दोहन कर रहे हैं, सत्ता के साये में अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं उनको

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

छोड़ दिया जाये तो आज आम आदमी की हालत यह है कि वह मरना पसन्द करता है भाजपा के राज्य में जीना पसन्द नहीं करता। कुछ दिन पहले विधान भवन के सामने एक सिख को आग लगाकर आत्महत्या करने के लिए तड़प-तड़प कर मरते देखा है। आज फिर एक दुखद घटना की पुनरावृत्ति हुई एक व्यक्ति जो जनता दर्शन में मुख्यमंत्री जी के पास आता है विकलांग है, सरकार की नीति है कि विकलांगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाये यथासंभव उन्हें मजबूती प्रदान की जाये जिससे वह याचना के पात्र न हों बल्कि अपने लिए अपने परिवार के लिए भरण पोषण कर सकें। मान्यवर, इस दृश्य की परिकल्पना कीजिए। परिवार के मुखिया की नौकरी चली जाती है दो बेटियों की शादी के दो जून की रोटी तक नसीब नहीं है। वह मुख्यमंत्री आवास जाता है वहाँ आश्वासन मिलता है कि घर जाओ नौकरी का आदेश मिल जायेगा। वह विकलांग व्यक्ति महीनों घर बैठा रहा फिर उसने जनता दरबार में याचना की कि मुझे ऋण की दिलवा दो मैं काम करूँगा लेकिन जब वह ऋण के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर इतनी धनराशि की बात करता है कि कुछ नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री आवास पर लगने वाले जनता दरबार में केवल घोषणायें ही होती हैं। वह विकलांग व्यक्ति दया का पात्र हो सकता है जो याचना के लिए आया था और हर बार निराशा हाथ लगी उसके पास दो रास्ते बचते हैं या तो घर बैठकर अपने परिवार को भूख से बिलबिलाते मरते हुए देखे या मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर दम तोड़ दे। अपने हाथों की नसे काटकर नशीली दवायें खाकर आत्महत्या का प्रयास करता है, खून बहते देखकर उसे अस्पताल ले जाया जाता है आज वह अस्पताल में है मौत जिंदगी से जूझ रहा है।

यह प्रदेश के हर नौजवान की कहानी है। इस सरकार के रहते केवल मुट्ठी भर मंत्री ही जो भ्रष्टाचार के सहारे जीवन के वे सुख भोग रहे हैं जिसके वे पात्र नहीं हैं बाकी ईमानदार आदमी दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। यह आदमी विकलांग है, कानपुर गोविन्दनगर निवासी प्रेम कुमार जिसने मुख्यमंत्री जी की दहलीज पर आत्महत्या का प्रयास कर करारा तमाचा इस सरकार पर मारा है। इस दृश्य को देखकर किसी की भी आंखें भर आयेंगी। इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे अपने मंत्रिमण्डल सहित सरकार से इस्तीफा दें। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है इससे अधिक जरूरी और कुछ नहीं हो सकता इस पर चर्चा करायी जाय।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो 28 मई 2001 को मुख्यमंत्री के निवास पर जो हुआ वह चिन्ता का विषय है। पूरे सदन को सूचना है और यही हालत रही खुदकशी के लिए लोग आते रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? कुछ दिन पहले एक सक्श ने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। उसका किस्सा भी बेरोजगारी का था वह अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा था और यह प्रेम कुमार, गोविन्दनगर कानपुर का रहने वाला था विकलांग व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास पहली बार आया इसकी दरख्वास्त में कहा गया विकलांग कोटे में मुझे नौकरी दिलाई जाय और यदि यह संभव न हो तो ऋण दिलवा दिया जाय कुछ काम की कर लेंगे। फिर यह प्रेम कुमार दोबारा आता है मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं तुम्हारा लोन मिल जायगा घर नौकरी आ जायेगी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिखने के बाद, उनके वायदा करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है और न ही उसको ऋण मिलता है। वह परेशान होकर नशीली दवा खाकर अपने हाथों की नसें काट लेता है, सही मौके पर कोई देख लेता है और उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता है जहाँ पर वह आज मौत से जूझ रहा है। मान्यवर, यह सवाल है कि इस सरकार में बेरोजगारी की इन्तहां इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी खुदकशी करने पर आमादा हो जायेगा। मान्यवर, यह सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि इस पर उपर्युक्त कार्यवाही की जाय और नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस सरकार में नवजवान लोग आत्म हत्या कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया। कल मान्यवर, दो बच्चे प्रेम कुमार और सुजीत कुमार शाक्य, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं उन्होंने देखा कि दो लड़के पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे उनकी तरफ जाने लगे। पुलिस को अपने पास आता देख वे जाने के लिए उठ गये। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और तलाशी ली तो एक के पास थैले में से एक कागज मिला जिसमें लिखा था कि मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। तलाशी में थैले में नशीली दवा मिली। उसने नशा किया हुआ था। इसमें कोई तारीफ करने या पक्ष लेने की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे की, नवजवान की, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे आत्म हत्या के लिए विवश होना पड़ रहा है तो यह सरकार के लिए नहीं समाज के लिए सोचने की बात है। नौकरी ऐसी तो नहीं है कि थैले से निकाल कर दे सकें। यह किसी से छिपा नहीं है। एक बार नहीं अनेकों बार बताया गया है कि लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं लोग। रोजगार मिल नहीं रहा है, चिन्ता तो यह है। मैं स्थिति बता दूँ। दुनिया में हमारा देश सबसे गरीब देश में आता है लेकिन आत्म हत्या का अनुपात सबसे कम है। क्यों कम है? केवल सम्पन्नता की वजह नहीं आती। समाज की समरसता, समाज में हमारे जो सिखाया जाता है कि कितनी चुनौतियां और संकट आ जायं, सबका डटकर मुकाबला करें। अगर प्रदेश के हिसाब से भी देख लें तो उत्तर प्रदेश में आत्महत्या का अनुपात बहुत कम है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि आदमी को कष्ट झेलने का आदी बना देते हैं। अभी प्रमोद जी ने उदाहरण दिया कि कुछ दिन पहले एक सिक्ख ने यहां विधान सभा के सामने आग लगाकर आत्म हत्या कर ली थी, धिक्कार है सरकार को, और ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रमोद जी, आप उस सरकार को भूल गये जिस सरकार के शासन काल में एक नहीं हजारों सिक्खों को जलाकर मार दिया था, अभी भी मुकदमें चल रहे हैं। आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं और सरकार से इस्तीफा देने को कह रहे हैं। तब कहां चली गई थी नैतिकता, क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया था सरकार ने? हम तो कहते हैं अच्छा है मुकदमें चल रहे हैं और शीघ्र उसका निस्तारण हो, ऐसे लोगों को इधर न होकर उधर जाना चाहिए वहां। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि यह नियम-56 में कहीं से नहीं आती है, इसको निरस्त करें और प्रमोद जी को समझायें। आज उनके पास कोई मुद्दा उठाने के लिए नहीं है तो अखबार की कतरन उठाकर पढ़ रहे हैं। यह पहला दिन देखा है जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अखबार की कतरन से यह मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतने सम्वेदनशील हैं कि कम से कम उसकी बात तो सुनी, उसको आश्वास्त तो किया। उनकी तुलना किससे कर सकते हैं। रात्रि को आपने सुना होगा, वहां एक गांव में जाकर उन्होंने विश्राम किया?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था, मेरा जो प्रश्न था यह दुनियां भर के आंकड़े समझाते रहे, सिक्ख कहां मारे गये जो सिक्ख मारे गये उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है जो सिख आपकी सरकार की वजह से मारा गया उसमें क्या हुआ?

श्री हुकुम सिंह-

अगर कोई दोषी है अपराधी है किसी के खिलाफ बात आयेगी तो मुकदमा चलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रश्न का उत्तर दिलवायें मै वैल में नहीं आता इसका यह मतलब नहीं है कि आप बात नहीं सुनेंगे जो प्रश्न उठा है उसका उत्तर आप दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने कहा कि उसने आत्मघाती नस काट ली, कपड़ों में खून लगा था। एक सिक्ख ने यहां मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली यह परम्परा हो रही है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं है बात उससे कही जाती है जिसको शर्म हया होती है, आपकी सरकार संवेदनशील न होकर संवेदनहीन हो गई है आपकी सरकार ने लोगों को मजबूर कर दिया है लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। मैं प्रमोद कुमार और कौकब हमीद को सुनने के पश्चात् इस सूचना को निरस्त कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं चेतावनी देता हूँ जो सरकार नौजवानों को आत्महत्या करने को मजबूर करे ऐसी सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म हया है तो त्याग पत्र दे देना चाहिए वरना कारणों का पता लगाये। माननीय मुख्य मंत्री [x x x] आश्वासन क्यों देते हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो चार-छः महीने बाद भ्रष्टाचार में डूबे जो मंत्री हैं यह भी किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे तब इनके चेहरे से चादर हटेगी, नकाब उठेगी। यह सरकार संवेदनशील है, इस विरोध में मैं और मेरा दल भगवान इनको सदबुद्धि दे यह कहते हुए सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार ने और अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

*श्री रामविशुन आजाद-

मान्यवर, मैंने जनपद गोण्डा में अम्बेदकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित सूचना दी है। मान्यवर प्रदेश में अम्बेदकर ग्राम योजना इसलिए चलाई गयी थी कि पिछड़े गांव जो हैं, निर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए यह योजना चलाई गयी थी लेकिन मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है इस सरकार ने अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में जिन गांवों को चयनित किया गया था उन गांवों में आज तक मान्यवर, इन्दिरा आवास की योजना, निर्बल वर्ग आवास की योजना अस्पताल की योजना, विद्युतीकरण की योजना, खड़ंजा लगाने की योजना, जितनी योजनायें हैं जो हमारी मूलभूत समस्यायें हैं उन समस्याओं पर इस सरकार ने अम्बेदकर गांव में जानबूझकर आवास नहीं बनाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है इस सरकार ने अम्बेदकर गाँव में इसलिए काम नहीं कराया क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा। यह सरकार वास्तव में अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो गांव चयनित किये गये अगर सरकार संवेदनशील है उनकी हितैषी है तो खड़ंजा, बिजली आवास यह उपलब्ध उन गांवों को करा दे। हमारे जनपद गोण्डा में मान्यवर अम्बेदकर विकास योजना में 1997-98 के अधूरे गांव जो पड़े थे जिनको धनाभाव के कारण पूरा नहीं कराया गया वर्ष 2000-2001 में इस सरकार के माध्यम से जो 119 लाख रूपया दिया गया था लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उसे पास कराना था। शासन से यह हुआ कि उस पैसे को स्थानान्तरित करके आर0ई0एस0 विभाग को दिया जायेगा लेकिन पैसा नहीं दिया गया जिससे 97-98 के कार्य अधूरे पड़े हैं। मान्यवर, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक संख्या-

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2005/ग्रा0 अभि0से0/बजट/2000-2001 दिनांक 23-3-2001 को लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड गोण्डा को लिखा परन्तु अभी तक धन का स्थानान्तरण नहीं किया गया है जिससे अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जाना संभव नहीं हो पर रहा है। मान्यवर, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लोक महत्व का अविलम्बिनीय प्रश्न है। यह सरकार अपने आप को कल्याणकारी कहती है और अगर यह दलितों और अम्बेडकर ग्रामों के प्रति संवेदनशील है तो यह घोषणा करें कि जितने भी अधूरे कार्य हैं उनको तत्काल पूरा करा दिया जायेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी चले गये हैं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, यहां पर कोई जवाब देने वाला नहीं है।

डा0 अम्मार रिजवी-

मान्यवर, यहां पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। क्या कोई ऐसा सक्षम मंत्री नहीं है जो कि जवाब दे सके। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। सरकार सदन में नहीं है। कोई जवाब देने के लिए नहीं है हमारा अनुरोध है कि आप सदन को स्थगित कर दें। मान्यवर, यह संवैधानिक संकट है। यहां पर सरकार मौजूद नहीं है कोई जवाब देने के लिए नहीं है सदन की कार्यवाही रोकी जाय। सारी कार्यवाही को कैन्सिल किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं केवल कुछ क्षणों के लिए विवश होकर गया था।

(व्यवधान)

डा0 अम्मार रिजवी-

मान्यवर, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

वित्त मंत्री जी उपस्थित थे। आप लोग कृपया समय बर्बाद न करें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ इसलिए यह उत्तर नहीं देना चाहते हैं। यह सरकार भागकर सदन से बाहर चली गयी है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर माननीय राम विशुन आजाद जी सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं उत्तर नहीं दूँगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मेरी सूचना पर कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूँ। अगली सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है।

(व्यवधान)

(श्री राम विशुन आजाद सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् श्री राम विशुन आजाद सदन के फ्लोर पर बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप अपने आसन पर वापस जायें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया अपने आसन पर वाहस जायें।

(श्री राम विशुन आजाद अपने आसन पर वापस चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न नियम-56 में माननीय आजाद जी ने उठाया था किसी वजह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में नहीं थे कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि सरकार गायब है तो उससे इतना समहित होकर उन्हें यह नहीं कहना चाहिए उन्होंने जो सवाल है उसका जवाब ही नहीं दिया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर,मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था आप कृपया एक तरफ न समझायें उधर भी समझाने का प्रयास करें मुझे उधर भी बैठने का सुअवसर मिला है और मैं प्रयास करता था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनूँ।

मान्यवर, इसमें माननीय राम विशुन आजाद जी ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है मान्यवर, एक विषय तो समग्र रूप से प्रदेश के लिए कहा कि अम्बेदकर ग्राम योजनायें पूरी नहीं हुई हैं और दूसरे अपने जनपद के लिए कहा कि अम्बेदकर ग्राम की जितनी योजनायें बनायी गयी थीं वे योजनायें पूरी नहीं हुई हैं। भविष्य के लिए हमने अम्बेदकर ग्राम का चयन भी बन्द कर दिया है ताकि योजनाओं को पूरा कर सकें। मान्यवर, आज स्थिति है क्या? सम्पर्क मार्ग में 60 प्रतिशत, ग्रामीण विद्युतीकरण में 84 प्रतिशत, नाली खड़ंजा में 98 प्रतिशत, स्वच्छ शौचालय में 98 प्रतिशत नि:शुल्क बोरिंग में 97 प्रतिशत, एस0जी0एस0वाई0 में 97 प्रतिशत, इन्दिरा आवास में 96 प्रतिशत, स्वच्छ पेयजल में 100 प्रतिशत, स्कूल भवन में 100 प्रतिशत, वृद्धावस्था में 100 प्रतिशत, विधवा पेंशन में 95 प्रतिशत कार्य हुआ है अब यह उपलब्धि आप अच्छी मानें या खराब यह अपने-अपने परसेप्शन की बात है ।

मान्यवर, उन्होंने अपने जनपद की बात कही कि एक हजार की आबादी के 16 गाँव चयनित थे जिनके सापेक्ष में 5 गांवों का संतप्तीकरण हुआ है अब 11 शेष हैं। मान्यवर, सम्पर्क मार्ग कार्यक्रमों में 200.05 रुपये लक्ष्य के सापेक्ष, 34.86 लाख रुपये की उपलब्धि रही जिसके कारण 11 गांव जो है उसमें काम पूरा नहीं हो सका है। मान्यवर, हर सम्भव प्रयास यह किया जा रहा है कि जो काम अधूरे रह गये हैं उसको पूरा कराया जाये। मान्यवर, इस वर्ष माननीय आजाद जी ने एक मामला उठाया था जिला योजना का पैया कहां गया उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री और माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने कहा था कि जो काम रह गये हैं वर्ष 2000 की योजनाओं के संसाधन के अभाव में, संसाधन का अभाव आड़े नहीं आने दिया जायेगा उन कामों को पूरा कराया जायेगा। मान्यवर, जो आपने जनपद की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और जो प्रदेश की स्थिति है उसके बारे में बताया मान्यवर, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास किया जायेगा, उनको संतृप्तीकरण करा दिया जाये।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, लेखा शीर्षक 5054 में 02 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए वर्ष 97-98 में स्वीकृत कार्यों को पूरा कराने के लिए जनपद गोण्डा में 119.23 लाख रुपये का आवंटन किया गया था। मान्यवर, वहां पर वह रुपया वापस कर दिया गया है तो जो पैसा वहां से वापस किया गया था उसको वहां भेज दिया जाये ताकि जो अधूरे कार्य हैं वह पूरे हो जायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि जो आपके गांव रह गये हैं उनको शीघ्र की संतृप्त करा दिया जायेगा अब यह सीधा-सीधा उत्तर आ गया इससे स्पष्ट उत्तर कोई और क्या होता है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जो पैसा गया वह पैसा यहां वापस आ गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

तो मान्यवर, जो इनका एक करोड़ से ऊपर की धनराशि स्वीकृत थी वे वहां से वापस आ गयी है तो कैसे संतृप्त होगा।

श्री अधिष्ठाता-

जब पैसा जायेगा तभी तो होगा स्पष्ट आश्वासन आ गया है कि जो माननीय राम विशुन आजाद जी ने गोण्डा जनपद के सम्बन्ध में कहा है वह पूरा करा दिया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज सूचना दी है सूचना के मेरे 2 आधार है। मान्यवर, जनपद से मैंने स्पेसिफिक सूचना मांगी है उसमें सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण और स्कूल भवन निर्माण तीनों की सूचना अलग से मांगी है वह सूचना आ जाये और अगर माननीय सदस्य उपलब्ध होंगे तो आपसे बात करके जो भी संभव होगा, करेंगे।

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, नियम 56 की सूचना पर शासन का बहुत ही अहम मसले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति वक्फ कर दी गयी है जो रजिस्टर्ड है लेकिन आज वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की यह सम्पत्ति जो वक्फ की हुई है उसे या तो खारिज कर रही हे साजिश के तौर पर वक्फ से या उसको बेच रही है। कम से कम अब तक 40 करोड़ रुपये की सम्पत्ति बेची जा चुकी है। मान्यवर, मैं दो-तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो सेन्ट्रल एक्ट है उसके लिहाज से धारा 26 के तहत कोई भी वक्फ की हुई संपत्ति को खारिज करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं है न ही सरकार को है। सरकार के द्वारा चीफ इक्जीक्यूटिव अफसर की नियुक्ति की जाती है मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह उसी तरह से होता है जैसे मंत्री कोई आदेश करता है और जब तक सचिव हस्ताक्षर न करे वह आदेश नहीं माना जाता, वह मानने से इन्कार कर दें तो वह आदेश नहीं माना जायेगा। सीईओ की नियुक्ति सरकार करती है।

यहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जानकारी में लाये वगैर यह सम्पत्ति जिसको उन्होंने खारिज कर दिया और उसकी अब विक्री हो गयी है। वक्फ नम्बर 3169 यह नोयडा गौतमबुद्ध नगर का है। इसमें जो कमेटी बनाई गयी है यह साजिश के तौर पर सरकार ने खुद बनवाई है और [x x x x] कन्ट्रौलर ने 27 अप्रैल, 1998 को मंत्री के कहने पर आदेश दिया था कमेटी बनाने का। मान्यवर, यह वक्फ कब्रिस्तान नया बांस नोयडा सेक्टर नं0 15 वक्फ इलल खैर 3169 नोयडा है इसका रकबा 3 बीघा 6 विश्वा है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये होती है। मान्यवर, कमेटी ने विक्रय तय कर लिया, एडवांस ले लिया है इसकी विक्री पर रोक लगायी जाय।

मान्यवर, दूसरा वक्फ है, अललखैर इस वक्फ का नम्बर है 2, 1, 4, 4, यह मामला इतना गम्भीर है इसके अध्यक्ष हैं [x x x] यह लखनऊ शहर में दुबग्गा में है इसमें कंट्रोलर ने इटेलेक्युअल एजुकेशनल सोसाइटी के नाम इन्द्राज कर दिया जो इसके अध्यक्ष हैं वही वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर थे और आज वक्फ के नामजद मेम्बर हैं गवर्नमेंट थे यहीं उसका रजिस्ट्रेशन है जनपद लखनऊ का मान्यवर, यहीं 4 बीघा जमीन हरदोई रोड लखनऊ शहर में दुबग्गा चौराहे पर अपने नाम ट्रांसफर कर ली। मान्यवर यह स्थिति है । [x x x]

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक दूसरा वक्फ बोर्ड देहरादून में है वक्फ नम्बर 426 इसकी कमेटी सरकार ने बनवायी है [x x x] मान्यवर, यह लगभ 2 करोड़ की प्रापर्टी विल्डिंग फर्नीचर गेस्ट हाउस, विल्डिंग में बैंक भी है इसे लगभग 2 करोड़ में सौदा करके बेच दिया। इसमें मुतवल्ली वक्फ बोर्ड और सरकार तीनों की साजिश है।

मान्यवर, इसी तरह से वक्फ नम्बर 648 एल0डी0ए0 के सामने बहुत बड़ी विल्डिंग है इसको भी वक्फ से डिलीट कर दिया गया जबकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक्ट में सेक्शन 26 लागू करना सरकार का काम है क्योंकि सी0ई0ओ0 की नियुक्ति सरकार करती है और वह ही इसे इक्जीक्यूट करता है अगर वह इक्जीक्यूट न करे तो इसे बचाया जा सकता है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने धारा 26 के उल्लंघन के कई मामलों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस पर रोक लगाने के लिए गोपनीय पत्र सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया परन्तु शासन ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, धारा 26 में बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वयन मुख्य कार्य पालक अधिकारी ही कर सकता है लेकिन सैकड़ों मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बाईपास करते हुए बोर्ड के अनेक कर्मचारियों को मिलाकर उनके द्वारा इक्जीक्यूशन आदेश जारी करा दिया है जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो यह लोग लाखों नहीं करोड़ों का गबन कर रहे हैं।

मान्यवर, वक्फ नम्बर 11ए फतेहपुर जिसमें फर्जी आर्डर कर लिया मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर कागज पर चिपकाकर फोटो कापी करा ली और अदालत में दिखाकर स्टे ले लिया इस तरह से इनको सरकार को कोई खौफ नहीं है।

मान्यवर, मैं कुछ वक्फ बता रहा हूँ जिसको सांजिश के तौर पर बेंचने का काम किया जा रहा है-40ए मुरादाबाद, 105 फतेहपुर, 64 इटावा, 193 मुरादाबाद, 630 वाराणसी, 11ए गोरखपुर और 56 लखनऊ। जिसका रिक्वीजीशन आर्डर किया जाता है, उसका बैनामा कर दिया जाता है, हमारे यहां पेशी करने के बाद उसको खारिज कर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को वक्फ बोर्ड सेन्ट्रल एक्ट में प्रोवीजन नहीं है कि कोई भी वक्फ की प्रापर्टी को खारिज करे, इससे ज्यादा बैइमानी की बात कोई और हो नहीं सकती। अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश में वक्फ की सम्पत्ति बेची जायेगी तो इस प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय है, उसमें आज बहुत गम और गुस्सा है, इस सरकार के प्रति और वक्फ बोर्ड के प्रति, अब तक 40 करोड़ की वक्फ बेची जा चुकी है और अरबों की बेचने की नीयत है, अगर इस पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, तो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जायेगा और इस सरकार से इन लोगों का यकीन उठ जायेगा। जिस तरह से साजिश करके वक्फ सम्पत्तियों को बेचा जा रहा है, उन पर मैं आपसे चाहता हूँ कि इस पर तुरन्त रोक लगाई जाये। एक्जीक्यूटिव आफिसरलिखकर देता है कि फलां-फलां वक्फ प्रापर्टी है, उसको अनदेखा कर उसको बेचा जा रहा है और उसको हटा भी दिया जाता है।

मान्यवर, इसमें जो लोग सी0ओ0 की जगह काम कर रहे हैं, वह अपराधी हैं, [x x x] यह लोग चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर की जगह काम कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई हो नहीं सकता, इन लोगों को इस पद पर काम करने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार पूरे मामले की पत्रावली मंगाकर अपने पास रख लें, ताकि इसमें हेराफेरी करने का काम वक्फ बोर्ड न करें। यह सीधे-सीधे धारा 26 में बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाय। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय भी है, मैं इस गंभीर प्रकरण पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने के पहले मैं यह निर्देश देता हूँ कि श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने एक

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहावत का संदर्भ यहां दिया है, उसमें प्रयुक्त अशोभनीय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय, कृपया ऐसे अशोभनीय शब्द प्रयोग करने से बचें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। आज इस सदन में जिस तरह से एक मंत्री के विरुद्ध बाकायदा आरोप लगाया गया है, वह बहुत गंभीर आरोप है। मैं चाहूँगा कि इसमें आपकी पीठ से कोई ऐसा निर्णय हो जाय, जिससे उनका इलाज हो जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कौकब हमीद साहब ने कहा है कि मंत्री जी का इलाज हो जाये। मान्यवर, वह अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, [x x x] उनका इलाज कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बैठें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह वक्फ की सम्पत्ति न जाने कितने ऐसे लोगों ने जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते थे उन्होंने अपनी प्रापर्टी का लोभ-लालच छोड़ करके वक्फ के लिए जमीन दी, जायदाद दी और इस उम्मीद के साथ दी होगी कि इसका इन्तजाम होगा और इससे जो आमदनी होगी और जिस मकसद के लिए उन्होंने दिया है उसकी पूर्ति होगी। लेकिन बड़े कष्ट और दुख की बात है, इसमें किसी एक समाज, बिरादरी का सवाल नहीं है। जिस मकसद के लिए वह दी गयी थी, वह मकसद पूरा न हो और जिनके हाथों में इनका इन्तजाम हो वे उस मकसद को पूरा न करके अपने परिवार के लिए या भ्रष्टाचार के आचरण में इसका इस्तेमाल करें तो यह जायज नहीं है, कानून की दृष्टि में भी और वैसे भी जायज नहीं है। मैं तो अकीदा करने वाला हूँ जो लोग ऐसा करेंगे उनको माफ तो होगा ही नहीं, कयामद के दिन उनके पास होई जवाब नहीं होगा। जहां तक सरकार का सवाल है मैं सदस्यगण का ध्यान चाहता हूँ, एक अजीब सी स्थिति में सरकार आ जाती है अगर वक्फ के कानून में हम हस्तक्षेप करें तो आरोप लगाना है कि बी0जे0पी0 की सरकार मुसलमानों के हक के मामले में भी हस्तक्षेप कर रही है, यह दबाव हमारे ऊपर रहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दबाव के कारण सरकार कुछ नहीं करेगी, कई बार बात आयी, मैं आश्वस्त करता हूँ कि इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, सरकार की तरफ से इन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे, कहीं पर गड़गड़ी हुई है, उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री कौकब हमीद-

मान्यबर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन मंत्री जी जो सरकार का अंग हैं और भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ दी है, उनका भी इलाज कर दीजिएं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् के सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो आरोप लगाये गये हैं उसे कार्यवाही से निकालने का आदेश आप दे दें।

श्री अधिष्ठात्ता-

जो आपत्तिजनक होगा उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, जो मैंने डिटेल दी है, आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी को भेज दी है। दूसरी बात जो सी0ओ0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे आप नियुक्त करते हैं और आजकल वहां कोई भी नहीं है, वह पत्रावलियां आप मंगवा करके उन पर रोक लगा दें। क्या यह रोक लगायेंगे? मान्यवर, सी0ओ0 आजकल नहीं है, जो उनके द्वारा काम नहीं किया गया है उन पत्रावलियों की बात कर रहा हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संज्ञान ले लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। मैं इसे निरस्त करता हूँ यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है।

*डा0 अम्मार रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान एक अत्यन्त ज्वलंत समस्या की ओर जो प्रदेश में केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा प्रदेश प्रभावित है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। गेहूँ के जो क्रय केन्द्र खोले गये हैं उन पर किसानों का व्यापक उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है। विशेषकर मैं अपने क्षेत्र की बात कह सकता हूँ कि वहां पर किसान से जिस वक्त पॉलिसी एनाउन्स हुई थी उस वक्त बाजार में किसान 540 रु0, 550 रु0 और 580 रु0 तक गेहूँ बेच रहा था। लेकिन जब पॉलिसी एनाउन्स हो गयी, क्रय केन्द्र खुल गये उसके बाद, 480/-, 490/- और 560/- रुपये तक गेहूँ बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। आज इन केन्द्रों पर 15-15 दिन तक अपनी ट्राली पर किसान अपना गेहूँ लिये मौजूद रहते हैं।

यह किसी एक दल, व्यक्ति या क्षेत्र की बात नहीं है प्रदेश भर में यह स्थिति हो गयी है कि 15-15 दिन तक किसान गेहूँ लिये मौजूद रहते हैं और बिचौलिये वहां ट्राली पर गेहूँ खरीदते हैं, 540 रुपये, 510 रुपये और 480 रुपये प्रति क्विंटल। जगह-जगह के रेट अलग हैं और उस गेहूँ को खरीद कर 610 रुपये में क्रय केन्द्र पर गेहूँ दे देते हैं। ये बिचौलिये कौन से लोग हैं, आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहूँगा कि वह पता लगायें कि किन पार्टियों से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। वहां का प्रशासन, अधिकारी पंगु हो गये हैं, कोई किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है, वह कुछ कर नहीं सकते। अगर थाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी एक एस0एम0आई0 को केन्द्र पर मारा गया जब वह थाने पर पहुँचा तो एक स्थानीय नेता ने उसे थाने पर दौड़ा-दौड़ाकर मारा। उसे कोतवाली महमूदाबाद से भगा दिया गया। स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। बारिश हुई उससे किसान का गेहूँ बर्बाद हुआ। आज हजारों लाखों टन गेहूँ खुले में पड़ा हुआ है, आप भण्डारण करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्रों पर जो स्थिति है मोरंग और छोटे-छोटे पत्थर मिलाकर गेहूँ बोरों में भरा जा रहा है। कृपया इस मिलावट को रोकिये। अगर यह मिलावट की सरकार मिलावट को रोक सके तो रोके। मेरा स्पष्ट आरोप है कि वहां जो अधिकारी काम कर रहे हैं जब तक उन्हें हर क्विंटल पर 10 रुपये नहीं दिया जाता तब तक उन्हें चेक नहीं मिलता और जब तक 40 रुपया नहीं दिया जाता तब तक उनका गेहूँ नहीं तुलता। किसान परेशान हो गया है। मैं चाहूँगा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं किसान हैं उनका गेहूँ रखा हुआ है, हो सकता है कि तुल गया

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, वह स्वयं पता लगायें कि स्थिति क्या है? संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि विशेषकर मेरे क्षेत्र महमूदाबाद में देखें, वहां के किसानों का गेहूँ तौला जाये और विचौलियों को पुलिस के जरिये से भगाया जाये। जो बोरे दिये जाते हैं वह पुलिस की मौजूदगी में उपलब्ध कराया जाये ताकि किसान अपना गेहूँ दे सके। प्रशासन निष्क्रिय हो गया है वह कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर इतना दबाव है कि इन्हीं का गेहूँ तौलवाना है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। अगर किसान परेशान रहेगा तो जब वक्त आयेगा तो आपको बहुत परेशान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये और संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ घोषणा करें। मान्यवर, कम से कम कुछ सैम्पल के तरीके की ही जांच की कार्यवाही करायेंगे जिससे कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। मान्यवर, अपने अधिकारियों को न केवल हमारे यहां भेजकर बल्कि अन्य जिलों में भी कुछ केन्द्रों का निरीक्षण करायें। लेकिन शासन और प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि इसमें सुधार के कोई आसार जरा भी नजर नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि कृपया सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्रय केन्द्रों में गेहूँ की खरीद में कठिनाईयां आयी हैं। जिन कठिनाईयों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, जब सरकारी भाव बाजार भाव से अधिक होता है तो क्रय केन्द्रों में खरीद में यह कठिनाइयाँ आती हैं। 20 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद का लक्ष्य रखा गया है और यह प्रयास किया गया है कि गेहूँ सीधे किसानों से खरीदा जाय और खरीद का कार्य सीधे किसानों से जोतबही के आधार पर किया जाय जिससे बिचौलिये बीच में न आ सकें। इसके लिए सारे प्रदेश में निर्देश दे दिये गये हैं कि गेहूँ सीधे किसानों से खरीदा जाय और इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, उड़न दस्ते बनाये गये हैं। परगना अधिकारी से कहा गया है कि आप निरीक्षण करके कार्यवाही करें। माननीय अम्मार रिजवी साहब हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, आपने सूचना में जिन सात जगहों का उल्लेख किया है महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा, सरैया, बहादुरगंज आदि का हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए हमने दो दिन का समय दिया है और जब यह रिपोर्ट आ जायेगी तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और अगर कार्यवाही नहीं की जायेगी तो हम किसानों का शोषण कैसे रोकेंगे। पहली बार हमारी सरकार ने जितना कुछ किसानों के लिए किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया, हमने किसानों को उसके गन्ने का मूल्य 610 रुपये दिया है। इसके पहले चार-पाँच साल तक किसान अपने गन्ने के पैसे के लिए दौड़ा करता था लेकिन पहली बार हमने किसानों को उसका सही मूल्य प्रदान करने का प्रयास किया है।

डा0 अम्मार रिजवी-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो इन्होंने किसानों को सुविधा देने की बात कही है गन्ना किसानों को उसका मूल्य देने की बात कही है वह केवल उसे मेरे यहां ही न लागू करके अन्य क्षेत्रों में इसे पूरे प्रदेश में देने की कृपा करें। मान्यवर, आपके जो क्रय केन्द्र हैं वहां केवल एक आदमी रहता है। वहां दो-तीन कान्स्टेबिल आ जायें तो जो बिचौलियों की समस्या है उसमें समाधान हो जायेगा और जो आपने जो तबाही की बात कही है तो कहना चाहता हूँ कि वह हम जमा करवाकर आपको दे देंगे। तो अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था दे सकेंगे तो इससे किसान अपना गेहूँ सीधे क्रय केन्द्रों पर बेच सकेगा और इससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके विचारों से एकदम मंत्री जी को अवगत कराऊँगा और उनसे यह अपेक्षा करूँगा कि यह काम पूरे प्रदेश में किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय अम्मार रिजवी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अत: मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, मैं तीन दिनों से इस सदन को सूचना दे रही हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप बाद में दे दें।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, किस नम्बर पर है यह तो बता दें?

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना नियम-51 में परिवर्तित कर दी गयी है।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, यह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, मैंने तो इस सूचना को नियम-56 में दिया था आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपकी बात सून लूँगा आप बैठ जायें।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि 3 बार नियम-56 में सूचना दे चुकी हूँ। [x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाइये आपको सुन लूँगा।

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार से पूरे प्रदेश की 18 करोड़ जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में कहिए।

*श्री विनोदमणि-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में नौकरशाही पर भारतीय जनता पार्टी का कोई अंकुश नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में जो [x x x] दंगा हुआ और जो अधिकारी थे वहां में एक हफ्ते में हटाये गये वह [x x x] सचिवालय में प्रमुख सचिव बना दिये गये हैं। इतना ही नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी ने मुजफ्फर नगर की चर्चा बनारस में अपने भाषण में देते हुए कहा है कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ [x x x x] इनके खिलाफ सी0बी0आई0 ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका ध्यान नियम 289 (क) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, सी0बी0आई0 के आरोपों पर किस अधिकारी को चार्जशीट दी गयी है तो आप उसकी कापी भेजें। किस आधार पर कह रहे हैं कि सी0बी0आई0 ने चार्जशीट दी है। वरिष्ठ अधिकारी या नेता के खिलाफ बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जो सदन के सदस्य नहीं हैं और प्रमाण भी नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, यह कार्यवाही का अंग बन रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो कुछ कहा है उससे व्यक्ति तो इंगित होता है।

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, अधिकारियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बनवारी लाल दोहरे हैं। इसी 8 तारीख को माध्यमिक शिक्षा सचिव के दफ्तर में विधायक जी गये थे। वहां पर माध्यमिक शिक्षा सचिव ने इनके साथ बदसलूकी की और दफ्तर से बाहर कर दिया। आपकी सरकार में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता के कार्य से अधिकारियों से मिलने जाते हैं। सचिवालय में सचिवों से मिलने के लिए एक-एक घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और कई बार बिना मिले लौट आते हैं। आपकी सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भ्रष्ट अधिकारियों को तमाम पदों पर आसीन किया गया है। सरकार में नैतिकता हो, ईमानदारी हो तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूँगा कि वह जवाब में कहें कि जिन अधिकारियों के खिलाफ सी0बी0आई0 ने आरोप पत्र दाखिल किया है या जांच चल रही है या जिनके खिलाफ विजीलेंस की जांच चल रही और जो प्रमुख सचिव जैसे पदों पर बैठे हैं उनको दंडित करने का काम करें। अगर आप में साहस है और नैतिकता है और आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, मेरा आरोप है, आज जो बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं जिनमें लिखा है कि पारदर्शिता हमारी सरकार की नीति ही नहीं नीयत है। यह नारा झूठा है आपकी नीति और नीयत में भ्रष्टाचार है। इस सरकार की नीति और नीयत अपराध है। यह सरकार पूरी तरह से आई0ए0एस0 संवर्ग के चंगुल में है। मैं मांग करता हूँ कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय सदस्य की सूचना को निरस्त करता हूँ। आप नियम 289-क देखिये।

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, मैं किसी की कृपा पर सदन में जीत कर नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात कहूँगा, यह मेरा अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका अधिकार पूरा हो गया है।

श्री विनोदमणि-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोई विषय हो तो जवाब दूँ। आपने कहा कि कुछ अधिकारी जो आरोपित हैं बड़े स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं। आरोप हो तो कोई बात हो, जो आपने कहा वह आपकी राय हो सकती है, आपका अभिगत हो सकता है। सरकार अपने विवेक से काम करती है कि किस अधिकारी को किस स्थान पर नियुक्त किया जाय और उससे क्या काम लिया जाय। शासन को जो अधिकार है उसी के अनुसार निर्णय लिया गया है। हमने जो अधिकारी जिस लायक है उसको उसी जगह पर नियुक्त किया है ताकि शासन का काम ठीक से चल सके।

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, सरकार की नीति और नीयत में भ्रष्टाचार है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री विनोदमणि ने सदन का त्याग किया।)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जो बसें चल रही हैं वह उतनी संख्या में नहीं हैं जितनी होनी चाहिये। पूरे प्रदेश में आने जाने में असुविधा हो रही है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बसें बहुत खराब हालत में हैं। टूटी फूटी एवं जर्जर हैं जरूरत भर की नहीं हैं जिससे काम हो सके। पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से बसें चलती हैं जिनके कागज पत्तर नहीं हैं वह अवैधानिक तरीके से आदमियों से पैसा ले रही हैं। उनका संचालन हो रहा है और ऐसे लोगों से हो रहा है जिनका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण है। ऐसी बसों पर रोक लगनी चाहिए। इसकी वजह से राजस्व की भी हानि हो रही है। अच्छी बसों के न चलने से डग्गामार बसों की भरमार हो गई है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे एक्सीडेन्ट हो रहा है। शहर के अन्दर कई बसें जो जर्जर व टूटी फूटी हैं जो मेडिकल कालेज में लाश ढोने का काम करती थीं वह भी लगा दी गई। आपके पास पैसे की कमी हो सकती है लेकिन जरूरत भर की बसों को तो चलाना चाहिए।

पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिनके मालिक का कहीं अता पता नहीं है, जीपें भी ऐसी चल रही हैं जहां पर व्यवस्था के नाम पर पुलिस का दरोगा, सिपाही पैसा लेता है उनका नम्बर हो या न हो कागज पत्तर हो या न हो, उसको सत्ता पक्ष की शह पर चलाया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निर्देश दिया था कि नई बसें लेकर चलाई जायें व सुविधा शुल्क के नाम पर जो गाड़ियां चलाई जायेगी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी यह उस समय सरकार ने किया था। आज टूटी फूटी बसों के चलाने के कारण एक्सीडेन्ट हो रहे हैं उनके ब्रेक नहीं हैं बैठो तो कपड़ा फट जाये ऐसी गाड़ियां सामान्य और वी0आई0पी0 रोड पर चलाई जा रही हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सरकार की हालत जिस तरह से चार साल में जर्जर हो गई है उसी तरह से बसों की हालत है। आप चलती बेरा में अच्छी बसें तो चलवा दें। यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर सदन के अन्य कार्य रोककर मैं चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

विद्वान सदस्य रामतेज जी ने कई बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। वह ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं इसलिए इसकी तरफ विशेष ध्यान हैं। आपकी इच्छा है कि नई-नई बसें चलें मैं आपसे यही कह रहा था कि आप दिल थामकर बैठें कितना सुन्दर बजट आज परिवहन विभाग का आने वाला है। अच्छी अच्छी योजनायें आने वाली हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप उससे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। कितनी नई बसें चलेंगी, नये-नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा इन सारी बातों की जानकारी आपको आपके बजट में मिल जायेगी। सरकार का सदैव प्रयास है कि नई-नई बसें चलें। पिछले कई वर्षों से जो स्थिति खराब थी उसी को धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर श्री रामतेज यादव और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए इसे निरस्त कर रहा हूँ।

अगली सूचना श्री रामअचल राजभर की है।

श्री रामअचल राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज पूरे देश में सरकार शिक्षा विभाग को अपनी लापरवाही से हास्यास्पद बनाती जा रही है। प्रतिदिन बदलते पाठ्यक्रम, अनियमिततायें, परीक्षा में मूल्यांकन में धांधली हो रही है। जनपद अम्बेडकर नगर में बी0एन0 इण्टर कालेज अकबरपुर में हाईस्कूल की परीक्षा की कापी मूल्यांकन के लिए भेजी गयी कापियों को जांचने में जो गोपनीयता बरती जानी चाहिये, नहीं बरती गई, पैसा लेकर नम्बर दिये गये। शिक्षक स्वयं न जांच कर कॉपी अपने लड़कों से जँचवाते हैं। जय हिन्द गुप्त, परीक्षक संख्या 00136 के स्थान पर उनका लड़का कापी चेक

किया। मैं कुछ अवगत कराना चाहता हूँ कार्बन कापी यूनिट 053 सेंटर सं0:-10234 हाईस्कूल हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र की कापी है, दि0 19-5-2001 को जाँची गई कॉपियां रोल नम्बर 1030772 को 19, 103773 को 13,1030774 को 36 सं0 1030775 को 18, 1030776 को 24 नम्बर, से हिन्दी में 1030800 को 12, आदि सामाजिक विज्ञान यूनिट नं0 7 के सेन्टर नं0 07515 के अनुक्रमांक 218199 को 29, 218200 को 31, 218201 को 20, 218202 को 10, 218223 को 22 नम्बर आदि। यह मूल्यांकन केन्द्र, जिले से 50 मीटर की दूरी पर हैं यहाँ जमकर धाँधली की गई, हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। कुछ तो रिजल्ट इसलिए नहीं दिया गया कि पैसा नहीं मिल पाया, रोके पड़े हैं। पैसा लेकर नम्बर बढायेंगे। वहां अभिभावक छात्र आंदोलित हैं विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय सदस्य ने मूल्यांकन को लेकर और तमाम दूसरी धाँधलियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अपने जनपद का भी उल्लेख किया कि वहां पर कुछ परीक्षा केन्द्रों की बात बताई कि वहां पर कापियां जांचने में गोपनीयता भंग की है। मान्यवर, विस्तृत रिपोर्ट सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मांगी गई है। रिपोर्ट आ जाने के बाद जो कार्यवाही करनी होगी हम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अत: इसको निरस्त करता हूँ। अगली सूचना श्री मूलचन्द की है।

(श्री मूलचन्द के उपस्थित न होने पर)

मैं, मूलचन्द जी नहीं हैं, इसलिए इस सूचना को निरस्त कर रहा हूँ। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री रामप्यारे सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर और श्री किशनलाल बघेल।

(श्रीमती गौरी देवी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कहिए आपको क्या कहना है? एक मिनट में अपनी बात कहें।

*श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि बड़ी कोशिश के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जनजीवन से जुड़ी समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र कौड़ीराम में दर्जनों बन्धे जर्जर हो गये हैं। मैं आपका ध्यान 1998 की बाढ़ की ओर ले जाना चाहती हूँ। उस समय की बाढ़ में यहां के अनेकों बन्धे जर्जर हो गये हैं। मैं कुछ के नाम आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ- भउवापार, कनईपार, मसिआपार, सौहगौडा, मलौली से मिर्जापुर, झडुवा एवं खिरवा। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 1998 में जब बाढ़ आई थी तो उसमें झडुवा का बन्धा टूट गया था मलौली का एक हजार आदमी बेघर हुए थे और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। यह बान्ध टूट जाने से पूरे गोरखपुर शहर में शैलाब हो गया था। मान्यवर, न तो इस बान्ध की मरम्मत हुई है न ही पत्थर से पिचिंग हुई, न ही ठोकर लगाई गई। आज वहां पर लोग भयभीत हैं। जिस समय 1998 की बाढ़ में बन्धा टूटा था लोग बेघर हो गये थे सड़कों पर गुजर बसर कर रहे थे। झड़वा का बान्ध, जिसके टूटने से सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग बेघर हुए, आज भी लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। मान्यवर, आप जांच करवा लीजिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने घोषणा की थी कि 25-25 हजार रुपये हर एक व्यक्ति को वहां पर दिया जायेगा। मान्यवर, आज भी लोग वहां पर बेघर हैं, बरसाती के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। वहां लोगों में आक्रोश है.....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आपको अनुमति दी इसका मतलब यह नहीं कि आप.....

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दो मिनट में बात खत्म करती हूँ। मान्यवर, वहां के लोग जमीन छोड़कर रामगढ़ परियोजना से जहां से झडुवा का बन्धा टूटा था, दूसरी तरु भाग रहे हैं। मान्यवर, पत्थर से पिचिंग नहीं हुई है। बाढ़ आयेगी तो वह किसी भी कीमत पर झडुवा का बेला बान्ध जो 2 किमी0 टूट गया, जर्जर हालत में है, मानसून आ गया है, कब काम होगा? सिंचाई मंत्री नहीं हैं। मैं कहती हूँ तो कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। गौरा देवी जी काम हो रहा है। थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ रही है मुझे विश्वास नहीं है कि बरसात आयेगी तो यह बन्धा रूक पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। पुनरावृत्ति कर रही हैं।

श्रीमती गौरी देवी-

समय से बान्ध की मरम्मत नहीं होगी तो 1998 वाला हाल होगा। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं अगर इस समय व्यवस्था नहीं हुई तो बड़ी भयावह स्थिति हो जायेगी लोगों में आक्रोश है क्षोभ है लोग मजबूर होकर वहां से जमीन छोड़ने को तैयार हैं यह मामला गम्भीर है यह लोगों के जन-जीवन से जुड़ा मामला है। मान्यवर, यह सरकार जिसका यह ढिंढोरा पीटती है तो बाढ़ के पूर्व बंधों की मरम्मत कराई जाये। मैं चाहती हूँ यह महत्वपूर्ण मामला है अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है अत: सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय सदस्य गौरी देवी ने अपने क्षेत्र का उल्लेख किया बन्धा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण खतरा पैदा हो गया है राप्ती नदी के दोनों तरु, यह कहा गया कि 1998 में बाढ़ आई थी क्योंकि 1998 की बाढ़ भयावह बाढ़ थी इससे सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया वहां के पानी का लेवल मान्यवर 74.98 से बढ़कर 77.54 पर पहुँच गया उसकी वजह से सारे बन्धे क्षतिग्रस्त हुए उसके बाद प्रयास यह रहा है कि मलौनी बंधे का जीरो से लेकर आठ किलोमीटर तक पिचिंग के लिए प्रयास किया है। 14 करोड़ 39 लाख की योजना को बनाकर तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है पी0ए0सी0 में ले जा रहे हैं ग्रामीण अभियंत्रण में पैसा उपलब्ध हो प्रयास किया जा रहा है सरकार के जो संसाधन हैं उसके अनुरूप बंधों को ठीक कराने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती गौरी देवी-

अब बरसात आ रही है तो क्या बरसात के पहले यह काम पूरा करा देंगे?

श्री हुकुम सिंह-

हमें व्यवहारिक होना चाहिए। घोषणा मात्र से काम नहीं चलता है जब काम होगा तभी रिलीफ मिलेगा। 14 करोड़ 39 लाख की योजना बनकर आ गई है उसे पी0ए0सी0 में ले जा रहे हैं ताकि जल्दी काम पूरा हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूँ। इसको नियम-51 में परिवर्तित करने को कहा गया था इसको अब सुन लिया गया है इसलिए अब नियम-51 में सुनने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, 23/24-5-2001 को अलीगढ़ के थाना अतरौली में ग्राम बसई व रामपुर मुजप्ता में इस तरह से तांडव हुआ सैकड़ों महिलाओ आदमियों को पुलिस द्वारा पीटा गया, उनको घायल किया गया, मान्यवर कालीचरण नाम के एक युवक की पुलिस हिरासत में हवालात में मौत हो गई, कितनी गम्भीर बात है पुलिस हिरासत में मृत्यु होना। बर्बर पिटाई होने से उसकी मृत्यु हो गई इसी तरह से राजू गुप्ता की मौत हुई इसको बताया गया कि सडक दुर्घटना में मौत हुई है जबकि पोस्ट मार्टम रिपार्ट बताती है उसकी धारदार हथियार से मौत हुई है। इसको सडक दुर्घटना में मौत मानना संदेह के घेरे में है। मान्यवर, कालीचरण की मौत हुई है उस गांव में पुलिस ने जाकर घरों के चौखट उखाड़ दिये बरतन चूल्हा तोड़ डाला महिलाये जो गहने पहने थी उसको लूट लिया गया और श्रीमन्, इस प्रकार से पुलिस ने हरकत की है जिससे गाँव के अन्दर भय की स्थिति पैदा हो गयी है। वहां के पुरूष और महिलाएं बाहर भागी हैं। मैं अनुरोध करूंगा और जानना चाहूँगा कि पुलिस के कौन से कर्तव्य के वहन में आता है कि किसी गाँव में जाकर घरों के किवाड़ को तोड़े, चौखट उखाड़ना, लूट करना और मारपीट करना यह कौन सा उनका उत्तरदायित्व है जिसकी मैं घोर निन्दा करता हूँ। अगर आज के जमाने मे पुलिस इस प्रकार की बर्बरता करे तो यह सहने योग्य नहीं है। श्रीमन् यह मौलिक सवाल है। पुलिस वाले जिस तरह से कानून अपने हाथ में लेकर घटना किये यह लज्जाजनक है और इस घटना में जो राजू की हत्या हुई और जो गांव मे घटना की, लोगों को नामजद कर दिया और गिरफ्तारी शुरू कर दी यह निन्दनीय है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गांव वालों के साथ लूट हुई, लोगों को चोटें आयीं, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, उनकी बेइज्जती की गयी, गांव वालों के बरतन तोड़ दिये, किवाड़ तोड़ दिये तो इसकी रिपोर्ट थाने में होनी आवश्यक है और जो हवालात में कालीचरण की मौत हुई उसकी रिपोर्ट होनी आवश्यक है।

जो राजू की हत्या हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया है कि धारदार हथियार के कारण हुई लेकिन पुलिप का कहना है कि सड़क दुर्घटना में हुई, उनके घर वालों का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने उनकी हत्या की। यह कहा गया कि डकैतों से मुठभेड़ में उनको छर्रे लगे तो इसकी पूरी जानकारी की जाय। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में सी0आई0डी0 से जांच करायी जाय। गांव में जो लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है उसे रोका जाय। गांव के जो लोग भागे हुए हैं उनको गांव आने दें ताकि शांति और सद्भाव का माहौल पैदा हो और जिन पुलिस वालों ने इस तरह की स्थिति पैदा की है उनको निलम्बित किया जाय और स्थानान्तरित किया जाय। यह अवश्यम्भावी है कि पुलिस जिस प्रकार से बर्बर रूप से नागरिकों का उत्पीड़न कर रही है तो उसे रोका जाना चाहिए पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी चाहिए। यह अति लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न है इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया। घटना को एंजीकृत करके उसमें कार्यवाही करायी जाय तो शिकायत यह होती है कि कार्यवाही नहीं हो रही है और अगर कार्यवाही की जाती है तो यह होता है कि कार्यवाही क्यों हो रही है। सारे तथ्यों को देख लिया जायेगा और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जाँच निष्पक्ष होगी किसी निरपराध व्यक्ति को सताया नहीं जायेगा और लोगों को बख्शा नहीं जायेगा जो दोषी हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आज एक लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, कानपुर का दंगा 16-3 को हुआ। आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके सहयोगी संगठन बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, 5-3 को दिल्ली में सारे आम कुरान को जलाया गया और उनकी पंक्तियों को जलाकर माहौल को खराब किया गया। जब यह घटना कानपुर के अखबारों में छपी तो वहां अकलियत के लोगों ने काफी बड़ी

बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मान्यवर, अफसोसजनक बात यह है कि उस रोज पार्टी विशेष के लोग अपना धरना दिये थे और प्रधानमंत्री का पुतला जलाने गये थे। मान्यवर, बेकनगंज और बजरिया की पुलिस ने जबर्दस्ती वहां पर फायरिंग की और निर्दोष लोगों को गोली से मारा। मान्यवर, यह कोई हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था यह मजम्मा था पुलिस का वहां अक्लियत और मुस्लिम भाइयों के साथ जो वहां पर कार्यवाही की गयी वह किसी तरह से माफ नहीं की जा सकती। उन निर्दोष लोगों पर गोली चलायी गयी उनके घर दुकानों को वहां पर लूटा गया माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गये थे कानपुर में वहां पर आश्वासन भी दिया था कि त्वरित कार्यवाही होगी और उच्चस्तरीय जांच होगी। मान्यवर, आज जो दुकानें लूटी गयीं उसमें मान्यवर, पी0ए0सी0 के लोग का हाथ था जांच में यह बात साबित हुई। मजिस्ट्रेटियल जांच हुई पी0ए0सी0 के लोगो को निलम्बित किया गया। जब वहां रैपिड एक्शन फोर्स गयी तब दंगा कंट्रोल हुआ। वहां के डी0एम0 और एस0एस0पी0 का ट्रांसफर हुआ तो प्राइमाफेशी यह मान लिया गया कि उन लोगों की गलती थी मान्यवर, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है मान्यवर, उन तमाम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उसमें कई हिन्दू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं वह दर-दर भटक रहे हैं और निर्दोष लोगों को फँसाने का काम यह सरकार कर रही है मान्यवर, एक प्रतिनिधि मण्डल हमारे नेतृत्व में राज्यपाल जी को मिला था उन्होंने राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जो ऐलान किया था उसको पूरा कराया जाये। मान्यवर, वहां एक मोहम्मद सुलेमान नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको एन0एस0ए0 में निरूद्ध किया गया कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी एन0एस0ए0 में निरूद्ध करने का कोई कारण नहीं है। मान्यवर, इससे पहले उनके ऊपर एक भी मुकदमा कहीं कायम नहीं है एक भी एफ0आई0आर0 वहां नहीं है। मान्यवर, वे पीस कमेटी के 25 साल से मेम्बर थे लेक्चरर इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं। प्रिंसिपल हैं इण्टर कालेज के और मेम्बर हैं मिली काउंसिल के और सेंट्रल ला बोर्ड के मेम्बर हैं तो मान्यवर, इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों के साथ इस तरह की कार्यवाही करके यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है हम चाहते हैं कि वहां अमन कायम हो शान्ति हो लेकिन अगर सरकार ने सी0बी0आई0 इन्क्वायरी नहीं करायी जिससे यह पता चल सकता कि वहां के ए0डी0एम0 प्रशासन, पाठक की मौत कैसे हुई यह आज तक सरकार ने नहीं बताया कि गोली से हत्या हुई। इस मामले का पर्दाफाश हो सी0बी0आई0 से जांच कराकर ही इस मामले में सही तहकीकात हो पायेगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, कानपुर का यह दंगा प्रदेश के लिए चिन्ता और कलंक का विषय है इस तरह के दंगों को एवायड किया जा सकता था। मान्यवर, वहां का दंगा कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं था हिन्दू मुसलमान के बीच कोई दंगा नहीं था, प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण यह परिस्थितियां बनीं और कानपुर में यह भीषण कांड हुआ। मान्यवर, 16 और 18 मार्च को पुलिस और पी0ए0सी0 ने बर्बर लाठीचार्ज करके लोगों को हलाक किया कितने बेगुनाह बर्बाद हुए, कानपुर की अफरातफरी पूरे प्रदेश में बनी रही जिससे आप भी अवगत हैं कई दिनों तक कर्फ्यू वहां रहा जो वहां स्थितियां नहीं वह किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, यह स्वयं सिद्ध है कि सरकार की नीयत में खोट रहा है जिसके कारण वहां के अक्लियतों के मन में यह संदेह रहा कि शासन उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। वहां पी0ए0सी0 और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लूटपाट होती रही लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई। वहां के लोगों ने दंगा शांत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से, महामहिम राज्यपाल जी से और कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी पीड़ा को कहा और मांग की कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय, प्रशासन और पुलिस के लोग जो दंगा भड़काने में शामिल थे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई उल्टे निर्दोष लोगों को फंसाने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो लेकिन सरकार की बदनीयती से अमनचैन कायम नहीं हो सकता है।

इस प्रदेश में शांति और सम्प्रदायिक तनाव पैदा करके सत्ता में आने की रणनीति बनाती हो वह अमन कैसे ला सकती है? मान्यवर, यदि सरकार की नीयत में खोट नहीं होता तो कानपुर के अक्लियतों में यह अविश्वास पैदा नहीं होता। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मान्यवर, आने वाले विधान सभा के चुनाव सन्निकट हैं इसलिए सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जगह जगह यह दंगा करा रही है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है मैं चाहता हूँ कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। और आप सरकार को निर्देश दें कि निर्दोष अक्लियत के लोगों के उत्पीड़न को रोका जाय और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इससे पूर्व मैं कुछ इस विषय पर कहूँ, मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊँगा अगर जो मेरे मन में है वह न कह पाऊँ। मान्यवर, यह अविलम्बनीय है क्योंकि मार्च 2001 को यह हुआ था यह विषय अविलम्बनीय है क्योंकि इस विषय पर तीन चार चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, मेरे जैसा कोई साधारण सदस्य इसको उठाता तो इसका महत्व उतना नहीं होता लेकिन दो विद्वान सदस्य हैं जिनको नियमों का ज्ञान है। इनके सामने खड़े होकर, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नियमावली को बतायें। जब वह कहेंगे कि अविलम्बनीय है तो मेरे जैसे सदस्य कहेंगे कि अविलम्बनीय तो है ही। मान्यवर, एक बात बड़ी अच्छी लगी माननीय रेवती रमण जी को उन्होंने कहा कि हम तो शांति चाहते हैं। अगर आप शांति चाहोगे तो प्रदेश में शांति होगी ही। मान्यवर, यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसका श्रेय इस प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, इतनी बड़ी साजिश के बावजूद, इतने लोग लगे थे आग भड़काने दिया और उसको नियंत्रित कर लिया। अब आपकी मुश्किल यह है कि आप प्रदेश में आग क्यों नहीं लगा सके। तो मान्यवर, यह सम्भव नहीं होगा जब तक यह सरकार बैठी है।

मान्यवर, यह घटना को रोकने का काम किया गया। घटना को रोकने के बाद में जिन लोगों का हाथ इसमें जांच करने के बाद आया उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम किया गया उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया और वह प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त दुरूस्त कर दी गयी ताकि आगे ऐसा न हो। क्योंकि जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 को दिया गया इसलिए प्रथम दृष्टया उनका दोष साबित हो गया। मान्यवर, यह तो प्रशासनिक कार्य होता है जिसे सरकार करती है कौन व्यक्ति कहां उपयुक्त है इसको देखती है अगर कोई एक स्थान पर उपयुक्त नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आता है। मान्यवर, मुआवजे की बात कही गयी तो मैं बताना चाहता हूँ कि दंगे में भाग न लेने वाले निर्दोष मृतक के आश्रितों को 2 लाख रूपये की सहायता दी गयी तथा तोड़फोड़ और आगजनी से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह धनराशि के रूप में, कच्चे मकान एवं गुमटी पूर्णतया नष्ट हो जाने पर अधिकतम 12,500/- तथा पक्के मकान, दुकान पूर्णतया नष्ट हो जाने पर अधिकतम 50,000 रू0 की धनराशि उपलब्ध करायी। यह तो दुःख की बात है कि हमारे एक बहुत अच्छे अधिकारी ने, जिसका पूरा भविष्य पड़ा था, अपने प्राणों का बलिदान वहां पर किया, आपको उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उसके परिवार के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अब सरकार के सामने जब यह बात आई, तो 5 लाख की धनराशि सी0बी0 पाठक, अपर जिलाधिकारी की पत्नी को, और उनकी दोनों पुत्रियों के नाम से 2-2 लाख की एफ0डी0 करवाई गयी। जो उनका अर्दली उस समय उनके साथ था, उसको प्रोत्साहन स्वरूप 25 हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। मान्यवर, हमारा प्रयास है कि हम कानपुर में सामाजिक समरसता स्थापित करें, इसीलिए एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी और इसी का परिणाम है। बस आपकी कृपा इतनी हो जाय कि प्रदेश के हित में, समाज के हित में और केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज को तोड़ने का काम न करें। बस यही मुझे कहना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इतिहास साक्षी है, इस बात का कि चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे यहां की सरकार हो, यह धार्मिक उन्माद फैला कर ही गद्दी पर बैठे है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

जब माननीय मंत्री जी कह रहे थे, तब आपने उनको नहीं रोका। [x x x x] एक ए0डी0एम0 मार दिया गया और 5 लाख रूपये देकर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया आप ऐसे ही लोगों को मरवाना चाहते हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले की सी0बी0आई0 इन्क्वायरी करवा दें। पाठक कैसे मारा गया, किसकी गोली से मारा गया, पता चल जाय।

श्री हुकुम सिंह-

यह विषय जांच का है, इन्वेस्टीगेशन चल रहा है उससे पहले कोई बात कहलाकर आप जांच को प्रभावित कराना चाहते हैं तो ठीक नहीं होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह एकदम भ्रामक है और प्रदेश में एक गलत संदेश दिया है, यह सी0बी0आई0 से जॉच नहीं कराना चाहते हैं, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक अहम घटना को उठाने का यहां मौका दिया। मेरठ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्राओं के द्वारा धरना दिया जा रहा था, दो मेधावी छात्राओं ने उसमें भाग नहीं लिया, इससे क्रुद्ध होकर उन सभी छात्राओं ने हास्टल मेस में एक बैठक की और बैठक करने के बाद अगले दिन दोपहर प्रभाते नाम की एक छात्रा को धमकाया और दूसरे का नाम लेकर यह कहा कि तुमको भी देखेंगे। इस पर उस छात्रा ने स्नेहलता नाम की अपनी होस्टल की असिस्टेंट वार्डेन को यह बात बताई और कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और असिस्टेंट वार्डेन ने उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। दिनांक 18/19 की रात में उस छात्रा के कमरे में 30-35 लड़कियां जबरन घुस आई और अदालत लगाकर कई घंटे तक उसको चांटों से मारती रही, 3 बजे रात में वह लड़कियां उसके कमरे से बाहर निकलीं और उससे कहा कि अगर इसकी शिकायत किसी से की तो इसका अन्जाम भुगतना पड़ेगा।

रात को उस लड़की ने बाहर झांककर देखा किसी को न पाकर और फिर उसके बाद वह चादर ओढ़कर अपने रिश्तेदार के घर पहुँची, सुबह गार्जियन के कहने पर उसने वाइस चांसलर को इस घटना की जानकारी दी, उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बना दी। जब वाइस चांसलर से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे की चांटे-वांटे मार दिया होगा। उसके बाद बी0एस0 राणा, डीन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी, उन्होंने जांच प्रारम्भ की और 20 लड़कियों के एक तरफा बयान लिये। जो छात्रा पिटी थी, उससे पूछा कि तुम अपना कोई गवाह लाई तो उसने कहा कि रात को मैं कमरे में अकेली पिट रही थी, मैं गवाह कहां से लाऊं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर कोई गवाह नहीं है तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जायेगी। मान्यवर, मैं केवल एक सेन्टेंस आपके सामने कोड करना चाहता हूँ वह कह रही थी "प्लीज मुझे मत मारो दीदी, मैंने क्या किया"। मान्यवर, उस छात्रा को वाइस चांसलर द्वारा संरक्षण नहीं मिल रहा है, वाइस चांसलर द्वारा संरक्षण न देना बल्कि यह कहना कि हास्टल छोड़कर चली जाओ और वार्डन द्वारा यह कहना कि आप हास्टल छोड़कर चली जायें। जो फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर न बैठना चाहे तो उसे मारा जायेगा? मान्यवर, जिस बात को मैंने

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विशेष उल्लेख के जरिये उठाया है, मैं मांग करता हूँ कि घटना की कम से कम मजिस्टीरियल इन्क्वारी करायी जाये ताकि पीड़ित छात्रा को न्याय मिल सके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने विशेष उल्लेख के रूप में यह विषय उठाया है और उस छात्रा के बारे में कहा है कि उसकी पिटाई हुई है। उसके प्रति हमारी भी सहानुभूति है, आपने जो जानकारी दी, आपने भी किसी जानकारी के बाद ही कहा होगा लेकिन उसके लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। मैं बाजपेयी जो से आग्रह करूँगा कि उस छात्रा का एक प्रार्थना पत्र एफीडेविट के साथ दिलवा दें तो हम ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से जाँच करा लेंगे।

संसद द्वारा पारित सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "चूँकि भारत का संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बन्धुता उल्लिखित की गयी है,

और चूँकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 47 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से सम्बन्धित है और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, यह व्यवस्था है कि राज्य, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा,

और चूँकि सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा प्रदेश के कई हिस्सों में अभी तक व्याप्त है,

और चूँकि नगरपालिका विधियों में यद्यपि शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण को प्रतिसिद्ध करने सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे उक्त कुप्रथा को पूर्णत: समाप्त किया जा सके।

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यो के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके सम्बन्ध में संसद को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तद्नुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा जो तत्पश्चात् अपने विधान मण्डल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है,

और चूँकि संसद द्वारा कतिपय राज्यों के लिए उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संसद द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 पारित किया गया है जिसके द्वारा शुष्क शौचालयों की सफाई हेतु कर्मचारियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों के विनिर्माण और उन्हें बनाये रखने को प्रतिसिद्ध किया गया है,

और चूँकि यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनायी गयी उक्त विधि को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाये,

अत: भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सदन इस संकल्प द्वारा संसद पारित सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने हेतु अंगीकार करता है"।

मान्यवर, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ही पुनीत संकल्प है। सम्मानित सदन इसको स्वीकार करेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि चूँकि भारत का संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बन्धुता उल्लिखित की गयी है,और चूँकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 47 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से सम्बन्धित है और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, यह व्यवस्था है कि राज्य, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और चूँकि सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा प्रदेश के कई हिस्सों में अभी तक व्याप्त है, और चूँकि नगरपालिका विधियों में यद्यपि शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और शुष्क शौचालयों के निर्माण को प्रतिसिद्ध करने सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे उक्त कुप्रथा को पूर्णत: समाप्त किया जा सके।

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में यह व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके सम्बन्ध में संसद को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तद्नुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा जो तत्पश्चात् अपने विधान मण्डल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है, और चूँकि संसद द्वारा कतिपय राज्यों के लिए उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 152 के खण्ड (1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संसद द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 पारित किया गया है जिसके द्वारा शुष्क शौचालयों की सफाई हेतु कर्मचारियों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों के विनिर्माण और उन्हें बनाये रखने को प्रतिसिद्ध किया गया है, और चूँकि यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनायी गयी उक्त विधि को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाये, अत: भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सदन इस संकल्प द्वारा संसद द्वारा पारित सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने हेतु अंगीकार करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-1

आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01- आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 20,22,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन् प्रदेश में विकास कार्यों के लिए संसाधनों की नितान्त आवश्यकता होती है। प्रदेश का आबकारी विभाग प्रदेश के संसाधनों को जुटाने में सतत् प्रयत्नशील है, संलग्न है। राजस्व की दृष्टि से आबकारी विभाग ऐसा विभाग है जो प्रदेश में दूसरे नम्बर पर प्रदेश के संसाधनों को इकट्ठा करता है और उसके राजस्व एकत्र करने से विकास के कार्यों को गति प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के मुकाबले 2001-2002 में 270

करोड़ रूपये का राजस्व अधिक अर्जित किया गया। वर्ष 2001-2002 में इस राजस्व को और अधिक बढ़ाये जाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। 9 नवम्बर को उत्तरांचल प्रदेश से अलग हो गया जिसका भी असर प्रदेश में राजस्व अर्जन पर पड़ा है। आबकारी विभाग ने दो हजार दो सौ निन्यानबे करोड़, इक्यावन लाख रूपये राजस्व के रूप में आबकारी विभाग से प्राप्त किया है। मैं यह विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि पिछले चार वर्षों में आबकारी के राजस्व में वृद्धि हुई है और राजस्व के रूप में आबकारी विभाग को 1997-98 में जब हमारे पास आया था उस समय 1324.12 करोड़ रूपये राजस्व मिलता था, जो चार वर्षों में बढ़कर 2232 करोड़ रुपये राजस्व मिलता था, जो चार वर्षो में 908 करोड़ रुपये की धनराशि में वृद्धि हुई है। यह आबकारी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो आबकारी विभाग का बजट रखा गया है यह पूर्ण बजट आयोजनेतर पक्ष में है। 2001-2002 में अनुपूरक बजट शामिल करते हुए 2696.44 लाख रूपये का बजट है। यह धनराशि मतदेय पर है। भारित पक्ष में केवल 10 हजार रूपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग ऐसा विभाग है जो एक बड़ी मात्रा में राजस्व अर्जन करता है इसको देखते हुए इसका व्यय अत्यन्त ही सीमित है, एक परसेन्ट से कम हमारा व्यय है जब कि दो हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि हम राजस्व के रूप में अर्जित कर रहे है। देश में यह पहला विभाग है जो सबसे कम खर्च पर इतना अधिक राजस्व अर्जित करता है। इस वर्ष प्रदेश मे कुछ नयी आबकारी नीतियाँ लागू की गयी है और नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए इन व्यवस्थाओं को दिया गया है। पहले चरण में शीरा नीति में, दूसरे चरण में अल्कोहल नीति में और तीसरे चरण में 90 वर्ष पुरानी जो शराब की दुकानों की ठेकेदारी की प्रथा चली आ रही थी उसको हमने समाप्त करके लाइसेन्स के आधार पर शराब की दुकान देने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गयी है। गन्ना का सह उत्पादन शीरा है जिससे अल्कोहल बनता है और उसका इस्तेमाल औद्योगिक रूप में किया जाता है और इस अल्कोहल से औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मान्यवर, 1999-2000 में 448 मिलियन लीटर औद्योगिक का उत्पादन हुआ है जो विगत वर्ष से 44 मिलियन लीटर अधिक है। जो अल्कोहल उत्पादन हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। गत वर्ष 308.97 मिलियन लीटर अल्कोहल उत्पादित हुआ जिसका 68.69 परसेन्ट औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में खपत हुआ। मान्यवर, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि गत वर्ष 95.65 मिलियन लीटर अल्कोहल का निर्यात उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया जो कि विगत वर्षो के मुकाबले 24 मिलियन लीटर अधिक है। इस अल्कोहल के निर्यात से हमने 15 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है। मान्यवर, आबकारी विभाग के भीतर कानून और नियमों की पाबंदियां थी, एक-एक बूंद यह शीरा बिना आबकारी आयुक्त के परमीधन के नहीं जा सकता था। परमिट लेकर अल्कोहल और शीरा ले जाया जा सकता था। हमने पिछले 4 वर्षो में शीरे और अल्कोहल दोनों पर मूल्य, वितरण पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया है और व्यवस्था सरल तथा पारदर्शी बनायी है। शीरा नीति के अन्तर्गत यह भी छूट दी है कि उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत अंश उत्पादक इकाईयां निर्यात कर सकती हैं और उसके लिए निर्यात की प्रक्रिया सरल की है। पहले आबकारी आयुक्त के जरिये उत्पादन ईकाइयों को परमिट लेना पड़ता था इन सिद्धांतों को समाप्त कर दिया है। पिछले वर्ष देशी मदिरा के लिए जो शीरा के आरक्षण की व्यवस्था रहती थी, पहली अप्रैल से शीरे पर देशी मदिरा के लिए जो आरक्षण था, उसको समाप्त कर दिया है और सभी ईकाइयाँ स्वतन्त्र है कि किसी भी चीनी मिल से शीरा लिया जा सकता है और आसवनिया देशी मदिरा की आपूर्ति कर सकती हैं।

अल्कोहल के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शीरे पर नियंत्रण था कि किस चीनी मिल से, किस आसवानी से अपना शीरा प्राप्त करेंगी, इसी प्रकार से जो आसवानी पर प्रतिबन्ध था कि अल्कोहल की आपूर्ति कहाँ पर करेगी उसके लिए आबकारी आयुक्त से परमिट लेनी पड़ती थी हमने उसे समाप्त कर दिया है। (इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए।) अब कोई चीनी मिल किसी

आसवानी को शीरा बेचने के लिए स्वतंत्र है और इसी प्रकार कोई भी आसवानी किसी औद्योगिक इकाई को उस सीमा तक जिस सीमा तक अल्कोहल बेचने के लिए लाइसेंस के अनुसार क्षमता प्रदान की गयी है, वह आसवानी अल्कोहल बेच सकती है। पिछले वर्षो औद्योगिक अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को हर साल नवीनीकरण के लिए आबकारी आयुक्त के पास जाना पड़ता था। हमने 5 वर्षो के लिए लाइसेंस नवीनीकरण कर दिया है जिससे अनावश्यक भाग-दौड़ से बचा जा सके। मान्यवर, इसी तरह से अग्रिम बाटलिंग फीस के समायोजन की प्रक्रिया हेतु आबकारी आयुक्त के पास अनुमति के लिए जाना पड़ता था उस प्रक्रिया को हमने समाप्त कर दिया है और स्थानीय स्तर पर प्रभार के संबंध में अब उप आबकारी आयुक्त को अधिकार दे दिया गया है। वह अपने स्तर से समायोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आसवानी की मरम्मत के लिए परमिशन लेने के लिए आबकारी आयुक्त के पास जाना पड़ता था हमने उसको समाप्त कर दिया है और छोटे-मोटे मरम्मत के लिए उप आबकारी आयुक्त की अनुमति से मरम्मत करायी जा सकती है। सबसे बड़ा उल्लेखनीय यह रहा है कि जो आबकारी ठेके की व्यवस्था थी, धीरे-धीरे दुरूह हो गयी थी, पूरे प्रदेश में गिने-चुने 12 लोगों का सिन्डीकेट हावी हो गया था बिना उनकी मर्जी के जनपद में कोई ठेके की बोली नहीं बोल पाता था इसी के कारण 1994 के वर्ष में लगभग 42 जनपदों के ठेके नहीं उठे और 28 जिलों में जो ऐटपार था, उससे माइनस पर ठेके दिये गये और कुल 28 करोड़ का राजस्व मिला तो यह शिकंजा कसा गया था और जिसके कारण राज्य सरकार कमजोर हो जाती थी और उनकी मनमाफिक शर्तो पर लाइसेंस देने पड़ते थे और कोई छोटा आदमी शराब की दुकान की मन में कल्पना नहीं कर सकता था, तो इस सरकार ने वह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी है। हमने दुकानों को लाइसेंस फीस के आधार पर आवंटित करने हेतु पूरे प्रदेश में आवंटन पत्र मांगे और उसके आधार पर लाट्री निकाल कर दुकानों की व्यवस्था करायी। मान्यवर, सबसे बड़ा काम तो यह किया गया है कि 2001-2002 में किसी नयी दुकान का सृजन नहीं किया जायगा। प्रदेश में जो अल्कोहल की खपत थी उसका जो कोटा था उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। हमने जो दूकानों का व्यवस्थापन कराया है उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि पहले जिस तरह से शराब सिंडीकेट के लोग दुकानों पर अपने मनमाने ढंग से शराब के दाम तय कर लेते थे और उपभोक्ता को मंहगे दामों पर शराब उपलब्ध होती थी और जिसकी चर्चा अनेकों बार यहां पर हो चुकी है तो और यह कहा गया कि बोतलों और पाउचों पर दाम अंकित होने चाहिये तो मान्यवर, हमने यह व्यवस्था की है कि शराब की बोतलों और पाउच पर शराब का अधिकतम मूल्य अंकित होगा उससे अधिक मूल्य पर शराब बेचना अपराध होगा। इससे गुणवत्ता की शराब उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी।

मान्यवर, इसी तरह से आप लोगों की शिकायत होती थी कि शराब की स्ट्रेंथ कम है तो हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि इन लोगों को जो शराब मिले वह ठीक मिले और यह ठीक प्रकार नशे में रहें। हमने इस बात की भी व्यवस्था की है कि किसी आवंटी को 2 से अधिक दूकानों का आवंटन न किया जाय जिससे कि एकाधिकार कायम न हो सके। यह जो नयी व्यवस्था बनायी है उसमें लाइसेंसिंग फीस का हिस्सा 15 प्रतिशत है और 85 फीसदी हिस्सा उपभोग के ऊपर रखा है। जो शराब डिस्टलरियों से निकलती है वहां पर निर्धारित अभिकर भुगतान करके शराब निकाली जायगी जिससे एक ही प्वाइंट पर राजस्व वसूल किया जायगा। जैसा मैंने आपको बताया स्मगल और नाजायज शराब के संबंध में होलोग्राम की व्यवस्था की गयी है जिससे पता लगाया जा सकेगा कि शराब असली है या नहीं और वैध है या अवैध है। मान्यवर, पर्यावरण की दृष्टि से भी आबकारी विभाग ने प्रयास किया है। हमने यह व्यवस्था की है कि इस साल 30 फीसदी देशी शराब की आपूर्ति कांच की बोतलों में की जायगी। पाउच कमी व्यवस्था को हम चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं ताकि जो पर्यावरण की समस्या पालीथीन की वजह से है उसका समाधान किया जा सके। मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में हमने दुकानों की संख्या निर्धारित कर दी है इसमें वृद्धि नहीं करने जा रहें हैं। प्रदेश में 87028 दुकानें थी जिनमें 3078 दुकानें देशी मदिरा की थी और विदेशी मदिरा की 1941 दुकानें थी। इनमें से 1525 दुकानें चल रही थी

1638 दुकानें जो पिछले वर्ष चल रहीं थी उनमें से 1327 ही इस वर्ष चल रही हैं। इससे यह जाहिर होता है कि मदिरा की दुकानों में वृद्धि नहीं की गयी है। गतवर्ष जितने आउटलेट्स चल रहे थे उससे कम आउटलेट्स की व्यवस्था की गयी है। इससे यह साफ जाहिर है कि हम मद्यनिषेध के लिये प्रयत्नशील हैं। आबकारी विभाग को गतिशशील बनाने के विभाग में सुदृढ़ीकरण का प्रयाय किया गया है। हमने यह व्यवस्था की है कि सहायक आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारियों को मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाय और उसके लिये हमने चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस वर्ष नैनीताल एकेडमी में 2 चरणों में सहायक आबकारी आयुक्तों को 4 सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया गया हैं।

जिसमें उनको कम्प्यूटर के वर्तमान कानूनों का, शारीरिक दक्षता के विकास हेतु घुड़सवारी का शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग ने इस बात की चिन्ता की है कि समय से अधिकारियों की पदोन्नति हो जाए जिसमें वरिष्ठ सहायक आबकारी आयुक्तों के 28 उप आबकारी आयुक्त से संयुक्त आबकारी आयुक्त के 26 संयुक्त आबकारी आयुक्त से अपर आबकारी आयुक्त के लिए एक हेड कांस्टेबुल के लिए 32 लोगों को प्रोन्नति दी है। विभिन्न संवर्गो में और भी प्रोन्नति दी गई है। पिछले वर्ष आबकारी निरीक्षक के अनेक पद रिक्त हो गये थे उनको भरने का प्रयास किया है अच्छे और कुशल निरीक्षक हों इसलिए यह पद लोक सेवा आयोग को भेजा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 122 नए निरीक्षकों की भर्ती की जा चुकी है जिनका प्रशिक्षण के उपरान्त क्षेत्रों में तैनाती की जा चुकी है। नई नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को लिखा और उन्होंने चयन कर लिया है जल्दी ही इन निरीक्षकों को भी हम ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। आबकारी विभाग ऐसा विभाग है जिस विभाग में सूचना तकनीकी पर बल देने का प्रयास किया है। हमने गत वर्ष सभी मण्डलों में चित्रकूट मण्डल को छोड़कर सभी मण्डलों को कम्प्यूटर से जोड़ दिया।

आबकारी मुख्यालय का कम्प्यूटराइजेशन किया और इस साल हमारा प्रयास है कि जिला स्तर पर भी दो तीन चरणों में जिला स्तर तक कम्प्यूटर से जोड़ दें क्योंकि लगभग 22 सौ करोड़ के राजस्व का मामला है अद्यतन सूचनाएं प्राप्त हो सकें अद्यतन प्रदेश की जानकारी प्राप्त हो सके इसलिए इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिला स्तर तक कम्प्यूटर से जोड़ दें। पहले चरण में 22 जनपदों को इस साल कम्प्यूटर से जोड़ने के लिए इस वित्तीय वर्ष में प्राविधान किया है। आबकारी विभाग की बेवसाइट प्रारम्भ की गई है। मुख्यालय में डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी हमने व्यवस्था कराई है इस बात की चिन्ता की है। अवैध मदिरा की स्मगलिंग को रोकने के लिए अधिकारियों को सक्षम बनाया जाय इसके लिए वाहनों की व्यवस्था की है। अभी पिछले महीने में 10 टाटा सूमो तीन डीजन जीप नई लेकर विभाग को प्रदान की है। इसी प्रकार से पिछले वर्ष एक योजना विगत वर्ष शुरु की गई थी आबकारी निरीक्षकों, आबकारी सिपाहियों को शस्त्र प्रदान करने की विभाग की ओर से पहले चरण में उस समय प्रदान किया गया था। दूसरे चरण के लिए इस साल व्यवस्था की है 50 रिवाल्वर आबकारी निरीक्षकों को प्रदान करेंगे इसके लिए 33.65 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। आबकारी विभाग के अन्तर्गत अद्यतन जानकारी हो, एल्कोहल से संबंधित शीरे से सम्बंधित उद्योगों के बारें में अद्यतन जानकारी हो इसलिए अध्ययन शोध कराए जाने के लिए 12 लाख 60 हजार रुपये का प्राविधान किया है।

विभाग निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि स्मगलिंग व अवैध मदिरा रुके। पिछले वर्ष हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भीतर प्रवर्तन अभियान चलाए जिसमें 64 हजार 110 मामले पकड़े गए जिसके अन्तर्गत 8.87 लाख ली0 अवैध शराब पकड़ी गई। भांग 9 हजार 6 किलो पकड़ी गई गांजा 183 कि0 बरामद हुआ। चार हमने विशेष अभियान चलाए। इसके साथ ही स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमने विशेष अभियान चलाए। इस साल भी हमने अभियान प्रारम्भ किया है अप्रैल महीने में 91 हजार 985 ली0 अवैध शराब पकड़ी गई। हमारा यह प्रयास है कि अवैध मदिरा की तस्करी रूके। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए विभाग को निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ आवागमन होता है विशेषकर जहाँ कई जनपद व प्रदेश मिलते हैं उन प्रमुख स्थानों को

चिन्हित करके वहां चौकियां स्थापित की जायं। सचल दल स्थापित किया जाय। श्रीमन् हमने सबको प्रोत्साहित किया। मद्य निषेद की भावना को देखते हुए संगम क्षेत्र से एक किलोमीटर के भीतर मद्य निषेद्य प्रभावित किया जिससे वहाँ की पवित्रता बनी रहे। हमारा प्रयास रहा है पर्यटन के प्रोत्साहन की दृष्टि से। प्रदेश के अंदर बार लाइसेंस चलते थे अब नई व्यवस्था के तहत शराब की कीमतें बढ़ती इसलिए एक से डाई लाख तक की कमी बार लाइसेंस में की है। सेना की ओर से यह बात आयी नई व्यवस्था के चलते शराब मँहगी हो गई है जवान बर्फीले इलाके में रहते हैं उन्हें रम की आवश्यकता पड़ती है तो हमने आम जनता की तुलना में सेना को 40 प्रतिशत रम की बोतलो में और विस्की ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी है। पिछले वर्षों में जो एसएस फीस लगती थी समाप्त कर दी गई है। इतने बड़े परिवर्तन से प्रदेश में एल्कोहल और शिरे पर आधारित पूँजी निवेश की संभावनायें बढ़ गई है पूँजीपति अब प्रदेश में पूजी निवेश करना चाहते हैं। इस नई नीति के परिणाम स्वरूप पिछले वर्षो में औद्योंगिक विकास को गति मिली है। तीन कम्पनियों ने प्रदेश के भीतर एल्कोहल लगाये जाने के लाइसेंस लिए जिसमें नीवी उलील लिमिटेड मऊ ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया, तिकोला शुगर और बिजनौर की कम्पनी में एल्कोहल के लिए लाइसेंस माँगा है उन्हें स्वीकृत कर दिया गया।

गौतमबुद्ध नगर में मानवदूरी लग रही है वहाँ जौ अधिक पैदा होता है अब उनको इस फसल का अच्छा दाम मिलेगा किसानों को वैकल्पिक फसल उपलब्ध हो रही है। सदन में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया आलू के संकट को देखते हुए कि आलू पर आधारित एल्कोहल की इकाई लगनी चाहिए। हमने प्रयास किया है मुझे विश्वास है इस दिशा में प्रदेश को औद्योगिक गति मिलने वाली है। प्रदेश के भीतर चलने वाली औद्योगिक इकाइयों ने काम बढ़ाये जाने की बात की तो बलरामपुर और केसर इंटरप्राइजेज की क्षमता में वृद्धि हुई है। विदेशी पूँजीपति भी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुये हैं। गोण्डा जनपद नवाबगंज में अमेरिका की यूरिज कम्पनी में वर्तमान प्रबन्धकों के साथ मिलकर पूँजी निवेश का निर्णय लिया है। संभावना है कि उनकी ओर से 40 करोड़ का पूँजी निवेश आयेगा। सिर्फ मदिरा पिलाना ही आबकारी विभाग का काम नहीं है बल्कि पिछले वर्षो में प्रयास के बाद शीरे की खपत शुरु हुई है। पहले एक मात्र शीरे की खपत पेय मदिरा में होती थी लेकिन अब धीरे-धीरे वह रासायनिक उद्योगो की ओर जा रहा है अनेक प्रकार के कैमिकल इससे बनाये जा रहे हैं थिनर बनाया जा रहा है। श्रीमन्, उस दिशा में भी हमारी नई नीति ने आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मान्यवर, आबकारी विभाग प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ी रकम 2200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व अर्जित करेगा। इस नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि यह बजट सर्व सम्मति से पास हो जाय और किसी भी प्रकार का कटौती का प्रस्ताव न रखा जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 3 चीजों का उल्लेख किया है और क्रमवाइज इस पिछले चार वर्षो में उन्हें परिवर्तित करने की कोशिश की है। पहला तो मान्यवर शीरा नीति में परिवर्तन किया गया। शीरा नीति में मान्यवर, वर्तमान में हमारे प्रदेश में 119 चीनी मिले है। जिसका लक्ष्य 275 लाख क्विंटल उत्पादित होने का अनुमान है। 15 अप्रैल, 2001 तक 210 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ है उसमें से 128 क्विंटल खपत हो चुका है और 82 लाख क्विंटल आज भी स्टाक में शीरा है। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने इसमें परिवर्तन किया था तो बहुत जोर से अपनी पीठ थपथपाई थी कि इससे किसानों के गन्ने के मूल्य में वृद्धि होगी और किसानों को गन्ने का मूल्य समय पर मिलेगा। लेकिन मान्यवर, आज तो वर्षो बीत गये गन्ने का दाम सरकार ने 5 रुपये क्विंटल मात्र बढ़ाया और जो पांच रुपये बढ़ा हुआ मूल्य है गन्ने की कीमत का, वह आज

तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जो मूल उद्देश्य था शीरा नीति में परिवर्तन का, उसमें यह सरकार विफल रही है और 10 प्रतिशत शीरा प्रदेश के बाहर भी बेचने की बात आज भी माननीय मंत्री जी ने कही है। दो चीजें मुख्य रुप से, जो दोनों उद्देश्य थे, उसमें यह सरकार विफल रही। न तो गन्ने का दाम सही बढ़ा पाई और न ही किसान को गन्ने की कीमत समय से मिल पाई। इसके अलावा मान्यवर, प्रदेश में जो 5 कम्पनियां इस प्रदेश के 50 प्रतिशत शीरे की खपत करती थीं वह अब मृतप्राय: हैं। सोनैया आरगेनिक, वैम आरगैनिक गजरौला, धामपुर शूगर मिल्स धामपुर, विजयश्री मथुरा और ओसवाल कैमिकल शाहजहांपुर यह पाँच कम्पनियाँ 50 प्रतिशत शीरे की खपत कर रहीं थीं। इन पाँच में से तीन पूर्णतया बन्द हो चुकी हैं और 2 में 40 प्रतिशत उत्पादन बचा है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था उसका बाजार महाराष्ट्र में था। वहां पर शीरे से उत्पादित जो वस्तुएं हैं वह यहां से सस्ती मिल रही हैं। जैसे कि डब्लू0टी0ओ0 को केन्द्र सरकार ने मन्जूरी दे दी है तो वहां से जो सामान आयेगा वह महाराष्ट्र से और सस्ता आयेगा तो यहां का जो उद्योग है माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला है। मेरा कहना है कि उद्योग चौपट हो रहे हैं। शीरा नीति के बारे में 5 कम्पनियों का उल्लेख किया है। 50 प्रतिशत पूरे प्रदेश के शीरे की खपत कर रही थीं और बाकी कम्पनियां भी इसी कगार पर हैं। शीरा नीति के बारे में कहना है, इससे हमको कुछ उपलब्धि हुई है लेकिन यह शून्य के बराबर है। दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि अल्कोहल नीति में परिवर्तन किया है तो इस परिवर्तन से जो दशा है वह पहले भी थी और आज भी है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रटर-नोढडा, सिकन्दराबाद आदि जगहों पर इससे संबंधित इकाइयां पेन्ट, थिनर और अल्कोहल प्रयोग होने वाली जो दवाईयां बना रही थीं वह बन्द हो गई। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 18 करोड़ की इस प्रदेश में, अल्कोहल नीति से प्रभावित होकर, दो कम्पनियों ने लाइसेंस लेने की बात कही है। जबकि मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में पेन्ट, थिनर की कम्पनियां बन्द हो गई हैं, तीसरी बात जो बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में कही, वह है नई शराब नीति, इसमें मान्यवर, विड मनी से जो सरकार को आय होती थी पिछले वर्षो में, उसमें मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि 270 करोड़ रुपये की अधिक आय हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन मान्यवर, मंत्री जी द्वारा दिया गया जो स्लेबस है।

इसमें 182.63 करोड़ रुपया अधिक आय दर्शायी गई है तो आप 270 करोड़ को सही मानते हैं या जो आपके स्लेबस में पेज नंबर 20 पर दिया गया है उसको सही मानते हैं इसमें दिया गया है। 1999-2000 की अपेक्षा रु0 182.63 करोड़ दिया गया है। नई शराब नीति में यह सही है कि आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, विड मनी को समाप्त करके लाइसेंस प्रथा लागू की गई है जो हमारे प्रदेश में इस समय में, तीन डिस्टलरी तो उत्तराखंड में चली गई हैं 38 हमारे यहां काम कर रही हैं, दो डिस्टलरी गैर परम्परागत साधनों से शराब बना रही हैं। चालीस इस तरह से कार्यरत हैं इस नीति के तहत माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कई बार यह घोषणा की है कि हमने सिंडीकेट को तोड़ने के लिए कदम उठाए हैं। मान्यवर, सिंडीकेट को तोड़ने की बात बराबर माननीय मंत्री जी मा0 सदन में कहते रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हमने कामयाबी भी हासिल की है। मान्यवर, दो मार्च का राष्ट्रीय सहारा है-- जिसमें नई आबकारी नीति से प्रदेश को दो अरब का नुकसान यह निकला है साथ ही माननीय मंत्री जी ने 19 मार्च को कहा है कि विदेशी शराब की दुकानों में सिंडीकेट, शराब सिंडीकेट ने राजस्थान में लगभग 100 करोड़ का घाटा दिया है वही सिंडीकेट उत्तर प्रदेश में कराने की तैयारी में है। राज्य सरकार के पहले से सचेत होने के कारण उन्हें कामयाबी, सफलता नहीं मिली मान्यवर, यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह नीति सिंडीकेट के डर से बनायी गयी है या फिर राजस्थान के सौ करोड़ के घाटे से डर गये, इसमें कौन सी सही है जब जवाब दे तो इसको बतायें। मान्यवर, देशी शराब में सादी और मसालेदार दो तरह की शराब हमारे प्रदेश में बिकती है। सादा में 36/- रूपया प्रति बल्क लीटर और मसालेदार में 60/- रूपया प्रति बल्क लीटर की ड्यूटी लगायी है। मान्यवर, जो अब से पहले डिस्ट्रीलरी में विदेश शराब की ड्यूटी थी वह 48/- रूपया प्रति एल्कोहल लीटर थी यानि एक केस में 3.85 एल्कोहल प्रति लीटर कन्ज्यूम होता है, 184/-

रूपया मात्र ड्यूटी थी जिसे बढ़ाकर 840/- रूपये से लेकर 3600/- रूपया तक कर दी है। यह ड्यूटी 12/- रूपये मूल्य पर 70/- रूपया प्रति बोतल है, 13 से 20 पर 81/- रूपया, 21 से 39 पर 105/- रूपया, 36 से 55 पर 120/- रूपया, 56 से 75 पर 150/- रूपया 76 से 150 रूपया मूल्य पर 180/- रूपया तथा 151 से 250 की कीमत पर 240/- रूपया प्रति बोतल की ड्यूटी है और 250 से अधिक की कीमत पर 300/- रूपया प्रति बोतल ड्यूटी लगायी है। तो यह सिंडीकेट से हटाकर 38, 40 डिस्ट्रीलरी को जिम्मेदारी दे दी है।

जो काम सिंडीकेट करते थे वह अब 38, 40 मिलकर इस प्रदेश को लूटकर खायेंगी और ड्यूटी और लाइसेंस फीस जिससे 270 करोड़ प्रदेश सरकार को आय होनी है, मेरी आशंका है कि 2000-2001 के राजस्व को न प्राप्त कर सकें, वहां न पहुँच पायें। इसके अलावा 2001-2002 में जो बियर माइल्ड हैं उसमें 12/- रूपया और जो स्ट्रांग बीयर हैं उसमें 22/- रूपया प्रति बोतल है। यह ड्यूटी पिछले वर्ष से डेढ़ गुनी है। यह पिछले वर्ष साढ़े सात और पन्द्रह रूपया थी। लाइसेंस फीस भी एक लाख रूपया प्रति दुकान ली गयी है। इसके साथ इस नीति के चलते देशी मदिरा की 8728 दुकानें हैं जिनमे से आज तक 8049 दुकानें खोली गयीं याति 689 दुकानें आज तक, मई के महीने तक, नहीं खोली गयीं हैं। विदेशी मदिरा की 1941 दुकानें हैं जिनमें से 1525 दुकानें खोली गयीं 416 शेष हैं। मान्यवर, बीयर की दुकानों की संख्या 1648 हैं जिसमें से 1322 दुकानें खोली गयी हैं और 326 खोली जानी शेष हैं। मान्यवर, यह तो मैंने दुकानों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया है। वर्ष 2000-2001 में मान्यवर 1840.91 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है जो 11 प्रतिशत अधिक है पिछले वर्ष से। अभी माननीय मंत्री जी नें एक उदाहरण दिया कि मैंने वो दिन भी देखे हैं 1994 में जब ठेके नहीं उठे थे, 28 जिलों में बोली नहीं हो पायी थी, सिन्डिकेट के चलते। मैं आपका ध्यान 1994 की तरफ ले जाना चाहता हूँ मान्यवर 1994-95 में, 1993-94 की अपेक्षा 23.89 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई थी राजस्व में। मान्यवर, 1993-94 में 1296.48 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ 94-95 में 1606 करोड़ से ऊपर प्राप्त हुआ जो 93-94 के मुकाबले आपका 309.81 करोड़ रू0 अधिक था। यह बात भी मैं नहीं मानें सकता कि 1994 में एक दिन ठेके में विलम्ब हुआ होगा राजस्व बढ़ाने के लिए दबाव आपने बढ़ाया हो लेकिन रिजल्ट 23 प्रतिशत था आज आपका रिजल्ट 11 प्रतिशत है जिसमें माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष की बाबत यहां बता रहे थे।

मान्यवर, इसी तरह माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि 40 प्रतिशत दुकानें सिंडिकेट के पास हैं यह 19 मार्च के सहारा समाचार पत्र में माननीय मंत्री जी का बयान आया है कि हम 60 प्रतिशत दुकानों पर 4 हजार नये व्यवसायियों को दुकान दे पाये हैं 40 प्रतिशत दुकानें सिण्डिकेट के पास हैं। मेरा मानना है कि आज भी प्रदेश में सिंडिकेट का पूरा दबदबा है। जिले की जो भी महत्वपूर्ण दुकानें थीं उसके लिये चाहे जो भी करना पड़ा सिंडिकेट ने वह दुकानें हासिल की लाटरियों में, मान्यवर धांधली हुई और किसी न किसी रूप में आज भी सिंडिकेट इस नीति के ऊपर हावी है। गांवों की जो दूर दराज की घाटे की दुकानें हैं वह सिंडिकेट ने छोड़ दी, वहां उनमें नये व्यवसायी आ गये। जो मेन चौराहे की अच्छी दुकाने हैं वह अधिकांश सिंडिकेट के पास हैं। सिंडिकेट का कहना है कि जो पैसा हम अफसरों को या सरकार को किसी न किसी रूप में देते थे हम उस पैसे को इसी पर खर्च करेंगे। जो पाउच 20 रू0 में बिकना चाहिए था जो सिंडिकेट की जिले में एक भी है वहां वह 15 रू0 में बिक रहा है जो नये व्यवसायी हैं उसको 15 रू0 में वह मिल भी नहीं पा रहा है, लोग वहीं से खरीद रहे हैं नया व्यवसायी बैठा देख रहा है आबकारी विभाग आज भी सिंडिकेट के शिकंजे में हैं। नये व्यवसायी को जिस तरह चाहे परेशान करा देते हैं माल उसे नहीं मिला या दुकान बंद करा दी, किसी का स्पाट चेंज करा दिया। आबकारी निरीक्षक ने कह दिया कि आपने यहां दुकान गलत खोल दी है बंद कर दीजिये, पैसा ले रहे हैं और दुकान सील कर रखी है ऐसी बहुत सी घटनाये मेरी जानकारी में हैं। आपने सिंडिकेट को बिलकुल समाप्त कर दिया है उन पर आपने नियंत्रण कर लिया है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अप्रैल माह में जो देशी शराब की ड्यूटी है वह ठीक आयी है विदेशी शराब का अप्रैल माह का औसत भी अच्छा नहीं है। जबकि अप्रैल में अधिक आने की

उम्मीद इसलिए थी मान्यवर, एक अप्रैल को पूरे प्रदेश में किसी भी दुकानदार के पास कुछ भी नहीं था। सरकार ने होलोग्राम की नीति लागू कर दी। पिछली शराब औने पौने दामों में ठेकेदारों ने बेच ली थी। एक अप्रैल से हर दुकानदार को स्टाक भरना था लोगों ने अपने घर से पैसा लगाया, दुकान में माल भरा ड्यूटी आई लेकिन विदेशी शराब में वह भी अपेक्षित नहीं थी, देशी शराब में अच्छी रही। अगले दो एक माह बीतने को हैं तो सरकार को पता चलेगा कि ड्यूटी घट रही है जो इनके आंकड़े थे वह एक कहावत है कि कोई व्यापारी यमुना में से निकल रहा था बच्चों को लेकर और उसने कागज पर नोट कर लिया कि इतने फिट चले तो इतना पानी और इतने फिट चले तो इतना पानी था और जब व्यापारी वापिस लौटा तो पीछे बारिश हो गयी थी तो यमुना में पानी आ गया था। उसने वापिस लौटते समय बच्चों को यमुना में छोड़ दिया कि इतने फिट पर इतना पानी। तो वह दो फिट आगे बढ़े और बच्चे बह गये। तो मल्लाह आये सेंठ जी से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने कहा चलिये देखूँ यूँ तो कुनबा बह गया क्यों।

मान्यवर, यह शराब नीति ऐसी बहेगी जैसे उसके बच्चों को कोई रोक नहीं पाया। मान्यवर, शराब नीति में प्रतिबन्ध है कि किसी भी मंदिर-मस्जिद, स्कूल के अगल बगल दुकान नहीं खोली जायेगी लेकिन इस नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गयी हैं और अधिकांश जगहों पर शहरों में स्कूलों और स्कूल भी लड़कियों के स्कूल के पास, दुकानें खुल गयी हैं। न मंदिर का मानक रहा न मस्जिद का, दुकानें खोल दी गयी हैं इसमें इस नीति की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई गयी हैं। अभी मान्यवर, कल ही 29 मई को स्वर्गीय चौधरी साहब की पुण्य तिथि थी। हमारे नेता सदन, हमारे जनपद गाजियाबाद में किसानों के बीच में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और उन्होंने पिछली सुबह चौधरी साहब की चौदहवीं पुण्य तिथि किसान दिवस के रूप में मनायी। मान्यवर, एक तरफ हम किसान दिवस के रूप में चौधरी साहब की पुण्य तिथि मना रहे हैं और वहीं आज 30 मई की आबकारी विभाग का बजट पेश कर रहे हैं जबकि चौधरी साहब कभी इस विभाग के पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने इसी माननीय सदन में 1970 में किसी माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि यह सारा प्रदेश धार्मिक स्थल है और हम समय रहते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। मान्यवर, नेता सदन किसान दिवस के रूप में चौधरी साहब की पुण्य तिथि मना रहे हैं और आज हम आबकारी का बजट पेश कर रहे हैं यह भी विरोधाभास है। मेरा कहना है कि मदिरा तो अपराधों की जड़ है। आज नेता सदन, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, रोज घोषणा करते हैं, रोज कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त कर ली है और हम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। लेकिन यह मदिरा का जोर कभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने देगा, यह मेरा दावा है। इसको भी प्रभावित कर रही है यह हमारी जो शराब नीति है इसने हमारी कानून व्यवस्था को चौपट कर रखा है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा है और बजट में दर्शाया है, विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2000-2001 में मात्र 59 दिखाई गयी है। जबकि मेरा यह मानना है कि विषाक्त शराब से मरने वालों की संख्या हजार से ऊपर रही होगी। ग्राम सैथली, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर में 3 दिनों के अन्दर 7 लोग मरे, इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ग्राम सादोपुर, तहसील दादरी में एक आदमी मरा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी पिछले दिनों जनपद मैनपुरी में किसनी विधान सभा क्षेत्र में होली के मौके पर विषाक्त शराब से 11 मौते हुई, उसका भी इसमें उल्लेख नहीं है। शराब तो वैसे ही जहरीली है, उसको और विषाक्त कर देते हैं। मेरा तो यह मानना है कि जब आप ड्यूटी ले रहे हैं, लाइसेंस फीस ले रहे है, दुकानें खुलवा रहे हैं, शराब विधिवत बिकवा रहे हैं तो फिर विषाक्त शराब पीने से जो लोग मर जाते हैं, उनको सरकार मुआवजा क्यों नहीं देती, उनके मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए। या तो मद्य निषेध की बात कर लें या शराब की बात कर लें।

अभी पिछले दिनों समाज कल्याण के साथ मद्य निषेध का बजट पास हो गया। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने ठेका और एक्साइज दोनों दबा रखे हैं। शराब बिकवा कर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं, राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो मौते हुई हैं, उनका मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। यदि आपके विभाग द्वारा बेची

गयी शराब पीकर कोई आदमी मर जाता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जैसे कि अन्य विभागों में मुआवजा देने की व्यवस्था है। उसी प्रकार इस विभाग में भी व्यवस्था होनी चाहिए। आबकारी विभाग भी लोगों को मुआवजा दे। वह तो माननीय मंत्री जी आप अपने जवाब में बतायेंगे कि आपने शराब की नई नीति सिंडिकेट तोड़ने के लिए लागू की या फिर राजस्थान का असर देखकर डर गये। मैं तो इस सम्बन्ध में यही कहना चाहूँगा चौखाने में आराम से पीने नहीं देती, बुजदिलों को यह दुनिया कभी जीने नहीं देती। इसी प्रकार आप आबकारी विभाग को चला रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश विश्व का नं0 एक का प्रान्त हैं और आपने बयान दे दिया कि राजस्थान में सिंडिकेट ने 100 करोड़ का घाटा दे दिया, आपने यह भी कहा कि हमने सिंडिकेट को बेकार कर दिया, उनके घरों में बर्तने भी नहीं रहे तो यह दोनों बातें कैसे चलेंगी। अगर आपको विभाग चलाना है तो फिर बहादुरी से चलायें। जो व्यक्ति 2-4 लोगों को शराब बांटने का काम करता है, उसे साकी कहते हैं और आप तो उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को शराब बांटने का काम कर रहे हैं, आम तो महासाकी हुये, इसलिए बुजदिली की बातें नहीं होनी चाहिए, आप बहादुरी से विभाग को चलाइये। मुझे तो ऐसा लगा और माननीय मंत्री जी के भाषण से भी कि यह सारी कवायद राजस्व बढ़ाने के लिये की गयी है। केवल पैसे के लिए आप प्रदेश का चरित्र बेचने का काम कर रहे हैं, अगर राजस्व की बढ़ाना है तो थाइलैण्ड, फिलीपिंस और यूरोप के अन्य कई देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस दिया जाता है, आपके लिए राजस्व का यह अच्छा साधन हो सकता है, इस पर भी आप विचार करें, 900 करोड़ की जगह हजारों करोड़ की संख्या जल्द की पार कर जायेंगे। इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आबकारी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से शासन को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार था उसको दृढ संकल्प शक्ति और कुशल नीति के अनुसार समाप्त कर दिया है। सब को ध्यान होगा कुछ की समय पूर्व जब राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव हुए तो शराब के ठेकेदारों ने विधान परिषद् और राज्य सभा के सदस्य बनने के लिए विधायकों की खरीद का भी काम किया और इस प्रकार से ये लोग केवल शराब की बिक्री और ठेके का काम नहीं कर रहे थे ये अपने अकूत धन के द्वारा सत्ता में, प्रशासन में प्रभावी हस्तक्षेप की भूमिका का भी निर्वाह कर रहे थे, माननीय मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उनको तोड़ दिया गया। मान्यवर, और जो इसमें नीति बनायी गयी उसमें दुकानों की संख्या भी नहीं बढ़ायी गयी और एक खुलेआम लाइसेंस फीस के द्वारा, पारदर्शिता के द्वारा यह काम किया गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देता चाहता हूँ कि कुछ जगह इस प्रकार की कठिनाई आयी क्योंकि यह पहला वर्ष था क्योंकि दुकानें सामान्यत: ठेकेदारों की थी और उनको दुकानों का स्थान तय करने में कुछ कठिनाई आयी, कुछ जो विज्ञप्तियां विभिन्न स्थानों पर, एक जनपद में एक या दो स्थानों पर जैसा आगरा में ताजगंज-1 और ताजगंज-2 में हुआ। तो कौन सी है ताजगंज-1 की और कौन है ताजगंज-2 की, ये कहां खुलेंगी, यह स्थिति थी, उन पर जहां नीलामी होनी थी उनकी राशियां बहुत भिन्न थी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कठिनाई आयीं। भविष्य में जब भी यह दुकानें नीलाम हो तो उनका स्पष्ट क्षेत्र और स्थान इंगित हो अन्यथा वह आबकारी अधिकारियों के ऊपर खुलेआम छोड़ दिया जाता है, वह उसका एक नक्शा बनायेंगे और उसको पारित करायेंगे उसके बाद उसको स्वीकृति मिलेगी। उनको जो अधिकार मिला हुआ है वह समाप्त हो जाये और कौन सी दुकान कहां होगी यह चिन्हित हो जाये तो कठिनाई नहीं आयेगी। अधिष्ठाता जी, हर वर्ष दुकानें नीलाम होनी हैं, कौन सी दुकान कौन लेगा यह पता नहीं। इस बार यह संकट था जो राशियां निर्धारित की गयी थीं वह पिछली बिक्री के अनुमानों के आधार पर थी मान्यवर, जो ठेकेदार थे ये किस प्रकार की स्थितियां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैदा कर देते थे अन्य राज्यों से कम दामों पर लाकर और अपने राज्य में बेचते थे और शासन के राजस्व की बहुत बड़ी हानि करते थे और अब तक का जो देशी शराब की बिक्री का अनुमान विभिन्न जनपदों से आया है, शासन ने जो नीति निर्धारित की थी कि निर्धारित सीमा से अधिक के लिए कुछ अधिक राशि देनी पड़ेगी तो वह अधिक राशियां देकर उसको अधिक मात्रा में वह ले रहे हैं। उसका कारण यह था कि कुछ अधिकारी, पुलिस आबकारी विभाग के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश इस सन्दर्भ में होती थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि यदि शासन विभिन्न स्थानों पर अपनी दुकानें निश्चित कर ले और वह उसके स्वयं के स्वामित्व में हों तो यह कठिनाई नहीं आयेगी। चूँकि यह कठिनाई हर वर्ष आयेगी। जैसा ताजगंज-1 और ताजगंज-2 में हुआ। जिसमें पहले दुकान चल रही थी उसको खाली कराया गया और सामान निकाल कर थाना ताजगंज में रख दिया गया। यदि दुकानें शासन के स्वामित्व की होंगी, यदि इस प्रकार की स्थितियां आयेंगी तो जो शासन ने नीति बनायी है वह सफल होगी। मान्यवर, अल्कोहल यह एक बहुत बड़ा उत्पाद है। जिससे शासन को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होती है। इस पर अनेक बार चर्चा-परिचर्चा हो चुकी है, सदन में भी चर्चा हुई है। हम बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करते हैं। पावर अल्कोहल के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गयी है, यदि इस शीरे का बड़ी मात्रा में अल्कोहल के रूप में प्रयोग करें तो वास्तव में जो हमें विदेशी मुद्रा खर्च करती पड़ती है वह बचेगी और उत्तर प्रदेश जो बड़ी मात्रा में शीरे तथा अल्कोहल का उत्पादक है, वह देश की बहुत बड़ी सेवा का काम कर सकता है, पावर एल्कोहल का उत्पादन करके। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा रखें गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भाटी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जिस समय मंत्री जी अपना बजट रख रहे थे तो बार-बार मंत्री जी के मुंह में पानी आ रहा था, केशौ मेहरा साहब भी उससे प्रभावित हो गये, इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सबेरे से ही चढ़ा था, सभी लोग मगन थे। देशी, परदेशी, कच्ची, ठर्रा से लोगों का जो हाल है उसे माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जान सकते हैं क्योंकि इन्होंने व्यवस्था की है। एक कहावत है कि- एक तो करेला वैसे करू, दूसर नीम पर चढ़ा। हम शाही जी के बारे में और क्या कह सकते हैं? शाही साहब बार-बार इस बजट को पेश करके अपने को शर्मिन्दा/लज्जित महसूस करते हैं, मजबूरी है कि यह विभाग दे दिया गया है तो फारमैलिटी में कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि दुकानें बढ़ जांय, आमदनी ज्यादा हो जाये लेकिन जो किताब जारी की है उसके मकड़जाल से आमदनी नहीं बढ़ेगी। भाटी साहब ने बता दिया कि 1993-94-95 में जो आमदनी थी, आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपका प्रतिशत घटा है। पिछली बार आपने कहा था कि इतनी दुकानें कर देंगे लेकिन उतनी दुकानें आप खोल नहीं पाये। यह जरूर किया कि बोतल पर जो लेबिल लगाया उसका सरचार्ज, जो था उसको आपने घटा दिया, क्वालिटी खराब कर दिया, संख्या ज्यादा कर दिया। आपने कहा कि हमने लोगों का वर्चस्व खत्म कर दिया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आप नहीं आपका दल और पूरी सरकार ताकत के साथ लग जाये, आपके साथ ऐसे लोग लगे हैं कि आप वर्चस्व खत्म नहीं कर सकते हैं। उनके चन्दे से आप चलते हैं, उनके पैसे से जिन्दा हैं तो आप वर्चस्व खत्म नहीं कर सकते हैं। चन्दा, झण्डा और बोतल एक साथ चलता है। कहां से खत्म कर देंगे? शाही साहब मुगालते में मत रहिये, आप इस प्रदेश को दिशाविहीन कर रहे हैं, नौजवानों को कुंठित कर रहे हैं, पढ़े-लिखें लोगों को रास्ते से अलग कर रहे हैं, आमदनी बढ़ा लीजिए लेकिन समाज का शोषण मत करिये। आपने जगह-जगह बोर्ड लगा दिया है, कि देशी, कच्ची शराब आइये मिलकर जाईये। इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जहां पढ़ाई-लिखाई का काम होता है वहां उसके अगल-बगल आप देशी, विदेशी शराब का प्रचार कर रहे हैं, तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज का कहां उठ रहा है यह चिन्ता होनी चाहिए। मान्यवर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहां स्कूल हैं, बच्चों के बच्चियों के, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे हैं वहां पर आपने जो ठेके खुलवा दिये हैं उनको बन्द करवा दें। तो क्या ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, आपके अधिकारी कहां ऐसा कर रहे हैं। आप लाचार हैं, मजबूर हैं, आपके अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने अयोध्या में, काशी में, मथुरा और वृन्दावन में जो शराब ठेके हैं उनको बन्द करवाया? आप उनको बन्द करवा दें। नीमसार है, आपने वहां भी बगल में ठेका खुलवा दिया आप में हिम्मत है बन्द कराने की तो आप उन्हें बन्द करवा दें। जब हमारी सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हरिद्वार में शराब का ठेका बन्द करवा दिया था, वहां से शराब की दुकान हटवा दी थी लेकिन आज तक आप ऐसा नहीं कर सके अगर आप में हिम्मत है तो आप इन शराब की दुकानों को बंद करवा दीजिए जो आज स्कूलों के आस-पास मंदिर, गुरूद्वारों और मस्जिदों के आस पास खुले हुए हैं।

आपने अयोध्या में शराब की दुकान खुलवा दी हनुमान गढ़ी के बगल में दुकान खुलवा दी, जाइये हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करिये और बगल में शराब पीजिये। यह तो छोड़िये आपने जो कहा यह राम जन्म स्थली है आपने वहां भी शराब की दुकान खुलवा दी। आज स्कूलों के बगल धार्मिक स्थलों के बगल में आप देख लें देशी-विदेशी शराब और ठर्रा रखा हुआ है। आपने कोई भी जगह तो नहीं छोड़ी है जहां आपने शराब की दुकान न खुलवा दी हो। आप आज के नौजवानों को, छात्रों को शराब पीने को उत्साहित कर रहे हैं, और हालत यह है कि छात्र अपनी कापी किताबों को बेचकर शराब पी जा रहे हैं, आज का पढ़ा-लिखा समाज शराब के कारण परेशान सा हो गया है आपने उनका भविष्य बिगाड़ दिया है। आपने तो राम जन्म स्थली को भी नहीं छोड़ा वहां पर भी शराब की दुकान खुलवा दी।

श्री सूर्यप्रताप शाही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आप भी फैजाबाद के हैं और माननीय रामतेज जी वहीं की बात कर रहे हैं, इन्हें वहां की जानकारी आप दे दें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, पिछले दिनों सदन में एक संकल्प आया था और उस पर चिन्ता की गयी थी जिस पर माननीय डंग साहब भी बोले थे जिसमें उन्होंने कहा था जो मथुरा, वृन्दावन, काशी, अयोध्या और नीमसार हैं, जहां बच्चों का स्कूल हैं, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा है इन जगहों से शराब की दुकाने हटवा दी जायं और समाज को शराब के इस प्रदूषण से बचाया जाय। आज स्कूलों के बच्चों को आप शराब की चकाचौंध दिखाकर उनके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं आप समाज को प्रदूषित कर रहे हैं आप समाज को इस प्रदूषण से बचाइये। मान्यवर, माननीय भाटी साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर आप निश्चित रूप से निर्णय लें, उन पर सरकार को निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए ताकि नौजवान पीढ़ी को शराब से बचाया जा सके। आप शराब से समाज को बचाने का कार्य करें। मान्यवर, खाली दारू की दुकान खोलकर समाज को खराब मत करिये। मैं बताना चाहता हूँ कि आमदनी दूसरी जगह से हो सकती है जैसे वन विभाग, पी0डब्लू0 डी0 विभाग से राजस्व कमाकर प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन दारू से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, भाटी जी ने बहुत ही तर्कसंगत और नियम संगत तमाम सुझाव दिये हैं आप चिन्तन कर लीजिये। मान्यवर, इस सरकार को तो अब होश में आ जाना चाहिए। [x x x x] इसलिये मान्यवर, आप बहुत सोच-समझकर काम करिये और अधिकारियों के बहकावे में मत आइये नहीं तो सत्यानाश इस भारतीय जनता पार्टी का हो जायेगा। आप इस प्रदेश को बचाने की कोशिश करिये इसी के साथ भाटी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय आबकारी मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन मे बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन् मुझे याद है मा0 रामतेज जी अभी कह रहे थे और माननीय मुलायम सिंह की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि आप भी यहां रहते तो जो रामतेज जी कह रहे हैं वहीं आप भी कहते। मान्यवर, मुझे याद है जब माननीय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे मैंने स्वयं इस विषय को उठाया था और बल दिया था कि आमदनी आवश्यक है, आय के संसाधन और साधन जुटाना आवश्यक है, लेकिन श्रोत और सुचिता पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है और उधर से जवाब आया था, रामतेज जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जवाब में कहा गया था कि हमारे सामने संसाधन जुटाने का सवाल है हम सुचिता उचिता कुछ नहीं जानते। तब मैंने सुझाव दिया था कि अगर आप सुचिता नहीं जानते, श्रोत की पवित्रता आपका विषय नहीं है तो इससे भी ज्यादा आर्थिक आय हो सकती है, अगर डकैती और अपराध का लाइसेंस कर दिया जाये। हजरतगंज और अमीनाबाद जैसे बाजार की मंथली या वार्षिक रेट पर डकैतों और अपराधियों को सौंप दिया जाये तो उससे आय का साधन होगा और विकास भी होगा। मैं, जैसा कि मा0 मुलायम सिंह जी की प्रशंसा हो रही थी उनके विचार क्या थे उधर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यही बात जब उधर बैठे थे तो नहीं समझे और आज जब इधर बैठे हो तो समझ में आ रही है। जब मा0 नरेन्द्र भाटी जी कटौती प्रस्ताव रख रहे थे मैं समझता था कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर आप मदिरा से आय के तुलनात्मक आंकड़े देंगे और बतायेंगे कि कहां पर मद्य की खपत प्रति व्यक्ति कितनी है और इसके लिए शायद आलोचना करते हुए सुझाव देंगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी खपत और कैसे बढ़ायी जाये? मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि आज विकास सबसे बड़ी आवश्यकता है। विकास के अभाव में आतंकवाद और अलगाववाद के सिर उठाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिये विकास के लिये आय की श्रोतों की तलाश करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपको अवसर मिला था तो जो व्यवस्था चल रही थी उसमें बदलाव की मांग की गयी थी लेकिन उसको आपने नकार दिया था। हमारी सरकार का प्रयास है कि आय के नये स्त्रोत तलाश किये जायं जिससे मदिरापान कराने की जो मजबूरी में प्रयास करना पड़ता है उससे मुक्ति मिले मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का अध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक है इसके पेज 7 पर प्रस्तावना में लिखा गया है। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरुपित सिद्धांत के अनुरुप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मान्यवर, इसी के अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि जब तक विकल्प के रुप में हमारे सामने कोई रास्ता न हो तब तक सरकार के सामने अपरिहार्य है कि इससे आय बढ़ायी जाय। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जब से विभाग का दायित्व संभाला है तब से आय में वृद्धि हुयी है।

हमारे मंत्री जी का मदिरा के उपयोग का रिश्ता दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने अपनी क्षमता, परिपक्वता से विभाग की उन्नति की है। जैसे प्रशासनिक सेवा के आदमी को किसी विभाग में भेज दिया जाय तो यदि वह सक्षम है तो अच्छा प्रशासन चलाता है ऐसे ही हमारे माननीय मंत्री शाही जी आबकारी विभाग को मिले हैं और उन्होंने अच्छा विकास किया है और आय के स्त्रोतों को अधिकतम बढ़ाने की कोशिश की है। मान्यवर, पृष्ठ-7 पर आगे कहा गया है कि तदनुसार मद्यनिषेध की नीति को प्रमुखता देते हुये विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। तो मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य को आगे रखते हुये राजस्व प्राप्ति के नये-नये अवसर तलाशें जायं। जैसा कि अभी हमारे माननीय केशो मेहरा जी ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया कि सी0एन0जी0 फ्यूल बनाया जाय जिसमें पावर अल्कोहल का उपयोग किया जाय। तो अल्कोहल से इसी प्रकार के नये-नये प्रोडक्ट बनाकर आय के नये स्त्रो खोजे जायं। माननीय मंत्री जी जब मंत्रि परिषद में बैठें और वहां पर जब चर्चा हो तो इस प्रकार के सुझाव

ताकि धीरे धीरे मदिरा से प्राप्त होने वाले राजस्व पर हमारी निर्भरता कम हो। हम राजस्व से प्राप्ति के नये विकल्प खोजते चलें तो समीचीन होगा। यह कहते हुये मैं पुन: माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

मेजर जगतपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैंने अभी विपक्ष के माननीय सदस्यों के कटौती पर रखे गये विचारों को सुना।

श्री इकबाल महमूद--

मान्यवर, मेजर साहब तो अंग्रेजी पीते हैं इनको बोलने का अधिकार नहीं है।

मेजर जगतपाल सिंह--

पी तो आपने भी है लेकिन करेज आफ कनविक्शन नहीं है। जब बचपन में अमृतधारा पिलाई जाती है तो उसमें भी एक प्रतिशत एल्कोहल होता है। फौज में सभ्यता के साथ शराब पी जाती है। आबकारी ऐसा विभाग हैं जो एक प्रतिशत अपने ऊपर खर्च करता है 99 प्रतिशत यह राजस्व अर्जित करके विकास के कार्यो पर खर्च करता है। सबसे अधिक राजस्व आबकारी विभाग ही अर्जित करता है। इसी कारण हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वह सुचारु रुप से चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आबकारी विभाग ने कुल 3,448.15 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, पूर्व के वर्षो की तुलना में यह 32.6 प्रतिशत अधिक है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूँ। जो शराब माफिया थे उनको अलग करके, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तक को अपने कब्जे में कर लेते थे उन माफियों को अलग करने के लिए नीति बनाई है उस नीति के तहत दुकानों की नीलामी की है इसमें खामियां जरुर हुई हैं परन्तु ऐसे लोगों को दुकानें मिली हैं जो बिल्कुल इस व्यवसाय से अलग रहते थे वह ठीक प्रकार से अपनी दुकानों को चलाने में सक्षम हो रहे हैं। कुछ शराब माफियाओं ने अलग-अलग नामों से ठेके ले लिये, ठेके लेने में उन्होंने अधिक से अधिक अपने नाम डाले जब दुकान विशेष की नीलामी हुई तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक दुकानें प्राप्त हुई। यही नहीं उन्होंने कुछ और काम कर रखें हैं चूंकि नए व्यापारी दुकानों को लेकर आए हैं तो यह माफिया नए व्यापारियों के सामने सस्ती प्रकार की अपनी शराब बंटवा रहे हैं क्योंकि उनके ास पैसा है इस कारण वह अपनी दुकानों पर सस्ती शराब बंटवा रहे हैं जिससे नए दुकानदारों को इनकरेज न मिले। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूँगा सबसे अच्छी सरकार की जो, नीति रही है वह दुकानों को बढ़ने नहीं दिया जितनी दुकानें थीं उतनी ही रहीं। नई आबकारी नीति में दुकानों की गुणवत्ता रखने के लिए उन पर सुरक्षा हैलोग्राम लेबिल लगवा दिया पाउच या बोतल पर जिससे ठीक प्रकार की शराब बिके इसके अलावा प्राइस लिस्ट भी लगवा दी जिससे अधिक दाम में न बिक सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा मुरादाबाद में विशेष रूप से शराब दिल्ली, हरियाणा या दूसरे क्षेत्रों से लाई जाती है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश को राजस्व की हानि होती है। तो जो बाहर से शराब लाई जाती है उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाय। इसके अतिरिक्त जो माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ा कन्शेसन दिया है इसके लिए मैं आभारी हूँ। और इसका प्रचार भी हुआ है। सैनिकों को खाने के पूर्व विशेष रूप से शराब बांटी जाती है। और फिर रम भी इश्यू की जाती है।.

ी नरेन्द्र सिंह भाटी-

हरियाणा और बाकी प्रदेशों से यहाँ कितनी मंहगी है?

जर जगतपाल सिंह--

यहाँ पर सस्ती है। सैनिको को आधे रेट पर शराब उपलब्ध हो रही है। शीरा नीति जो लागू की गई प्रसंशनीय है। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री पूर्णमासी पंकज--

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

पहले थे रहे लूट, चोट करते सरकारी खजाने पर
अब भी लगे रहे जबर्दस्ती ठेका पाने पर
हल्ला मचा रहे और चिल्ला भी रहे है
हमने लगा दी रोक, जब इन सभी के मनमाने पर।

बढ़िया शराब पिलाने का हो रहा प्रयास है
मिलावट करने का न ही कोई भी वास है
कोई न गड़बड़ी है जरा देखिए पीकर
आप भी खुश होंगे यह हमें विश्वास है।।

तस्करी का पूरी तरह रोकथाम कर रहे
सैनिकों के लिए सुविधा हम तमाम कर रहे
इस साल इतनी आय आबकारी से हुई
फिर भी यह दिल जले हमें बदनाम कर रहे।।

प्रदेश के विकास में योगदान कर रहा
आय अर्जित करके पूर्ण उत्थान कर रहा
पूरे प्रदेश में राजस्व अधिक प्राप्त कर
आबकारी विभाग काफी धन प्रदान कर रहा।।

शीरे से पैदा देश में अल्कोहल हो रहा
निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा में दखल हो रहा
औद्योगिक उत्पादों में और दवाओं में श्रीमन्
अल्कोहल से समस्याओं का भी हल हो रहा।।

दारू के ठेके से खतम माफिया राज हो गया
सिंडीकेट का मंसूबा ध्वस्त आज हो गया
फिक्स लाइसेंस पद्धति के जरिये से श्रीमन्
हौसले बुलन्द सबके, खुश समाज हो गया।।

नई नीति के जरिए धन का डूब उगाही कर रहे.
मंदिर,मस्जिद, देवस्थान पर मनाही कर रहे
कहने को कोई कुछ भी कहे, यही सत्य है
पहले से अधिक आय अर्जित शाही कर रहे।।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हल्ला कर हाउस का समय बरबाद करेंगे
झूठ बोल-बोल कर विवाद करेंगे
शाही जी इन्हें थोड़ी व्यवस्था तो करा दें
यह लोग भी जीवन भर सदा याद करेंगे।।

सोना उगा रहे है, प्रदेश की इस माटी से
मिलावट से नहीं पाला पड़ेगा आपका अब खांटी से
चाहिए तो थोड़ा ले लीजिए कटौती न करें
निवेदन है हमारा श्रीमन् नरेन्द्र सिंह भाटी से।।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूँ माननीय रामतेज जी, बालचन्द्र मिश्र जी, मेजर जगतपाल साहब और डा0 पूर्णपासी पंकज जी का केशो मेहरा जी का भले ही इन लोगों की बाध्यता कोई रही हो लेकिन बात उन्होंने कही जिससे मेरे कटौती के प्रस्ताव को बल मिला है। बाल चन्द्र मिश्र जी ने भले ही माननीय मुलायम सिंह जी का नाम कोट किया लेकिन उन्होंने आज भी अपनी माँग शाही जी के सामने रखी। मुझे बता रहे थे कई प्रान्तों का विकास लाने की बात कर रहे थे लेकिन मेरा कहना है कि आपको उनको लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब बजट पेशकर रहे थे माननीय मंत्री जी, तो उसमें इसका उल्लेख था। उसमें यह प्रदेश अव्वल है। मैं दो तीन बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और फिर अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो यह है कि हमारी हिन्दू संस्कृति में धार्मिक स्थल में तीर्थराज प्रयाग का पहला स्थान है। काशीनगरी भी भगवान शंकर की नगरी है और मथुरा भी बड़े धार्मिक स्थलों में से है। बाकी जो अधिकांश धार्मिक स्थल थे जिन पर प्रतिबन्ध था सरकार का, वह सब उत्तरांचल में चले गये। माननीय मंत्री जी इन तीन जगहों पर 1 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबन्धित रखा है और एक किलोमीटर की दूरी में शराब बिकवा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन तीनों जगहों पर कम्प्लीट शराब बन्दी की घोषणा करें।

दूसरी बात यह है कि मैंने राजस्व घाटे की बात कही। मैं उसको फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ कि हमारे पश्चिमी जिलों में और मध्यांचल में राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश से तस्करी कर के शराब लाई जाती है।अगर यह तस्करी नहीं रोकी गई और जो माफिया हैं होलोग्राम नकली बना लेते हैं। स्थिति बहुत खराब हो जायेगी और राजस्व का घाटा होता जायेगा। अभी होलोग्राम की वजह से 15-20 दिन सुचारू रूप से शराब नहीं मिल पाई शराब ठेकेदारों को। मैं फिर कह रहा हूँ कि होलोग्राम के सम्बन्ध में 12 अप्रैल को माननीय मंत्री जी ने कहा है 100 करोड़ रूपये होलोग्राम से और लाइसेंस फीस से 225 करोड़ रूपये। मान्यवर, यह कैसे मिलेगा समझ में नही आ रहा है। वैसे तो पारदर्शिता लाने की बात कही जाती है। होलैस्टिक इंडिया लि0 जो नोएडा की कम्पनी है ने सारे होलोग्राम बनाने का ठेका लिया है। इस सम्बन्ध में जब पूर्व में भी शराब नीति पर चर्चा हो रही थी, चर्चा में भाग लिया था और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था। होलोग्राम की कीमत 11 रुपये 30 पैसे प्रति सैकड़ा है। उसमें एक नये पैसे का खर्चा नहीं है तो यह इतना भारी मुनाफा होलैस्टिक इंडिया लि0 को कैसे मंत्री जी की कृपा हुई, संदेह की बात है। मान्यवर, अभी मेजर जगत पाल जी कह रहे थे। मैंने पहले इस बात को नहीं कहा लेकिन चूँकि जिक्र आया इसलिये कह रहा हूँ। मेजर साहब ने पहले भी इसको सदन में रखा था और रियायत की माँग माननीय मंत्री जी से कही थी। अभी 45 दिन हमारी कैन्टीन बन्द रहीं। कैन्टीनों में जो हमारे जवान हैं लाखों, जिन्होंने देश की रक्षा की है, देश की सीमा पर हैं या पेंशन ले रहे हैं उनको कैन्टीन बन्द होने की वजह से 45 दिन तक सुविधा नहीं मिल सकी। बहुत जद्दोजहद के बाद 50 प्रतिशत की ड्यूटी में छूट

दी गई। इसमें यह कहना है कि आप और लोगों से ज्यादा ले लें, 10 रूपये बढ़ाकर ले लें लेकिन जिन्होंने देश की रक्षा की है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उनके ऊपर इसका भार नहीं पड़ना चाहिए। जिस दाम में पहले मिल रही थी उसी दाम में देने की व्यवस्था अब भी करें। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यह हमारा आबकारी विभाग हमारे प्रान्त का है इसमें सेन्ट्रल एक्साइज वाले, सेन्ट्रल एक्साइज विभाग की व्यवस्था है उनके यहां कम्पनियों के, डिस्टलरियों के गेट पर निरीक्षक आकर बैठते हैं वह गेट से निकलने वाले सामान को चेक करते हैं कागज देखते हैं लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में डिस्टलरियों पर आबकारी निरीक्षक का कब्जा है एक तरफ मंत्री जी कहते हैं सारी चीजें सरल कर दी नवीनीकरण पांच साल के लिए कर दिया, हर चीज व्यापारियों को डिस्टलरियों को मुहैया करा दी। मान्यवर, प्रदेश में चालीस डिस्टलरीज काम कर रही है वह आबकारी निरीक्षक के कब्जे में है वह अगर छुट्टी पर चला जाता है तो सारा काम रूक जाता है क्योंकि होलोग्राम की चाभी, टैंकर की चाभी, आबकारी निरीक्षक के पास होती है इसी कारण कम्पनियों, डिस्टलरियों के मालिकों को आबकारी निरीक्षक को बढ़िया ए0सी0 गाड़ी उपलब्ध करानी पड़ती है ताकि वह समय से आ जाए और लेबर खाली न बैठे रहें।

अगर आबकारी निरीक्षक छुट्टी पर चला जाता है, किसी शादी विवाह के लिए छुट्टी पर चला जाता है तो काम बंद हो जाता है होलोग्राम, टैंकर नहीं खुल पाते हैं। अगर आबकारी निरीक्षक की डिस्टलरी से नहीं बनती है तो काम बंद रहता है तो जिस तरह से सेन्ट्रल एक्साइज वाले गेट पर बैठाते हैं और कम्पनी से जो सामान निकलता है उसका बिल कागज आदि देखते हैं उसी तरह से व्यवस्था अपने प्रान्त में करनी चाहिए। कृपा करके मान्यवर, अभी बालचन्द्र मिश्र जी कह रहे थे उन्होंने वही बात कही जो मैं कह रहा था मान्यवर, यहां हम गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठे आबकारी विभाग का बजट पास कर रहे हैं मान्यवर, बाबूजी से जब पूछा गया कि शराब बंद हो जाएगी तो राजस्व कैसे आएगा, उन्होंने कहा राजस्व तो चोरी से भी प्राप्त हो सकता है तो क्या चोरी का लाइसेंस दे दिया जाए,वेश्यावृत्ति की फीस लेकर लाइसेंस दें सकते हैं इससे भी राजस्व प्राप्त हो सकता है तो मान्यवर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शराब के ठेके पर शराब नीलाम करके यह पैसा प्राप्त करेंगे, तो मेरी बात की तारीफ श्री बाल चन्द्र मिश्रा जी ने की है मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रीमन् मैं नरेन्द्र सिंह भाटी जी, केशो मेहरा जी, रामतेज यादव जी, बालचन्द्र मिश्र जी, मेजर जगतपाल सिंह जी, पूर्णमासी पंकज जी का हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने आबकारी बजट के ऊपर गम्भीर चर्चा की और अच्छे सुझाव दिए। जो अच्छे सुझाव दिये हैं उसमें मैं परीक्षण करूँगा और समय-समय पर उसको लागू करने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, प्रदेश की आबकारी नीति की वजह से एक चेन्ज आया है पूरी व्यवस्था में, शायद माननीय भाटी जी इस बात को भूल गए। 1994-95 में जब आप सरकार में ये उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का बकाया 800 करोड़ चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया था और मई का महीना नहीं था वह सितम्बर का महीना था जब चीनी मिलें चलने वालीं थी। यह उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग और आबकारी विभाग का प्रयास है कि आज प्रदेश में 94 फीसदी से अधिक गन्ने के मूल्य का भुगतान हो गया है। जिस शीरे को आप तिजोरी में रखते थे एक कुन्तल के लिए परमिट के लिए जाना पड़ता था और 10/- रूपया ऊपर से मेहरबानी देनी पड़ती थी उससे उद्योग वाले बच तो गये। जिसकी कीमत एक कुन्तल की 100-250/- कृतिम आप पहुंचा दिया करते थे हमने कंट्रोल लगाकर आज हमारी नीति का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में 100 रुपये के आस पास शीरे की कीमत हो गयी है और, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में शीरे की खपत के नाते अल्कोहल का उत्पादन बढ़ा है, वैल्यू एडड सामग्री बढ़ी है। हम इस बात का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि शीरे का ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो। अधिक से अधिक एल्कोहल बने और एल्कोहल की खपत औद्योगिक विभाग की दृष्टि से काम आये।

माननीय मेहरा जी और बाल चन्द्र मिश्र जी ने सुझाव दिया और आपने भी कहा कि इसको अन्य रूप में इस्तेमाल करने पर सोचा जाना चाहिए। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी आबकारी सचिव, जो गन्ना सचिव भी हैं, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ ब्राजील दौरे पर गये थे। आज ही दौरे से वापस आये हैं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गैसोहल बनाया जाय जिसकी इजाजत मिल जाय। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि जो भारत सरकार ने तीन पाइलेट प्रोजेक्ट तैयार किये हैं उसमें से एक पाइलट प्रोजेक्ट बरेली को दिया गया है। हम चाहते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से मद्य निषेध का समर्थक हूं। हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। केन्द्र सरकार से प्रयास करना चाहिए कि धीरे-धीरे मद्य निषेध प्रभावी कर दें लेकिन केवल एक राज्य के बूते की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1977 में मद्य निषेध लागू किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस नाते 80 में तत्कालीन सरकार ने इसको फिर से शुरु कर दिया। हमारे पास आन्ध्र और हरियाणा का अनुभव है। वित्तीय कमी के कारण वहाँ का तख्ता पलट गया। प्लानिंग कमीशन ने एडीशनल रिसोर्सेस न होने के नाते योजनाओं में कटौती कर डाली जिससे सड़कों में बिजली में कमी हो गयी। हम सचेत हैं कि हम इसको बढवा न दें, शराब की दुकानों का विस्तार न करें लेकिन जो चोरी राजस्व में हुआ करती थी हमने उसको रोककर सरकारी खजाने में डालने का प्रयास किया है। आपके जमाने में सिर्फ 24 करोड़ की निलामी हुई थी चार साल पहले 1326 करोड़ मिलते थे हमने उसे बढाकर 2200 करोड़ कर दिया। तो इस तरह से 908 करोड़ उगाहने का प्रयास किया है और यह हमने सरकारी खजाने में जमा किया है। प्रदेश के विकास कार्यो में लग रहा है इस नाते ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कर दी आपको पता है कि उस सिंडीकेट को संरक्षण किसका प्राप्त है, मान्यवर, आपको इस बात की भी जानकारी है कि किस पार्टी के कितने पार्लियामेंट के मेम्बर पार्लियामेंट में हैं यह भी आपको जानकारी है कि प्रदेश के अधिकांश 70 में से 60 जनपदों में इसको चलाये जाने वाले लोग किस पार्टी से सम्बद्ध हैं। आज राजनीतिक दलों-बसपा के नेता ने नहीं कहा कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही इसकी सबसे ज्यादा चर्चा की है। उसने इस बात की आलोचना की है यह आबकारी नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। हमने 10 लोगों से बढ़ाकर 4-5 हजार तक पहुंचा दिया है अधिक से अधिक लोगों को काम में पहुंचाने का अवसर दिया। किसी गरीब आदमी ने कभी कल्पना नहीं की कि शराब का व्यवसाय कर सकते हैं। एक दम सार्वजनिक तरीके से पारदर्शी तरीके से व्यवस्था बनायी। छुटपुट शिकायतों को छोड़कर कोई शिकायतें नहीं आयी हैं।

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट--

मान्यवर, आपको समाजवादी पार्टी से ज्यादा परेशानी है वह दलितो एवं गरीबों की पार्टी है। यह है कि आपके लोग घट गये आपने उन्हें बढ़ाने का काम किया है आपको झंडा, डंडा चन्दा लेना है।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

मान्यवर, हमने प्रयास किया है कि राजस्व बढ़े। अभी राजस्थान का जिक्र माननीय भाटी जी ने किया। गत वर्ष की तुलना में वहां 30 प्रतिशत कम करके अपना लक्ष्य निर्धारित किया 832 करोड़ रुपये और उस 832 करोड़ में वहां पर ठेके नहीं उठ पाये, 700 करोड़ के करीब गया है। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत से कम में जाकर ठेके हुए हैं हरियाणा में 3 प्रतिशत ऊपर गया है। कम से कम हमारे यहां 250 करोड़ की वृद्धि जरूर हुई है हमारी इस नयी आबकारी नीति से सरकार सचेत है, हमने सिण्डिकेट के ऊपर नजर रखी हमने उनकी साजिश को विफल कर दिया। सिण्डिकेट को तोड़ा है उत्तर प्रदेश से वे उखड़ गये हैं इसलिये वह राजस्थान की ओर गये हैं। अब कभी भी सिण्डिकेट उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पायेगा नये लोगों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में आयी है। किसी सरकार को आने वाले भविष्य में हिम्मत नहीं होगी कि हमारी इस नीति को बदल दें।

सुधार की अभी भी गुंजाइश है हमारे सुधार की दिशा में और भी प्रयास चलते रहेंगे। आपने स्मगलिंग पर चिन्ता व्यक्त की। हमने 10 स्थानों पर चेक पोस्ट बना दिये हैं इसका प्रस्ताव किया है यह स्थान हैं चाकघाट, इलाहाबाद में, डूमन्डगंज, मिर्जापुर में, महोबा,रूक्सा झांसी में, मसोरा ललितपुर में, सैंया आगरा में, फतेहपुर सिकरी, आगरा में, कोटवन मथुरा में, सरसांवा सहारनपुर में, शामली मुजफ्फरनगर में। हम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके चेक पोस्ट यहां स्थापित करेंगे। मान्यवर दिल्ली-उत्तर प्रदेश के प्रवेश के 8 स्थानों पर विशेष चेंकिंग की व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, 1 जून से 15 जून तक विशेष प्रर्वतन अभियान हम चलायेंगे। मान्यवर, इसके साथ ही थोक शराब के लिए एम0आर0पी0 लागू करेंगे बीयर के लिये भी एम0आर0पी0 लागू करने का विचार है। मान्यवर, जो आपने चिन्ता राजस्व की व्यवक्त की हैं इन दो महीनों में, 558 करोड़ रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ है। 22 मई तक ड्युंटी के रुप में 323 करोड़ रु0 और निर्धारित लाइसेंस फीस के रुप में 235 करोड़ रु0 मिला है। गत वर्ष 31 मई तक यह 543 कोड़ रु0 या मान्यवर जो उस समय व्यवस्था थी वित्तीय वर्ष के अंत में फरवरी और मार्च का एडवांस उसमें ले लिया जाता था अभी यह व्यवस्था है कि हमें वर्ष भर मिलता रहे। इसलिये किसी भी वित्तीय वर्ष में हानि होने की अब संभावना नहीं है यह मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। मान्यवर, हमने यह प्रयास किया, सेल टैक्स को हमने आबकारी ड्यूटी में मर्ज कर दिया। कई प्वाइंट से टैक्स का कलेक्शन न हो वन प्वाइंट से हो इसके लिए यह किया। आईएमएफएल ड्यूटी दिखायी जा रही है उसको समाप्त कर हमने उसी में मर्ज कर दिया। आसवनियों के बारे में कहा गया है कि इंस्पेक्टरों का वर्चस्व है हम उसको भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने निर्देशित किया है कि वह अपने यहां कम्प्यूटराइजेशन की व्यवस्था करें ई-मेल गवर्नेस के लिए आबकारी विभाग इस बात का प्रयास कर रहा है कि सभी डिस्टलरियां ई-मेल गवर्नेस के माध्यम से जोड़ दी जायें उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और इसी नाते मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रयास आबकारी विभाग ने किया है। प्रदेश के लिए संसाधन बढ़ाये हैं विकास को गति दी है गन्ना भुगतान में भी अच्छा काम किया है। आप हितैषी हैं गन्ना किसानों के 1995-96 में गन्ना बकाया कितना था और आज जिस तरह से भुगतान किया है इन बातों को ध्यान में रखते हुए कटौती के प्रस्ताव को आप वापस ले लेंगे इस विश्वास के साथ मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अयोध्या, काशी, मथुरा और नैमिषारण्य की चर्चा की गयी। मैं समझता हूँ कि अत्यन्त जागरूक सदस्य हैं। मैं समझता था कि आप हमारी पुस्तक को पढ़ेंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत पुराने परीक्षार्थी रहे हैं हाईस्कूल इण्टर के, मुलायम सिंह जी के जमाने के नहीं रहे हैं हरिद्वार में 1949 से मद्यनिषेध है, अयोध्या में भी मद्य निषेध है पूरी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मद्य निषेध है, चित्रकूट में नगरपालिका के भीतर मद्यनिषेध हैं। नैमिषारण्य में भी मद्य निषेध है। हमारी सरकार ने काशी, मथुरा, संगम इलाहाबाद प्रयाग इन तीनों क्षेत्रों में एक किलोमीटर के भीतर मद्य निषेध लागू कर दिया है। मान्यवर, वहां की दुकानों से 15 करोड़ की क्षति उठाना हमने उचित समझा लेकिन हमारी सरकार ने मान्यताओं और वहां की पवित्रता को बनाये रखने के लिए मद्य निषेध लागू कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, दारू मंत्री जी ने बात कही है वह अयोध्या अब जाते नहीं है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप स्थान ग्रहण करें। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जब से यह सरकार आई

है, गन्ना किसानों का मिलों पर कितना बकाया है, प्रत्येक मिल के आधार पर बता दें तो मैं जानू? मैं बता दूँ कि गन्ना किसान का इतना बकाया है आप [x x x] मत बनाइये। गन्ना किसान का 20 प्रतिशत भी भुगतान नहीं हुआ है। आप मिलवार सूची दे दीजिए तो मैं मानूँगा। 80 प्रतिशत गन्ने का बाकी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ पिला के मय गिराना सबको आता है, मजा तो तब है, गिरते को थाम ले साकी। माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं, 94 का उल्लेख किया। जितनी बातें मैंने रखी, उन पर माननीय मंत्री जी का न का जवाब है और न उसके ऊपर ही एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा "आप कहते हैं बार-बार नहीं और आपकी हाँ का भी एतबार नहीं", इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01- आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 20,22,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान

संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री- (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

मान्यवर, में आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43- परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,90,10,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, परिवहन विभाग सेवा का विभाग है और जनता से जुड़ा हुआ हैं। चाहे परिवहन निगम सस्ती और अच्छी, विश्वसनीय सेवा जनता को उवलब्ध कराता हो, या चाहे परिवहन आयुक्त संगठन जो मोटर यान नियमावली के अन्तर्गत परिवहन का संचालन करता हो, या कर एकत्र करता हो। उसी दृष्टिकोण से परिवहन के दोनों अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जनता से सीधे जुड़े हैं। यह सरकार जनता द्वारा चुनी गयी सरकार है.और इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि इन दोनों विभागों को हम पूरी क्षमता से संचालित करें। कोई भी संगठन तभी पूरी क्षमता से काम कर सकता है जब उसके उद्देश्य, कार्यप्रणाली, कार्य क्षमता अच्छी हो। मान्यवर, इस सरकार ने यह प्रयास किया है कि उसके अनुरूप एक कार्य संस्कृति पैदा की है। जिसके अनुरूप यहां अच्छा वातावरण बना और उस वातावरण के तहत लोग अच्छी तरह से कार्य कर सकें, एक उत्साह से कार्य कर सकें। पुरानी सरकारों के जमाने में इस वातावरण में जो ह्रास हुआ था, उसको हम दूर कर सकें। इसमें चाहे निगम के कर्मचारी हों, चाहे निगम के अधिकारी हों, उनको अनावश्यक रूप से हमने ट्रांसफर नहीं किया, बिना किसी ठोस कारण के। इसी प्रकार परिवहन आयुक्त संगठन में किसी को अनावश्यक प्रताड़ित नहीं किया गया, न कोई

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समस्या खड़ी की गई। इससे ऐसा वातावरण पैदा किया गया जिससे लोग उत्साह से काम कर सकें। मान्यवर, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों/अधिकारियों में सरकार के प्रति आस्था बढ़ी तथा कार्य संस्कृति पैदा हुई। मान्यवर, इसी के प्रतिफल के रूप में वर्ष 2000-2001 में रू0 695 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें परिवहन निगम को रू0 130 करोड़ एवं परिवहन आयुक्त संगठन को रू0 565 करोड़ का राजस्व एकत्रित करना था। परिवहन आयुक्त संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू0 565 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 567 करोड़ की प्राप्ति की गयी एवं इस प्रकार लक्ष्य से अधिक राजस्व एकत्रित किया गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में गत वित्तीय वर्ष में अपर परिवहन आयुक्त के दो पदों पर तथा उप परिहन आयुक्त के एक पद पर पदोन्नतियां की गयी हैं। इसके अतिरिक्त 201 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं 7 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति की गयी। चतुर्थ श्रेणी के 19 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया।

मान्यवर, प्रदेश में कुल 82 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं जिनमें 2 प्रवर्तन दन मुख्यालय पर और शेष जनपद के जनपद के स्तर पर हैं। वर्ष 2000-2001 में 3 लाख 35 हजार 836 वाहनों को चेक किया गया जबकि इसके सापेक्ष वर्ष 1999-2000 में कुल 3 लाख 4 हजार 136 वाहनों को चेक किया गया था। वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वर्ष 2000-2001 में 57 हजार 963 वाहनों को बन्द किया गया था। इस प्रकार प्रवर्तन के कार्य में गहनता लायी गयी है। विभाग द्वारा प्रवर्तन के माध्यम से प्रशमन शुल्क एवं मार्ग कर की वसूली के रूप में रू0 52.87 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की जबकि गत वर्ष यह धनराशि रू0 39.92 करोड़ थी। मान्यवर, मोटर वाहनों के उत्सर्जन से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में विभाग के पास 85 स्मोक मीटर एवं 90 गैस इनलाइजर हैं, जो विभिन्न कार्यालयों को आवंटित हैं जनपद स्तर पर इनका उपयोग फिटनेस के समय एवं प्रदूषण प्रवर्तन हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं पेट्रोल पम्पों को भी वाहन जनित वायु प्रदूषण को जांच करने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार के 208 केन्द्र कार्यरत हैं। 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के सभी गैराजों के लिए प्रदूषणमापी संयन्त्र लगाना शासनादेश के अन्तर्गत अनिवार्यता बना दी गयी है। वर्ष 1999-2000 में 44400 की तुलना में वर्ष 2000-20001 में 44904 वाहनों के चालान किये गये। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर वर्ष 2000-2001 में 1045 चालान किये गये।

मान्यवर, महानगरों की यातायात व्यवस्था को सुसंचालित करने की दृष्टि से विभाग ने महानगर बस सेवाओं के सम्बन्ध में नेट पैक नामक संस्था से अध्ययन कराया था। यद्यपि अध्ययन 9 महानगरों से सम्बन्धित था परन्तु जन सुविधा को दृष्टि में रखते हुए विभाग द्वारा 14 महानगरों में नगर बस सेवा संचालित करने हेतु परमिट निर्गत किये हैं। इन महानगरों हेतु अभी तक 2827 परमिट निर्गत किये जा चुके हैं। मान्यवर, लखनऊ की विशेष स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा यहां पर 400 बस परमिट जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार से मैक्सी कैब के 250 परमिट, टैम्पों के 1723 व आटो रिक्शा के 269 परमिट दिये गये हैं। मान्यवर, चूँकि परिवहन विभाग रोजगार से जुड़ा हुआ है अत: छोटे -छोटे मार्गों को चिन्हित करके उन पर छोटी गाड़ियां चलाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा कुल 248 नये मार्ग फार्मूलैट किये गये हैं जिस पर शीघ्र ही परमिट जारी करके संभागीय स्तर पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। ग्रामीण इलाकों में भी पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर, विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनायें हैं उसमें परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त को मिलाते हुये 19 सम्भागीय एवं 51 उप सम्भागीय कार्यालयों की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य वर्ष 1998-99 में प्रारम्भ हुआ था। योजना के अनुसार विभाग की गतिविधियों जैसे-परमिट, पंजियन, फिटनेस, प्रवर्तन, कर तथा अतिरिक्त कर एवं अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराये जायं। कम्प्यूटरीकरण की सम्पूर्ण योजना रूपये 12,16 करोड़ रूपये की है। वर्ष 1998-99 में रू0 55.46 लाख एवं वर्ष 1999-2000 में रू0 250 लाख की स्वीकृति जारी की गयी थी। यह

सम्पूर्ण राशि निक्सी को दे दिया गया है और उसके माध्यम से कम्प्यूटरीकरण का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 55.46 लाख रूपये का व्यय इस संस्थान द्वारा किया जा चुका है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त सम्भागीय कार्यालय लखनऊ एवं उप सम्भागीय कार्यालय, उन्नाव एवं लखीमपुर हेतु हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय किया गया है। उप सम्भागीय कार्यालय लखनऊ में कर को छोड़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराये जा रहे हैं। 13 सम्भागीय एवं 9 उप सम्भागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही की जानी हैं, जो वर्तमान वर्ष 2001-2002 में पूर्ण की जायेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-2002 में इस योजना में 200 लाख रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है, जिससे 5 सम्भागीय कार्यालयों एवं 4 उप सम्भागीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कराया जायेगा। मान्यवर, सड़क सुरक्षा योजना में 15 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है इसके माध्यम से आम जनता को जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनके पालन करने की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त 60 लाख रूपये दुर्घटना मद में दिये गये हैं जिसके माध्यम से दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को 20 हजार रूपये और घायल व्यक्ति को 5 हजार रूपये देने की व्यवस्था की जा रही है। भवन निर्माण में परिवहन आयुक्त संगठन के 70 कार्यालय जनपद स्तर पर कार्यरत हैं और जिसमें 19 सम्भागीय कार्यालय हैं और 51 उप सम्भागीय कार्यालय हैं। इसमें से केवल 3 सम्भागीय कार्यालयों के पास अपने भवन हैं शेष किराये के भवनों में हैं। विभाग की आवश्यकता को देखते हुए चरणों में भवनों को उपलब्ध कराये जाने की योजना बनायी गयी है। 25 लाख रूपये का प्राविधान गाजियाबाद सम्भागीय कार्यालय के विस्तार हेतु प्रस्तावित है। यह भी प्रयास किया गया है कि वाह्य सहायतित योजना उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास किया गया है और इस प्रयास के साथ बस अड्डा प्राधिकरण पर कार्यवाही किये जाने का निर्णय 1988 में लिया गया था, उसके अनुसार राइट्स द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार विभिन्न स्थानों पर 77 बस अड्डों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। यह पूरी योजना 286 करोड़ रूपये की है। इसके अतिरिक्त लखनऊ और कानपुर में एकीकृत परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में राइट्स के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। यह योजना लखनऊ एवं कानपुर नगरों की परिवहन व्यवस्था को सुसंचालित करने हेतु बनायी गयी है। यह परियोजना लखनऊ शहर की वर्ष-2025 तक शहरी परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है। उसके माध्यम से जो सुझाव आया है कि लाईट रेल ट्रांजिट सिस्टम अपनाने का सुझाव दिया गया है। इस परियोजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत रू0 1637 करोड़ है। मान्यवर, एल0आर0टी0 के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास विभाग, भारत सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार परिवहन विभाग, राज्य के आवास एवं नगर विकास विभाग के सहयोग से एक संस्था का गठन किया जाना है। कानपुर शहर की परिवहन व्यवस्था का अध्ययन भारत सरकार की संस्था राइट्स द्वारा किया जा चुका है, यह योजना 443 करोड़ रूपये की है। जिसके द्वारा रेल कारिडोर मन्धना से कानपुर सेन्ट्रल, पूर्वोत्तर रेलवे वाया कल्याणपुर रावतपुर अनवरगंज लम्बाई 18.72 किमी0 है। पनकी से ढक्कन पुरवाउत्तर रेलवे बाया गोविन्दपुरी की लम्बाई 9.65 किमी0 और चेकरे से ढक्कनपुरवा उत्तर रेलवे वाया चन्देरी लम्बाई 10.76 किमी0 और रावतपुर स्टेशन से भिन्गवन तक बाया अम्बेडकर नगर रोड, कैनाल रोड, हमीरपुर रोड लम्बाई 19.6 किमी0 बसवे कारिडोर के क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था में सुधार एवं कानपुर की वर्ष 2025 तक की आबादी हेतु परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार का रेल मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त संस्था की स्थापना की जानी है। मान्यवर, हम जल परिवहन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं इसके लिए चार योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय से स्वीकृत करके भेजी गयी थीं।

भारत सरकार द्वारा इसके लिए घाघरा नदी की अयोध्या से मांझीघाट (बलिया) तक की परियोजना को केन्द्र सरकार ने केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की थी। मान्यवर, यह भारत सरकार

की संस्था रेल इण्डिया टैक्निकल एण्ड एकोनामिक सर्विसेज द्वारा 15 लाख रूपये की लागत से किया जा रहा है, जो शीघ्र की पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, परिवहन आयुक्त संगठन के सम्बन्ध में मुख्य रूप से कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना है जिसमें कार्यालयों को उनके अभिलेखों के रख-रखाव हेतु आवश्यक फर्नीचर तथा कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2000-2001 में इस योजना में रू0 38.25 लाख का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष 28.41 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2001-2002 हेतु इस योजना में रूपये 18 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, आगरा तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करते हेतु राइटस द्वारा अध्ययन कार्य किया जा रहा है, सम्पूर्ण योजना 36 लाख रूपये की है। मान्यवर, वेहिकुलर स्मार्ट एवं चेकपोस्टों के उच्चीकरण की योजना भी है जिसके अन्तर्गत एक ही स्मार्ट कार्ड में वाहन के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, अैक्स, प्रदूषण रहित होने की स्थिति आदि का विवरण रखा जायेगा। एवं स्मार्ट कार्ड का उपयोग भुगतान हेतु प्रीपेड कार्ड के रूप में भी होगा, इस योजना के अन्तर्गत अन्य भाग के रूप में प्रदेश की महत्वपूर्ण सीमावर्ती परिवहन चेकपोस्टों को उच्चीकृत किया जायेगा। प्रत्येक चेकपोस्ट पर वाहनों के दबाव के अनुसार मल्टीलेप सड़कों का निर्माण किया जायेगा जिनके बीच में इलेक्ट्रानिक वेब्रिज लगेगा जिससे उनके भार आदि का सही आंकलन कर विभाग का राजस्व एकत्रित किया जायेगा।

यहां पर सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत होगी। प्रारम्भ में एक दो चेक पोस्टों के सम्बन्ध में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा कार्य कराया जायेगा जिसकी सफलता के उपरान्त इसे अन्य चेक पोस्टों पर भी लागू किया जायेगा। इस योजना से सम्बन्धित प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। मान्यवर, टोकन योजना को भार वाहनों में ओवर लोडिंग की समस्या को देखते हुए एवं वाहन चालकों के उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु लागू किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाहनों को चेक करके विशेष टोकन निश्चित मूल्य पर निर्गत किये जायेंगे जिसके आधार पर वे प्रदेश में निश्चित अवधि तक बिना किसी रोक-टोक के अबाध रूप से अपने वाहन का संचालन कर सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लागू की जायेगी। मान्यवर, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषि कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली को शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। मान्यवर, आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय की मदों, लेखन सामग्री, विद्युत देय, किराया आदि में होता है। विभाग में लगभग 2800 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2000-2001 में कुल रू0 2804.98 लाख प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 2451.12 लाख का व्यय किया गया था। वर्ष 2001-2002 हेतु रू0 2619.14 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, प्रदेश की जनता को सस्ती आरामदेय तथा दक्ष परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सड़क परिवहन अधिनियम-1950 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून, 1972 को किया गया तब से निगम इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

मान्यवर प्रदेश में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1 लाख 2 हजार 433 किलोमीटर है जिसमें 22323 किमी0 राष्ट्रीयकृत हैं। वर्ष 2000-2001 में निगम की औसतन 6405 बसें तथा निजी क्षेत्र की अनुबन्धित 1396 बसें अर्थात् कुल 7801 बसें रहीं तथा कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 47 हजार 656 रही। इस प्रकार परिवहन निगम में प्रति बस 7.44 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। जो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और जो लक्ष्य क्रय हेतु प्रस्तावित 1417 बसों के लक्ष्य के अन्तर्गत 812 नई बसें क्रय की जा चुकी हैं निगम के बस बेड़े में 46.31 प्रतिशत बसें ओवर एज हो गयी हैं इसके बाद भी निगम की कार्यशालाओं में बसों को ऑन रोड रखने पर विशेष बल दिया गया जिसके परिणम स्वरूप 88 प्रतिशत बसें ऑन रोड रहीं। मान्यवर, निगम द्वारा कुल 68.95 करोड़ किमी0 का संचालन किया गया तथा 241 किमी0 प्रति बस की बस उपयोगिता प्राप्त की गयी। निगम की सेवाओं से 32.87 करोड़ यात्रियों ने यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। और पिछले वर्ष में रू0 731.46 करोड़ की आय अर्जित की गयी जो कि गत वित्तीय वर्ष में अर्जित आय रू0 718.66 करोड़ से रू0 12.80 करोड़ अधिक है।

मान्यवर, परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2001-2002 में रू0 203.76 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया जाना प्रस्तावित है। परिवहन निगम द्वारा 1763 नयी बसों के क्रय पर 180.71 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पुरानी बसों के रिनोवेशन पर रू0 10.00 करोड़ कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं भूमि भवन पर रू0 3.00 करोड़ यंत्र संयंत्र पर 1.00 करोड़, यात्री सुविधा पर 6.55 करोड़ तथा कम्प्यूटरीकरण पर 2.50 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, निगम की कार्यशालाओं में कार्य क्षमता में वृद्धि कर 93 प्रतिशत बसों को ऑन रोड कर 342 किमी0 प्रति बस प्रतिदिन की बस उपयोगिता एवं 67 प्रतिशत आकूपेन्सी अनुपात प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त निगम के राजस्व में वृद्धि एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों पर हो रहे अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाये जायेंगे। मान्यवर, मैं अन्त में इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता की सेवा एवं उसकी संतुष्टि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता एवं उपलब्धि है। अत: अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से पुन: सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस उपयोगी अनुदान में अपने विचार एवं सुझाव देकर विभाग को लाभान्वित करें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मंत्री जी बहुत योग्य और गंभीर व्यक्ति हैं। उनसे मैं उम्मीद करता था कि परिवहन विभाग के बारे में कुछ ऐसी घोषणायें करेंगे जिससे समाज लाभान्वित होगा। लेकिन परिवहन विभाग के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मान्यवर, परिवहन विभाग समाज से जुड़ा है। जबसे मानवीय सभ्यता का उदय हुआ और कबीलाई समाज विकसित हुआ तब से लेकर आज तक समाज में परिवहन की उपयोगिता बराबर बनी हुई है। 17 करोड़ आबादी का यह प्रदेश है इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों को तथा उनकी संस्कृतियों से एक दूसरे को जोड़ने का काम भी यह विभाग करता है। इसके अलावा जो 40 फीसदी लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके कल्याण के लिए भी यह विभाग काम करता है अगर देखा जाय तो यह विभाग सांस्कृतिक एकीकरण करके देश की एकता तथा अखण्डता बनाये रखने में भी अपना योगदान करता है।

इसलिए सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाय। परिवहन के साधनों में वायुयान, रेल, जलमार्ग तथा रोड ट्रांसपोर्ट आते हैं। इनमें से रेल तथा वायुयान केन्द्र सरकार के अधीन है। परन्तु रोड ट्रांसपोर्ट तथा जल परिवहन सरकार के नियंत्रण में है। इस तरफ ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधायें प्रदान की जायं। इस बात की उम्मीद थी कि प्रदेश के परिवहन विभाग की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ जायगा लेकिन इस विभाग की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। आयोजनागत पक्ष में 175 हजार करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया। इससे जाहिर होता है कि विभाग का बजट लगातार कम हो रहा है। हमारे योग्य परिवहन मंत्री जी ने जल परिवहन के सम्बन्ध में घाघरा नदी में फैजाबाद से बलिया के बारे में योजना की जानकारी दी है। इस पर केन्द्रीय विभाग द्वारा सर्वे किया गया था और 15 लाख रूपये की योजना प्रस्तावित की गयी थी। इसके पहले के जो बजट हैं उनमें भी इस योजना के बारे में बताया गया था लेकिन इसको शुरू नहीं किया गया। इलाहाबाद से बलिया के बीच में जो भाग पड़ता है वहां बिगड़ते पर्यावरण और पानी की कमी के कारण जल परिवहन की इस योजना में बाधा आ रही है और इस योजना पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है।

परिवहन विभाग के माध्यम से जनता के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार को सुविधा देनी चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने व्यापारियों की पंचायत बुलायी थी और उसमें कहा था कि 9 टन की जगह पर 15 टन भार वहन करने की

सुविधा दी जायगी। इसके बारे में बजट में उल्लेख करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव वर्ष होने के नाते हो सकता है कि यह घोषणा कर दी गयी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि 15 टन भार ले जाने की अनुमति दे दी गयी तो क्या हमारी सड़कों का क्रस्ट इतना मोटा है कि वह यह भार वहन कर सकें। इसी तरह से 15 टन वजन लेकर जब ट्रक चलेंगे तो जो पुलिया या पुल पड़ेंगे उनकी मरम्त आदि पर कितना खर्च होगा और कितना राजस्व हमें मिलेगा इस अनुपात का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ट्रेक्टर ट्राली से किसानों के नाम पर जो माल ढोया जा रहा है उसके बारे में रोक लगाने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपने ट्रांसपोर्ट नगरों की बात की है, कितने नगरों में ट्रांसपोर्ट नगर बने हैं। मैं समझता हूँ कि 83 जनपदों में 70 फीसदी से ज्यादा जनपद इस तरह के हैं जहां किसी तरह से ट्रांसपोर्ट नगर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मुझे यह उम्मीद थी कि परिवहन विभाग और पी0डब्लू0डी0 आपस में संयुक्त बैठक करके इस तरह का समायोजन करके कुछ नई योजना इस नये बजट में योग्य परिवहन मंत्री के माध्यम से सदन के अन्दर प्रस्तुत करने का काम करते। परन्तु इस तरह की सुविधा देने का काम नहीं किया गया 17 करोड़ की आबादी में जहां जनता का एक दूसरे के सुख दुःख में आना जाना होता है बस बेड़े बे माध्यम से ही यह होता है लेकिन आप अपने आपको व्यवसायिक संगठन की बात करते हैं उस सबके बावजूद यात्रियों को मिलने वाली सुविधा की तरफ देखें तो यह नगण्य है। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 की जो बसें संचालित होती हैं उसके 418 बस अड्डे इस प्रदेश के अन्दर मौजूद हैं निजी बस संचालकों को किसी तरह से कोई बस अड्डा देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सभी बस अड्डे शहरों के बीच में आ गये हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होने की वजह से ट्राफिक जाम रहता है। बसों के अन्दर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, शौंचालय, मूत्रालय, पंखों की व्यवस्था नहीं है न ही कोई प्रकाश की व्यवस्था है। बस अड्डा प्राधिकरण बनाने के लिए 1995 में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था उस समय पटेल जी परिवहन मंत्री थे इसमें बस अड्डा विकास प्राधिकरण के लिए जापान सरकार की ओ0आर0सी0 द्वारा कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 10 लाख रूपये की प्राथमिक अंशदान देने का आश्वासन दिया गया था 1995 से लेकर आज तक हर परिवहन विभाग के बजट और आय व्यय के साहित्य में मात्र लिखकर उसकी इतिश्री समझ ली गई इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना इस सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं जो शहर में भीड़ भाड़ में मौजूद बस अड्डे हैं अपनी आर्थिक दयनीय हालत को सुधारने के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों से अथवा नगर विकास मंत्रालय से सामन्जस्य स्थापित करके भूमि और किसी तरह से कामर्शियल उपयोग करके बस अड्डा, अपने वर्कशाप शहर से बाहर स्थापित करके लोगों को सुविधा व इनकी तरफ से अपनी महत्वाकांक्षी योजना बनाने की बात करते तो मैं समझता हूँ कि परिवहन मंत्री की योग्यता की दाद देने को हम मजबूर होते। तमाम सुविधाओं की तरफ उल्लेख करने का कोई कार्य योग्य परिवहन मंत्री द्वारा इस परिवहन बजट में नहीं किया गया है।

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की भभकी में आकर बस अड्डा विकास प्राधिकरण बनाने का कार्य नहीं किया। मुझे विश्वास है कि अपने जवाब में मंत्री जी निश्चित रूप से बस अड्डा प्राधिकरण के गठन के लिए एक संकल्प बद्ध कार्यक्रम के रूप में कार्य योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करेंगे। निजी बसों और रोडवेज की बसों का एक संयुक्त बस अड्डा का निर्माण उत्तर प्रदेश की विशाल जनता के लिए खिदमत का काम होगा। सड़क सुरक्षा समिति के लिए आपने कहीं प्राविधान बजट में नहीं किया है। मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर इस तरह की समिति की बैठक होती है कि नहीं लेकिन जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति की कोई बैठक में कभी भी जनप्रतिनिधियों को बुलाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तरह से स्कूलों में जाकर सड़क सुरक्षा के बारे में कोई कार्यक्रम चलाने का काम नहीं हुआ। समाज के हर वर्गों में जाकर जनजागरण का अभियान चलाने व ट्राफिक में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिस्प्लिन आफ कंडक्ट की जरूरत है। जिस तरह से इसका प्रयास मंत्रालय द्वारा होना चाहिए वह नहीं हुआ सड़क सुरक्षा समिति का गठन केवल कागजों पर बनकर रह गया है।

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

और न ही उस बात की कोई चेष्टा परिवहन बजट के अन्तर्गत देखने को मिली। राज्य परिवहन अनुसंधान के गठन के लिए राशि के प्राविधान का एलान किया गया पर लखनऊ और कानपुर की ट्रेफिक समस्याओं की बात हो या कहीं कोई सर्वे कराने की बात यात्रियों की परेशानीकी बात हो उसके लिए रेल इंडिया टेक्निकल सर्विस राइट्स की तरफ नजरे उठाकर जाना पड़ता है उसके एवेज में फीस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम स्थितियों के बावजूद विभाग की ओर से जो आकड़े रखने का काम किया गया है मैं उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। निजी बसों से यात्रीकर के रूप में जो लक्ष्य सन 2000-2001 में रखा गया था उसमें रु0 1318343000 लक्ष्य रखा गया जबकि वसूल किया गया रु0 1287909000, यानी वसूल किया गया 97.6 प्रतिशत।

परिवहन निगम से जो यात्रीकर हमें मिलता था जिसका लक्ष्य 130 करोड़ रखा गया जिसमें केवल 65.13 प्रतिशत यात्रीकर के रूप में निगम के द्वारा जमा कराया गया फिर 129 की जगह केवल 79 करोड़ रुपये वसूलने का काम किया गया। जो भी कार्य किया जा रहा है वह संसदीय संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। और बकाये को चुकाने के लिए यात्री पर बोझ पड़ता जा रहा है। लगभग 269 करोड़ रूपया यु0पी0एस0आर0टी0सी0 पर बकाया है जिसके पेमेंट की कोई योजना इस बजट में नहीं की गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमांचल हमारे करीब के प्रदेश हैं यहाँ पर 83 से 85 के बीच में हमारे बोर्डर स्टेट के बीच परिवहन के पारस्परिक समझौते हुए ना तो उनका नवीनीकरण किया गया ना ही कोई नया समझौता किया गया। इसका कारण रहा सीमांत प्रदेशों के तमाम बसों को लाइसेंस के बिना अपनी बसो का संचालन हमारे प्रदेश में करके हमें चोट पहुँचा रहे हैं इस पर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण, कंट्रोल नहीं है। इस ओर कोई चिंता नहीं की गई। मैं सुझाव के रूप में कह सकता हूँ हरियाणा ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ने अपने सीमांत प्रदेशों से लगने वाले मार्गों का राष्ट्रीयकृत मार्गो को निजी करने का काम किया है। आपकी बसों का बेड़ा कम हो रहा है सुविधायें आप दे नहीं पा रहे हैं जो आपकी बसों की संख्या है वह आपने बताई 6405 जिसके अन्तर्गत 2914 ओवरएज बसे हैं मतलब यह कि 3491 बसें 17 करोड़ की आबादी के 294 हजार वर्ग किलोमीटर के दायरे में जनता को सुविधा देने के लिए मौजूद हैं। किस तरह से पूरी जनता को सुविधाये दे पायेंगे आप। आपको चाहिए कि आप भी अपने सीमांत प्रदेश की सीमा से लगे मार्गो का राष्ट्रीयकरण करें उस पर नियंत्रण आपके विभाग का मजबूती के साथ रहे। हमे अपने बेड़े की क्वलिटी को सुधारना होगा। ओवरएज बसो को नया बनाये उनमें जान फूँकने का काम करे। सीमांत प्रदेश की चलने वाली बसों पर आपके विभाग का नियंत्रण होना चाहिए। यूपीएसआरटीसी निजी बसों को प्रोत्साहन देने का काम करे। आज चिन्ता इस बात की होनी चाहिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा खिदमत लोगों की कर सकते हैं उन्हें अपनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा कर। इतना ही नहीं निजी बस संचालकों का उत्पीड़न मोटर वैहिकल एक्ट की धारा-207 का दुरूपयोग करके आपके अधिकारियों के द्वारा होता है, गृह विभाग के पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है। इस मोटर वैहिकल एक्ट की धारा-207 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी बस द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी आर0सी0 को सीज करना चाहिए जबकि उसकी बस को सीज कर दिया जाता है। इस तरह से इस धारा का दुरूपयोग इन लोगों को परेशान करने के लिये किया जाता है उनके आर0सी0 को न सीज करके उनके वाहन को ही सीज कर देते हैं। बस और ट्रक को खड़ा कर देते हैं जिससे कि उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

शासन द्वारा अनेक बार शासनादेश जारी होते हैं कि परमिट, टैक्स और फिटनेस आदि परिवहन विभाग के अधिकारी देखेंगे, पुलिस नहीं, लेकिन फिर भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मोटर वैहिकल एक्ट

की धारा 207 में जो प्राविजन है, वाहनों द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर, वह यह है। मैं पढ़ देता हूँ।

Provided that where any such officer or person has reason to believe that a motor प्रोवाइडेड दैट व्हेयर एनी सच आफिसर आर परसन हैस रीजन टू बिलीव दैट ए मोटर vehicle has been or is being used in contravention of section 3 or section 4 or वैहिकल हैज बीन आर इज बीइंग यूज्ड इन कन्ट्रावेन्सन आफ सेक्सन-3 आर सेक्शन-4 आर without the permit required by sub-section-1 of section 66 he may, instead of विदाउट दि परमिट रिक्वायर्ड बाई सब-सेक्सन-1 आफ सेक्सन-66 ही मे, इनस्टीड आफ seizing the vehicle] seize the certificate of registration of the vehicle and shall सीजिंग दि वैहिकल, सीज दि सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन आफ दि वैहिकल एण्ड सैल issue an acknowledgement in respect thereof.

इश्यू एन एकनालेजमेन्ट इन रिस्पेक्ट देयर आफ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गर्ग जी, जो आपने अभी प्रोविजन पढ़ा है, इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दीजिये।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, जो धारा अभी मैंने पढ़ी है उसका मूल उद्देश्य यह है कि अगर किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी आर0सी0 को सीज किया जाना चाहिए बजाए इसके कि बस और ट्रक को सीज करने की बात संबंधित अधिकारी के द्वारा की जाय।इतना ही नहीं मैं एक और सुझाव माननीय परिवहन मंत्री जी को देना चाहता हूँ। आपके द्वारा और इस सदन के द्वारा बनाये गये तमाम नियमों और कानूनों में इस बात का प्राविधान है कि फिटनेस का सर्टिफिकेट देने के लिये निजी गैराजों को औथराइज किया गया है। मोटर वैहिकल एक्ट में इसका प्राविधान किया गया है लेकिन पूरे प्रदेश में फिटनेस का सर्टिफिकेट देने के लिये कोई निजी गैराज अधिकृत नहीं है। जब प्राविधान है तो उसको लागू करने में क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि आपके जो आर0आई0 हैं जिनकी इसी से 2.00 लाख रुपये प्रतिमाह की इनकम होती है वे इसको लागू नहीं होने देते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट देने में अड़चन पैदा करते हैं और मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करके रुपया वसूलते हैं। इन पर भी अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। निजी गैराज भी फिटनेस का सर्टिफिकेट देने के लिये नियम में मान्य है तो क्यों नहीं उसको औथराइज करते हैं।

मैं एक बात और सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि यु0पी0 मोटर विहिकल टैक्सेसन एक्ट एण्ड रूल्स के अनुसार बसों की समय सारिणी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। बस संचालकों द्वारा समय सारिणी परिवहन निगम को दी जानी चाहिए लेकिन वे नहीं देते हैं यदि देते हैं तो उसमें जैसे दो ट्रिप का जिक्र किया है लेकिन समय तय नहीं है तो वे उसमें दो की जगह 8-10 ट्रिप लगा लेते हैं जिससे यात्रीकर की चोरी होती है। यदि उस रूट पर आप उसको पकड़ते भी हैं तो वह कहते हैं कि परमिट इस रूट का है और आप उससे यात्रीकर नहीं वसूल पाते हैं। इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय सारिणी अवश्य परिवहन विभाग को वे उपलब्ध करायें। पोल्यूशन की तरफ जाहिर की गई है। केन्द्र सरकार ने तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध माना है। प्रदूषण को रोकने के लिये लखनऊ में जो टैम्पो बन्द करके उसके स्थान पर मार्शल और बैटरी चालित स्कूटर टैम्पो चलाने की अनुमति दी है, वह एक अच्छा काम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ लखनऊ में ही नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है। वाहनों से 65 फीसदी प्रदूषण पूरे प्रदेश में हो रहा है इसके लिए कई बार रिसर्च हुआ है किस तरह से कार्बनडाइआक्साइड गैस धुएं के रूप में छोड़ी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

संक्षिप्त कर दें।

श्री संजय गर्ग--

यू0पी0आर0टी0सी0 की जो बसें हैं वह प्रदेश में धुँआ फैलाने का काम कर रही हैं इसके लिए जितनी चिन्ता करनी चाहिए थी, जितना बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है इसमें बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, तमाम चीजों के अलावा राज्य परिवहन निगम के आंकड़े बड़ी खूबसूरती के साथ, जिस तरह बूढ़ी महिला को लिपिस्टक बिन्दी लगाकर पेश किया जाता है उसी खूबसूरती के साथ इन्होंने बजट पेश किया है। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए तरस आ रहा है मंत्री जी पर, यू0पी0आर0टी0सी0 लगातार घाटे में जा रहा है इस घाटे के बावजूद हरीश जी ने 175 हजार रुपये का प्राविधान किया। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान इन्हें नहीं दिया गया है। ओवरएज बसों का प्रतिशत 48.44 है यह 8 लाख किलोमीटर ज्यादा संचालित हो चुकी है, यह यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यू0पी0आर0टी0सी0 का 651 करोड़ से ज्यादा का घाटा है, यात्री कर का बकाया 239 करोड़ है इसका समायोजन नहीं किया है अगर 651 इसमें जोड़ दिया जाय तो किस तरह से इसका समाधान निकालने की बात करेंगे। यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल जनता के सामने खड़ा हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साहित्य के माध्यम से मंत्री जी न उपलब्ध कराये हैं। बस बेडे की संख्या घट रही है 1992-93 में बस बेड़े की संख्या 8205 थी जो निरंतर घटती जा रही है। 1999-2000 में बस बेड़े की संख्या 6,531 थी 2000-2001 में यह 6,405 रह गई और 2000-2001 में 2914 बसें ओवर एज हुई हैं। चलने लायक जो सबें हैं वह हैं 3,491 यह इतनी कम संख्या में हैं क्या यह यात्रियों की सेवा कर पाएंगी बहुत बड़ी सवालिया नजर हम पर लग जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग--

मैं समझता हूँ विषय से हटकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। उचित समझें तो थोड़ा सा समय और दे दें। रचनात्मक सुझाव के रूप में आप इसको लेंगे तो निश्चित रूप से जनता की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं1 प्रदेश की जनता को सुविधा प्रदान कर सकें और प्रदेशों में, जो यू0पी0आर0टी0सी0 की पोजीशन है। मान्यवर, हरियाणा में 99-2000 में 3,685 बसें थी और जबकि हमारे यहाँ 7,898 बसें थीं। हरियाणा में 3,685 बसों ने 3791 लाख यात्रियों को ढोने का काम किया जबकि हमारे यहाँ उनके मुकाबले दो गुनी बसों ने 3,632 लाख यात्रियों को ढोने का काम किया। उसका कारण यह है कि उन निष्प्रयोज्य और बीमार बसों को सिर पर लादकर यात्रियों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। बल्कि और लोगों के साथ भी खतरा पैदा करने की बात इसके माध्यम से कर रहे हैं। और इसी कारण आठवीं और नौवीं योजना में केन्द्र सरकार ने इस बात का उल्लेख किया। 88-89 से कोई अंशदान हमें वहाँ से नहीं मिला है, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ है। और यही वजह है कि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो यात्रीकर है उसे रोककर घाटे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह नहीं होना चाहिए। 129 करोड़ इस वर्ष हमारा लक्ष्य है। कुल 56 प्रतिशत की वसूली की गयी है और उस पैसे का इस्तेमाल विभाग द्वारा हो रहा है तो यह एक सवालिया निशान खड़ा करने की बात कर रहे हैं। संशोधन की बात कही गयी। आपने कहा कि 28.08 करोड़ का प्राविधान किया था और यात्री कर की 269 करोड़ की देनदारी है उसको जोड़ने का काम नहीं किया गया है।

इसी तरह से कर्मचारियों की देयता 120 करोड़ की है तो इस तरह से 389 करोड़ इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से इसकी दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो जनता के साथ आप क्या न्याय कर पायेंगे यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात को उल्लेख है कि परिवहन निगम का मई 98 तक 176.70 करोड़ का बकाया है तथा वर्तमान में 269.70 करोड़ यात्रीकर का बकाया है। इसमें केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार का अंशदान भी शून्य रहा है इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं आप बतायें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अप्रैल 1983 से मई 98 तक की अवधि में संग्रहीत यात्रीकरण 394.08 करोड़ रुपये के विरुद्ध केवल 217.38 करोड़ रुपये ही सरकारी कोष में जमा किये हैं। इस प्रकार उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा 176.70 करोड़ रुपये कम जमा किया गया जो अनियमित था। यह ए0जी0 की टिप्पणी में है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। आपकी काफी बात आ गयी है।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं बस पॉच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, हम लगातार 2980 तक नेशनाइजेशन पालिसी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आज के इस दौर में निजीकरण को बढ़ावा देने की बात है जहाँ कहीं सरकार रक्षा व ऐयर सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहीं है वहीं ऐसी स्थिति का आंकलन करके यात्री परिवहन की समस्या को सर झुकाकर और आँख मूंदकर समाधान करने का प्रयास करेंगे तो जनता की सुविधा की बात नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, और इसलिये आपके माध्यम से अनुरोध है कि अनुबंधित बसों का फार्मूला आपने निभाने का काम किया उसमें 8 रुपये प्रति किलोमीटर देते थे जबकि खर्चा ज्यादा आता है वह भी आपका नुकसान में होने के कारण ड्रा कर दिया है। एक सेक्शन में दिल्ली, सहारनपुर से सम्बद्ध 38 मार्गो और नोयडा दिल्ली नगरीय बस सेवा में निजी बसों की अनुबंध की प्रक्रिया तो जारी रहेगी यह बयान आया। मान्यवर, आपके निजी बस संचालक आ भी नहीं रहे हैं यू0पी0आर0टी0सी0 का 11.87 रुपये खर्च आता है तब भी रुपये 1.26 प्रति किलोमीटर का नुकसान होता है। अब आप किसी तरीके से अनुबंध के जरिये अपनी नीयत को साफ नहीं रख पा रहे हैं? मान्यवर, क्षमता, वृद्धि और जो अन्य बातें भी उनके समाधान के लिए विभिन्न समितियां बनीं इसमें पामेला कमेटी, सरदार करनैल सिंह कमेटी, फाइनेंसियल रिसोर्स मोबीलाइजेशन के लिए बजाज कमेटी की रिपोर्ट आयी परिवहन पर 1994 में। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी की रिपोर्ट 18.11.96 को आयी उसके बाद कैबिनेट के निर्णय पर दिनांक 23-7-1998 में प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में कमेटी बनी और रिपोर्ट आयी उपरोक्त दो कमेटी की रिपोर्ट सहारनपुर, दिल्ली व 33 अन्य बस मार्ग पर भी की है। इनकी रिकमंडेशन थी कि परिवहन की सुविधाओं के संबंध में यह निगम अपने आप में सक्षम नहीं हैं इन सब ही समितियों ने राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को रद्द अथवा संशोधित करते हुए निजी बसों के चलाने की संस्तुति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात का आश्वासन देने का काम किया।

मान्यवर, माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा गठित परिवहन समिति का प्रतिवेदन है यह 1998 का है इसमें यह तथ्य रखा गया कि न्यायालय में लंबित होने की वजह से हम उसका जवाब नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, कैबिनेट के निर्णय पर बनी कमेटी ने निर्देश दिया था कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देख लिया गया है और उसके बाद सहारनपुर से दिल्ली तथा उससे सम्बद्ध 39 मार्गो पर दिनांक 9.9.94 को चल रही बसों की संख्या तथा निगम की वर्तमान में बसों की संख्या को घटाते हुए शेष संख्या की निजी बसों को चलाने की अनुमति दी जाय यह संस्तुति की। मान्यवर, 18.11.96 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी। उसके संबंध में विधान सथा के प्रथम सत्र 1999 के चौथे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर था इसमें उल्लेख आया है उसमें यह था कि राष्ट्रीयकृत मार्गो पर रोडवेज की बसों के साथ-साथ निजी बसों को भी चलाने की अनुमति दी जाये जिसकी संस्तुति की गयी थी मान्यवर, उसमें यह राय थी कि मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 102 में संशोधन की बात कहीं गयी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, इस बैठक में जिन 7 रूटों की संस्तुति की गयी थी उसमें 2 रूट अलीगढ़ के थे और 2 इटावा के थे जिसमें कहा गया कि इनके संबंध में प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गयी है और इन सभी रूटों पर रोडवेज की बसों के साथ-साथ निजी बसों के संचालन की सुविधा भी दी जायेगी। लेकिन मान्यवर, जो भेदभाव की बात है पश्चिम में मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर जनपदों के जो दूरगामी इलाके हैं जो ग्रामीण अंचलों को जोड़ते हैं उनके तीन रूट नहीं लिये गये। वह थे सहारनपुरलोनी-वाया शामली-बड़ौत-बागपत आगे दिल्ली तक उसके बाद मेरठ-चंडीगढ़ वाया बड़ौत-शामली-गंगोह सहारनपुर आगे तक उसके बाद सहारनपुर-करनाल वाया जेयरा आगे न्यू यमुना ब्रिज तक यह उस उत्तर में अंकित हैं जिसके लिए कहा गया और यह आश्वासन सदन में दिया गया कि क्रमांक 6 व 7 पर अंकित मार्गो के संबंध में प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत होना शेष है उक्त तीनों मार्गो/मार्गांशों से संबंधित योजना को संशोधित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति हो गयी है। इस संबंध में विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अधिसूचना निर्गत की जायेगी। मान्यवर, 16.4.99 को प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गयी। माननीय अधिष्ठाता जी, उस पर सुनवाई चली, विशेष सचिव को नियुक्त कर दिया गया उन्होंने सुन लिया।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, उन्होंने अपनी निर्णय दी कि इन तीन रूटों पर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाय। परन्तु उसके बाद बिना किसी आधार के न्याय विभाग की जो राय ली गयी।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें। बस समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, न्याय विभाग ने साफ तौर से उसमें राय दी कि "मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-102 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दी गयी अधिसूचना को श्रवण अधिकारी द्वारा उपान्तरम अनुमोदित करने के उपरान्त निरस्त नहीं किया जा सकता है। एवं धारा-102 की उपधारा (2) के अधीन सुनवाई के उपरान्त, श्रवण अधिकारी द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार के लिये बाध्यकारी प्रकृति का होता है। उनका आदेश ही प्रस्तावित उपान्तरण को अनुमोदित करने या अस्वीकृत करने के तथ्य का निर्णायक होता है।"

(श्री अधिष्ठाता द्वारा बार बार समाप्त किये जाने का आग्रह करने के बावजूद श्री संजयगर्ग द्वारा अपनी बात कहते रहने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आज परिवहन विभाग का बजट है और इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा सौतेला व्यवहार हमारे जनपदों के साथ किया जा रहा है माननीय मंत्री जी तो राजा है और सदैव आपका प्रजा पर दया करने का भाव रहा है आप जनता के हित में कुछ करने का काम करें। इस शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बजट के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि

वह जनता की सुखसुविधाओं का ध्यान दें। रेल यात्रा के बाद अगर कोई साधन सुलभ है जो जनता को आसानी से प्राप्त होता है तो वह केवल बस की सुविधा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ परिवहन मंत्री जी को जिनका विभाग घाटे के लिए हमेशा मशहूर है लेकिन उन्होंने उस विभाग की आय को बढ़ाया है इसलिये मैं उनको इस आधार पर बधाई देना चाहता हूँ। वर्ष 2000-2001 में परिवहन निगम द्वारा 812 नई बसों को खरीद कर बेड़े में बढ़ाया है जिससे यात्रियों को सुविधा प्रदान हुई है इसके लिए भी मैं माननीलय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। वर्तमान समय में निगम के पास 6500 बसें हैं अपनी और अनुबन्धित 1500 बसे हैं लगभग 8000 बसे उनके पास हैं जिससे वह उत्तर प्रदेश की 16-17 करोड़ जनता की सेवा करती हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए परिवहन निगम के पास बसों की संख्या बहुत कम है। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने यात्रियों को सुविधा देने के लिए डीलक्स और सेमीडीलक्स बसे चलायी हैं और उसकी सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराई हैं। वातानुकूलित बसों को चलाने का निर्णय विचाराधीन है और उस पर जरूरी कार्यवाही भी हो रही है। इसके लिये भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। यह पहली सरकार है जिसने यात्रियों को जो बस से यात्रा करते हैं और रास्ते में उनको जो आवश्यकता होती है उनके लिए परिवहन विभाग ने सुसज्जित ढाबों का इंतजाम किया है और वहाँ पर उचित मूल्य पर जो भी आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है वहाँ पर टेलीफोन की सुविधा रहने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की सुविधा स्त्री पुरुषों के प्रशाधन की सुविधा उपलब्ध करायी है। मान्यवर, मैं एक बात के लिये और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लखनऊ में अन्तर्राजीय बस सेवायें उपलब्ध कराने के लिये आलमबाग में एक अर्न्तराज्यीय बस अड्डा बनवाया है और वह लगभग बनकर तैयार हो गया है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि यह सारे सुझाव माननीय मंत्री जी की जानकारी में हैं, किन्तु फिर भी मैं इसको सदन के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि परिवहन निगम के पास जो बसें हैं, उनसे अच्छी सुविधा, परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बसें जो हैं, उससे जनता को प्राप्त हो रही हैं। आज मौजूदा स्थिति में वातानुकूलित बस सेवा परिवहन निगम नहीं दे पा रहा है किन्तु जो अनुबंधित बसें हैं, वह वातानुकूलित बस सेवा दे रही हैं, अभी तक लगभग 1500 अनुबंधित बसें संचालित हो रही थीं, लेकिन 10 मार्च, 2000 के आदेश से इन बसों को यात्री बीमा, यात्री सुविधा, स्टेशन चार्जेज और स्टेशन प्रबन्धन आदि वसूलने के आदेश दिये गये, इसके कारण इन अनुबंधित बसों के वाहन स्वामियों पर काफी भार पड़ा और उन्होंने अनुबंधित बसें हटाना प्रारम्भ कर दिया।

मैं एक और बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने जनपद लखनऊ की बात करना चाहता हूँ। यहाँ डग्गेमारी करने वाली बसें बहुत सी हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यह बसें, उस स्थान पर डग्गेमारी करती हैं, जहाँ पर रोडवेज के बस स्टेशन बने हैं। मैंने इस संबंध में एक पत्र प्रमुख सचिव जी को लिखा था और उनको अवगत कराया था कि परिवहन विभाग द्वारा टाटा सूमो, मार्शल जीपों को आल यू0पी0 परमिट दिया जा रहा है और यह रिजर्व पार्टी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और परिवहन निगम के बस स्टेशन से एक किमी0 की परिधि में इनका अड्डा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह लोग परिवहन विभाग के बस स्टेशन के सामने से यात्री ले जाते हैं। मैंने यह प्रार्थना की थी कि इससे अनुबंधित बसों के साथ ज्यादती होती है, जो इन बसों के यात्री हैं, उन यात्रियों को बुलाकर डग्गेमारी वाली बसें ले जाती हैं, जिससे अनुबंधित बसों को घाटा होता है, साथ ही सरकारी बसों, परिवहन निगम को भी घाटा होता है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स एसोसियेशन ने 15 मई, 2000 को एक पत्र प्रबन्ध निदेशक महोदय को लिखा था और मैं उस पत्र का डिटेल तो नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन 14 बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया गया था, उस पर उनसे चर्चा हुई और वार्ता होने के बाद समझौता हुआ था लेकिन उसकी ओर कोई

ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस पर अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने स्वयं नियम-51 के अन्तर्गत इस सदन में क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए परिवहन निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने के लिए यह बात हमने यहाँ पर उठायी थी और लेखा परीक्षा द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है जिसमें उनके ऊपर यह चार्ज सिद्ध हुआ है और उन्हें पूरी तरह दोषी पाया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अभी हाल ही में बाराबंकी डिपो में बस स्वामियों को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुँचाने के फलस्वरूप परिवहन निगम को क्षति पहुँचाई गयी, इसमें छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई लेनि क्षेत्रीय प्रबन्धक पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि वह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ वाहन स्वामियों द्वारा एक्सप्रेस बस चलाने से उन्हें घाटा हो रहा है और उनके द्वारा उन्हीं मार्गों पर साधारण बस चलाने की मांग की गयी है लेकिन उनका साधारण बस चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जिससे उनकी बसें खड़ी हो रही हैं और उन्हें नुकसान पहुँच रहा है। इस सुझाव के साथ में बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जो शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के सम्बन्ध में वार्षिक कार्य विवरण दिया गया है उसके प्रारम्भ में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बहुमुखी आर्थिक विकास में सहायता प्रदान काने के लिए, इस उद्देश्य से सड़क परिवहन का 1947 में राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका उद्देश्य था सस्ती और आरामदेय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। मान्यवर, 1972 में परिवहन निगम बना। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में विगत वर्ष 12.8 करोड़ आय की वृद्धि हुई लेकिन वास्तव में जो परिवहन निगम है उसको जो रोग लग गया है, यह रोग हमारी सरकार की देन नहीं है, जब से यह परिवहन निगम बना है, अपने मूल उद्देश्य से यह भटक गया और जो 1947 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास था जो आज भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सकल हानि है वह 86.94 करोड़ शुद्ध हानि हुई तो आर्थिक विकास में उसका कोई योगदान नहीं है जो संचालन में कुल व्यक्तियों की स्थिति है वह 7.05, ये कर्मचारी हैं और लोड फैक्टर, जो आंकड़ों में जो बताया गया है वह 57 प्रतिशत है। यदि 57 प्रतिशत लोड फैक्टर होगा तो कोई भी और उसमें काफी संख्या में अगर ओवर एज होंगे तो जो दोनों उद्देश्य हैं जो एक लोकप्रिय सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध कराने की बात है, कैसे होगा? यद्यपि मंत्री जी ने बताया कि 38 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। लेकिन वास्तव में, मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक कार्य विवरण 1999-2000 एवं 2000-2001 का है उसके पृष्ठ सं0-48 पर परिवहन निगम की कुछ समस्यायें दी गयी हैं। मान्यवर, मैं समझ नहीं पर रहा हूँ कि यह शासन जो स्वयं बसों का संचालन इस परिवहन निगम के माध्यम से करता है उसका कहना है कि हमारी कुछ समस्यायें हैं इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय कृत मार्गों पर बिना परमिट के अनाधिकृत रूप से यात्रि वाहनों का संचालन, हम स्वीकार करते हैं।

कान्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट लेकर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्टेज कैरिज के रूप में यात्री वाहनों के रूप में संचालन, हम मान लेते हैं। परमिटशुदा टैक्सियों व टैम्पों का राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निर्धारित सीमा से अधिक यात्रियों को ले जाना-इसे भी हम स्वीकार करते हैं। बिना परमिट भारी संख्या में कारों व जीपों का टैक्सी की तरह संचालन-इसे भी हम स्वीकार करते हैं। ट्रकों द्वारा यात्रियों को ढोना-इसे भी स्वीकार करते हैं, और महानगर बस सेवाओं द्वारा अपने निर्धारित मार्गों को छोड़कर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन-इसे भी स्वीकार करते हैं। मान्यवर, यही नहीं जो माननीय सदस्य श्री सुरेश जी अभी कह रहे थे कि निजी बसों और टैक्सियों को परिवहन निगम के बस स्टैंड से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाय, यह शासन का आदेश है

लेकिन वह हमारे जो बस अड्डे हैं वहां से यात्रियों को ढो कर ले जाते हैं। जब यह स्थिति हो जाती है तो हमें अपनी बसें कैंसिल करनी पड़ती हैं अथवा कम संख्या में यात्रियों को ढोकर ले जाना पड़ेगा। यह असहाय की स्थिति क्यों है? आखिरकार हम सरकार हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सम्पूर्ण प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी व मध्य मण्डल के क्षेत्रों में, अनधिकृत संचालन एक गम्भीर समस्या बन गयी है। मान्यवर, यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अनेक प्रभावशली नेता और माफिया इस क्षेत्र में घुसे हुये है और अवैध रूप से बसें संचालित कर रहे हैं। आखिरकार हमारी क्या मजबूरी है कि हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। मेरा तो यह विनम्र अनुरोध है सरकार का काम जो प्रदेश की 16 करोड़ जनता है उसको उचित संख्या में बसें उपलब्ध कराना है। यह जरूरी नहीं है कि निगम के माध्यम से संचालन किया जाये, मेरा तो विनम्र सुझाव है कि जब बैंकों में वाल्युंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू की गयी, यहां पर यह स्वीकार किया गया कि एक बस पर 7.05 कर्मचारी हैं। आप वाल्युंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू कर दीजिये। मेरा विनम्र सुझाव है कि सहकारी समितियां बनाकर चालक और परिचालकों को दे दिया जाये।

जो बसें निष्प्रयोज्य हो गयी है, उन्हें बेच दिया जाय। परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक बसें अनुबन्धित कर ली जांय। जो बसें ठीक होने के लिए कार्यशाला में जाती हैं वहां क्या होता है यह सभी जानते हैं, जिस प्रकार से नये इंजन बाजार में चले जाते हैं और पूराने इंजन आ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, यद्यपि मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके आमदनी बढ़ायी है, बहुत ही योग्य मंत्री हैं, अगर इस पर विचार करेंगे तो लाभ होगा। मान्यवर, आगरा के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूँगा। आगरा जनपद में जो बिजली घर का चौराहा है वहां पुराना बस अड्डा है जैसे कि सब जगह शहर की आबादी में है, बिजली घर का बस अड्डा भी शहर के बीच में है। ट्रांसपोर्ट नगर का शुभारम्भ आपने किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। यह बस अड्डा शीघ्र से शीघ्र स्थानान्तरित हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, आगरा के की हैं वह सभी समस्यायें जानते हैं।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, आगरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है। जो भी ऐतिहासिक और पर्यटन नगर हैं उनमें टैक्सियां, आटो विना मीटर के चल रही हैं, परिवहन के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि मीटर शीघ्र लगवाये जांय। पुन: माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने माननीय संजय गर्ग द्वारा परिवहन विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, परिवहन विभाग इस प्रदेश की जनता के आवागमन से सीधा जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगर देखा जाये तो जहां आवागमत की सुविधा को बढ़ावा मिलना चाहिए था लगातार यह देखने को मिल रहा है उसमें आज निराशाजनक स्थित होती जा रही है। अगर देखें 1996-97 में जितनी बसें परिवहन निगम के पास थीं आज उनमें घटोत्तरी हो गयी है और 2000 बसें कम हो चुकी हैं। आज जहां प्रदेश की सरकार आम जनता को माननीय मंत्री जी आवागमन के साधनों को उपलब्ध कराने की बात करते हैं। मान्यवर, आप भी इससे अवगत होंगे कि अगर आज देखा जाय तो प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी गरीब है, जिनके पास कहीं आने-जाने के लिए अपना कोई साधन नहीं है उनके पास यह सरकारी बसें ही हैं जिससे वह कहीं आते-जाते हैं या फिर वह डग्गामार वाहन ही होते हैं जिनके बारे में अभी भाई सुरेश जी ने यहां पर जिक्र किया है। मान्यवर, आज परिवहन निगम की आज जो व्यवस्था है उससे बसें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार मजबूर होकर आदमी को

डग्गामार वाहनों का ही सहारा लेना पड़ता है। मान्यवर, वर्ष 1996-97 में, परिवहन निगम की बसों की संख्या-7463 थी जो आज घटकर वर्ष 2000-2001 में मात्र 6293 रह गयीं हैं। अभी जो माननीय मेहरा जी, माननीय परिवहन मंत्री जी को परिवहन निगम के बजट में घाटे की कमी के लिए बधाइयाँ दे रहे थे, तो कहना चाहता हूँ कि यह भी देखना होगा कि वह विगत वर्षों में कितने घाटे में रहे हैं। मान्यवर, यह 2000-2001 बजट में घाटे में आई कमी के पश्चात् भी परिवहन निगम 38.72 करोड़ रूपये के घाटे में हैं।

मान्यवर, आज जो परिवहन निगम की हालत है, यह बर्बादी की कगार पर पहुँच गया है। मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, परिवहन की तमाम समस्याओं को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी एक तरफ तो हम लोगों को आवागमन के साधनों को उपलब्ध कराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो प्रदेश की ग्रामीण अंचलों की सड़कें थीं उन पर जो बसें चलती थीं उनको बंद कर दिया गया है और गत वर्षों से परिवहन निगम लगातार अपनी बसों की संख्या में कमी करता जा रहा है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन सा कारण था जिससे इन बसों को बन्द कर दिया गया, इससे गांव के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसके कारण उन्हें 10-15 किलोमीटर मुख्य मार्गों तक पैदल जाना पड़ता है तब जाकर उन्हें कहीं आने-जाने का साधन मुहैया हो पाता है। मान्यवर, जहां तक घाटे का सवाल है तो कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी निकलते हैं और देखते हैं कि जो आपकी बसों के ड्राईवर और कंडक्टर हैं वह प्राइवेट बसों में सवारियां भरवाने का काम करते हैं और उनके पीछे-पीछे अपनी खाली बसें लिए हुए चले आते हैं। मान्यवर, परिवहन निगम की जो सरकारी बसें होती हैं वह खड़ी रहती हैं। आपके सरकारी कर्मचारी जो कन्डक्टर एवं ड्राइवर होते हैं वह पहले प्राइवेट बसों को भरवाने का काम करते हैं। और सरकारी बसों को खाली ले जाने का काम करते हैं, कैसे आपको आमदनी होगी। निश्चित रूप से आमदनी घटाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, आज आप आम जनता को सहूलियतें देने की बात करते हैं, लेकिन इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है इस बारे में नजर डालने का काम करेंगे तथा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों की स्थिति को देखने का काम करें। मैं कहना चाहता हूँ कि हम और आप आर0टी0ओ0 आफिस चले जायें वहां पर जो स्टाफ बैठा है और वह जान जा सके कि आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं या विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं तो शायद आपका विभाग पैसा लेने से नहीं चूकेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज बड़े पैमाने पर परिवहन निगम की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है और निरन्तर इस विभाग की बसें घटती जा रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस प्रदेश की जनता के सामने आवागमन का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा। आज जो डग्गामार वाहन पूरे प्रदेश में चलाये जा रहे हैं इनको रोककर नयी बसें चलाने का काम करेंगे तो इस विभाग की आमदनी बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इस प्रदेश की जनता की आवागमन की सुविधा के लिए आपको उचित प्रबन्ध करके नयी बसों को चालू करके सुविधा उपलब्ध कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री संजय गर्ग द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज बजट पर आलोचना और समालोचना तथा प्रशंसा की बात माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है, परन्तु सभी समझते हैं एक दूसरे की आलोचना करना, अपवाद करना बहुत सरल बात है। यह सारी जनता जानती है कि सरकार आती है और चली जाती है। कभी लोकदल की, कभी भाजपा की, कभी सपा की, कभी बसपा की। मान्यवर, हम यहां पर परिवहन विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, परन्तु इसके समाधान के लिए संयुक्त रूप से यदि हम प्रयास करें, तो आज नहीं, अभी से समस्या का निदान हो सकता है। हम जानते हैं कि परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। यह घाटा आज से नहीं है। यह घाटा तो पहले की से ही था और आज हम विचार कर रहे हैं, आज घाटे पर सागर मन्थन हो रहा है और हम कह रहे हैं कि घाटा हो रहा है।

मान्यवर, हम और आप चले जाते हैं। इस देश के और इस प्रदेश के अन्तर्गत जो अफशरशाही है उसका घोटाला देखें। मान्यवर, यहां पर बड़े-बड़े तेजस्वी भाषण से विपक्ष द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि भ्रष्टाचार में अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं, लेकिन हम सभी को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। मा0 मंत्री जी को तो इस बात के लिए बधाई देना चाहिए कि यह डिपार्टमेंट ज़ो घाटे में जा रहा था इसके राजस्व को इन्होंने एक वर्ष में बढ़ाया है। इन्होंने अपने प्रयास से अनुबंधित बसों को बढ़ाकर जनता की वाहवाही लूटी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जनता को बसों की सुविधा मिल रही है। पर फिर भी आज बसों की कमी की बात कही गयी, मंत्री जी अब ट्रैक्टर ट्राली की यात्रा सुविधा दे दी है। 10-15 किलोमीटर जाना है तो यात्री उससे चले जायं कहीं आपको बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स से फ्री कर दिया है, अब बसों की परवाह नहीं करनी चाहिए और 10-20 किलोमीटर तो ट्रैक्टर ट्राली से जाना आसान है। हां लम्बी दूरी के लिए बसों की जरूरत पड़ेगी जो उपलब्ध हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो घाटा है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाये। आज स्थित यह देखने में आती है कि बस को रोकने के लिए यात्री हाथ उठाते हैं, बस रूकती नहीं है, सवारी खड़ी रहती हे। जब बस में सवारी नहीं बैठायी जायगी तो घाटे का धन कहां से मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो घाटा दूर नहीं होगा। केवल यही निगम आज घाटे में नहीं है, 50-55 निगम घाटे में हैं। ये जो घाटा है यह आज का तो नहीं है। एक दिन में हमारी सरकार ने यह घाटा नहीं किया है।

यह बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है, हम सबको माथे पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है? हम विधायकगणों को भी सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है? आप देखें कि प्राइवेट-बस बाले एक बस से कुछ सालों में ही 4 बसें कर लेते हैं, तो क्या कारण है इसका तात्पर्य है हमारा घाटा बढ़ रहा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो 812 नयी बसें मा0 मंत्री जी चलाने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आज बसों में जो चोरी और डकैती हो जाती है। इसके लिए आप बसों में 2-2 कांस्टेबिलों की व्यवस्था करें ताकि चोरी व डकैती की घटनाओं को रोका जा सके। पहले बसों में दो दरवाजे हुआ करते थे अब एक दरवाजा कर दिया गया है। इससे जब कभी दुर्घटना हो जाती है तो यात्रियों को बस से निकलने में बहुत कठिनाई होती है। मेरा कहना है कि पहले की तरह बसों में दो दरवाजे लगाये जायें। दूसरे ड्राइवर आज बस बहुत तेज चलाते हैं जिससे तमाम दुर्घटनायें होती हैं और बहुत से नौजवान मारे जाते हैं और बसें टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं। इस पर किसी सरकार ने विचार नहीं किया। कुछ दिन पूर्व मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जिला गाजियाबाद में 509 लोग एक वर्ष में बसों से कुचलकर मारे गये हैं। आज चोरी डकैती में इतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने बसों की दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। एक्सीडेंट सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ रहे हैं। और हमारे नौजवान काल के गाल में जा रहे हैं। ड्राइवर पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है बस एक दिन के लिये जेल जाता है दूसरे दिन छूट जाता है इस पर किसी ने विचार नहीं किया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, केवल बुरी बात तो कही जाती है लेकिन उपाय नहीं निकाला जाता है। हमें संयुक्त रूप से मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए जो आज परिवहन विभाग में घोषणा की गयी है कि बस-दुर्घटना में यदि कोई मारा जाता है तो उसके परिवार को 20 हजार रूपया दिया जायगा। यह अच्छा कदम है इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जोरदार समर्थन करता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। एक संयोग का जिक्र करना चाहूँगा पिछली बार आबकारी मंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया था आज परिवहन अलग है। आज आबकारी के बाद परिवहन का बजट पेश हुआ। बसों में लिखा जाता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है वही आज हुआ। जिन समस्याओं की ओर श्री केशौ मेहरा जी चर्चा कर रहे थे। वह हमारी नालायकी और

असफलता है। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा पश्चिम में 38 व सहारनपुर दिल्ली रूट के सम्बन्ध में। वर्षों फाइल कभी इधर कभी उधर कभी इस न्यायालय में कभी उस न्यायालय में, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने विस्तार से उल्लेख किया। मैं राजनीतिक बात कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव का साल है, मंत्री जी पश्चिम के हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर दिल्ली की 38 बस रूट हैं वहां वर्ष 1959 की परमिट है।

पहले कम लोग बसों में सफर करते थे लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग बसों में सफर करते हैं इन सबको देखते हुए व्यवहारिक योजना बनाकर तत्काल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या का हल करें। दूसरी बात जो रोडवेज की बसों की संख्या बताई गयी यह यात्रियों को नहीं ढो सकती है। निजी अनुबन्ध बसों से करके व प्राइवेट बस चलाकर जनता को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायें। अधिकारियों के कहने पर काम न करें। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा फाइल नम्बर आपको मंत्री जी बाद में बता दूँगा जब मा0 कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो जुलाई 1999 में एक नोट शीट पर "क" "ख" प्रस्ताव नीचे से आया था जिसमें उन्होंने "क" का अनुमोदन किया था बाद में पता नहीं किस तरह से "ख" जो अनुमोदित था उसको "क" कर लिया गया और "क" काटकर "ख" कर दिया गया मैं आपको फाइल नम्बर बाद में बता दूँगा। अगर यह मेरी बात सच हो तो मैं कार्यवाही की भी मांग करूँगा जो इसके लिए दोषी हों। जिन्होंने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद फाइल पर फ्राड किया। एक बात और करूँगा उत्तरांचल बनने के बाद चूँकि इस समय चारों धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरांचल की बसों पर प्रदेश में टैक्स नहीं लगा रही हैं जो हमारी बसें उत्तरांचल में जा रही हैं उसमें आर0टी0ओ0 मेरठ उत्तर प्रदेश के यह 150 रुपये प्रतिदिन की ट्रिप वसूल कर रहे हैं जब हम उत्तरांचल में जा रहे हैं तो 410 रूपये प्रतिदिन के व 172 रूपये ट्रिप के रोड टैक्स के रूप में दे रहे हैं। जो कि हमारे यहां उत्तरांचल की बसों से नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश की बसों को दोनों जगह देना पड़ता है। इससे चारों धाम की यात्रा में दिक्कत आ रही है।

मंत्री जी ने कहा 20 हजार रूपये मृतक के परिवार को देंगे। सीतापुर का उदाहरण दूँगा, मेरठ का एक बच्चा सीतापुर में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। 17 साल हो गये है हाई कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में हुआ लेकिन रोडवेज ने पैसा नहीं दिया, 10-12 चिट्ठी मेरी भी जा चुकी हैं उससे कह रहे हैं कि पैसा कमकर लो हमारी आर्थिक हालत खराब है। नगर बस सेवा में सुधार आवश्यक है जनपद मुख्यालय से ग्रामीण अंचल में नये रूटों का सृजन करके नगर बस सेवा मेरठ में दी जाये। मुख्यालय से नई रोड़ों का श्रृजन आवश्यक है। अधिकारियों को आप निर्देश दे दें कि मेरठ में महानगर का विस्तार हो चुका है दिल्ली रोड पर बाहर नये बस अड्डे की आवश्यकता है। योजना संख्या-10 माधवपुरम् में सहकारी बसों के लिए बस अड्डे का प्राविधान किया गया है सरकार सहमत हो तो मेरा सुझाव है, मांग है योजना संख्या-10 माधवपुरम् दिल्ली रोड पर नये बस अड्डे की स्थापना की जाये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूटों के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के दो पत्रों को मंत्री जी नोट कर लें, उसको दिखवा लें। उन पर कार्यवाही करायें। उनके अनुसार काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। दो शासनादेश हैं जिसमें एक है परिवहन आयुक्त का संख्या-896 दिनांक 18-5-93 और दूसरा है आर0एम0 देहरादून का 626 स0पु0न0/83-93 दिनांक 15-5-93। मैंने उत्तरांचल की बात कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही, अब मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा जो 29-5-93 की योजना है उसे वापस ले लें तथा उसमें राष्ट्रीकृत मार्गो पर प्राइवेट बस और सरकारी बस साथ साथ चले और 50-19 बसों के झगड़े की आवश्यकता नहीं रह गई है। सबको चलवाइये इसी निवेदन के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री संजय गर्ग--

माननीय उदयराज जी ने कटौती पर बल देते हुए जो सुझाव रखे और साथ ही हमारे अन्य साथी बाजपेयी जी, मेहरा जी और तमाम सम्मानित साथियों ने इस बात पर यूपीएसआरटीसी की रोडवेज की हालत

पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिये। माननीय बाजपेयी जी ने अपेक्षा की मेरठ मुजफ्फरनगर सहारन के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाय मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे अपने उत्तर भाषण बिन्दुवार सारी स्थिति को स्पष्ट करे और पश्चिम की जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे। जिसमें मुख्य सचि की अध्यक्षता में गठित कमेटी - ने 18-11-96 में रिपोर्ट दी थी कि इटावा अलीगढ़ में दो दो मार्गों पर निजी व और निगम की बसे एक साथ चल रही हैं। मेरठ चंडीगढ़, सहारनपुर-लोनी, सहारनपुर-करनाल के संबंध 16-4-99 को प्रारम्भिक सूचना का अनुमोदन 11-10-99 को हो चुकी है क्रियान्वयन कराया जाना था लेकि बिना कारणे से प्रमुख सचिव न्याय के कहने के बावजूद किशासन के लिए निर्णय बाध्यकारी है 15-4-2000 व विखंडन की अधिसूचना दी गई जिसे वापिस करने हेतु प0उ0प्र0 के विधायकगणें द्वारा मा0 मुख्य मंत्री व आपक प्रत्यावेदन दिये गये। इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे। दूसरी बात कि 38 मार्गो के राष्ट्रीयकरण के सा साथ निजी बसों के संचालनउ के सम्बन्ध मे जो सर्वोच्च न्यायालय में भी विवाद था उस पर निर्णय आ चुका मंत्रिपरिषद द्वारा गठित कमेटी में भी तमाम चीजों का आंकलन कर लिया गया है निर्देश करने का भी काम किय गया परिवहन विभाग खरा जनता की अपेक्षा के अनुरूप उनकी जनसंख्या के अनुसार जनता को सुवि दिलवाने के लिए निगम की बसों के साथ निजी बसे संचालित कराई जाय। वर्ष 1983 से वर्ष 1985 के बीच उ भी एग्रीमेंट रेसीप्रोकल हुए जिसमें पुननिर्धारण का काम होना चाहिए था नहीं किया गया है उससे प्रदेश को हा हो रही है।

हम माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि वे अपने उत्तर भाषण में इस सम्बन्ध में कभी कुछ कहें। को आश्वासन जनता को दें। परिवहन मंत्री जी ने कम्प्यूटराइज्ड स्मार्टकार्ड लाइसेंस की बात कही है तो केन्द्र सरकार द्वारा इस बात के लिए आश्वासन देते हुए निश्चय किया गया था कि 1101 से इसे लागू कर दिय जायगा मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि अक्टूबर 2000 को टेण्डर इनवाइट हुए फि पता नहीं किस कारण निरस्त कर दिया गया। इस वर्ष फरवरी में फिर टेण्डर इनवाइट किये इस पर शिकाय जब की गई तो मुख्य सचिव न्याय से अवलोकन करने के बावजूद भी दोबारा टेण्डर निरस्त कर दिया गया इसमें हमे परिवहन विभाग के अधिकारियों के के भ्रष्टाचार की बू महसूस हो रही है। केन्द्र सरकार के अंतर्ग एक मंत्री जी के लड़के द्वारा चलाई जा रही निग्रोइफ्रेटेक मैं आपका ध्यान इस बात के लिए दिलाना चाहता कि अनावश्यक पेरशानियों को, कामों को दूर करते हुए मानको को पूरा करने के लिये कम्पनियों से टेण्ड आमंत्रित करने का काम करेंगे। अपने लोगों को कैसे बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें....

श्री अधिष्ठाता--

संजय जी आप कटौती के प्रस्ताव पर काफी बोल चुके हैं अब मैं मंत्री जी को बुला रहा हूँ।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, बस एक बात कहकर समाप्त करूंगा। मान्यवर, डुप्लीकेट लाइसेंस देने के नाम पर ज धमा चौकड़ी मचती है। दलाल मौजूद रहते है जिस तरह से वह पैसा लेकर लाइसेंस घर पहुंचाने का काम करत हैं इन सब पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूँ कि इस सदन में परिवहन विभाग के सम्बन्ध में कई महत्वपू सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये और जो विचार उन्होंने रखे वह मेरे लिये एक आइने के रूप में होंगे। परिवह विभाग की पिछले कई वर्षो में जब स्थापना हुई थी, उस समय जो इसका ढ़ाचा था, उसमें कोई विशेष सुधार नह हुआ है। यह परिवर्तन का जो कार्य है बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है फिर भी यह विभाग और इसके अधिकारी/कर्मचारी चुस्त दुरुस्त होकर कार्य कर रहे हैं। उनको निर्देश दिये गये हैं कि वे परिवर्तन का कार्य ब

ार-शोर से करें और किसी भी असामाजिक तत्वों से भय न करें और अपने कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करने लगे रहें। मान्यवर, जिस परिवेश में इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं मान्यवर, हम नका परीक्षण करवायेंगे और सरकार उस पर विचार करेगी और उनका अनुपालन किया जायेगा। माननीय स्यों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याएं यहां पर रखी हैं, उनका भी परीक्षण कराकर सरकार उन पर विचार करेगी। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य संजय गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर ाको सर्व सम्मति से पास कराने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता--

संजय जी, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

संजय गर्ग--

केवल एक बात की तरु माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जैसा कि सत्ता पक्ष के दस्यों ने कहा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कहा वहाँ की जनता की समस्याओं का जिक्र किया। मान्यवर, न जनपदों के यात्रियों के साथ भेद भाव हो रहा है। अभी हाल में मोटर विहिकल एक्ट 99 के अन्तर्गत जिन र्गो का राष्ट्रीयकरण हुआ है धारा 102 के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव वर्तमान सरकार ने अप्रैल के महीने में रके 44 रूट और पिछली साल फरवरी के प्राविधान में 14 मार्गो पर निजी बसों के संचालन के दि0 15-4-00 की विखंडन की अधिसूचना वापस ली जाय।

अधिष्ठाता--

संजय गर्ग जी आप कटौती वापस ले रहे हैं

संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वहां पर जनता को राहत देने का काम करें। मैं दोबारा त बात की गुजारिश माननीय मंत्री जी से कर रहा हूँ। यह कोई अनावश्यक और गैर कानूनी मांग नहीं है। यहां ी जनता के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।...

अधिष्ठाता--

आप जिद न करें, चूँकि कटौती का प्रस्ताव आप वापस नहीं ले रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर ा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या -43 परिवहन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि ाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 43 परिवहन विभाग के तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 21,90,10,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

दीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2002 माप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि, 26, 6,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, बहुत छोटा सा विभाग है, छोटा होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए काम करता है। इसके द्वारा माननीय विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों की सेवा चाहे आवास हों चाहे अतिथिगृह के रूप में हो सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यह इसका दायित्व है जैसे हम अपने-अपने क्षेत्र में दायित्व निभाते हैं। जहां तक विधायक निवास का प्रश्न है बहुत कुछ करना शेष है इसमें प्रयास करेंगे, गत वर्ष भी प्रयास किये हैं माननीय विधायकों को कूलर और फ्रिज नहीं मिलता था पहली बार हमने यह व्यवस्था की है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता-

क्या माननीय मंत्री जी ने आज कोई नयी घोषणा कर दी है।

श्री राम औतार शाक्य-

बजट प्रस्तुत करते हैं तो पहले ताली बजाते हैं या बाद में ताली बजाते हैं यह बीच में ताली बजाने का राज समझ में नहीं आया।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

यह पहली बार की बात कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं पांच मिनट में बात कहना चाहता हूँ, व्यवहारिक बात करना चाहता हूँ। मान्यवर एक स्वाभाविक महत्वपूर्ण सच है हमारे प्रदेश में इस वक्त 945 कक्ष ऐसे हैं जो विधायक निवास के रूप में घोषित हो चुके हैं, 554 में लोग रह रहे हैं और 388 कक्षों में ऐसे लोग आवास कर रहे हैं जो पात्र नहीं हैं। जो विधायक निवास उपलब्ध हैं, कक्ष के बाद कक्ष और आवास के बाद आवास बनाये गये परिणाम यह हुआ कि पुराने आवासों को नेग्लैक्ट किया गया और आगे बढ़ते गये। मंत्री निवास जो थे वह विधायक निवास बनकर रह गये यह चिन्ता की बात है। विधायकों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए उनको उनके अनुरूप सुविधायें विधायक निवासों में उपलब्ध करायें इस पर विचार करते हुए विधायक निवास बनाये गये उस वक्त सीमित लोग विधायक निवासों में आते थे। विधायक सुख चैन से रहते थे लेकिन अब चिन्ता व्यक्त की जाती है एक कक्ष बी0 ब्लाक, दारुल शफा में मिल जाये। वहां माननीय विधायकों को कष्ट उठाना पड़े शौच के लिए लाइन लगानी पड़े यह चिन्ता की बात है। मैं एक सुझाव लेकर आया हूँ यदि माननीय सदस्यगण सहमत हों क्योंकि विधायकों के आवास हों, मंत्रियों के आवास हों यदि अधिकारी स्तर पर निर्णय लिये जाते रहेंगे तो न्याय नहीं कर पायेंगे। में आग्रह करूँगा माननीय अधिष्ठाता जी से आग्रह करूँगा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाये। मेरा अपना प्रस्ताव है गठन के बाद में ऐसी सारी समस्याओं के ऊपर कोई आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, क्या कर सकते हैं इसमें सुझाव आयें, सुझाव के बाद मैं आश्वस्त करता हूँ इसमें प्रदेश सरकार विचार करेगी और गम्भीरता से पालन करायेगी। मान्यवर, जब मैंने खुद देखा तो देखकर बड़ा कष्ट हुआ। जिस प्रकार से विधायक निवासों और मंत्री आवासों की स्थिति हो गयी है वहां रहने लायक नहीं है। बहुत पुराने बने हुए हैं और शेष पैसेज खुला रहता था आज वहां पर निकलने की जगह नहीं है। वहां पर स्टाल लगे हैं, पी0ए0सी0 की कम्पनियों के कैम्प लगे हैं। इन सारी समस्याओं का सुझाव आ जाय। एक समिति का गठन हो जाय ताकि एक मार्गदर्शन मिल जाय और उसका हम पालन कर सकें। यही मंत्री आवासों की स्थिति है। हम चाहते हैं कि वहां पर पार्क हो, खुली जगह हो लेकिन खाली जगह हम नहीं पायेंगे। जब सिद्धान्त: बात अपने ऊपर लागू करने की आती है तो हम कर नहीं पाते हैं। अधिकारियों की प्रवृत्ति भी बढती जा रही है लेकिन वह भी खाली नहीं करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ। वह यह हुआ कि एक-एक आवास बनते गये, पुरानी समस्या का समाधान नहीं हुआ और लम्बी लाईन अधिकारियों की रहती है जिन्हें आवास नहीं मिलते हैं। (इस समय 6

बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए।) मैं समीक्षा करके इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि एक ठोस नीति बनायी जाय और उसका पालन करने की आवश्यकता है।

ऐसे-ऐसे आवास भी हैं [illegible] लगभग 30-35 सालों से महत्वपूर्ण व्यक्ति अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, वह खाली नहीं करते हैं। तो यह मानसिकता है और इसीलिए यह ग्रहण लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि यह निर्णय अधिकारी के स्तर से न हो बल्कि हम सबके परामर्श से हो ताकि उसका प्रभाव रहे। मान्यवर, सात अतिथि गृह हैं। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, अतिथि आते हैं [illegible] आवास के लिए। आप दिल्ली जाते हैं आपने स्वयं देखा होगा कि यू0पी0 भवन की [illegible] स्थिति थी, और मैंने खुद जाकर देखा तो मुझे ग्लानि हुई। हमने प्रयास करके उसको रि[illegible]वेशन कराया, उसका किचन ठीक करवाया। अगर हमारी आदत ही ऐसी है कि हम परदे से अपने जूते [illegible] उखाड़ कर हम सो[illegible] काम में लायें, पान की पीक चारों तरफ फैली रहे तो क्या होगा। मान्यवर [illegible] इतना बढ़ा कि जिस कक्ष में दो चार आदमी की क्षमता है वहां पर पच्चीस तीस आदमी आयेंगे तो क्यों नहीं पाइप चोक होगा, बदबू आयेगी। तो मेरा आग्रह है कि सहृदय रूख अपनाया जाय चिन्तन करें और जो सुविधा और उपलब्ध हमको मिली है हम उस सुविधा का दुरूपयोग न करें। उस सुविधा को ऐसा कर लें कि एक शीशे के रूप में नजर आये। मुझे बस यही कहना था।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 59- लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, वैसे तो मुझे इस कटौती के प्रस्ताव को रखने की कोई तैयारी नहीं थी। अभी दस मिनट पहले मुख्य सचेतक जी ने हमसे कहा कि आपको कटौती रखनी है। मुझे खुशी है जो कटौती के बिन्दु मुझे रखने थे वही बिन्दु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रख दिये हैं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि अनाधिकार कब्जा है आवासों के बारे में समस्या है और उन्होंने यह भी माना कि यह सब ठीक होना चाहिए। लगता है कि विपक्ष से मांग कर रहे हैं और हम ठीक कर दें। आप सरकार में हैं, आप कह किससे रहे हैं यह ठीक होना चाहिए वह ठीक होना चाहिए। अब उत्तरांचल बनने के बाद नैनीताल क्लब चला गया, यूपी निवास चला गया। कम से कम यूपी निवास आपने दे दिया तो नैनीताल क्लब में 2-4 कमरे तो रोकने चाहिए थे। वहां से परमिट बन जाता यहां से विधायक जाते तो रहते, अधिकारी जाते तो रहते। आप उत्तरांचल के इतने दबाव में आ गये कि सारा अधिकार दे दिया और दे दिया तो कम से कम नैनीताल क्लब के बजाय एक दूसरा नैनीताल क्लब की व्यवस्था करते आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। अब रहता तो विधायक जाते, अधिकारी जाते, पर्यटक जाते, सरकारी व्यवस्था है आपके यहां से कोई परमिट मिलता नहीं है।

यूपी निवास की बात है। आपने बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया कि जब यूपी निवास चला गया तो उसके स्थान पर कोई और निवास बनवाने की व्यवस्था करते। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि वहां की पैराफन ले रहे हैं सफाई के नाम पर, खाने के नाम पर कोई क्वालिटी मेनटेन [illegible] है। जो दूसरे भवन वहां पर बने हुए हैं वहां की सफाई व्यवस्था, वहां की मेन्टीनेन्स जो वहां की कैट[illegible] व्यवस्था है उसको देखते तो इस नतीजे पर जरूर पहुँचते और कुछ सुधार होता लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसी परिस्थिति में तुरन्त आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। मान्यवर, एक सबसे बड़ी बात यह [illegible] यूपी भवन में एक सबसे बड़ा रूम है रूम नं0 314 है वहां किसी अधिकारी की पत्नी रहती हैं वह दो [illegible] से रह रहीं हैं और उसने पार्टीशन भी करा लिया है और किचेन भी चलाती हैं। अब विधायक 10 दिन- 15 दिन नहीं रह सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

आप भी 314 में रहना चाहते हैं?

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं तो साल भर से गया ही नहीं। मान्यवर, आपने व्यवस्था देखी होगी आप कह रहे थे कि मैं गया था कि कोई फुलफिल व्यवस्था नहीं मिली संसदीय कार्यमंत्री जी को।

मान्यवर, इसके अलावा आपके देश में बम्बई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, तो कलकत्ता में तो छोटी मोटी व्यवस्था है वह भी बहुत घटिया स्तर की है मुम्बई में अभी तक बना नहीं पाये, चेन्नई में कोई बनाने की योजना नहीं है तो यहां तो कमेटियां जाती है अपना घर होता तो खुशहाली होती कि अपनी छत तो है नहीं। अपनी छत अच्छी होती है। आपने अपने घर चेन्नई, मुम्बई, कलकत्ता में नहीं है। इतनी बड़ी फौज मंत्रियों की है, इतना बड़ा खर्च और आप इस तरफ कोई व्यवस्था भी नहीं कर पये, बड़े अफसोस की बात है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी स्पीकर की है विधान सभा के और उसके बाद नेतासदन की है उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की है और उसके बाद डिप्टी स्पीकर की है और फिर मान्यवर, यहां के सचिव विधान सभा की है तो अगर आप लोकसभा की व्यवस्था देखें तो लोकसभा की व्यवस्था में और प्रदेश के अन्य प्रान्तों में इन सभी को जो मैंने नाम गिनाये हैं, इन सभी का आवास चिन्हित है लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष साल डेढ़ साल, 2 साल तक उनका प्रकरण रहा, मैंने नियम 300 में कई बार रखा और आपने आश्वासन दिया तो आपके प्रान्त में कोई व्यवस्था नहीं है। आपका क्या संदेश जायेगा? कल यह स्थिति स्पीकर की हो सकती है, कल यह स्थिति डिप्टी स्पीकर की हो सकती है। मेरा आपको सुझाव है, यद्यपि आपने एक कमेटी बनाने का फैसला किया लेकिन यह तो चिन्हित करने का काम है, यह आपको कमेटी बनाने के पहले ही कर लेना चाहिए। अब 11 बजे, 12 बजे तक सदन चलता है, नेता प्रतिपक्ष, सचिव, विधान सभा, स्पीकर आदि जाते हैं, कभी कोई खतरा हो सकता है। तो इसलिए विधान सभा के आसपास ही, पड़ोस में ही आवास होने चाहिए, ताकि विधान सभा आने जाने में कोई दिक्कत न हो। यहां जो राज्य सम्पत्ति विभाग के आवास हैं, उनमे बहुत से अनआथराइज कब्जे हैं, जिसको अपने भी स्वीकार किया है। क्या आप इन अनधिकृत कब्जों को हटवाने के लिए विपक्ष से मांग कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, आप अनाथ हैं जो आप ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकें जिससे इन अनधिकृत कब्जों को हटा सकें। कम से कम इन लोगों को, जिनके नाम मैंने बताये, उनके आवास के लिए कोई व्यवस्था आप कर सकें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

जहां तक विधायकों के आवास का सवाल है, आप दिल्ली में लोकसभा में देखिये, जो पुराने विधायक हैं, उनको डबल रूप मिलता है जो नये हैं उनको सिंगल रूम मिलता है। लेकिन यहां जो 5 बार के विधायक हैं, वह खड्ड में रायल होटल, दारूलशफा में पड़े हैं। विधायकों के पास क्षेत्र से जो लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, उसकी वजह से अक्सर विधायक को भी बाथरूम जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है,यह तो आपकी व्यवस्था है मंत्रियों के लिए जो मंत्री आवास बनाये हैं वहां विधायक रहने लगे, रायल होटल में सिंगल रूम है आपने उसका रेट तय किया था, उसके आल्टरनेटिव में अगर कहीं कोई अन्य आवास उपलब्ध नहीं करा पाते थे तो बदले में उनको 150 रूपये एरियर मिलता था, लेकिन वह एरियर भी आपने बंद कर दिया। हम विधायक लोग एरियर पाने के लालची नहीं हैं, लेकिन एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विधायकों के जो आवास हैं, उनमें जगह इतनी सीमित है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते।

मान्यवर, दूसरी एक समस्या है, आवासों के एलाटमेंट की। आपकी जो आवास एलाटमेंट नीति है, वह यह है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर फर्स्टट केम फर्स्ट टू एलाट यानि जो पहले आयेगा, उसको पहले देंगे, बाद में आयेगा तो बाद में देंगे। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का एक प्रतिशत भी पालन आपने नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या अन्य कोई मंत्री अगर लिखेंगे, तो उसे आउट आफ टर्न मिल जायेगा। हमसे भी 10-15 लोग लिखाकर ले गये, लेकिन हम उनको अभी तक आवास

दिला नहीं पाये, न पहले टर्म में और न आज के टर्म में। माननीय मंत्री जी, आउट आफ टर्म देने की जो प्रक्रिया है, उसको आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि कोई राज्य सम्पत्ति विभाग में चपरासी भी है, एल0डी0ए0 है, यू0डी0ए0 है, तो उसका एलाटमेंट अवश्य हो जायेगा। और यदि किसी अन्य विभाग का बड़ा अधिकारी/कर्मचारी है तो वह आपके दरवाजे खटखटाता रहेगा। उसको कोई आवास मिलने वाला नहीं है। इससे भी बड़ी एक विसंगति है, यदि किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को कोई आवास मिल भी जाय तो उसको अनुरक्षण भत्ता देना पड़ता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अनुरक्षण के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं होता है आप इसका निरीक्षण करवा लीजिये, इन्क्वायरी करवा लीजिये, केवल फर्जी बिल बनाकर लाखों-करोड़ों चला जाता है और आवंटी को जो अनुरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वह कोई लाभ उसे नहीं मिलता।

(माननीय मंत्री जी द्वारा घड़ी देखे जाने पर)

माननीय मंत्री जी, जो बौछार हो रही है, उससे आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। यह तो ऐसा मुद्दा है जो आपके हित के लिए है, जब अपने लिए ही सुनना नहीं चाहते तो किसके लिए सुनेंगे? मान्यवर, मैं संक्षेप कर रहा हूँ। मान्यवर, आपका विभाग कारों की व्यवस्था भी करता है लेकिन आपके विभाग के पास कोई निजी वर्कशाप नहीं है इसकी वजह से आप टेण्डर काल करते हैं और उसमें करोड़ों के वारे-न्यारे होते हैं यदि आपका वर्कशाप होता तो आप अपनी गाड़ियों की मेन्टीनेंस वहां करा सकते थे। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो आप टैक्सी किराये पर लेते हैं, उसका किराया इतना बड़ा हो जाता है कि उससे आप नई कार ले सकते हैं लेकिन आपकी कोई ठोस नीति नहीं है , किराया आप ज्यादा दे सकते हैं लेकिन कार नहीं खरीद पायेंगे, यह एक बड़ी समस्या है। मान्यवर, आपकी रिजर्वेशन की जो पालिसी है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग आदि के लिए उस पालिसी को तो आपने अनदेखा कर दिया है। उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता, जैसे आपने कोई इस सम्बन्ध में पालिसी बनायी ही न हो। यह भी एक समस्या है।

मान्यवर, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें भूल भी रहा हूँ। मान्यवर, एक मोती झील कालोनी है, उसकी स्थिति इतनी खराब है, आप कहते हैं कि आवास की समस्या है, हजारों कर्मचारी आवास नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, आप उस कालोनी में मेन्टीनेंस तक नहीं करा पा रहे हैं, आप इस तरफ भी ध्यान दें। मान्यवर, हम इस विधान सभा में बैठे हैं, यहां जो एयर कण्डीशन की व्यवस्था है यह भी राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत आती है, लेकिन आप करते क्या हैं, आपकी पालिसी क्या है, आपने दलाल पाल रखे हैं और वह है पी0 डब्ल्यू डी, बारगेनिंग करते हैं और करोड़ों के वारे-न्यारे करते हैं। यह सारी व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग स्वयं क्यों नहीं करता? जब कोई गड़बड़ी होती है तो राज्य सम्पत्ति विभाग कहता है कि वह जिम्मेदार नहीं, आपकी ऐसी डबुल पालिसी क्यों है? मान्यवर, मैंने जो सुझाव रखे हैं मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने बहुत ईमानदारी से बहुत सारी बातें की और समिति बनाने की बात कही और जो कठिनाई माननीय विधायकों की हैं उस पर स्वयं प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि वे शीघ्र हल हो जायेंगी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से और विशेष रूप से उत्तरांचल के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश निवास उत्तरांचल को दिये जाने के बाद, जो दिल्ली में तीन भवन थे उसमें से हमारे उत्तर प्रदेश भवन और यू0पी0 सदन ये रह गये हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, यह यू0पी0 सदन जो है उसकी जो नियमावली बनी हुई है उस नियमावली के अन्तर्गत माननीय विधायकगण उसमें नहीं रह सकते हैं। सचिव और उनके ऊपर स्तर के

अधिकारी और माननीय मंत्री जी ही रह सकते हैं। यह वास्तव में जो प्रोटोकॉल है उसका भी स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बहिन मायावती जी के समय में यह स्वीकृति हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए और विशेष रूप से जब दो भवन बचे हैं यू0पी0 सदन व यू0पी0 भवन, माननीय विधायकों को यू0पी0 सदन में रहने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी नियमावली में संशोधन करेंगे। माननीय अमित अग्रवाल जी बी-ब्लाक ओ0सी0आर0 में रह रहे थे, लिफ्ट दुर्घटना हुई उसमें वह घायल हुए उसके बाद नई लिफ्टों का टेण्डर हुआ और बी-ब्लाक के 14 मंजिला इमारत में नई लिफ्टें लगीं। 50 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति हुई थी। निविदा की शर्त जो विज्ञापित हुई थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि उन्हीं की निविदायें स्वीकार की जायेंगी जो 14 मंजिला लिफ्ट बनाने की पात्रता रखते हैं, जिसका उन्हें अनुभव हो.और उनका कार्यालय लखनऊ में हो ताकि रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध हो सके।

अहमदाबाद की कम्पनी "ओमेगा" का टेण्डर स्वीकार हुआ जो अच्छी निर्माता कम्पनियां थी उनका टेण्डर स्वीकार नहीं हुआ। यह प्रकरण प्रतिनिधि विधायन समिति के सामने आया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो सक्षम अधिकारी टेकनीकल फिजीविलटी जांच करने के लिए अहमदाबाद गये, वहां जाकर उन्होंने छोटी लिफ्टें देखी, 6 मंजिला, 8 मंजिला व 10 मंजिला। 14 मंजिला किसी लिफ्ट का अवलोकन ही नहीं किया, यह सब पत्रावली पर उपलब्ध है। लखनऊ में उस कम्पनी का कोई कार्यालय होना चाहिए था न उस समय था न आज है। कम गुणवत्ता की मशीनें लगा दी गयीं। निर्धारित अवधि एक वर्ष तक परीक्षण होना चाहिए था उसे परीक्षण समय तक ठीक होना चाहिए, उस अवधि में लिफ्टें महीनों-महीनों खड़ी रहीं, उसके बाद भुगतान कर दिया गया और दैवीय स्थिति में आज लिफ्टें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त माननीय अधिष्ठाता जी, पटल पर नाम लिखा रहता है, 24 घण्टे की ड्यूटी रहती है उसमें स्पष्ट अंकित है कि कौन से आपरेटर होंगे तथा यह दिशा निर्देश हैं कि एक निश्चित पोशाक पहनेंगे परन्तु कोई लिफ्ट ऑपरेटर नहीं मिलता। मान्यवर, ओ0सी0आर0 के अलावा भी अन्य जगहों पर भी यही स्थिति है। अब ओ0सी0आर0 में पहले की तुलना में लिफ्टें ठीक चल रही हैं। रख-रखाव के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा अनेक भवनों, में सीलन पेंट उखड़ गये हैं वह रख-रखाव में नहीं हैं। मान्यवर, राज्य सम्पत्ति के जो भवन हैं उनमें कौन रहेंगे या कौन रहने के लिए अर्ह हैं वह विधिवत पास किया हुआ है लेकिन इसके पश्चात् भी टाईप-6 के बंगले में मंत्री जी रहेंगे लेकिन उसमें कोई और रह रहा है। ओ0सी0आर0 में विधायक रहेंगे परन्तु उसमें और भी लोग रह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं उसके बारे में विस्तार से कहा है उसका अनुपालन हो और खासतौर से ओ0सी0 आर0 लिफ्ट की जांच होकर जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाये यही मेरा अनुरोध है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री सौकत अली एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपका आभरी हूँ कि आपने मुझे राज्य सम्पत्ति विभाग के बजट भाषण पर, जो माननीय शाक्य जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर चिन्ता प्रकट की है। मान्यवर, जैसा कि मेहरा ने अभी कहा मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ और सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ कि विधायक आवासों की हालत बहुत गम्भीर है और इनमें अनेक समस्यायें हैं जिनको माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बहुत गम्भीरता से लिया है। मैं इस बात से सहमत हूँ और इसका स्वागत करता हूँ कि एक कमेटी बनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाय। चाहे दारूलसफा हो, ओ0सी0आर0 हो, रायल होटल हो, इन सभी विधायक आवासों में काफी समस्यायें है और इनके बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देता हूँ कि वह मेरे साथ चलें और इन विधायक निवासों की हालत देखें कि वहां क्या समस्यायें हैं।

मान्यवर, जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो अखबारों में मैंने पढ़ा था कि वह एक दिन अचानक एक गवर्नमेन्ट कालोनी गये थे वहां की समस्याओं को देखने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देता हूँ कि वह कभी हमारे यहां भी आयें और देखें कि वहां पर क्या-क्या समस्यायों हैं। मान्यवर, जो रायल होटल विधायक निवास हैं वहां पर बरसात में लगभग डेढ़ फुट पानी हर समय भरा रहता है, मैंने इसकी शिकायत कई बार की है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है हर बार यही जवाब मिलता है ठीक करा दिया जायेगा लेकिन कभी ठीक नहीं कराया गया है। वहां की हालत यह है कि अगर वहां आधे घण्टे भी पानी बरस जाये तो वह पानी तीन घण्टे के बाद विधायक निवास के लॉन से होकर पीछे के नाले के रास्ते से निकलता है। सौभाग्य से हमारे बगल वाला कमरा माननीय मुख्यमंत्री जी को एलाट हो गया है जो कि पहले माननीय अवस्थी जी के नाम पर था वहां के सामने की जो जमीन है वह कच्ची है, वहां पर पार्किंग का काम किया जाता है वहां गड्ढे हो गये हैं। अभी तक ईंटे नहीं लगायी गयी हैं। वहां सिर्फ हम ही नहीं रहते हैं, कई माननीय मंत्री भी, लगभग 5-6 मंत्री रहते हैं वह उन समस्याओं से भली भांति परिचित होंगे लेकिन शायद उन्हें वहां के जल भराव का एहसास नहीं होता है क्यों कि वह गाड़ी में बैठकर जाते हैं लेकिन जो वहां पैदल जाते हैं उन्हें इससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मान्यवर, अभी बरसात शुरू होने जा रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया आप वहां की जो जलभराव की समस्या है उसे ठीक करवा दें। और दूसरी बात यह है कि जितने विधायक निवास हैं, उनके बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है रायल होटल की बिजली व्यवस्था बहुत ही जर्जर हो चुकी है, आये दिन ही कोई न कोई फाल्ट होता रहता है पिछले चार सालों में मैंने कई बार इसके लिए कदम उठाये हैं लेकिन हर बार राज्य सम्पत्ति विभाग से यही जवाब मिलता है कि मान्यवर, इसका इस्टीमेट तो बहुत ही बन गया था लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है इसी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बोर्ड और स्विच और वल्ब मैंने खरीदकर लगवाये हैं विभाग द्वारा इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि पुरानी वायरिंग बदलने के लिए धन ही व्यवस्था नहीं है और नई वायरिंग डालने के लिए जो स्टीमेट बनाया है उसके लिए पैसा नहीं है। 4 साल से यह हालत है कि वल्ब तक नहीं लगाया जा रहा है। लाइनों की मरम्मत तक नहीं करायी जा रही है। अगर यह सरकार इतनी गरीब हो गयी है कि नयी लाइन न लगवा सके तो पुरानी लाइन की मरम्मत के लिए व्यवस्था की जाये। 1980-81 में संसदीय कार्य मंत्री जरूर रहे होंगे उस समय यह व्यवस्था की गयी थी कि ओ0सी0आर0 और पार्क रोड पर दो बड़े फ्लैट हैं जो डबल बेड वाले हैं उनके मुकाबले जिन लोगों का दारूलशफा में सिंगल बेड वाले आवास एलाट हैं, उनको एक बेड और एलाट किया जायेगा और जो नहीं लेना चाहते हैं उनको 150 रूपया एरियर दिया जायेगा। सन् 83 में एरियर भी दिया गया है।

कुछ विधायकों ने डबल बेड भी एलाट कराया है, लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अब एलाटमेंट क्यों रूका हुआ है। जब एक बार निश्चय हो गया है कि विधायकों को एरियर दिया जाये और वह एरियर ले चुके हैं तो इस समय भी एलाटमेंट किया जाये या एरियर दिलाया जाये। इसी तरह से अनअथराइज पजेशन बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। संस्थाओं के नाम पर, प्रेस के नाम पर, अधिकारियों के नाम पर चाहे वह जूडिसियल अधिकारी हो या एक्जीक्यूटिव अफसर हो, तमाम आवास लोगों को आवंटित हो जाते हैं। अखबार बंद हो जाता है, संस्था बंद हो जाती है, लेकिन इनके पजेशन बरकरार रहते हैं। मान्यवर, यह वाजिब बात नहीं है। 945 आवासों में से केवल 535 में विधायक रह रहे हैं तो इसके लिए सख्त नियमावली बनायी जाये और अनअथराइज पजेशन को खाली कराया जाये। विधायक निवास विधायकों के लिए बने हैं उन्हीं को उनके आवास दिया जाये। मान्यवर, बजट कम है और मेन्टीनेन्स का बजट बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, दिल्ली में जो यूपी निवास है वह उत्तरांचल को दे दिया गया है अब 2 आवास बचे हैं यूपी भवन और यूपी सदन। यूपी सदन में भी विधायकों के लिए व्यवस्था करायी जाये। इसी तरह से नैनीताल में अनेक पार्क या किसी जगह गेस्ट

हाउस बनाया जाये, और जो यूपी के माननीय सदस्य जाना चाहें उनको परमिट यहां से बनाया जाये और नैनीताल में उनको आवश्यक सुविधा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मा0 शाक्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर केवल एक दो सुझाव देना चाहूँगा। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा जाने के लिये सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है उसी तरह से विधान सभा के सदस्यों के लिये सत्र में आने के लिये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाय। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर विधायक के पास अपना साधन हो। मैंने जो सुझाव कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए दिये हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री मुख्य मंत्री जी से मिलकर इन सुझाओं पर विचार करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। चूँकि सरकार को जो निर्णय लेने चाहिए थे वह नहीं लिये हैं इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। माननीय शाक्य जी ने कई बातें कहीं हैं। मान्यवर, हम किस तरह से अपने आवासों को आदर्श बना सकें उस तरफ हमें ध्यान देना है ताकि जब अपने कार्यों को करने के बाद आवास में जायं तो वहां रहने का सुख मिल सके। आपने कहा कि पहले आवासों की हालत कुछ ठीक थी अब और खराब हो गयी है। लेकिन यह जो हालत है और जो स्थिति को सुधारने की बात है उसमें हमें और आपको समन्वय और सामंजस्य लाना पड़ेगा। सरकार में सभी बैठते हैं। आज कहा जाता है कि माननीय अध्यक्ष जी के लिए आवास आरक्षित हो। आवास तो आरक्षित था हमेशा माननीय अध्यक्ष के लिए आवास आरक्षित रहता है। माल एवेन्यू मे था लेकिन जब हम सरकार में आयेंगे तो जो नियम हैं उनको तिलांजलि देकर कब्जा कर लेंगे। अगर कब्जा कर लेंगे जो नीति और नियम रखें रह जायेंगे। कितने ही नियम और नीति बना लीजिये जब तक नियमो का पालन नहीं करेंगे तो नियम क्या कर लेंगे। हमारी मानसिकता नियमों का पालन करने की नहीं है। मान्यवर, विक्रमादित्य मार्ग है। जहां पर आलीशान मकान में मुख्यमंत्री रहते थे जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ट्रस्ट के नाम पर कब्जा कर लिया और आज नीति की बात करेंगे। आज यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम सुझाव देंगे कि प्रेस वाले रह रहे हैं दूसरे रह रहे हैं सख्ती की जाय, सबको बेदखल कर दिया जाय और जब सत्ता में आयेंगे तो नियमों के उल्लंघन के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे तो फिर इसका यही परिणाम होगा। "गवर्नमेंट इज बाई कंसेन्ट", सरकार आपस के सामंजस्य से चलती है। आप यू0पी0 निवास और सदन की बात करते हैं पहले एक यू0पी0 निवास था और विधायकों की संख्या इतनी ही थी। उसी निवास में मंत्रिगण रहते थे, विधायक रहते थे, आज आवागमत ज्यादा बढ़ा दिल्ली की तरफ जाकर ज्यादा रहना शुरू हुआ। उसके बाद यू0पी0 भवन बना और सदन बना फिर भी कमी महसूस हो रही है। पहले जितने विधायक थे उससे भी कम रह गये हैं, अब संख्या 425 नहीं रही। नैनीताल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी उसके बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है।

श्री सौलत अली एडवोकेट-

मान्यवर, अधिकारी की पत्नी को परमानेंट तौर पर एलाट कर दिया गया है। 314 नम्बर एलाट किया गया है और पार्टीशन लगा कर दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर एलाटमेंट हुआ है तो गलत हुआ है। किन परिस्थितियों में हुआ है, मैं अभी नहीं कह सका हूँ। किस स्तर से यह एलाटमेंट हुआ है इसका मैं परीक्षण करा लूँगा। जहां तक वर्कशाप की जो बात कही गयी है कि उसका टेंडर पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। यह वर्कशाप परिवहन निगम की है जिसका पारित हुआ है।

मेंटीनेंस का काम उस वर्कशाप से होता है तो कहीं टेंडीर नहीं पड़ गया है। माननीय सौलत अली ने रायल होटल की बात कही और भाई केशो मेहरा ने कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि यू0पी0 सदन में विधायकों को क्यों नहीं इलीजिविल किया गया है। मान्यवर, यू0पी0 में दो श्रेणी हैं, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अधिकारियों के लिए और दूसरा माननीय मंत्रियों के लिए है। मंत्रियों वाले हिस्से के लिए पात्र केवल मंत्री हैं। पहले से व्यवस्था चली आ रही है हम इसका परीक्षण कर लें आवश्यक होगा तो विचार कर लिया जायेगा कोई कठिनाई की बात नहीं है। लिफ्ट के लिए बात आई जितनी लिफ्ट यहां लगी हुई हैं मुख्य भवन में जो लिफ्ट लगी हुई हैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि यह बाबा आदम जमाने की हैं। आज के युग में भी लिफ्ट मैन की आवश्यकता इसमें है। कहीं न कहीं कमी तो है। विचारणीय बिन्दु यह है कि जब कालीदास मार्ग या माल एवेन्यू में तार डालना होता है तो क्या परेशानी होती है। ब्रेक पूरा अन्दर चला जाता है। दारूलशफा के ए0 ब्लाक बी0 ब्लाक सी0 ब्लाक 1945 के बने हुए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की राय है उनकी राय के अनुसार यह सारे के सारे ए0बी0सी0 ब्लाक यह अपना समय पूरा कर चुके हैं। यह जीर्ण शीर्ण हालत में हैं यह तो इनका बड़प्पन है कि आपको एकमोडेट किये हुए हैं। कैसे हम सारी की सारी व्यवस्था को अच्छा कर सकें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मंत्री जी ने कहा कि यह समय सीमा पूर्व कर चुके विधायक आवासों का बड़प्पन है जो यह दारूलशफा के ब्लाक हम सबको एकमोडेट किये हुए हैं। क्या यहां के रहने वालों का आम बीमा करवायेंगे क्योंकि कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है।

श्री हुकुम सिंह-

बीमे की आवश्यकता नहीं होगी जो खुश रहना जानते हैं वह हर जगह खुश रहेंगे बाकी लोग हर जगह टेंशन में रहेंगे क्योंकि उनकी आदत है टेंशन में रहने की। मैंने जो अपनी बात रखी वह किसी पर बयंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शाक्य जी अगर यह सिद्ध करके दिखायेंगे कि वह सामन्जस्य स्थापित करना चाहते हैं तो वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य-

संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में थोड़ी सी कड़वाहट का प्रदर्शन किया है मैंने जो सुझाव दिये उन पर गम्भीरता से सोचते तो सटीक निर्णय लेते। चूँकि उन्होंने कोई सटीक निर्णय नहीं लिया है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 26,11,46,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य के अनेक जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास निधि के गठन के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

आप चर्चा जारी करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक ऐसे जिले एवं क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं उनके विकास के लिए विकास निधि का गठन आवश्यक है। मेरा प्रस्ताव है सरकार अन्य विभागों के विकास निधि से 60 प्रतिशत धन आरक्षित करें। यह समस्या केवल एक विशेष क्षेत्र की नहीं है न जनपद न मण्डल की है यह राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मण्डलीय स्तर की प्रदेशीय, जनपदीय और विश्व स्तर से जुड़े परिवारों से जुड़ी समस्या है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित राष्ट्र है उनको अधिक धन मिल जाता है विकासशील को कम यही स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित प्रदेश हैं उनके लिए आवंटित धन ही कम पड़ जाता है इसलिए विकासशील प्रदेश को धन कम मिल पाता है इसी प्रकार से प्रदेशीय स्तर पर जो मण्डल पहले से विकसित हैं उनको अधिक मदद मिल जाती है विकासशील मण्डल फिर रह जाते हैं यही प्रकार है मण्डल स्तर से नीचे उतरने पर जिला स्तर पर जो विकसित जनपद हैं उनको अधिक धन मिल जाता है क्योंकि उनको वहीं धन कम पड़ता है पुराने कार्यों की मरम्मत, मेन्टिनेंस के लिए और विकासशील जनपद रह जाते हैं अविकसित। जिला योजना में जो धन आवंटित होकर आता है वह भी कम पड़ जाता है वही स्थिति है जब जिला से नीचे उतर कर आइये देखते हैं। अगर नगर निगम है तो नगर निगम क्षेत्राधिकार में जो विकसित वार्ड हैं वह विकासशील वार्ड का शोषण करते हैं। देहात का है तो विकसित क्षेत्र पंचायत है वह विकासशील क्षेत्र पंचायत का शोषण करते हैं। विकसित ग्राम पंचायत हैं तो वह विकासशील ग्राम पंचायत का शोषण करते हैं। मान्यवर, यह प्रक्रिया नीचे उतर कर परिवारों तक पहुँच जाती है। एक परिवार में माँ-बाप के चार सन्तान हैं, उनमें से एक जो विकसित हो जाता है। पढ़ लिख जाता है और आज के समय में संसाधनों का अभाव है, एक जो पढ़ लिखकर विकसित हो जाता है वह बाकी बच्चों का शोषण करना शुरू कर देता है क्योंकि और बच्चों की देख रेख में वह सुविधा नहीं हो पाती है जो उसके लिए हुई थी। श्रीमन् यहीं से शुरू होता है अलगाववाद, विघटनवाद, आतंकवाद। यही से असन्तोष परिवारों में उत्पन्न होता है। परिवार में बच्चे चाहते हैं कि माँ-बाप की सम्पत्ति का विभाजन हो जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मिश्रा जी, सदन की भावना को देखते हुए संक्षेप करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मैं तो इस पर आपको आँकड़े भी देना चाहूँगा और उदाहरण भी देना चाहूँगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ। स्वाधीन होने के बाद आज तक 53 साल के भीतर पूरा देश स्वाधीन भारत और पराधीन भारत में फिर एक तरह से विभाजित हो गया है। विकसित और गैर विकसित क्षेत्रों में यह भयंकर दीवार बीच में खडी होती चली जा रही है। उसी तरह से श्रीमन्, जिस तरह से समाज में अगड़ा और पिछड़ा है, उसी तरह से श्रीमन्, क्षेत्रों में भी विकसित और

अविकसित क्षेत्रों की स्थिति होती चली जा रही है। केवल विकास को ही लेकर संघर्ष और विरोध है, आक्रोश है, जिसके कारण प्रतिदिन नये नये जनपदों के सृजन की मांग होती है, नये-नये प्रान्तों के सृजन की बात होती है, नये-नये क्षेत्र पंचायतों, तहसीलों की मांग होती है। चाहे उत्तरांचल हो, मिजोरम हो, झारखंड हो। यह सब एक ही कारण पर आधारित है विकास का असंतुलन और इसी के कारण से विभाजन की मांग होती है और आपस में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। एक तरह से जब हम सामाजिक दृष्टि से आरक्षण पर निगाह डालते हैं वहां पर क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर देखते हैं। सामाजिक दृष्टि से आरक्षण की व्यवस्था, सम्बन्धित वर्ग को देने के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं तो उसमें जो क्रीमी लेयर उस वर्ग का होता है वह उसका सदुपयोग कर लेता है और उसके नीचे के लोग देखते रह जाते हैं। वही स्थिति आरक्षण की आज विकास में देखने को मिलती है। जो धन खर्च होता है उसकी स्थिति वही हो जाती है।

श्रीमन्, आप सहमत होंगे कि भारत में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू हुए। यह 1952 में 1957 में और 1962 में चुने गये इनका क्षेत्र इलाहाबाद पूर्व जौनपुर पश्चिम फूलपुर था इनका कार्यकाल 15-8-1947 से 27-5-1964 तक रहा। प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र था वह विकसित हुआ। उसके बाद स्व0 श्री लालबहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए इनका कार्यकाल 9-6-64 से 11-1-66 तक रहा, इनका संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद था। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का था इसलिए यह लाभान्वित हुआ। इसके बाद स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से प्रधानमंत्री हुयीं इनका संसदीय क्षेत्र रायबरेली था इनका कार्यकाल 1967, 71 और 80 में रहा यह दिनांक 24.1.66 से 24.3.77 तक प्रधानमंत्री रहीं इसका लाभ रायबरेली को मिला। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए इनका क्षेत्र बागपत था, यह वर्ष 1977, 80, 84 में चुने गये, यह 28.7.79 से 14.1.80 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री रहने से बागपत क्षेत्र लाभन्वित हुआ। इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने इनका कार्यकाल 31.10.84 से 1.12.89 तक रहा अमेठी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के नाते इसका अभूतपूर्व विकास हुआ इसमें बड़े-बड़े उद्योग लगे, जैसे इण्डोगल्फ, मालविका स्टील, एच0ए0एल0, बी0एस0पी0एल0, एच0ए0सी0 यह इकाईयां अमेठी में लगी। क्योंकि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था। इसके बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, यह फूलपुर से 1971 में, इलाहाबाद से 1980 व 88 में फतेहपुर से 1989-91 में निर्वाचित हुए यह 2.11.89 से 10.11.90 तक प्रधानमंत्री रहे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रदेश की बात कहें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

इस प्रदेश के प्रधान मंत्रियों की ही चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए यह बलिया इनका संसदीय क्षेत्र था। 1977, 80, 89, 91, 96, 98 में चुने गये यह 10.11.90. से 21.6.91 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री रहने से बलिया का विकास हुआ। इसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी, इनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। लखनऊ वर्तमान प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रदेश की राजधानी है। विकास के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, विकास हो रहा है, खुशी की बात है। इसमें कोई किसी तरह का छिपा नहीं है। विकास हो रहा है मैं अब माननीय मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी पहली विधान सभा के मुख्य मंत्री हुए 20.5.52 से 27.12.54 तक इनका कार्यकाल रहा। यह नैनीताल से मुख्यमंत्री हुए बाद में वहीं से नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुए हैं। उनका लाभ उनके क्षेत्र को मिला। डा0 सम्पूर्णानन्द पहली बार 28-12-54 से 9-12-57 तक वाराणसी के सदस्य रहे इसलिए इसका लाभ उनके क्षेत्र को मिला। दूसरी बार फिर डा0 सम्पूर्णानन्द जी 10-11-57 से 6-12-60 तक रहे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मिश्र जी अब आप संक्षेप करें। यह बतायें कि यह मुख्यमंत्री बने तो उनके क्षेत्रों को उनका लाभ मिला और उनके क्षेत्रों का विकास हुआ। तो क्या कानपुर का भी कोई मुख्यमंत्री बना।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आपका प्रस्ताव तो क्षेत्र के लिए विकास निधि बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। जो पिछड़े हुए क्षेत्र के हैं और जो विकास शून्य क्षेत्र हैं मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और उसी आलोक में माननीय सदन के सामने परिस्थितियां रख रहा हूँ कि जिन-जिन क्षेत्र से प्रधानमंत्री हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्री हुए हैं, मैं उनका क्रमवार उल्लेख कर रहा हूँ, उन-उन विधान सभा क्षेत्रों में और लोक सभा क्षेत्रों में विकास हुआ है। जहां से मुख्य मंत्री नहीं हुए और प्रधानमंत्री नहीं हुए उन क्षेत्रों की दशा क्या है यह आप भी जानते होंगे। आपका भी क्षेत्र पिछड़ा है। तो मान्यवर, चन्द्र भानु गुप्त रानीखेत से हुए, श्रीमती सुचेता कृपलानी मेंहरावल से हुईं, चौधरी चरण सिंह छपरौली से मुख्य मंत्री हुए, टी0एन0 सिंह वाराणसी से, कमलापति त्रिपाठी वाराणसी से, बहुगुणा जी इलाहाबाद करछना चायल से, फिर नारायण दत्त तिवारी जी नैनीताल से, रामनरेश यादव जी शिकोहाबाद से, बनारसीदास जी खुर्जा-बुलन्दशहर से, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तिंदवारी से, मुलायम सिंह यादव जी जसवन्त नगर इटावा से, वीर बहादुर सिंह, गोरखपुर से और फिर मुलायम सिंह मुख्य मंत्री हुए जसवन्त नगर से। आज जसवन्त नगर की क्या स्थिति है पहले क्या थी। आज वहां पर सारे विकास कार्य हुए हैं। मायावती जी हरौड़ा से, अतरौली से कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हुए अतरौली में विकास का कार्य हुआ। हैरदगढ़ में भी विकास का कार्य होना चाहिए और हो रहा है। उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ऐसे अविकसित क्षेत्र की पीड़ा को व्यक्त करते हुए मैं दो चार पंक्ति कहना चाहता हूँ:-

"कुम्हलाये हैं यहां पर इनके जिन्दगी के फूल,
इन रास्तों में दफन हैं इनकी खुशी के फूल।
ये शाहराहों में रंगीन सदियों की झलक,
ये झोपड़ों में, गरीबों के, बेकफन लाशें,
ये माल रोड पे कारों की रेलपेल का शोर
ये पटरियों पे गरीबों के जर्दरू बच्चे।
गली गली में ये बिकते हुए जवां चेहरे,
हसीन आंखों में अफसुर्दगी सी छाई हुई,
ये खंग और ये मेरे वतन के शोख जवां,
खरीदी जाती हैं उठती जवानियां जिसकी।"

श्रीमन्, आज भी गम्भीरता से यह बात मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूँ कि विकास के पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों की जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है जरा गम्भीरता से निकट से ध्यान देंगे तो पीड़ा से मन कराह उठता है। आज 53 साल की आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे विकास शून्य क्षेत्र की उपस्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता है जहाँ लोगों को गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, असुरक्षा के कारण, चिकित्सा के अभाव के कारण उनकी पीठ और पेट का अन्तर

करना कठिन हो जाता है कि उस व्यक्ति को पीछे से या आगे से देख रहा हूँ। धंसी आँखे देखकर यह पहचानना कठिन हो जाता है कि वह आँख सुरक्षित है या नहीं है। ऐसे क्षेत्र में जब यह पीड़ा की बात व्यक्त की जाती हे तो वहां से अलगाववाद की भाषा शुरू हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी शासन के विभाग हैं उन पर उनके बजट का निर्धारण करते समय यह ध्यान दिया जाय कि जो क्षेत्र विकास शून्य हैं, विकास में अत्यन्त पिछड़े हैं, उन क्षेत्रों के लिए धन आवंटित करते समय आरक्षण किया जाय। आप सहमत होंगे कि सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ापन, अनुसूचित वर्ग का जो पिछड़ापन है।

श्री अधिष्ठाता-

आधा घंटा हो गया है अकेले आप एक घंटा बोलेंगे?

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं जल्दी समाप्त करूँगा। बीच-बीच में व्यवधान आ रहा था। श्रीमन्, आप सहमत होंगे कि ऐसे क्षेत्र के भीतर जहां विकास की कोई रोशनी नहीं पहुँची है, 53 साल की आजादी के बाद सामाजिक दृष्टि से जो हमारे पिछड़े बन्धु हैं अनुसूचित हैं क्षेत्र के पिछड़ापन से जुड़ा हुआ सीधा उनका रिश्ता है और अगर हम यह कहें कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन की जननी क्षेत्रीय पिछड़ापन है तो यह बड़ा युक्तिसंगत भाव प्रकट करने की स्थिति है। आप सहमत होंगे कि पिछड़े क्षेत्र के आज के कथित अगड़े सामाजिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े होंगे और विकसित जगहों पर जैसे राजधानी दिल्ली है, महाराष्ट्र में मुम्बई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है यहां के कथित रूप से समाज के पिछड़े अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं वह भी पिछड़े इलाके अगड़ों से अगड़े होंगे। यह एक नितान्त सत्य स्थिति है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ और अगर इस तरह से आरक्षण कर देंगे विकास निधि में तो यह क्षेत्रीय विकास का असंतुलन दूर करने के लिए करेंगे, इसमें कोई जाँति पाँति या सम्प्रदाय का विषय नहीं है। जब क्षेत्र का विकास होगा तो न कोई नये जनपद की मांग होगी, न नई तहसील की मांग होगी, आपस में टकराव भी नहीं होगा और विकसित क्षेत्र की बराबरी पर अविकसित क्षेत्र भी आयेगा।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

कोई क्षेत्र बच गया हो, जहां निगाह इनकी न पहुँची हो, उसका भी नाम पूछ लें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

हमारे कुछ मित्रों के मन में यह भावना आ रही होगी, जो ऐसे सुख से, समृद्धि से जीवनयापन कर रहे हैं, जो ज्यादा विकसित क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनका मेरा कोई विरोध है, ऐसा कतई नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने चर्चा की थी, कुछ और लोगों की इच्छा थी कि वह भी भागीदारी करें लेकिन जब आपने ही अपनी चर्चा को इतना विकसित कर दिया तो किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, अरे दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा-

मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है,
कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है
मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है
कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को,
गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को

सिसकती नाजनीनों को, तड़पते नौजवानों को
हुकूमत के तशद्दुद को, अमारंत के तकब्बुर को
किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को
तो दिल ताबे-निशाते बज्मे इश्रत जा नहीं सकता
मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता।

यह हृदय अपने को कितना समझाये, लेकिन जो पीड़ा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। एक बात कह कर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। मैं केवल आपका ध्यान 2 सितम्बर, 1985 की तरफ दिलाना चाहूँगा, उस दिन इसी सदन में स्वर्गीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना का आरम्भ होने वाला था। मैं इस सरकार को भी याद दिलाना चाहूँगा कि इन्हीं "विषयों पर उन्होंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास के इस असंतुलन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का ध्यान रखा जाय और ऐसा असंतुलन समाप्त किया जाय और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को, जिन्होंने इस कमी को महसूस किया था।" आपकी अनुमति से मैं उन चन्द पंक्तियों को पढ़कर अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के निर्धारण में श्रीमन्, कहा है-

"इन्स्पाइट आफ आल पासिबुल एफोर्टस, रीजनल डिसपैरिटीज इन दि स्टेट स्टिल परसिस्ट बट आन
"Insdpite of all possible efforts, regional disparities in the State still persist but on
एकाउन्ट आफ कान्सट्रेन्टस् आफ रिसोर्सेज, वी हैव नाट बीन एबुल टू टैप देयर वास्ट ह्यूमेन
account of constraints of resources, We have not been able to tap their vast human
एण्ड नेचुरल इन्डोमेन्टस्। ए सेपरेट सब-प्लान फार दि हिल रीजन इज आलरेडी बींग
and natural endowments. A separate sub-plan for the hill region is already being
एडेड थ्रू स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टैन्स। दि इस्टर्न एण्ड बुन्देलखण्ड रीजन्स् आफ
aided through special central assistance. The Eastern and Bundelkhand regions of
दि स्टेट आर आलसो इकोनामिकैली डिप्रेस्ड एण्ड सब-प्लानस् फार दीज टू रीजन्स्
the State are also economically depressed and sub-plans for these two regions
हैव बीन प्रीपेअर्ड टू हाईलाइट देयर प्रोब्लेम्स एण्ड नीड्स। दीज सब प्लान्स एट
have been prepared to highlight their problems and needs. These sub-plans at
प्रेजेन्ट, आर बेसज्ड आन क्वान्टीफिकेशन आफ प्रोपोज्ड इनवेस्टमेन्ट्स एण्ड बेनीफिट्स विदिन
present, are based on quantification of proposad investments and benefits within
दि ओवरआल फ्रेमवर्क आफ दि स्टेट्स प्लान। वी एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया
the overall framework of thd States Plan. We expect that the Government of India
वुड प्रोवाइड अस् स्पेशल असिस्टैन्स फार एक्सीलरेटिंग दि पेस आफ डेवलपमेन्ट इन दीज टू बैकवर्ड रीजन्स।
would provide us special assistance for accelerating the pace of development in
these two backward regions.

श्रीमन्, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि सारे प्रयास के बाद भी क्षेत्रीय विकास का असंतुलन बरकरार है। इस सच्चाई को उन्होंने स्वीकारा है, पहले ही उन्होंने हिल एरिया के लिए सब प्लान कर लिया था और इस्टर्न एरिया और बुन्देलखण्ड के लिए एक सब प्लान बनाने के लिये अपनी मंशा व्यक्त किया लेकिन धीरे-धीरे वह ठंडे बस्ते में चला गया। मान्यवर, मैं फिर सरकार से निवेदन करूँगा, यह सामाजिक समरसता की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने संतुलन कायम करने के लिए संतुलित विकास की बात की है। लेकिन मेरा यह आरोप है कि यह वर्तमान सरकार असंतुलन कायम कर रही है और भेदभावपूर्ण तरीके से बहुत सी योजनाओं को मंत्रीगण और प्रभावशाली विधायक अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं और जो कमजोर विधायक हैं चाहे भाजपा के भी हों उनके यहां विकास की किरण नहीं जा पा रही है। मान्यवर, आर0आई0डी0एफ0 5 और 6 के अन्तर्गत मैनपुरी जैसे पिछड़े जनपद में कोई योजना, सड़क स्वीकृत नहीं की है। मिश्रा जी ने यही कहा है, इसीलिए यह सोचना पड़ता है, आतंकवाद की बात इसलिए पैदा होती है क्योंकि वहां के निवासियों को यह बात सोचने का मौका मिलता है कि हमें समन्वित विकास नहीं मिल रहा है, चाहे नये प्रान्त के गठन की बात हो या नये जनपदों के गठन की बात हो, इसमें यह बात जरूर आती है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात आई, यह सारा रूपया डाइवर्जन करके मंत्री जी लिये जा रहे हैं और जो बिल्कुल पिछड़े हैं वहां पर कोई रूपया नहीं दे रहे हैं। ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना का रूपया जिस मंशा से जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने रूपया भेजा है, लेकिन उस योजना का रूपया डाइवर्जन करके अब जिला सेक्टर के द्वारा जो योजनायें थी, सड़कें थी, यह रूपया भेदभाव तरीके से जा रहा है और जहां से विपक्ष के विधायक आते हैं वहां यह रूपया नहीं जा रहा है। मिश्र जी ने कहा है कि जो सरकार आ जाती है वह भेदभाव करती है, लेकिन यह सरकार तो सबसे ज्यादा भेदभाव कर रही है! जो सरकार की मर्यादायें हैं उसमें गिरावट करके असंतुलित विकास कर रही है। इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रदेश की एक ज्वलंत समस्या की तरफ माननीय मिश्र जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मेरा यह कतई कहना नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई योजनाबद्ध तरीके से भेदभाव हो रहा है।

*नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

धन्यवाद, मान्यवर, माननीय बालचन्द्र मिश्र जी ने जो नियम-52 के अन्तर्गत इस चर्चा का प्रारम्भ किया, माननीय राम औतार जी ने भी अपने विचार रखे। मान्यवर, माननीय मिश्र जी का विचार तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे एक घटना याद आ गई- "हरदोई के स्टेशन के ऊपर एक सरदार जी खड़े थे, काफी देर से, मान्यवर, सिग्नल मैन के पास पहुँचे और सिग्नल मैन से जितनी अप और डाऊन ट्रेनें निकलने वाली थी उनके बारे में पूछा कि पंजाब, डुप्लीकेट मेल, किसान मेल कितने बजे आयेगी। सिग्नेल मैन ने पूछा कि यह सब क्यों पूँछ रहे हो तो सरदार जी ने कहा कि मुझे लाइन पार करके पेशाब करने जाना है, इसलिए पूँछ रहा हूँ। सिद्धान्त रूप से जो समता और समानता का विचार है उस विचार से मैं भी सहमत हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी कुँवारे हैं, वैसे भी डबुल स्ट्रैन्थ हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक किया आपने बता दिया, मैं तो चौगुना स्ट्रैन्थ का समझता था। माननीय मिश्रा जी का जो विचार है, समय-समय पर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई जिससे विषमता बढ़ी। सरकार ने हमेशा, खासतौर से बी0जे0पी0 की सरकार ने यह चाहा कि किसी प्रकार की विषमता न बढ़े। उसका जीता जागत. उदाहरण यह है कि हमने विधायक निधि दी, सारे के सारे लोगों को बराबर-बराबर दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। मान्यवर, जिलों की बात आयी, विशेष रूप से कहना चाहता हुँ कि एक मानक है उसके आधार पर हम धन आवंटित करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीजन नहीं किया।

हैं। जिले की जो परिस्थिति है जहां कच्चा माल पैदा होता है, वहां पर मिट्टी अच्छी है, जहां एग्रीकल्चर है, या उद्योग है। उद्योग वहीं पर लगाये जायेंगे जहां पर उसकी सम्भावनायें होंगी, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होगा या जहां कच्चा माल उपलब्ध होने की आशा होगी। इस विषमता के ऊपर लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता लेकिन यह जो विचार है कि सरकार की मंशा क्या है इसके ऊपर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के तहत जो मानक योजनायें बनायी हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उस मानक को आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ जिसके माध्यम से सरकार जिलों में पैसा देती है जिला योजनाओं को 30 प्रतिशत धन देती है। पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि किसी प्रकार से जिलों के साथ अन्याय न हो और वह समता और समानता के आधार पर अपना विकास करने के लिए समर्थ है। जनसंख्या इसका अंश 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों की संख्या 10 प्रतिशत और पिछड़ापन कृषि 5 प्रतिशत, उद्योग 5 प्रतिशत, सड़क 5 प्रतिशत, विद्युतीकरण ग्राम 5 प्रतिशत, अस्पताल की शैय्याओं की संख्या 5 प्रतिशत, पेयजल 5 प्रतिशत ये कुल मिलाकर मानक हैं जिसके आधार पर जिलों को पैसा आवंटित करते हैं। एक प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है वह अपने-अपने जिलों की योजनायें बनाकर भेजते हैं उसके अनुसार विकास करने के लिए वह स्वयं सक्षम हैं। दूसरी बात पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड की बात है। यह महसूस किया गया कि पूर्वांचल पिछड़ा है उसके लिए निधियों का गठन हुआ और हमारी सरकार जब आयी तो 1998-99 में 160 करोड़ रूपये का प्राविधान किया।

(सदन में सेल फोन की घण्टी बजने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से कई बार अनुरोध किया जा चुका है कि वह सदन में सेल फोन न लायें और यदि लायें तो उसे ऑफ रखें, सेल फोन की घण्टी सदन में बजना उचित नहीं लगता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूर्वान्चल विकास निधि के लिए 120 करोड़ रूपया और बुन्देलखण्ड के लिए 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी। हमने उस 120 करोड़ रूपये को बढ़ाकर 150 करोड़ रूपया कर दिया और बुन्देलखण्ड के लिए जो 40 करोड़ रूपये का प्राविधान था उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रूपया कर दिया गया। हमने इस बात को महसूस किया कि चूँकि ये पिछड़े जिले हैं और इन पिछड़े जिलों को हमें विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना है इसलिए धन का आवंटन वहां पर बढ़ाया गया। इसके साथ ही मान्यवर, यह भी महसूस किया गया कि पश्चिमांचल के कुछ जिलों के लिए मांग आयी, वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि पश्चिमांचल में भी विकास किया जाना चाहिए। दि0 21-4-1999 को कैबिनेट की कमेटी ने यह फैसला किया है कि पश्चिमांचल के लिए एक पैकेज बनाया जाय और यह कमेटी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बना दी गयी है और मंत्रिमंडल की एक उपसमिति भी बना दी गयी है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मध्यांचल का क्या हुआ?

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मध्यांचल वाले तो बीच के हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी बात आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मध्यांचल के लिए एक कमेटी बना दी गयी है। जब यह महसूस किया गया कि बुन्देलखण्ड के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि है, पूर्वांचल के लिए पूर्वांचल विकास निधि है और पश्चिमांचल के लिए एक

पैकेज बना दिया गया है तो मध्यांचल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ और कानपुर मण्डल को मिलाकर, 1.5.1999 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है। इसकी बैठक में यह विचार किया गया कि मुख्य सचिव इस पर विचार करेंगे कि किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या संभावनायें हैं और कहां-कहां कौन से विकास कार्य हो सकते हैं। यह अभी समिति के आगे विचाराधीन है इसके अन्तर्गत 36 योजनाओं के लिए 14 विभाग आईडेन्टीफाई किये गये हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसकी बैठक 14 जून, 2001 को होनी वाली है और यह समिति अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सम्मिट करेगी। इसमें लखनऊ और कानपुर मण्डल शामिल किये गये हैं तथा रूहेलखण्ड के दो जिले शाहजहांपुर और पीलीभीत तो मान्यवर, उस समिति की रिपोर्ट आ जायेगी जिस पर कैबिनेट विचार करेगी और तब निर्णय निया जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैनपुरी को पश्चिमांचल में शामिल नहीं किया गया है और न ही पूर्वांचल में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी को ध्यान में रखते हुए बुन्देलखण्ड निधि, पूर्वांचल निधि और पश्चिमांचल पैकेज की घोषणा की गयी है। मान्यवर, सरकार सिद्धान्त: इस बात से सहमत है और प्रतिबद्ध है कि पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष का नहीं। औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको हम बराबर की अपारचुनिटी देना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से पहले भी सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है। हर क्षेत्र के लिए योजना होगी तो किसी क्षेत्र में विषमता नहीं मिलेगी।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, सहारनपुर और पीलीभीत को मध्यांचल में शामिल किया गया है। मैनपुरी को मध्यांचल में पश्चिमांचल में किसी में शामिल नहीं किया है और कोई रूपया नहीं दिया गया है इसलिए मैं इस भेदभाव के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री राम औतार शाक्य ने सदन का त्याग किया।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिए निधि की स्थापना की गयी है। पश्चिमांचल को 1149 करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी गयी है। यह गुड़ दिखाकर ईटा मारने जैसी बात की गयी है। अगर पश्चिमांचल के लिए धन नहीं है तो पश्चिमांचल पैकेज को वापस ले लें कम से कम हमारे ऊपर एहसान तो नहीं रहेगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, 1149 करोड़ का पैकेज दिया गया है। डेढ़ साल में यह बता दें कि कितना पैसा दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार 10 करोड़ दिया गया है। हमारी मंशा है, हम वहां का विकास चाहते हैं। जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे हम धन देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब चर्चा समाप्त होती है।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मुझे 2 मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब इस पर चर्चा समाप्त हो गयी है कृपया आप बैठ जायें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 30 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

पहली सूचना डा0 पूर्णमासी पंकज की है जो राजकीय डिग्री कालेज भदोही में वाणिज्य संकाय न खुलने से उन्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, जो मेरठ जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की दुर्दशा के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है, जो आगरा महानगर में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री हरपाल सिंह की है, जो जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा क्षेत्रान्तर्गत टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जो जनपद मथुरा में प्रशासनिक अधिकारियों की आपसी खींचतान के कारण राजस्व परिषद् एवं आयुक्त आगरा मण्डल द्वारा की गयी जांच के आधार पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,

छठीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है जो प्रदेश में कालीन उद्योग को समाप्त होने से बचाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री चौधरी बाबूलाल की है जो जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किरावली में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की है जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद में समूह "ग" की भर्ती में आरक्षण अधिनियम का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है,

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मान्यवर, पीठ से निर्णय हो चुका है कि वह माननीय सदस्य जो सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायगा। उन सूचनाओं को आप निरस्त कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 अशोक बाजपेयी अनुपस्थित हैं, यह सूचना निरस्त की जाती है। श्री राम अचल राजभर की सूचना चूँकि वह अनुपस्थित हैं इसलिए निरस्त की जाती है। श्री रूप चौधरी अनुपस्थित हैं इसलिए उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री राधेश्याम जायसवाल अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री शिशुपाल सिंह यादव अनुपस्थित हैं उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री शेरबहादुर सिंह अनुपस्थित हैं उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्रीमती माया प्रसाद अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री रामविशुन आजाद अनुपस्थित है, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री प्रदीप कुमार अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री प्रमोद कुमार तिवरी अनुपस्थित है, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री नेतराम अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री हरदेव सिंह अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री रामतेज यादव अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है। श्री मोतीलाल देलवी अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना निरस्त की जाती है।

श्री हरदेव सिंह, श्री रामसरन आर्य, श्री राम चन्द्र यादव, श्री विजेन्द्र आर्य व श्री राधेश्याम जायसवाल की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0 15, 16 एवं 17 पर निर्धारित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

जनपद के ग्राम जमाल नगर थाना काकोरी में खाद के गड्ढों के लिये सुरक्षित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

[जनपद लखनऊ के ग्राम जमाल नगर तहसील मलिहाबाद में खाद के गड्ढों के नाम से सुरक्षित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के क्रम में जिलाधिकारी लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ की आख्या के अनुसार ग्राम जमाल नगर परगना व तहसील लखनऊ की गाटा संख्या-218 रकबा 0.051 हे0 में से 0.020 हे0 पर ऊदल प्रसाद व भगौती प्रसाद पुत्रगण हजारी द्वारा दीवारे बनाकर अवैध कब्जा कर रहे थे जिसे राजस्व एवं पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में दिनांक 27.5.2001 को हटवा दिया गया है।]

बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी में यात्रियों को पुरी सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने हेतु मंदिर एवं गर्भ गृह के अन्दर होने वाली सभी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने एवं सुरक्षा की दृष्टि से क्लोज सर्किट टी0वी0 लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (हुकुम सिंह)-

[काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों को निर्भय होकर दर्शन पूजन कराने के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर के गर्भ ग्रह में चारों कोनों पर 4 पुरूष तथा 2 महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी जाती है। अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा पॉकेटमारी, चोरी आदि की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने एवं संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखते के निर्देश दे दिये गये हैं।

मंदिर परिसर में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी 2 माह के लिए लगाई जाती है जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अपराध में लिप्त अराजक तत्वों की पहचान करना संभव नहीं हो पाता। अत: स्थानीय प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे आरक्षियों की सादे कपड़ों में मंदिर के अन्दर ड्यूटी लगाये ताकि मंदिर परिसर के अन्दर अवांछनीय तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके। प्रत्येक पाली के दिवसाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वे हर आधे घण्टे के अन्तराल पर मंदिर परिसर के अन्दर लगी फोर्स की ड्यूटी चेक करें ताकि उन्हें सतर्क रहने हेतु सचेष्ट भी करते रहें। नियंत्रण कक्ष में क्लोज सर्किट टी0वी0 पर जिस उपनिरीक्षक/हेड कांसटेबिल की ड्यूटी लगी रहती है, उन्हें भी यह निर्देश दिया गया है कि यदि उन्हें ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति दर्शन नहीं करके अनावश्यक रूप से खड़ा है और संदिग्ध लग रहा है तो तत्काल इसकी सूचना सैट द्वारा दिवसाधिकारी/चौकी प्रभारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को दें।

जहां तक दिनांक 14 मई, 2001 को मंदिर परिसर में घटित घटनाओं का प्रश्न है, के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, दशाश्वमेघ से जांच कराई जा रही है। मंदिर परिसर में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ऐसा

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके तथा उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मिर्जागंज में पुलिस संरक्षण में अल्पसंख्यकों की कथित लूट एवं अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद खीरी के ग्राम मिर्जागंज में पुलिस संरक्षण में अल्पसंख्यकों की कथित लूट एवं अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22.5.2001 को दी गयी नोटिस के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है:-

मृतक शिवराम व विपक्षी लुकमान निवासी ग्राम मिर्जागंज थाना निघासन के मध्य ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण विपक्षी लुकमान आदि द्वारा दिनांक 4.7.2000 को मृतक शिवराम के साथ मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-103/2000 धारा 147/148/307/504/506 भा0दं0वि0 व 3 (1) 10 एससी/एसटी एक्ट थाना निघासन में पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में विवेचनोंपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है तथा प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों पक्षों के विरूद्ध शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107/116 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सभी व्यक्तियों को धारा 116 (3) दं0प्र0सं0 में भी पाबंद कराया गया था।

उक्त रंजिश के फलस्वरूप विपक्षी लुकमान आदि द्वारा मृतक शिवराम पर असलहों से दिनांक 28.4.2001 को फायर किये गये तथा मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0-59/2001 धारा 147/148/149/302/427 भा0दं0वि0 व 3(2) एससी/एस्टी एक्ट लुकमान आदि 8 नफर अभियुक्तों के विरू8 पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्तों की निरन्तर तलाश तथा दबिशों के उपरान्त भी अभियुक्तों के न मिलने के फलस्वरूप अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 70 व 82 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही के उपरान्त धारा 83 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश मा0 न्यायालय से प्राप्त किये गये तथा दिनांक 10.5.2001 को उक्त आदेश का तामीला थानाध्यक्ष, निघासन द्वारा पुलिस बल के साथ किया जा रहा था। 3 अभियुक्तों की कुर्की की जा चुकी थी, इसी बीच चौथे नामित अभियुक्त इकराम की कुर्की के दौरान कुर्की तामील स्थान से करीब 500 मीटर दूर ग्राम मिर्जागंज में ही रामभरोसे, रामगुलाम, त्रिमोहन, बैजनाथ, भगौती, रोशन का भाई, विजय, पंकज, कालिका, विशन, मदन, परशू, सत्तन, मिश्रीलाल, सोहन, जगदीश, रामबहादुर आदि तथा इनके साथ 400-500 अन्य व्यक्तियों द्वारा गांव के ही मुश्ताक अली, अखलाक, अश्तियाक, मारूफ, आशफ, बुग्गन खां व इकराम के घरों पर हत्या की घटना के प्रतिशोध स्वरूप धावा बोलते हुए अभियुक्त एवं उनके रिश्तेदारों के घरों पर तोड़-फोड़ कर छप्पर आदि गिरा दिये गये तथा घरेलू सामान की लूटपाट की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0-70/2001 धारा 147/148/149/307/395/397/427/353/323 भा0दं0वि0 व 7 क्रि0 ला एमेण्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना के क्रम में नामित अभियुक्त रामभरोसे, कालिका, मदन एवं भगौती को दिनांक 18.5.2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अब तक की विवेचना में कथित अभियुक्त प्रेम सागर का घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया है।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त घटना के दौरान ही मिर्जागंज निवासी बुद्धा खां सामान्य रूप से घायल हुआ था, कोई गंभीर चोट उसे नहीं लगी थी तथा वर्तमान में स्वस्थ होकर अपने घर पर रह रहा है।

विगत 3 माह में थाना निघासन क्षेत्र में घटित हत्या की घटनाओं का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दिनांक 20-2-2001 से दिनांक 20-5-2001 तक की अवधि में मात्र 01 हत्या की घटना हुई है, जो भृतक शिवराम की थी अत: थाना निघासन क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूपेण बनी हुई है।

प्रश्नगत घटना में कुर्की के दौरान एकत्रित भीड़ द्वारा अभियुक्तों या उनके रिश्तेदारों के घर पर ही तोड़-फोड़ एवं मारपीट प्रतिशोध स्वरूप की गयी है, अन्य मुस्लिम वर्ग के लोगों के यहां मारपीट या तोड़-फोड़ नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, निघासन एवं पुलिस बल द्वारा दोनों पक्षों के लोगों को समझा-बुझाकर तितर-बितर कर दिया गया था। प्रकरण में कोई साम्प्रदायिकता परिलक्षित नहीं हुई है।

वर्तमान में स्थिति सामान्य है फिर भी सतर्कता की दृष्टि से शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी, पलिया/थानाध्यक्ष, निघासन को कठोर निर्देश दिये गये हैं।]

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-18, मद संख्या-19 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

प्रदेश में पुलिस से मिली भगत करके कुख्यात अपराधियों के हिरासत से फरार होने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मुकदमा अपराध संख्या-836/2000 धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0वि0 व धारा 3/6/12 पासपोर्ट अधिनियम व धारा 14 विदेशी नागरिकता अधिनियम से सम्बन्धित थाना कोतवाली हजरतगंज, जनपद लखनऊ में नूरबख्श उर्फ नूर मोहम्मद, उर्फ अब्दुल्ला इब्राहिम उर्फ नासिर हुसैन उर्फ यासीन बलूचा उर्फ मोहम्मद बख्श पोस्ट बाक्स नम्बर 20015 अनमल खानौर शारजाह यू0ए0ई0 के विरूद्ध पंजीकृत था। उक्त मुकदमें के सम्बन्ध में अभियुक को लखनऊ कारागार में निरूद्ध किया गया था। बाद में उसे प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया था। दिनांक 15 मई, 2001 को उक्त अभियुक्त की सी0जो0एम0 न्यायालय, लखनऊ में पेशी होने के कारण उसे उपनिरीक्षक, श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में हेड कां0 257, स0पु0 शिव नायक सिंह, कां0 463 स0पु0 चन्द्रभानु, कां0 650 स0पु0 प्रेम नारायण पाल, कां0 819 स0पु0 हेत राम एवं कां0 742 स0पु0 राजेन्द्र यादव के दल द्वारा सरकारी वाहन से लखनऊ लाया गया।

अभियुक्त के लखनऊ पहँचने के पश्चात् अभियुक्त नूरबख्श, उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर एवं अभियुक्त के वकील रजी अहमद खां के मध्य अभियुक्त को छोड़ देने एवं पैसे के लेन-देन के सम्बन्ध में वार्ता हुई। अभियुक्त द्वारा शारजाह व दुबई से वार्ता की गयी। पेशी के पश्चात् अभियुक्त को इलाहाबाद वापस ले जाते समय लालगोपालगंज थाना नवाबगंज में अभियुक्त द्वारा शौच क्रिया की शिकायत की जिस पर से अकेले उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर द्वारा शौच हेतु ले जाया गया, जहां से अभियुक्त फरार हो गया। अभियुक्त की फरारी में मदद देने के लिए उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 121/2001 धारा 323/324 भा0दं0वि0 थाना नवाबगंज जनपद इलाहाबाद में पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को पकड़ने हेतु सम्बन्धित थानों एवं पास-पड़ोस के जनपदों को भी सूचित किया गया। उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर को निलम्बित करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसके विरूद्ध साक्ष्य पाये जाने पर 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं की वृद्धि की गयी।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 19 मई, 2001 को एस0टी0एफ0 द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रॉच के सहयोग से अभियुक्त नूरबख्श को गिरफ्तार कर लिया गया। उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर को दिनांक 23-5-2001 के आदेश द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है तथा हे0कां0 शिव नायक सिंह, कां0 राजेन्द्र सिंह यादव, चन्द्रभान सिंह, प्रेमनारायण पाल, हेत राम एवं ड्राइवर परमहन्स मिश्रा को आदेश दिनांक 22-5-2001 द्वारा निलम्बित किया गया।

सक्रिय अपराधिक तत्वों के कारागार में निरूद्ध की अवधि में परिलक्षित हो रही गतिविधियों तथा उससे उत्तपन्न स्थिति पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर समुचित दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी किये गये हैं तथा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 31 मार्च, 2000 द्वारा शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों/बरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पुन: निर्देश जारी किये गये हैं और पुलिस अभिरक्षा में पलायन करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में सतत् सतर्कता बरते जाने की अपेक्षा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से की गई है।]

टाण्डा विद्युत केन्द्र से मुबारकपुर फीडर को विद्युत आपूर्ति हेतु 8 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन को सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद अम्बेडकर नगर में 132/33 के0वी0 का एक उपकेन्द्र टाण्डा में स्थित है जिसकी वर्तमान क्षमता (40+20) एम वी ए है। इस उपकेन्द्र से अम्बेडकर नगर जनपद के 13 नम्बर 33 के0वी0 उपकेन्द्र जुड़े हुए हैं। इन तेरह उपकेन्द्रों की कुल क्षमता 72 एम पी ए है।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र टाण्डा की वर्तमान क्षमता 2x5 एम वी ए है। इस उपकेन्द्र की क्षमता 2x5 से 5+8 एम वी ए कराना प्रस्तावित है। 33 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि 132 के0वी0 उपकेन्द्र टाण्डा की क्षमतावृद्धि के बाद ही करायी जा सकती है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र की भी क्षमतावृद्धि प्रस्तावित है।

132 के0वी0 उपकेन्द्र टाण्डा तथा 33 के0वी0 उपकेन्द्र टाण्डा की क्षमतावृद्धि की लागत क्रमश: 95 लाख रूपये तथा 30 लाख रूपये है। दोनों उपकेन्द्रों पर कार्य वित्तिय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता:-

मद संख्या 20 पर अंकित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

प्रदेश के शस्त्र व्यवसायियों को विक्री हेतु समुचित मात्रा में कारतूसों की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना दिनांक 22.5.2001 में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्स प्रपत्र-11/12 में तथा व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सों पर कारतूसों का कोटा बढ़ाने का बिन्दु उठाया गया है जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है]:-

---

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सों पर कारतूसों का कोटा:-

यद्यपि आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 तथा भारत सरकार के किसी अन्य परिपत्र/आदेश में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सों पर शस्त्रों/कारतूसों के विक्रयार्थ उनको रखे जाने हेतु कोई कोटा/सीमा निर्धारित ही की जाय परन्तु प्रपत्र-11/12 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सों पर बिना भेदभाव के एकरूपता बनाये रखते हुए सभी लाइसेन्स धारकों/शस्त्र व्यवसायियों को प्रपत्र-11/12 में एक समान कोटा शासनादेश दिनांक 25.11.74 द्वारा निर्धारित किया गया था जिसके अन्तर्गत उक्त लाइसेन्सों पर विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के साथ ही एन0पी0बी0 के पिस्टल, रिवाल्वर एवं रायफल के कारतूसों की संख्या 2000-2000 निर्धारित करते हुए यह भी कहा गया था कि यदि किसी शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्स प्रपत्र-11/12 में उससे कम कोटा हो तो उसे बढ़ाकर तद्नुसार कर दिया जायगा।

2- यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि कतिपय शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्सों प्रपत्र-11/12 में, जो पूर्व में जारी हुए थे, उक्त निर्धारित सीमा/कोटे से अधिक कोटा अनुमन्य कर दिया गया था, पुन: शासनादेश दिनांक 8.5.86 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन लाइसेन्स प्रपत्र-11/12 पर पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 25.11.74 द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक कोटा दर्ज हो तो उसे तद्नुसार कम कर दिया जायगा।

3- तद्नुसार वर्ष 1974 से अब तक राज्य सरकार स्तर से जारी समस्त शस्त्र व्यवसायिक लाइसेन्स प्रपत्र-11/12 में उक्त अनुसार निर्धारित कोटा ही प्रदान किया जाता रहा है जिससे अभी तक कभी भी यह शिकायत नहीं हुई कि अमुक लाइसेन्सी को कम कोटा प्रदान किया गया है और अन्य को अधिक कोटा दे दिया गया है।

4- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित कोटा/सीमा केवल एक समय के लिए है तथा लाइसेन्स धारक उक्त शस्त्रों/कारतूसों का विक्रय करने के बाद उतनी ही मात्रा में शस्त्र/कारतूस तत्काल पुन: प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सामान्य व्यवसाय की दृष्टि से तद्नुसार एक समय के लिए निर्धारित उक्त कोटा पर्याप्त है और सामान्य रूप से प्रपत्र-11/12 में निर्धारित कोटे को बढ़ाने की मांग नहीं की जाती है और न ही उन्हें आवश्यकता है।

5- प्रपत्र-11/12 पर उक्त निर्धारित कारतूसों/शस्त्रों की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध कुछ ऐसे लाइसेन्सधारकों द्वारा यदा-कदा किया जाता है। जो इसका थोक व्यवसाय तथा कारतूसों का विदेशों से आयात करना चाहते हैं। यह एक नीति विषयक मामला है। क्योंकि ऐसे कुछ बड़े आर्म्स डीलर्स को अधिक कोटा प्रदान कर दिये जाने से शासन द्वारा सभी लाइसेन्सधारकों के साथ समान व्यवहार सम्बन्धी पारदर्शितापूर्ण निर्धारित नीति अव्यवस्थित हो जायगी वहीं इन कुछ बड़े लाइसेन्सधारकों के समक्ष तमाम छोटे-छोटे शस्त्र व्यवसायियों को पनपने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा।

6. दूसरी ओर यदि प्रदेश के सभी प्रपत्र-11/12 के लाइसेन्सधारकों का कोटा निर्धारित सीमा के स्थान पर बढ़ाया जाता है तो यह बहुसंख्यक सामान्य लाइसेन्स धारकों के लिए अनावश्यक होगा और इसका वास्तविक लाभ उपर्युक्त प्रकार से केवल कुछ थोक व्यवसायियों/आयातकर्ताओं को ही मिलेगा जो शासन की पारदर्शितापूर्ण नीति के अनुकूल न होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विगत तीन वर्षों में प्रपत्र-11 के 315 तथा प्रपत्र-12 के 296 नये व्यवसायिक लाइसेन्स राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं जिनको मिलाकर प्रदेश में प्रपत्र-11 के कुल 675 एवं प्रपत्र-12 के कुल 504 लाइसेन्स हो गये हैं जो प्रदेश के व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सधारकों की वास्तविक आवश्यकता के दृष्टिगत पर्याप्त हैं।

(2) व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेन्सों पर कारतूसों का कोटा:-

विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत शस्त्रों के लाइसेन्सों पर कारतूसों के कोटे का निर्धारण शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1980 द्वारा किया गया है जिसके अनुसार एक वर्ष हेतु प्रत्येक रिवाल्वर/पिस्टल हेतु 25, अर्द्ध स्वचालित या रिपीटिंग राइफल हेतु 50, स्पोटिंग राइफल हेतु 100 तथा लोडिंग गन्स हेतु 100 कारतूस अनुमन्य हैं। व्यक्तिगत लाइसेन्सी शस्त्रों का शादी/विवाह जैसे सामाजिक एवं मांगलिक अवसरों पर उपयोग नियम विरूद्ध होने के साथ ही खतरनाक एवं असुरक्षित होता है तथा इसपर प्रभावी नियंत्रण हेतु ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश हाल ही में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को पुन: प्रसारित किये गये हैं।

2- अनुज्ञापियों को शस्त्र लाइसेन्स उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये स्वीकृत किये जाते हैं तथा इस हेतु उनके लाइसेन्सों पर तद्नुसार निर्धारित कारतूसों की मात्रा/संख्या सामान्य स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से तथा सुरक्षा हेतु लाइसेंसी की आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त है क्योंकि लाइसेन्सी को अपने शस्त्र का वास्तविक सुरक्षा के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता यदा-कदा ही पड़ती है।]

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में प्रपत्र 11/12 में दो हजार से अधिक संख्या नहीं बढ़ाई गई है न ही अन्य प्रदेशों का जिक्र किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

हर प्रदेश के नियम अलग होते हैं नीति उसकी अपनी होती है वह अपनी नीति के अनुसार काम करता है। जो व्यवस्था हमने रखी है वह इस प्रदेश की है। अन्य प्रदेशों की नकल करें यह जरूरी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-21, मद संख्या-22, मद संख्या-23, मद संख्या-24, मद संख्या-25, मद संख्या-26, मद संख्या-27, मद संख्या-28, मद संख्या-29 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

जनपद उन्नाव में दिन दहाड़े लाखों की बैंक डकैती पड़ने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री राजकुमार एडवोकेट, द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्नगत सूचना में जनपद उन्नाव में दिनांक 18-5-2001 को शहर की घनी आबादी के बीच स्थित बैंक आफ बड़ौदा की शाखा में दिन दहाड़े डकैती पड़ने की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इससे नागरिकों तथा व्यापारियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त होने की जानकारी दी गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत है :-

दिनांक 18-5-2001 को बैंक आफ बड़ौदा मोहल्ला शाहगंज जनपद उन्नाव शाखा में अपराह्न लगभग 1.45 बजे शाखा प्रबन्धक के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और कहा कि आप की शाखा से पहले लोन लिया है और इस सम्बन्ध में आपसे बात करनी है। उसकी इस बात पर जब प्रबन्धक उसकी ओर मुखातिब हुए तो उसके द्वारा तुरन्त प्रबन्धक की कनपटी पर तमन्चा लगाकर गाली देते हुए उठाया गया तथा उसके दूसरी

साथी द्वारा भी तमन्चा लेकर कमरे में आकर कैशियर के बारे में पूछतांछ की गयी। लगभग आधा घंटे तक अन्य सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बन्द करके प्रबन्धक से कैशियर को ढुंढवाते रहे। स्ट्रांग रूम में छिपे हुए बदलू तथा शिवकमार नामक कर्मचारियों पर प्रहार किया गया तथा प्रबन्धक को कैश कैबिन में ले गये। कैश कैबिन में रखी धनराशि जो रू0 3,64,135/- थी, उसे अपने लाल रंग के बैग में भर लिया। बदमाशों का तीसरा साथी बैंक के गेट पर ही तमन्चा लिए खड़ा रहा और शोर न मचाने की धमकी बार-बार देता रहा।

शाखा प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर उन्नाव पर मु0अ0सं0-594/2001 अन्तमर्गत धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया जिसमें 3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभियुक्तों के रूप में इंगित किये गये है।

उपरोक्त घटना से पूर्व दिनांक 24-3-2001 को अवध ग्रामीण बैंक शाखा, माखी पर भी रू0 1,59,142/- की लूट की एक घटना हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना माखी पर मु0अ0सं0-82/2001 अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था। यह अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त रामू ऊर्फ जीतू पुत्र बिन्द्रा सिंह निवासी सैरमपुर थाना बिहार को दिनांक 20-5-2001 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने बताया है कि उपरोक्त हार्डकोर अभियुक्त रामू की गिरफ्तारी से बैंक आफ बड़ौदा शाखा में दिनांक 18-5-2001 को घटित डकैती की उपरोक्त वटना का भी अनावरण काफी हद तक हो चुका है। कुछ अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आये है जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाकर सक्रिय प्रयास किया रहा है। हार्डकोर श्रेणी के अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शहर की चौकियों में वायरलेस सेट उपलब्ध करा दिये गये है और सिटी कन्ट्रोल को सक्रिय किया गया है।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम रामपुर विकास खण्ड-पहासु में काली नदी के तट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री, (श्री हुकुम सिंह)--

[उक्त सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य विधान सभा ने जनपद बुलन्दशहर में ग्राम रामपुर ब्लाक पहासू में काली नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में ग्राम रामपुर ब्लाक पहासू में काली नदी पर 120 मीटर लम्बाई के सेतु का निर्माण कराये जाने की अनुमानित लागत रु0 250.43 लाख है। इस सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन उपलब्ध कराया गया था जिसका परीक्षण करने पर यह पाया गया कि सेतु स्थल के अपस्ट्रीम में किमी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 10 किमी की दूरी पर पक्के सेतु उपलब्ध हैं। इस सेतुओं को उपलब्धता एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विषयक स्थल पर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 9-5-2000 को सूचना दी गयी थी जिसके क्रम में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-159 की अपेक्षानुसार मा0 सदस्य विधान सभा को पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2001 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन मार्ग पूर्ण न किये जाने से उत्तपन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूणर्मासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तब्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[उक्स सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य विधान सभा ने जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में पं0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में जो 78 लाख रुपये 02 कि0मी0 स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त किये गये है, आधा-अधूरा मार्ग निर्मित कर छोड़ दिये जाने और जो काम किया गया है या किया जा रहा है वह मानक के अनुरूप नहीं होने तथा धन के दुरुपयोग की सम्भावना व्यक्त करते हुए अधूरे कार्य को मानक के अनुरूप कराने हेतु ध्यान आकृष्ट किया है।

(2) जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में पं0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्टेशन रोड की राईडिंग क्वालिटी के सुधार कार्य लम्बाई 2.00 किमी हेतु लागत रु0 75.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 31-3-99 द्वारा प्रदान की गई है। स्वीकृत लागत के सापेक्ष स्वीकृत आवंटन रु0 50.01 लाख के अनुरुप कार्य कराया जा चुका है। जहां तक आधा-अधूरा मार्ग निर्मित कर छोड़ दिये जाने, कराये गये तथा कराये जा रहे कार्य मानक के अनुरूप न होने एवं धन के दुरूपयोग की सम्भावना है, के बिन्दुओं पर जांच कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है।]

जनपद बाँदा के ग्राम जमालपुर के लेखपाल व कानूनगों द्वारा भू-माफियाओं के सांठ-गांठ कर गरीबों के घर गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तब्य

(सदन की सहमति से वक्तब्य पड़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)--

[श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22.5.2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद बांदा के श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू का 40 वर्ष पुराना मकान व बाउन्ड्री लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की सांठ-गांठ से गिराया गया। जिसके गरीब परिवार बेघर हो गया है। दिनांक 18-2-2001 को उक्त कर्मियों ने राजेन्द्र आत्मज गणेश शंकर मन्त्र व कमल आत्मज गशेण शंकर व गन्नी के साले दिनेश से पैसा लेकर लक्ष्मी साहू के मकान के अन्दर तक नाप दिया जिस पर साहू परिवार ने सदर के उपजिलाधिकारी के यहां 145 सी0आ0पी0सी0 दायर की तथा दिनांक 24-3-2001 को

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अमीन ने साहू परिवार के पक्ष में रिपोर्ट दे दिया। दिनांक 10-4-2001 को उक्त लोगों ने मकान गिरा दिया तथा घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, सदर के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ किन्तु आज तक अभियुक्त पकड़े नहीं गये।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी है आख्या के अनुसार ग्राम जमालपुर के गाटा संख्या 352 व 355 के सीमा का विवाद है। गाटा संख्या 355 रकबा 0.166 हे0 जगन्नाथ व राजा भैया पुत्रगण चेली व राजेन्द्र पुत्र गणेश शंकर निवासी ग्राम के नाम श्रेणी-1 का संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज कागजात है तथा गाटा संख्या 352, रकबा संख्या 0.158 हे0 आबादी के खाते में अंकित है जिसके जुज भाग में लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रामनाथ का रिहायशी मकान बना है कुछ खाली है। जिसको लक्ष्मी प्रसाद द्वारा सहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विवादित भूखण्डों की नाप स्थल पर क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी है। नाम में राजेन्द्र आदि के गाटा संख्या-355 का 3 गाठां रकबा लक्ष्मी प्रसाद के कब्जे की भूमि में पूर्व में बनी दीवाल के पार निकला था जिससे क्षुब्ध होकर लक्ष्मी प्रसाद ने दीवानी न्यायालय में वाद भी दायर कर दिया। दीवानी न्यायालय में वाद लम्बित रहते हुये राजेन्द्र प्रसाद आदि द्वारा नाप के बाद केवल विवादित दीवाल की उनकी भूमिधरी होने के कारण गिरा दिया गया है विवादित भूमि के सम्बन्ध में आज भी वाद दीवानी न्यायालय में लम्बित है।

दीवाल गिराये जाने के कारण श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गणेश शंकर शुक्ला, कमल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, चुनवद्दी पुत्र राम रतन निवासीगण जमालपुर व दिनेश पुत्र विजय कुमार निवासी कस्बा थाना नरैनी के विरूद्ध मु0अ0स0-33/2001 धारा 427/604/606 आई0पी0सी0 कायम हुआ। इस संबन्ध में क्षेत्राधिकारी नगर बांदा की आख्या के अनुसार विवेचना से 427 आई0पी0सी0 का अपराध होना पाया गया और अभियुक्तगण श्री राजेन्द्र प्रसाद, कमल चुनवद्दी एवं दिनेश का चालान (आरोप पत्र) धारा 427 आई0पी0सी0 का अपराध असंज्ञेय होने के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गयी है। असज्ञेय मामलों में न्यायालय ही ट्रायल के दौरान अभियुक्तों को सम्मन/वारंट के जरिये तलब करेगी।]

जनपद संतरविदास नगर (भदोही) विद्युत उपकेन्द्र कोई रौना (नारेपार) को चलाने के संबंध में माननीय विधायक श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कोइराना स्थित है। वर्तमान समय में इसकी क्षमता 2x3 एम वी ए है। इस उपकेन्द्र से दो आउट गोइंग फीडर वारीपुर एवं नारेपार निकलते है। इस फीडरों से इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की जाती है।

33/11 के0वी0 कोइराना से एक तीसरा फीडर निकालना प्रस्तावित है। इसकी लम्बाई 4 कि0मी0 है। इस आउट गोइंग फीडर हेतु 11 के0वी0 ओ0सी0बी0 उपकेन्द्र पर उपलब्ध है। फीडर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

तीसरे फीडर के चालू हो जाने पर 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बहीदा से निकलने वाला कटरा फीडर इससे जोड़ा जायेगा। इससे 33 के0वी0 उपकेन्द्र गोपीगंज से निकलने वाले कोइराना फीडर के कुछ अंश को भी जोड़ा जायेगा।

33 के0 वी0 उपकेन्द्र कोइराना से विद्युत आपूर्ति किये जाने पर विद्युत व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की आशा है। तीसरे फीडर का निर्माण अगस्त, 2001 तक पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।]

प्रदेश में समूह "ग" की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में तत्कालीन प्रभारी निदेशक, श्री डी0के0 शुक्ल द्वारा समूह "ग" की भर्ती में की गयी अनियमितताओं की शिकायतें कार्मिक विभाग में प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायतों की जांच कार्मिक विभाग द्वारा जिलाधिकारी, इलाहाबाद से करायी गयी थी। इसी प्रकार की शिकायतें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग तथा पिछड़े वर्ग आयोग में भी की गयी।

(2) जिलाधिकारी की प्रारम्भिक जाँच आख्या तथा आयोग की संस्तुति में पाया गया कि खुली प्रतियोगिता में योग्यता में चयनित 2 अनुसूचित जाति तथा 4 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आये थे, किन्तु तत्कालीन प्रभारी निदेशक द्वारा उन्हें सामान्य श्रेणी में न रख कर आरक्षित पदों के सापेक्ष समायोजित किया गया। इस प्रकार श्री शुक्ल तत्कालीन प्रभारी निदेशक द्वारा आरक्षण अधिनियम -1994 की धारा-3(6) का उल्लंघन किया गया। जाँच प्रभावित न हो इसलिये श्री डी0के0 शुक्ल तत्कालीन प्रभारी निदेशक (संयुक्त निदेशक मुख्यालय) का स्थानान्तरण पद सहित स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में कर दिया गया।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में यद्यपि श्री शुक्ल को विलम्बित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, किन्तु तत्कालीन प्रभारी निदेशक को निलम्बित करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।

(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद की जाँच आख्या तथा आयोग की संस्तुति के आधार पर आरोप-पत्र देकर तत्कालीन प्रभारी निदेशक के विरुद्ध विधिवत् अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जाँच अधिकारी से विभागीय जाँच में आरक्षण अधिनियम-1994 के नियम-3(6) का उल्लेख किये जाने हेतु श्री शुक्ल तत्कालीन प्रभारी निदेशक को दोषी पाया है। जाँच आख्या का परीक्षण कर श्री शुक्ल प्रभारी निदेशक को यथोचित दण्ड दिये जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

(5) आरक्षण अधिनियम का पालन न होने के कारण 2 अनुसूचित जाति तथा 4 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाने के कारण गलत ढंग से नियुक्ति 6 सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी, परन्तु निकाले गये कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण उन्हें पुन: सेवा में रख लिया गया है। अनुसूचित जाति के 2 तथा पिछड़े वर्ग के 4 अभ्यर्थी जो नियुक्ति पाने से वंचित रह गये थे, उन्हें नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में कार्मिक विभाग की राय मांगी थी, जो अभी प्रतीक्षित है।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं में भूमि विकास बैंक सहसवान द्वारा किसानों को ऋण वितरण में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

सहकारिता मंत्री (पटेल रामकुमार वर्मा)--

[माननीय सदस्य विधान सभा, श्री ओंकार सिंह द्वारा उक्त नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सहसवान, जिला बदायूँ में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भूमि विकास बैंक, सहसवान द्वारा लगभग एक हजार किसानों को पम्पिंगसेट, आटा चक्की, धोड़ा (बुग्गी) तथा डनलप-बैल खरीदने के नाम पर ऋण दिया गया है। इन सभी किसानों से बैंक अधिकारियों द्वारा रूपये 5,000 से रू0 7,000 तक का कमीशन लेकर फर्जी भुगतान किया गया है। यह भुगतान वांछित वस्तु न खरीद कर फर्जी खरीद दिखाकर दिया गया और कुछ किसानों से अंगूठा लगाकर स्वयं भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। किसान परेशान है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में बैंक की शाखा सहसवान द्वारा विभिन्न मदों में निम्नवत् ऋण वितरण किया गया है :--

मद	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
ट्रैक्टर	2	5.10
डीजल पम्पसेट एवं वोरिंग	778	139.51
डनलप/वैल	540	81.06
डेरी	220	58.79
योग	1540	284.46

किसी भी कृषक से कोई कमीशन नहीं लिया गया है और न ही किसी से इसकी मांग की गई है। जिन कृषकों को ऋण दिया गया है उनके द्वारा सामान क्रय किया गया है। किसी भी किसान से अंगूठा लगाकर बैंक कर्मियों द्वारा भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है। उक्त नियम -51 की नोटिस में किसी किसान के नाम का उल्लेख नहीं है अत: किसी प्रकरण विशेष की जांच किया जाना संभव नहीं है।]

प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा संचालित विकास योजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विधान परिषद व विधान सभा के माननीय सदस्यों को समान रूप से धन मात्राकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नियोजन राज्य मंत्री का केवल बक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)--

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा संचालित विकास योजनाओं को स्वीकृत किये जाने में विधान परिषद व विधान सभा के मा0 सदस्यों को समान रूप से धन मात्राकृत किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

मा0 सदस्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि मा0 सदस्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत मा0 सदस्य विधान परिषद को अधिक परियोजनायें स्वीकृत की जा रही हैं। इससे विधान सभा के सदस्यों में कुण्ठा व क्षोभ व्याप्त है। आयुक्त द्वारा मा0 विधान सभा के सदस्यों को संविधान प्रदत्त अधिकारों में कटौती की जा रही है।

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधियों के अन्तर्गत विकास कार्यो को कराये जाने हेतु मा0 सदस्य विधान परिषद की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2983/355-98 दिनांक 14-10-98 जारी किया गया था।

संदर्भगत शासनादेश में यह प्राविधानित है कि मा0 सदस्य विधान परिषद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक जनपद के चयन का विकल्प करना होगा। उसी चयनित जनपद में ही उन्हें मा0 सदस्य विधान सभा को दील जाने वाली राशि के समतुल्य धनराशि मात्राकृत की जायेगी, उस मात्राकृत धनराशि में से मा0 सदस्य विधान परिषद अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में या एक जनपद में धन दे सकेंगे, परन्तु उक्त शासनादेश की अवहेलना करके मा0 सदस्य विधान परिषद अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद में धन मात्राकृत कराते हैं जिसमें आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत शासनादेश की अवहेलना की जा रही है।

मा0 सदस्य विधान परिषद, डा0 यज्ञदत्त शर्मा का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वर्ष 2000-2001 में जनपद चित्रकूट, जनपद ललितपुर एवं जनपद कौशाम्बी में उनके लिए धन मात्राकृत किया गया है, जो प्रश्नगत शासनादेश की अवहेलना है।

इस संबंध में जनपद चित्रकूट, ललितपुर एवं कौशाम्बी से सूचनायें प्राप्त की गयी हैं। प्राप्त सूचनाओं से प्रगट होता है कि वर्ष 2000-2001 में मा0 विधान परिषद सदस्य, डा0 यज्ञदत्त शर्मा को प्रश्नगत तीनों जनपदों में अलग-अलग धनराशि मात्राकृत की गयी है।

संबंधित अधिकारियों से इस प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्तपन्न न हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।]

जनपद गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[मा0 सदस्य द्वारा जनपद गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा के सम्बन्ध में बिन्दु उठाये गये हैं।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराना है कि ग्राम बड़ेसर, जनपद गाजीपुर के ब्लाक जमानियां में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ग्राम बड़ेसर के निकट जमानियां पम्प नहर का पम्प गृह स्थापित है। इन स्थलों को हो रहे कटान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रु0 65.93 लाख की एक परियोजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की 107वीं बैठक दिनांक 10-3-98 द्वारा अनुमोदित की गयी है। धनाभाव के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

करण्डा ब्लाक के गांव कसैरा, सरायमुहम्मदपुर, वमेपुर, पुरैना, मलहपुरा आदि गंगा नदी के बायें तट पर स्थित हैं। इनकी गंगा नदी से कटान की संभावना को देखते हुए क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त कटाव निरीक्षक कार्य की योजना बनाकर मुख्य अभियन्ता समिति एवं बाढ़ नियंत्रण परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति/परिषद का निर्णय प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता--

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 30 मई, 2001

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 - 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ - 21 पर।)

श्रीमती महिमा मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य जांच किये गये विद्यालयों की सूची :

दिनांक	19-9-2000	1-देवकी शिक्षा सदन प्रा0 स्कूल, बगाही
	,,	2- आर0के0 विद्यालय, बाबूपुरवा।
	,,	3-पटेल शिक्षा सदन प्रा0 स्कूल, बगाही।
	,,	4-भारती शिक्षा सदन प्रा0 स्कूल, यशोदा नगर।
दिनांक	21-9-2000	5-भारती वेद विद्यालय प्रा0 स्कूल, अजीतगंज।
	,,	6- विकास शिक्षा निकेतन, संजय गांधी नगर।
	,,	7-वी0एस0आर0के0 विद्यालय, कानपुर।
	,,	8-वीणा प्राइमरी स्कूल बर्रा-4
	,,	9-वीणा बाल विद्यालय, हरदेव नगर, कर्रही।
	,,	10-सेन्ट पीटर पब्लिक स्कूल, बर्रा-4
	,,	11-ब्रम्हावत्र शिशु शिक्षा मन्दिर, नौबस्ता।

अवर विधान सभा

,, 12-लार्ड एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, नौबस्ता।
,, 13-अलका प्राइमरी स्कूल, संजय नगर।
,, 14-अशोक भारतीय एजुकेशन सेंटर, नौबस्ता।

श्रीमती महिमा मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा द्वारा की गई विद्यालयों की जांच में फर्जी, अस्तित्वहीन पाये गये विद्यालयों की सूची।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	धनराशि
1	2	3
1-	वीणा बाल विद्यालय, हरदेवनगर, बर्रही।	20,700-00
2-	अल्का प्राइमरी स्कूल, संजय नगर, नौबस्ता।	24,000-00
	योग	44,700-00

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 - 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ - 17 पर।)

विधान सभा प्रश्न सं0-5

जांचकर्ता श्री बल्देव त्रिपाठी, अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0), कानपुर देहात

21-9-2000 1- मोनू प्राइमरी स्कूल, जूही, लाल कालोनी।
2- सरस्वती ज्ञान कुंज बाबानगर, नौबस्ता।
3- बिमला सरस्वती शिक्षा मन्दिर नौबस्ता।
4-नेहरू बाल भवन प्रा0 स्कूल किदवईनगर।
5-प0आर0एस0 मेमोरियल प्रा0 स्कूल।
6-एस0डी0 विद्यापीठ जू0हा0स्कूल श्यामविहार
7-प्रीति शिक्षा निकेतन।
23-9-2000 8- भारती विद्यापीठ जू0हा0स्कूल किदवईनगर।
9-ज्ञानोदय प्राइमरी स्कूल नयापुरवा
10- राजरानी ज्ञान विद्या मंदिर प्रा0 स्कूल किदवईनगर।
11- स्वामी विवेकानन्द प्राइमरी स्कूल किदवईनगर।
25-9-2000 12- रामसहाय इण्टर कालेज शिवराजपुर।
26-9-2000 13- केशव सरस्वती शिक्षा मन्दिर बर्रा-2
14- मॉ गायत्री बाल विकास विद्या मन्दिर बर्रा-2
30-9-2000 15-कौशल्या देवी इण्टर कालेज किदवई नगर।
16-पं0 विशम्भरनाथ बालिका इ0का0 रतनलाल नगर।
17-पं0 विशम्भरनाथ उ0मा0वि0 रतनलालनगर।
18-प्रकाश बालिका विद्या मन्दिर हा0से0 स्कूल दबौली।
28--2000 19-एम0डी0 प्राइमरी स्कूल श्यामनगर।

	20-शिवम शिशु मन्दिर गोपालनगर।
	21-विजय (विश्व) भारतीय ज्ञान निकेतन बालिका हा0से0 स्कूल, गोविन्दनगर।
	22- सदा प्राइमरी स्कूल देवकीनगर।
26-9-2000	23-सरदार भगतसिंह इंटर कालेज बिठूर।
23-9-2000	24-सेन्ट पेरोनो प्रा0 स्कूल किदवईनगर।
25-9-2000	25- जे0के0 मेमोरियल हा0से0 स्कूल कमलानगर।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 - 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ -25 पर।)

श्रीमती ऊषा पूजा तत्कालीन उपनिदेशक, समाज कल्याण (मुख्यालय) द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य की गयी विद्यालयों की जांच की सूची।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	जांच की तिथि
1	2	3
1.	राष्टपाल हा0 से0 स्कूल पुरानी गढ़ी, नौबस्ता कानपुर	20-9-2000
2.	आर0 के0 प्राइमरी स्कूल, न्यू आजादनगर, नौबस्ता	20-9-2000
3.	शिवाजी शिशु मन्दिर बसन्त बिहार नौबस्ता	20-9-2000
4.	शिवरानीदेवी माध्यमिक वि0 पुरानी मंडी नौबस्ता	20-9-2000
5.	महर्षि वशिष्ट विद्यालय नौबस्ता।	20-9-2000
6.	दयानन्द हा0 से0 स्कूल, हनुमन्त बिहार नौबस्ता।	20-9-2000
7.	एस0 एन0 शिक्षण एवं समाज सेवी संस्थान नौबस्ता	20-9-2000
8.	सोमवती बालिका हा0से0 स्कूल, साकेतनगर	20-9-2000

श्रीमती ऊषा पूजा तत्कालीन उपनिदेशक, समाज कल्याण उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 2000-2001 के मध्य की गयी विद्यालयों की जांच में फर्जी/अस्तितवहीन पाये गये विद्यालयों एवं उनके गबन की गई धनराशि सम्बन्धी विवरण।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	गबन की गई धनराशि
1.	राष्टपाल हा0 से0 स्कूल पुरानी गढ़ी, नौबस्ता	5,53,202=00
2.	आर0 के0 प्राइमरी स्कूल न्यू आजादनगर, नौबस्ता	99-2000 में धनराशि नहीं भेजी गयी।
3.	शिवाजी शिशु मन्दिर बसन्त बिहार नौबस्ता	तदैव
4.	शिवरानी देवी माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी, नौबस्ता।	9,22,746=00
	योग	14,75,948=00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 - 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ - 26 पर।)

महामंत्री, उ0प्र0 समाज कल्याण सुपरवाइजर परिषद, लखनऊ द्वारा की गयी दिनांक 7-8-2000 की शिकायत के क्रम में श्री यू0बी0 सिंह, उप निदेशक,समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं श्री विशेडवर सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 11-8-2000 को जांच किये गये 16 विद्यालयों की सूची :

1- बासुदेव हायर सेकेन्ड्री स्कूल, खण्डपुर, कानपुर नगर
2- देवर्षि इण्टर कालेज, शिवकटरा, कानपुर नगर
3- दिग्विजय सिंह इण्टर कालेज, टी0पी0 नगर, कानपुर नगर
4- घनश्याम दास इण्टर कालेज, हनुमन्त बिहार, कानपुर नगर
5- गोकुल इण्टर कालेज, लाल बंगला, कानपुर नगर
6- जे0एन0पी0एन0हा0 सेकेन्ड्री स्कूल, आनन्द बिहार, कानुपर नगर
7- जोहरा इण्टर कालेज, जाजमऊ, कानपुर नगर
8- शिवरानी देवी मा0 विद्यालय, हेमन्त बिहार, कानपुर नगर
9- मारवाड़ी इण्टर कालेज, अमृतपुरम, कानपुर नगर
10- राजीव मेमोरियल विद्यालय बुद्ध नगर, कानपुर नगर
11- लक्ष्मी बाई इण्टर कालेज, कानपुर नगर
12- रत्नेश इण्टर कालेज, कृष्णा नगर, कानपुर नगर
13- आर0 के0 मिशन हा0 सेकेन्ड्री स्कूल, जरौली, कानपुर नगर
14- सोमपाल उच्चतर मा0 विद्यालय, कृष्णा नगर, कानपुर नगर
15- एम0 बी0 एस0 इण्टर कालेज, आदर्श नगर, कानपुर नगर
16- छत्रपति शिवाजी हा0 से0 स्कूल, जरौली, कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 05 वि0 सभा---25-6-2003--813 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।